सत्यमेव जयते

भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या–4

Hkkjr ds fu;=d&egkys[kkijh{kd
ds jktLo {ks= ij
vuqikyu ys[kkijh{kk izfrosnu

31 ekpZ 2021 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,

mRrj izns'k ljdkj
o"kZ 2022 dk izfrosnu la[;k&4

fo"k; & lwph

fooj.k	lUnHkZ	
	iSjk	i`"B la[;k
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v – viii
v/;k;-I: lkekU;		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रूझान	1.2	1
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति	1.3	6
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.4	6
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.5	7
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.6	8
v/;k;-II: jkT; eky ,oa lsok dj		
'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1	9
'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा	2.2	28
v/;k;-III: LVkEi ,oa fucU/ku Qhl		
कर प्रशासन	3.1	47
संगठनात्मक ढाँचा	3.2	47
लेखापरीक्षा का परिणाम	3.3	48
'बंधक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण एव संग्रहण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा	3.4	48
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना	3.5	59
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना	3.6	60
v/;k;-IV: [kuu ikfIr;k¡		
कर प्रशासन	4.1	63
लेखापरीक्षा का परिणाम	4.2	63
पट्टा निरस्तीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	4.3	63
नियामक ढाँचे में रिक्तता	4.4	65

पट्टाधारकों द्वारा खनिजो के अवैध परिवहन के मामलों में खनिज का मूल्य न लगाया जाना	4.5	69
रायल्टी एवं प्रतिभूति जमा के भुगतान में विलम्ब के लिये बोली पूर्व बयाना राशि जब्त न किया जाना	4.6	70
खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना	4.7	70
पट्टाधारकों द्वारा रायल्टी जमा न किया जाना	4.8	71
v/;k;-V: vU; izkfIr;k¡ **¼v½ okguksa] eky ,o ;kf=;ksa ij dj**		
कर प्रशासन	5.1	73
लेखापरीक्षा का परिणाम	5.2	73
उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	5.3	74
v/;k;-V: vU; izkfIr;k¡ **¼c½ jkT; vkcdkjh**		
कर प्रशासन	5.4	75
लेखापरीक्षा का परिणाम	5.5	75
आबकारी अभिलेखों में इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा को कम अंकित किया जाना	5.6	76
दुकानो के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	5.7	78
ifjf'k"V;k¡		**81-204**

ikDdFku

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, राज्य आबकारी, परिवहन एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग शामिल हैं के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो 2020–21 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2020–21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

fogxkoykdu

इस प्रतिवेदन में ***eky ,o lsok dj ds vUrxZr Vªkft'kuy ØsfMV*, ^eky ,o lsok dj ds vUrxZr ifrnk; nkoksa ds i`FkDdj.k] ^cz/kd foys[kksa ij LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk vkjksi.k ,o laxg.k* ij vuqikyu ys[kkijh{kk** एवं 11 प्रस्तर शामिल है जिनका कुल ₹ 1,551.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग एव स्टाम्प एव निबन्धन फीस विभाग द्वारा ₹ 80.87 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

v/;k;-I: lkekU;

वर्ष 2020–21 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,96,176.33 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,31,743.45 करोड़ (44.48 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,64,432.88 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों, शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,06,687.01 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 36.02 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 57,745.87 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 19.50 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2020–21 में पिछले वर्ष के सापेक्ष राज्य के अपने कर राजस्व में ₹ 72,787.46 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (सारणी 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यर्थाथ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

¼iSjk 1-2½

v/;k;-II: jkT; eky ,o lsok dj

^eky ,o lsok dj ds vUrxZr Vªkft'kuy ØsfMV* पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आया%

60 करदाताओं ने निर्धारण आदेशों से ट्रान–1 (तालिका 5 सी) के माध्यम से ₹ 19.50 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

¼iSjk 2-1-8-1½

44 करदाताओं ने पिछले विरासत विवरणों से ₹ 10.09 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेनित किया।

¼iSjk 2-1-8-2½

ट्रान–1 में त्रुटिपूर्ण ढंग से दावा किये गये ₹ 1.45 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली नही की गयी।

¼iSjk 2-1-8-6½

12 करदाताओं ने ट्रान–1 में ब्यौरा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 5.09 करोड़ के गैर सत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

¼iSjk 2-1-9-3½

पूँजीगत वस्तुओं पर ट्रान–1 की तालिका 7 सी में ₹ 4.73 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

¼iSjk 2-1-11½

^eky ,o lok dj d vUrxr ifrnk; nkok dh ifØ;k* पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आयाः

11 करदाताओं में ट्रान–1 की तालिका 11 में ₹ 51.97 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन नही किया गया था।

¼iLrj 2-1-12½

कर प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की प्रासंगिक अवधि के पश्चात प्रतिदाय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

¼iLrj 2-2-13½

करदाताओं के अभिलेखीय साक्ष्यों का संज्ञान न लिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख का अतिरिक्त/अनियमित प्रतिदाय दिया गया।

¼iLrj 2-2-14½

करदाता को एकीकृत माल एवं सेवा कर का अधिक प्रतिदाय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 67.22 लाख के अधिक प्रतिदाय, ₹ 35.40 लाख ब्याज के साथ वसूलनीय था।

¼iLrj 2-2-15½

दो करदाताओं को त्रुटिपूर्ण ढंग से दावा की गई सेवाओं पर अधिक प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 26.56 लाख के ब्याज, ₹ 58.57 लाख का अधिक प्रतिदाय की वसूली की जानी चाहिये थी।

¼iLrj 2-2-21½

v/;k;-III: LVkEi ,o fucU/ku Qh l

^c/kd foy[kk ij LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd dk vkjki.k vkj lxg.k* की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आयाः

सुरक्षित धनराशि ₹ दो करोड़ से दस करोड़ के मध्य वाले बंधक विलेखों (बिना कब्जा) पर ₹ 4.01 करोड़ का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया

¼iLrj 3-4-5-1½

₹ दस करोड़ से अधिक की सुरक्षित धनराशि वाले बंधक विलेखों पर ₹ 225.31 करोड़ का स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम/अनारोपण किया गया।

¼iLrj 3-4-5-2½

बंधक विलेखों पर सुरक्षित राशि पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिये ₹ पाँच की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। यद्यपि, उप निबन्धक द्वारा स्टाम्प शुल्क की राशि को ₹ 5 लाख तक सीमित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.95 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

¼iLrj 3-4-5-3½

लेखपत्रों को बंधक विलेखों के स्थान पर स्वत्व पत्रों के निक्षेप के रूप में पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.87 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया।

¼iLrj 3-4-6½

लेखपत्रों को बंधक विलेखों के स्थान पर जमानती बाँड के रूप में पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस में ₹ 1.44 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¼iLrj 3-4-7½

उत्तर प्रदेश शहरी, नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत एकत्र किये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लिये पृथक लेखांकन के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई पृथक उप शीर्ष नही खोला गया। अतः विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के स्थिति में नही था कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी।

¼iLrj 3-4-8-1½

vU; vuqikyu y[kkijh{kk iLrj

निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन के हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण का उल्लेख नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.57 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

¼iLrj 3-5½

निबंधनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा भूमि की महत्ता एवं सेगमेन्ट/मुख्य सड़क की स्थिति को संज्ञान में नही लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

¼iLrj 3-6½

v/;k;-IV: [kuu ikfIr;k

विभाग ने पट्टाधारक द्वारा रायल्टी एवं अन्य देय राशियों का भुगतान नही किये जाने के कारण पट्टे को तत्काल निरस्त नही किया जिससे ₹ 14.18 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

¼iLrj 4-3½

वर्तमान नियामक ढाँचे के अन्तर्गत, चूँकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामले में खनिज मूल्य को परिभाषित नहीं किया गया, यह जिला प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे खनिज मूल्य की गणना हेतु नीलामी के माध्यम से खोजे गये रायल्टी की दर या अध्याय–III की दरो को अपनाये। परिणामस्वरूप, पट्टाधारक ने वैध खनन के लिए देय राशि की तुलना में अवैध खनन के लिए कभी–कभी कम जुर्माना दिया, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला।

¼iLrj 4-4½

पट्टेधारकों द्वारा प्रपत्र एमएम–11 के बिना खनिज के अवैध परिवहन के मामलों में ₹ 11.92 करोड़ के खनिजों का मूल्य आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

¼iLrj 4-5½

जिला खान अधिकारियों ने रायल्टी एवं प्रतिभूति जमा के भुगतान में विलम्ब के लिये बोली गयी पूर्व बयाना राशि ₹ 3.51 करोड़ को जब्त नही किया।

¼iLrj 4-6½

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में देय अंशदानों को 39 खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.10 करोड़ का निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना।

¼iLrj 4-7½

दो जिला खनन कार्यालयों में नौ पट्टाधारक द्वारा ₹ 1.73 करोड़ की रायल्टी जमा नहीं किया गया।

¼iLrj 4-8½

v/;k;-V: vU; jktLo ikfIr;k

¼v½ okguk] eky ,oa ;kf=;ksa ij dj

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा संचालित 174 बसों से अतिरिक्त कर ₹ 6.27 करोड़ का वसूल नही किया जाना।

¼iLrj 5-3½

¼c½ jkT; vkcdkjh

सहायक आबकारी आयुक्त, रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर, आबकारी अभिलेखों में दर्शायी गयी इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की निगरानी आयकर विभाग में दाखिल विवरणी के साथ करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप वर्ष 2013–14 से 2019–20 की अवधि के दौरान ₹ 1,078.09 करोड़ (₹ 482.34 करोड़ के ब्याज सहित) के आबकारी राजस्व के इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग को कम करके दिखाने का पता नहीं चला।

¼iLrj 5-6½

विभाग द्वारा दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा सुनिश्चित करने में विफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूत जमा कुल धनराशि ₹ 11.05 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

¼iLrj 5-7½

v/;k; -I % lkekU;

1-1 ifjp;

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1-2 ikfIr;k dk :>ku

1-2-1 वर्ष 2020–21 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **lkj.kh&1-1** में दर्शाये गये हैं।

lkj.kh&1-1% jktLo ikfIr;k dk :>ku

						(₹ djkM e)
Ø0 l0	**fooj.k**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	**jkT; ljdkj }kjk mxkgk x;k jktLo**					
	• कर राजस्व	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30
	xr o"k d: lki{k of) dh ifr'krrk	**5.99**	**13.29**	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**
	• करेतर राजस्व	28,944.07	19,794.86	30,100.71	81,705.08	11,846.15
	xr o"k d: lki{k of) dh ifr'krrk	**25.11**	**(-) 31.60**	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**
	;kx	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**
2	**Hkkjr ljdkj l: ikfIr;k**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01[1]
	• सहायता अनुदान	32,536.87	40,648.45	42,988.48	44,043.97	57,745.87[2]
	;kx	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**
3	**jkT; ljdkj dh dqy jktLo ikfIr;k (1 ,o 2)**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**
4	**3 l: 1 dh ifr'krrk**	**45**	**42**	**46**	**56**	**44**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2016–21 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 8.50 प्रतिशत एवं 26.30 प्रतिशत रही थी। राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 35.59 प्रतिशत की कमी रही थी। कोविड–19 महामारी ने वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2020–21 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में अ–कर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य लेखा–शीर्ष–0005–केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आकड़ों को राज्य द्वारा उगाये गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 9,323.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2020–21 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **pkVZ&1-1** में प्रदर्शित किया गया है।

pkVZ&1-1

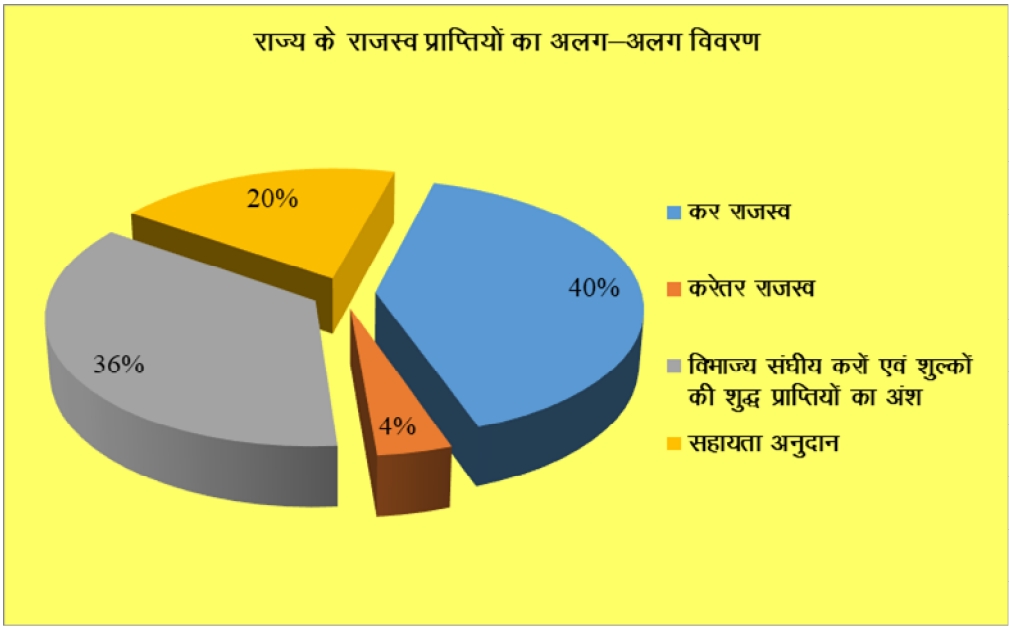

1-2-2 वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान कर राजस्व का विवरण **lkj.kh&1-2** में प्रदर्शित किया गया है।

lkj.kh&1-2% dj jktLo dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	dh rqyuk esa o"kZ 2020-21 ds okLrfod esa of) (+) vFkok deh (-) dh izfr'krrk	
		c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	2020-21 dk c0v0	2019-20 dk okLrfod
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	(-) 21.78	(+) 7.85
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)		28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	(-) 32.27	(-) 9.26
2	राज्य आबकारी	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	(-) 19.84	(+) 10.01
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	(-) 28.98	(+) 2.52
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	(-) 25.05	(-) 15.97
5	अन्य[3]	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	(-) 62.96	(-) 52.33
	;ksx	**1,01,256.50 85,965.92**	**1,11,501.90 97,393.00**	**1,22,700.00 1,20,121.86**	**1,40,176.00 1,22,825.83**	**1,66,021.00 1,19,897.30**	**(-) 27.78**	**(-) 2.38**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2002–21 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **pkVZ&1-2** में प्रदर्शित किया गया है।

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

pkV&1-2

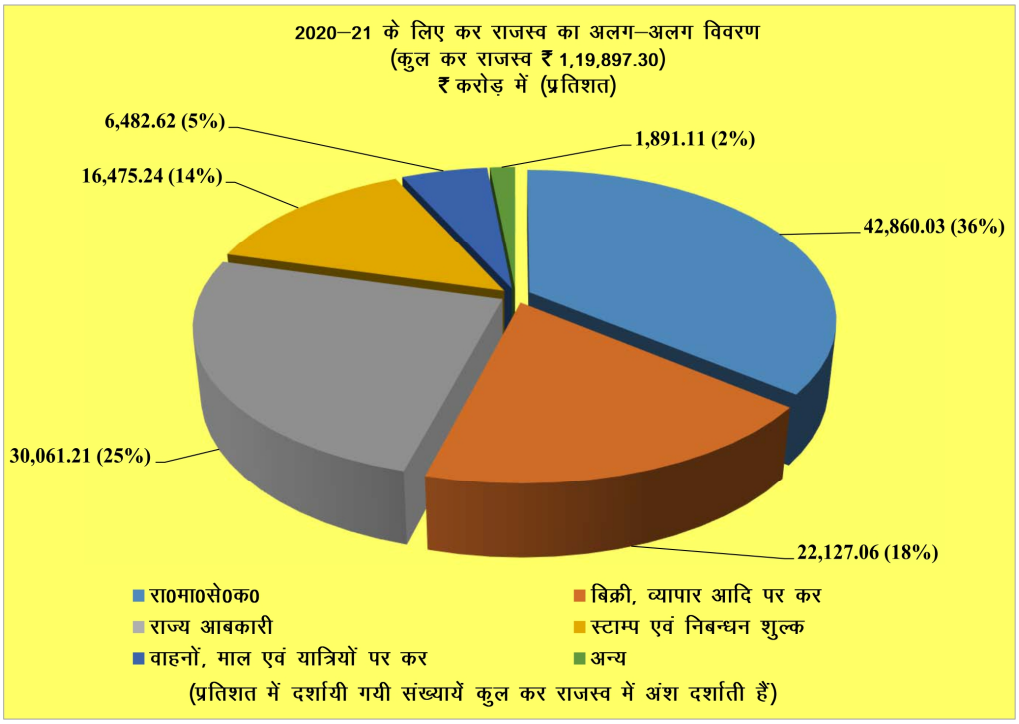

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2020–21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 2.38 प्रतिशत की कमी मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0) (₹ 4,372.38 करोड़ द्वारा), 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,232.23 करोड़ द्वारा) तथा करों के अन्य शीर्ष (₹ 2,075.74 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 1,609.93 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 42.71 करोड़ द्वारा) और मूल्य संवर्धित कर (₹ 1,303.56 करोड़ द्वारा) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि और राज्य बिक्री कर अधिनियम (₹ 264.78 करोड़ द्वारा) से कम वापसी के कारण था।

- वर्ष 2020–21 के दौरान रा0मा0से0क0 संग्रह में ₹ 4,372.38 करोड़ की कमी हुई। रा0मा0से0क0 संग्रह में कमी का मुख्य कारण रा0मा0से0क0 और ए0मा0से0क0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग (₹ 4,879.95 करोड़) एवं अन्य लघु शीर्ष में अंतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियों (₹ 4,504.63 करोड़) से कम प्राप्तियाँ एवं ए0मा0से0क0 का विभाजन (₹ 382.56 करोड़), ए0मा0से0क0 के अग्रिम विभाजन (₹ 3,507.94 करोड़) एवं कर के मद में (₹ 1,108.94 करोड़) प्राप्तियों में वृद्धि थी।

- राज्य आबकारी में वृद्धि देशी आसव (₹ 2,226.14 करोड़), विदेशी मदिरा तथा आसव (₹ 978.64 करोड़) की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण एवं अन्य प्राप्तियों के शीर्ष (₹ 188.50 करोड़) की प्राप्तियाँ एवं माल्ट मदिरा (₹ 656.48 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी।

- स्टाम्प एवं निबन्धन फीस के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेत्तर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 714.64 करोड़) एवं न्यायिक स्टाम्प (₹ 106.56 करोड़) में प्राप्त न्यायालय शुल्क में अधिक प्राप्तियों एवं न्यायिक स्टाम्प (₹ 472.22 करोड़) में कम बिक्री थी।

- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम (₹ 1,169.87 करोड़), भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (₹ 312.47 करोड़) के तहत कम प्राप्तियाँ एवं अन्य प्राप्तियों में अधिक (₹ 250.09 करोड़) प्राप्तियों के शुद्ध प्रभाव के कारण थी।
- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी (वर्ष 2019–20 में ₹ 3,452.50 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹ 1,586.70 करोड़) का कारण विद्युत की बिक्री एवं उपभोग (₹ 1,796.83 करोड) पर कर से कम प्राप्तियों एवं भारतीय विद्युत नियम के अन्तर्गत शुल्क (₹ 82.85 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी।

1-2-3 वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान वसूली गयी करेतर राजस्व के विवरण **lkj.kh&1-3** में दर्शायी गयी है।

lkj.kh&1-3% djsrj jktLo dk fooj.k

(₹ djksM+ esa)

Ø0 l0	jktLo 'kh"kZ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	dh rqyuk esa o"kZ 2020&21 ds okLrfod esa of) (+) vFkok deh (-) dh izfr'krrk	
		c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	c0v0 okLrfod	2020&21 ds c0v0	2019&20 ds okLrfod
1	विविध सामान्य सेवायें	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	14,051.00 72,043.54	12,585.00 571.84	(-) 95.46	(-) 99.21
2	ब्याज प्राप्तियाँ	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	(-) 46.88	(-) 24.08
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	(-) 22.18	(+) 42.78
4	विद्युत	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	(-) 62.99	(+) 25.37
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	6,806.96 4,967.03	8,956.93 5,737.03	(-) 35.95	(+) 15.50
;ksx		**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**31,178.93** **11,846.15**	**(-) 62.00**	**(-) 85.50**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

वर्ष 2020–21 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **pkVZ&1-3** में दर्शाया गया है।

[4] अन्य में निम्नलिखित में प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लद्यु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

pkV&1-3

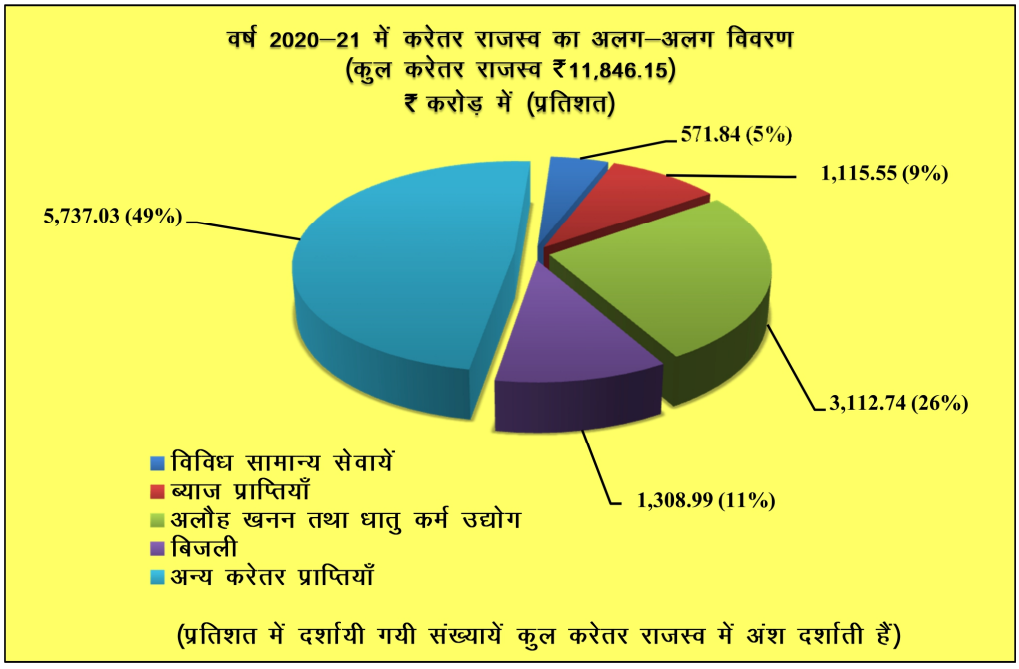

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर ₹ 69,858.93 करोड़ की कमी हुई 85.50 प्रतिशत, यह कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवायें (₹ 71,471.70 करोड़) शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान सिंकिंग फण्ड से अवशेष राशि का ऐसा कोई अन्तरण नहीं किया गया था जैसा कि वर्ष 2019–20 में ₹ 71,180.23 करोड़ का अंतरण किया गया था।
- वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में कमी नकद शेष निवेश खाते के अन्तर्गत (₹ 346.48 करोड़[5]) एवं सार्वजनिक अन्य उपक्रमों से ब्याज (₹ 24.30 करोड़[6]) के अर्न्तगत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग में वृद्धि खनिज रियायत शुल्क, किराये एवं रॉयल्टी में अधिक प्राप्तियों (₹ 900.28 करोड़) के कारण थी।
- राजस्व लेखा शीर्ष 'विद्युत' के अन्तर्गत 25.37 प्रतिशत की वृद्धि, ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिक प्राप्तियों (₹ 263.68 करोड़) के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी 1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

5 ₹ 596.15 करोड़ (2019–20) - ₹ 249.67 करोड़ (2020–21)।
6 ₹ 109.51 करोड़ (2019–20) - ₹ 85.21 करोड़ (2020–21)।

lLrfr%

foRr foHkkx dk viu ctV vuekuk dk vkj vf/kd ;FkkFkoknh cuku gr viu ctV r;kj dju dh fof/k;k dk iujh{k.k djuk pkfg;A

1-3 y[kkijh{kk ifronuk dk vuxeu&lkjk'kh—r fLFkfr

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2020 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गयी थी। इसके अलावा, वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2019–20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (जून 2022) जिन्हें मार्च 2016 और दिसम्बर 2021 के मध्य राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **lkj.kh&1-4** में दिया गया है।

lkj.kh&1-4

Ø0 l0	y[kkijh{kk ifronu lekfIr o"k	fo/kkue.My e iLrr gku dh frfFk	iLrjk dh l[;k	iLrjk dh l[;k ftue 0;k[;kRed fVIi.kh iklr gbl	iLrjk dh l[;k ftue 0;k[;kRed fVIi.kh iklr ugh gbl
1	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
2	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
3	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
4	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	08	00
5	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
6	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
7	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	00	18
;kx			**138**	**20**	**118**[7]

वर्ष 2021–22 में, लो0ले0स0 द्वारा 25 प्रस्तरों[8] पर चर्चा की गई।

1-4 y[kkijh{kk d ifr 'kklu@foHkkxk dh ifrfØ;k

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती है।

अक्टूबर 2021 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2022 के अन्त तक 13,190 नि0प्र0 से सम्बन्धित 48,800 प्रस्तर लम्बित थे। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग–वार विवरण **lkj.kh&1-5** में दिया गया है।

7 वाणिज्यि कर (29 प्रस्तर), राज्य आबकारी (16 प्रस्तर), परिवहन (29 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (30 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (03 प्रस्तर)।

8 स्टाम्प एवं निबन्धन (13 प्रस्तर), वाणिज्यि कर (2 प्रस्तर), परिवहन (7 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (3 प्रस्तर)।

lkj.kh&1-5% fujh{k.k ifrouku dk foHkkxokj fooj.k

Ø0l0	foHkkx dk uke	ikfIr;ka dh i–fr	yfEcr fu0i0 dh la[;k	yfEcr y[kkijh{kk i{k.kk dh la[;k
1	वाणिज्य कर	बिक्री व्यापार, आदि पर कर	6,151	26,749
		मनोरंजन कर	206	490
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,200	2,140
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,387	7,525
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,974	10,379
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	272	1,517
;kx			**13,190**	**48,800**

यहाँ तक कि नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किये गये 115 नि0प्र0 में से, चार नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किये गये शेष 111 नि0प्र0 के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये। नि0प्र0 की इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष–प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

lLrfr%

jkT; ljdkj dk ;g lqfuf'pr djuk gS fd ;g ,d r= vkjEHk djuk pkfg;s fd foHkkxh; vf/kdkjh fu0i0 ij Rofjr ifrfØ;k ns vkSj lq/kkjkRed dk;Zokgh djsA

1-5 y[kkijh{kk dk ifj.kke

o"kZ ds nkSjku vk;ksftr LFkkuh; y[kkijh{kk dh fLFkfr

वर्ष 2021–22 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[9] को समाविष्ट किया तथा माल एवं सेवा कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियों, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,498 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 115 (7.68 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2020–21 के दौरान इन पाँच विभागों में ₹ 1,21,118.90 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया जिसमें से 115 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 24,563.75 करोड़ संग्रहीत किया। 115 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 18,351 मामलों (22,497 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 1,683.30 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था।

[9] वाणिज्यि कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन और भूतत्व एवं खनिकर्म।

सम्बन्धित विभागों ने 39 मामलों में (पिछले वर्षों में बताये गये मामले शामिल) ₹ 61.43 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2021 एवं जून 2022 के मध्य) और 16 मामलों में ₹ 43.43 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

lLrfr%

jkT; ljdkj dk ,d r= fodflr djuk pkfg; ftll ;g lfuf'pr gk fd y[kkijh{kk }kjk bfxr ,o foHkkxk }kjk Loh—r lHkh vofu/kkj.k@de vkjki.k dh olyh foHkkxk }kjk dh tk;A

1-6 bl ifronu dk vkPNknu

इस प्रतिवेदन में **^eky ,o lok dj d vUrxr Vkft'kuy ØfMV*, ^oLr ,o lok dj d vUrxr ifrnk; nkok d ilLdj.k] ^c/kd foy[kk ij LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd dk vkjki.k ,o lxg.k* ij vuikyu y[kkijh{kk** तथा वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 11 प्रस्तर शामिल हैं जिनमें ₹ 1,551.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने ₹ 40.34 करोड़ के और वाणिज्यिक कर विभाग ने माल एवं सेवा कर के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर ₹ 37.27 करोड़ के एवं माल सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया पर ₹ 3.26 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया था। अन्य विभागों के उत्तर (जून 2022) प्राप्त नही हुये हैं। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से V में की गयी है।

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित है। **blfy; ;g tkp dju d fy; fd D;k leku =fV;k@pd vU; txg Hkh ?kfVr gb g] vxj gk] rk mlh l/kkju rFkk bl rjg dh =fV;k@pdk dk jkd ldu gr ,d i.kkyh dk LFkkfir dju d fy; 'kklu@foHkkx lHkh bdkb;k dk 0;kid iujh{k.k dj ldr gA**

v/;k;&II: jkT; eky ,o lsok dj

2-1 *eky ,o lsok dj d vUrxZr Vkft'kuy ØfMV* ij vuqkyu y[kkijh{kk

2-1-1 ÁLrkouk

माल एव सेवा कर (मा0से0क0) ने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाये जाने एवं संग्रहीत किये जाने वाले विभिन्न करों को प्रतिस्थापित कर दिया। मा0से0क0, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित कर है जो विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है जिसमें कर आपूर्ति के साथ अग्रसर होता है। कर केन्द्र एवं राज्यों द्वारा एक साथ एक समान कर के आधार पर आरोपित किया जाता है तथा कर उस कर प्राधिकारी को देय होता है जिसका आपूर्ति के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होता है। केन्द्रीय माल सेवा कर (के0मा0से0क0) तथा राज्य माल सेवा कर (रा0मा0से0क0)/संघ राज्य क्षेत्र माल सेवा कर (सं0रा0क्षे0मा0से0क0) राज्य के अन्दर की आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है जबकि एकीकृत माल सेवा कर (ए0मा0से0क0) अन्तर–राज्यीय आपूर्तियों पर आरोपित किया जाता है। आउटपुट करदायित्वों के प्रति समंजन के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं एवं पूंजीगत माल पर भुगतान किये गये करों की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) की उपलब्धता मा0से0क0 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के ऊपर पुनः कर लगाने के प्रभाव से बचाता है एवं विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है। विद्यमान कानूनों[1] से मा0से0क0 अवधि में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये, 'इनपुट करों के लिये ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं' को मा0से0क0 अधिनियमों में शामिल किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत भुगतान किये गये उपयुक्त करों या शुल्कों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार और तरीका प्रदान किया जा सके। अग्रेतर, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान सरकार एवं व्यवसाय दोनों के लिये महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के लिये, ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रावधान विरासतीय विवरणियों से संचित क्रेडिट तथा कच्चे माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स, उत्पादनाधीन कार्य, नियत तिथि पर भण्डार में रखे तैयार माल के साथ–साथ पूंजीगत माल के संबंध में भी मा0से0क0 अवधि में क्रेडिट के पारगमन को सुनिश्चित करते हैं। प्रावधान, करदाता को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी स्थानान्तरित करने में सक्षम बनाता है जब वे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये प्रयुक्त हुई हों।

2-1-2 buiV dj d fy; Vkft'kuy 0;oLFkk

के0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 (एवं रा0मा0से0क0 अधिनियम/ सं0रा0क्षे0मा0से0क0 अधिनियम) की धारा 140 करदाताओं को विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत अर्जित आई0टी0सी0 को मा0से0क0 अवधि में अग्रेनीत करने के लिये समर्थ बनाती है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित यह धारा इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। आई0टी0सी0 के ट्रांजिशनल व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यमान कानूनों के तहत भुगतान किये गये विभिन्न करों जैसे कि राज्य मूल्य सवंर्धित कर (मू0सं0क0) और प्रवेश कर की आई0टी0सी0, अधिनियम की धारा 140 की सम्बन्धित उप धाराओं के अन्तर्गत, मा0से0क0 में अग्रेनीत करने के लिये अर्ह है। दावों को नीचे उल्लिखित उपयुक्त सारणियों में दो फॉर्मों मा0से0क0 ट्रान–1 एवं मा0से0क0 ट्रान–2 में अधिमानित किया जाना है।

[1] केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर एवं राज्य मूल्य सवंर्धित कर।

lkj.kh&2-1% Vkft'kuy ØfMV d nkok d fy;s fu/kkfjr Qke ,o lkj.kh

Qke	lkj.kh l0	Vkft'kuy ØfMV d vo;o
ट्रान–1	5(सी)	अन्तिम विरासतीय विवरणियों से क्रेडिट का अंतः शेष
ट्रान–1	6(बी)	पूंजीगत माल पर उपभोग न किया गया क्रेडिट
ट्रान–1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट
ट्रान–1	7(सी)	बीजक सहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
ट्रान–1	7(डी)	बीजक रहित शुल्क प्रदत्त भण्डार पर क्रेडिट
ट्रान–1	10	प्रधान के लिये अभिकर्ता के रूप में भण्डार में रखे गये माल पर क्रेडिट
ट्रान–1	11	नियत दिन (01 जुलाई 2017) से पहले भुगतान किये गये कर एवं नियत दिन के पश्चात की गयी आपूर्ति के सम्बन्ध में क्रेडिट
ट्रान–2	5	बिना बीजक के दावा किये गये भण्डार पर लिया गया क्रेडिट

कंपोजीशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत) के अन्तर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर सभी पंजीकृत करदाता नियत तिथि से 90 दिन के अन्दर ट्रान–1 विवरणी दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। प्रारम्भ में ट्रान–1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा 27 दिसम्बर 2017 तक बढ़ा दी गयी थी। यद्यपि, यह देखते हुये कि कई करदाता तकनीकी कठिनाइयों के कारण नियत तिथि तक विवरणी दाखिल नहीं कर सके, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिये उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017[2] के नियम 117 में उपनियम 1ए जोड़ा गया था। पुनश्च, ट्रान–1 दाखिल करने की नियत तिथि को उन करदाताओं के लिये जो तकनीकी कठिनाइयों के कारण विवरणी दाखिल नहीं कर सके थे और जो मामले मा0से0क0 परिषद द्वारा अनुशंसित थे, 31 मार्च 2020[3] तक बढ़ा दिया गया था।

2-1-3 y[kkijh{kk mn~n';

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे मा0से0क0 राजस्व को सीधे प्रभावित करते हैं क्योंकि क्रेडिट करदाताओं की आउटपुट कर देयता के प्रति समंजन के लिए पात्र है। इस प्रकार ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा को निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया:

i. क्या विभाग द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिये परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था (प्रणालीगत मुद्दा); और

ii. क्या करदाताओं द्वारा मा0से0क0 व्यवस्था में ले जायी गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट्स वैध एवं अनुमन्य थी (अनुपालन मुद्दा)।

2-1-4 y[kkijh{kk dk {k=

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं 142 के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा नियत तिथि[4] से मार्च 2020 के अन्त तक दाखिल किये गये रा0मा0से0क0 घटक के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की समीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा सत्यापन में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ–साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया और परिणामों की जाँच शामिल थी। व्यक्तिगत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन में ऐसे दावों के समर्थन में अभिलेखीय

[2] अधिसूचना 48/2018 वा0क0 दिनांक 10 सितम्बर 2018 द्वारा।
[3] सीबीआईसी आदेश सं0 01.2020–मा0से0क0 दिनांक 07 फरवरी 2020 द्वारा।
[4] जिस दिनांक को इस अधिनियम के प्रावधान लागू हुये, यथा 1 जुलाई 2017।

साक्ष्य के साथ नियत दिन के तुरंत पहले विद्यमान कानूनों के तहत दाखिल पिछली छः मासिक विवरणियों में करदाता द्वारा दावा किये गये वैट क्रेडिट की जाँच अपरिहार्य थी। इसके अतिरिक्त भण्डार में रखी गयी सामग्री से सम्बन्धित दावा किये गये इनपुट टैक्स के सम्बन्ध में सत्यापन में आवश्यक लेखांकन विवरण, ऐसे माल की खरीद के साक्ष्य प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों या अभिलेखों का परीक्षण भी सम्मिलित था।

2-1-5 y[kkijh{kk i)fr ,oa y[kkijh{kk ekun.M

चयनित करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सत्यापन के लिये कार्यप्रणाली में क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर जोनों के साथ–साथ खण्डों के पास उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन और डाटा विश्लेषण शामिल है। इसमें विभाग के माध्यम से करदाताओं की प्रासंगिक जानकारी/अभिलेखों तक पहुँच भी शामिल थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों और मानदण्ड सहित लेखापरीक्षा पद्धति को विभाग को अवगत कराने के लिये 26 अगस्त 2021 को अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी थी। फील्ड आडिट जुलाई 2021 और दिसम्बर 2021 के मध्य सम्पादित किया गया था। ड्राफ्ट प्रतिवेदन 21 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार और राज्य कर विभाग को जारी किया गया था। विभाग का उत्तर प्राप्त हो गया है तथा 05 जुलाई 2022 को अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्यकर के साथ समापन विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी। विभाग के उत्तर को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

जी0एस0टी0एन0 से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, नियत तिथि से मार्च 2020 के अन्त तक की अवधि में रा0मा0से0क0 के ट्रांजिशनल क्रेडिट के ₹ 1,289.84 करोड़ धनराशि के कुल 53,085 दावे किये गये थे। विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिये 12 जोनों और ज्वा0 कमि0 (का0स0) वा0क0 आयल सेक्टर लखनऊ के 124 खण्डों में फैले हुये ₹ 646.13 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किये हुये 1,079 करदाताओं का एक नमूना निकाला गया था।

जिन मानदण्डों के खिलाफ लेखापरीक्षा उद्देश्यों और उप उद्देश्यों को सत्यापित किया गया है उनमें उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं 142 सपठित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 117 एवं 118 तथा राज्य सरकार विभाग एवं सी0बी0आई0सी0 द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों के प्रावधान शामिल हैं।

2-1-6 y[kkijh{kk ueuk

लेखापरीक्षा द्वारा 1,058 ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के नमूने की जाँच की गयी जो कि वाणिज्य कर विभाग के 12 जोनों एवं ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 आयल सेक्टर लखनऊ के 124 खण्डों में फैले हुये थे। चयनित मामलों का विवरण इस प्रकार हैः

lkj.kh&2-2

Ø0l0	tku	ueuk dh dy l[;k	p;fur [k.M	y[kkijhf{kr ekeyk dh l[;k
1	आगरा	124	20	124
2	अलीगढ़	1	1	1
3	जी0 बी0 नगर	270	19	263
4	गाजियाबाद I	161	14	154
5	गाजियाबाद II	128	9	128
6	कानपुर I	104	15	104

Ø0 l0	tku	ueu dh dy l[;k	p;fur [k.M	y[kkijh{kr ekeyk dh l[;k
7	कानपुर II	120	18	120
8	ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 आयल सेक्टर लखनऊ	2	1	2
9	लखनऊ I	82	14	77
10	लखनऊ II	82	10	82
11	मेरठ	1	1	1
12	वाराणसी I	2	2	2
13	वाराणसी II	2	2	0
;kx		**1]079**[5]	**126**[6]	**1]058**

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 और दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) के नमूने के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेशों की जाँच की और पाया कि 86 करदाताओं (40 वा0क0का0) ने ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 35.46 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ उठाया। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) ने कर निर्धारण करते समय इन मामलों में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेशों को पारित किया एवं शून्य आई0टी0सी0 अनुमन्य किया। चूँकि ये मामले उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण के लिये खुले हुये थे, अतः इन करदाताओं को अनुमन्य आई0टी0सी0 की अनुपलब्धता में आई0टी0सी0 का दावा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित हो जाने के पश्चात, आगामी लेखापरीक्षा में इसकी जाँच की जायेगी **¼ifjf'k"V&I½**।

y[kkijh{kk dk ifj.kke

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये प्रणालीगत के साथ–साथ अनुपालन मुद्दों को प्रस्तुत करता है। प्रणालीगत मुद्दे ट्रांजिशनल क्रेडिट की स्वीकार्यता से सम्बन्धित परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को संबोधित करते है जबकि अनुपालन मुद्दे करदाताओं को ट्रांजिशनल क्रेडिट की

---

[5] (i) खण्ड 2 वा0क0 नोएडा के तीन करदाताओं, खण्ड 11 वा0क0 नोएडा के दो करदाताओं तथा खण्ड 3 वा0क0 हापुड़ के एक करदाता के केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।
(ii) खण्ड 11 वा0क0 नोएडा के दो करदाताओं जिनमें ₹ 1.09 करोड़ की ट्रांजिशनल क्रेडिट शामिल थी की लेखापरीक्षा को अभिलेख न प्रस्तुत करने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।
(iii) गोरखपुर से सम्बन्धित खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद के एक करदाता, झांसी से सम्बन्धित खण्ड 11 वा0क0 लखनऊ के एक करदाता, रायबरेली से सम्बन्धित ज्वा0कमि0 (का0स0) I वा0क0 लखनऊ के दो करदाता, अमेठी से सम्बन्धित ज्वा0कमि0 (का0स0) I वा0क0 लखनऊ के एक करदाता, रायबरेली से सम्बन्धित खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ का एक करदाता की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी क्योंकि ये मामले चयनित खण्डों से भिन्न खण्डों में प्रदर्शित हो रहे थे। अग्रेतर, मोदी नगर से सम्बन्धित पाँच करदाताओं, वाराणसी जोन–II के एक करदाता, ज्वा0कमि0 (का0स0) II वा0क0 वाराणसी जो कि सोनभद्र से सम्बन्धित था तथा खण्ड 3 भदोही से सम्बन्धित एक करदाता की समय की कमी एवं उन खण्डों से सम्बन्धित नगण्य मामलों के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

[6] वाराणसी जोन–II के अन्तर्गत दो खण्डों ज्वा0कमि0 (का0स0) II वा0क0 वाराणसी (सोनभद्र) एवं खण्ड 3 भदोही की समय की कमी एवं उस खण्ड में मामलों की संख्या नगण्य होने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

स्वीकार्यता के लिये प्रासंगिक कोडल प्रावधानों से अलग–अलग मामलों में विचलन को संबोधित करते हैं। लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2-1-7 Á.kkyhxr eqn

प्रणालीगत मुद्दों में विभाग द्वारा लक्ष्यों के प्रति आच्छादन की सीमा, सत्यापन तंत्र में नीति/प्रक्रियात्मक अन्तराल, दोहरे नियंत्रण के साथ चुनौतियां और वसूली प्रक्रिया की दक्षता के प्रति परिकल्पित सत्यापन तंत्र शामिल है। विरासतीय के साथ–साथ मा0से0क0 कानूनों दोनों के अन्तर्गत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, विभाग ने वर्ष 2018–19 के लिये ट्रांजिशनल क्रेडिट सत्यापन को प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया था।

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 121 निर्दिष्ट करता है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट की धनराशि को सत्यापित किया जा सकता है और अधिक दावे की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई क्रेडिट गलत तरीके से दावा की गयी हो के सम्बन्ध में प्रारम्भ की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने जाँच में विभाग द्वारा परिकल्पित और अपनाए गये सत्यापन तंत्र में कमियों को दर्शाया है। नई कर व्यवस्था लागू हो जाने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी थी।

2-1-7-1 foHkkx }kjk viuk;s x;s lR;kiu r= esa vi;kIrrk

विद्यमान कानूनों से मा0से0क0 व्यवस्था में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये, मा0से0क0 अधिनियम में एक ट्रांजिशनल व्यवस्था को शामिल किया गया था ताकि विद्यमान कानूनों में भुगतान किये गये उचित करों की हकदारी और दावा करने का तरीका उपलब्ध कराया जा सके। विद्यमान कानूनों के क्रेडिट का ट्रांजिशनल क्रेडिट व्यवस्था के माध्यम से आगे ले जाना एक बार की प्रक्रिया है; इसलिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त और प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिये।

(i) 124 खण्ड कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल किये गये ट्रान–1 मामलों के सत्यापन की जाँच की। यह पाया गया कि 35[7] खण्डों में ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले सत्यापित किये जा चुके थे, 53[8] खण्डों में सत्यापन की कार्यवाही चल रही थी। 22[9] खण्डों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सत्यापन किया जा चुका था या नहीं, तीन खण्डों[10] में विभाग ने उत्तर दिया कि पोर्टल में ऐसा कोई तंत्र नहीं था और 11 खण्डों[11] में ट्रांजिशनल क्रेडिट के मामले सत्यापित नहीं किये गये थे। इस

---

7 खण्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 वा0क0 आगरा, खण्ड 2, 9 एवं 15 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 4, 6, 9 एवं 29 वा0क0 कानपुर, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 आयल खण्ड लखनऊ, खण्ड 6 वा0क0 लखनऊ, खण्ड 5 वा0क0 मथुरा एवं खण्ड 8 वा0क0 नोएडा, खण्ड 3 वा0क0 हापुड़, खण्ड 6 वा0क0 मेरठ, खण्ड वा0क0 सिकन्दराबाद, खण्ड 7 वा0क0 वाराणसी, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 वाराणसी।

8 ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 आगरा, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 (रेंज बी) जी0 बी0 नगर, खण्ड 1 एवं 2 वा0क0 जी0 बी0 नगर, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 II गाजियाबाद, खण्ड 1, 4, 5, 10, 17 एवं 18 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 I एवं II कानपुर, खण्ड 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एवं 30 वा0क0 कानपुर, खण्ड वा0क0 कानपुर देहात, ज्वा0कमि0 (का0स0) I एवं II लखनऊ, खण्ड 1, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 21 एवं 22 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 12 वा0क0 नोएडा।

9 खण्ड 3 जी0 बी0 नगर, खण्ड 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2, 3, 9, 10, 12, 19, 20 वा0क0 लखनऊ, खण्ड 3, 4, 5, 6, 9 वा0क0 नोएडा।

10 खण्ड 4, 11 वा0क0 लखनऊ, ज्वा0कमि0 (का0स0) I वा0क0 गाजियाबाद।

11 खण्ड 6 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 8 एवं 16 वा0क0 लखनऊ, ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 रेन्ज ए नोएडा, खण्ड 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14 वा0क0 नोएडा।

प्रकार जुलाई 2017 में मा0से0क0 लागू हो जाने के चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात भी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन एवं अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस प्रकार, काफी समय व्यतीत होने के कारण करापवंचना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित (अप्रैल 2022) किया। समापन गोष्ठी के दौरान (जुलाई 2022) विभाग ने अवगत कराया कि व्यवस्था नई थी एवं कोविड के कारण भी ट्रान के सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(ii) ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर के 30 करदाताओं में से एक करदाता मे0 टी0जे0 पावर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड जी0बी0 नगर (09AAFCT1878D1Z6) ने अपना ट्रान–1 दिनांक 30 अगस्त 2017 को दाखिल किया एवं ₹ 29.23 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। जबकि लेखापरीक्षा ने देखा कि उसके इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर (इ0क्रे0ले0) में उसी दिनांक को ₹ 29.23 लाख के बजाय ₹ 36.25 लाख की धनराशि जमा हुई थी। मा0से0क0 पोर्टल में इस कमी के कारण अन्य मामलों में आई0टी0सी0 के अधिक लाभ की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यद्यपि करदाता ने 05 दिसम्बर 2017 को संशोधित ट्रान–1 दाखिल किया था और ₹ 7.02 लाख की धनराशि इ0क्रे0ले0 में डेबिट हुई थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित (अप्रैल 2022) किया। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि ऐसा नये तंत्र के कारण था। जीएसटीएन पोर्टल पर तकनीकी समस्यायें थीं। यद्यपि, करदाता ने स्वयं संज्ञान ले लिया है तथा अपने इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर से ₹ 7.02 लाख की धनराशि डेबिट करते हुये ट्रान–1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट का पुनरीक्षण दाखिल कर दिया है।

vuikyu enn

अनुपालन मुद्दे अलग–अलग निर्धारितियों द्वारा मा0से0क0 व्यवस्था में अग्रेनीत की गयी ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता एवं स्वीकार्यता से सम्बन्धित हैं। चयनित मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान ट्रान–1 की विहित सारणियों में अधिक आई0टी0सी0 के लाभ से सम्बन्धित परिणामों को देखा गया जिन पर अनुवर्ती प्रस्तरों में संक्षेप में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने 15.60 प्रतिशत की त्रुटि दर बनाते हुये लेखापरीक्षित 1,058[12] मामलों (124 खण्डों में) से 165 दावों (68 खण्डों में) में अनुपालन विचलन को देखा। आगामी प्रस्तरो में इन अनुपालन विचलनों की चर्चा की गयी है।

2-1-8 Vku&1 dh lkj.kh 5¼lh½ d ek/;e l vf/kd vkbZ0Vh0lh0 dk ykHk fy;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रानिक क्रेडिट लेजर (इ0क्रे0ले0) में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्य सवंर्धित कर और प्रवेश कर की रकम, यदि कोई हो, के रकम की क्रेडिट को अग्रेनीत करने के लिये

[12] 1,058 करदाताओं (124 खण्डों) में– 915 करदाता (116 खण्ड) सारणी 5सी से सम्बन्धित हैं, 226 करदाता (65 खण्ड) सारणी 6बी से सम्बन्धित हैं, 148 करदाता (60 खण्ड) सारणी 7बी से सम्बन्धित है, 91 करदाता (55 खण्ड) सारणी 7सी से सम्बन्धित हैं, 106 करदाता (64 खण्ड) सारणी 7डी से सम्बन्धित हैं, 20 करदाता (17 खण्ड) सारणी 10ए से सम्बन्धित हैं, 18 करदाता (12 खण्ड) सारणी 10बी से सम्बन्धित हैं और 31 करदाता (15 खण्ड) सारणी 11 से सम्बन्धित हैं।

हकदार होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(1) यह निर्धारित करता है कि धारा 140 के अधीन इनपुट टैक्स की क्रेडिट को लेने का अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के अन्दर फार्म मा0से0क0 ट्रान–1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक् रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट करते हुये इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यह कि आयुक्त, मा0से0क0 परिषद की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगाः

परन्तु यह कि धारा 140 की उप–धारा (1) के तहत दावे के मामले में आवेदन अलग–अलग निर्दिष्ट करेगा–

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उप–धारा (3), धारा 6 और 6ए और धारा 8 की उपधारा (8) के तहत दावे का मूल्य आवेदक द्वारा बनाया गया; तथा

(ii) फॉर्म सी या एफ में घोषणाओं की क्रम संख्या और मूल्य और केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 में वर्णित फॉर्म ई या एच या फॉर्म आई में प्रमाण पत्र, जो आवेदक द्वारा उप–खंड (i) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में प्रस्तुत किये गये हैं।

2-1-8-1 Vªku&1 dh ekè;e ls dj fu/kkZj.k vkns'kksa ls vxzsuhr ls vf/kd vkbZ0Vh0lh0 dk ykHk fy;k tkuk

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915[13] करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि 37 वा0क0का0[14] के 60 करदाताओं ने ट्रान–1 के सारणी 5(सी) में ₹ 35.99 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। क0नि0प्रा0 ने, कर निर्धारण करते समय इन करदाताओं को मात्र ₹ 16.49 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य की। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 19.50 करोड़ की आई0टी0सी0 का अधिक दावा हुआ जो चूककर्ता करदाताओं से वसूलनीय था, यद्यपि कोई मांग सृजित नहीं की गयी थी ¼ifjf'k"V&II½।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में आठ मामले में विभाग ने धनराशि ₹ 15.07 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया तथा उनके द्वारा सभी आठ मामलों में धनराशि ₹ 15.07 लाख की वसूली सूचित की गयी। धनराशि ₹ 4.09 करोड़ के 14 मामलों[15] में

---

[13] 1,058 मामलों में से सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के कुल जाँच किये गये मामले।

[14] खण्ड 1, 5, 13 एवं 15 वा0क0 आगरा, खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 4, 12, 13, 16 एवं 17 वा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 27 एवं 30 वा0क0 कानपुर, खण्ड 4, 9, 13, 14, 20 एवं 22 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तथा 14 वा0क0 नोएडा।

[15] खण्ड 1 वा0क0 आगरा (09AAACG6742N2Z5), खण्ड 5 वा0क0 आगरा (09AACCP 8075H1Z2), खण्ड 1 वा0क0 जी0 बी0 नगर (09AAACI8344L1Z6), खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद (09AAFCS9163C1Z7), खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद (09AADCN6561H1Z8), खण्ड 30 वा0क0 कानपुर (09AAKFB8041Q1ZT), खण्ड 13 वा0क0 लखनऊ (09AANPA0571D1Z2), खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ (09AAACL2561J1ZG, 09AAFFT3039B1ZF, 09AAHFJ 5785G1ZW), खण्ड 4 वा0क0 नोएडा (09AACFJ5445 Q1ZR), खण्ड 10 वा0क0 नोएडा (09AAACC0034F1ZA), खण्ड 14 वा0क0 नोएडा (09AAGCP5711L1Z4, 09AABC K8424C1ZP)।

विभाग ने उत्तर दिया कि मा0से0क0 व्यवस्था में करदाता केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित हो गये है तथा सभी कार्यवाही उनके स्तर से की जायेगी। सम्बन्धित केन्द्रीय कर प्राधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी गयी है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में सी0बी0ई0सी0 ने के0मा0से0क0 ट्रांजिशनल क्रेडिट पर डी0ओ0एफ0 267/8/2018–सीएक्स.8 दिनांक 14 मार्च, 2018 के अन्तर्गत मार्गदर्शन नोट जारी किया। मार्गदर्शन नोट के प्रस्तर–12 के अनुसार ''12 प्राधिकारः केन्द्र सरकार के के0मा0से0क0 अधिकारी के पास के0मा0से0क0 के ट्रांजिशनल क्रेडिट के सत्यापन के लिये कार्यक्षेत्र होगा भले ही मा0से0क0 के उद्देश्य के लिये करदाता चाहे केन्द्र सरकार को आवंटित हो या राज्य सरकार को। ऐसा इसलिये है क्योंकि ट्रान क्रेडिट के सत्यापन की प्रक्रिया केवल उसी कर अधिकारी द्वारा की जा सकती है जिसके पास पूर्ववर्ती कानूनों में वैध कार्यक्षेत्र था तथा जिसके पास करदाता का अपेक्षित पूर्ववर्ती अभिलेख है।'' चूँकि ये करदाता वैट व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत थे तथा इनके पास अपेक्षित पूर्ववर्ती अभिलेख था। अतः उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार सत्यापन किया जाना था। शेष धनराशि ₹ 15.26 करोड़ के 38 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2-1-8-2 vfUre fojklrh; foojf.k;ksa ls vf/kd buiqV VsDl ØsfMV vxzuhr fd;k tkuk

(i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेशों की नमूना जाँच की और पाया कि 33 वा0क0का0[16] के 44 करदाताओं ने अपने अन्तिम विवरणियों में ₹ 10.15 करोड़ की आई0टी0सी0 को अग्रेनीत किया। यद्यपि करदाताओं ने अपने ट्रान–1 के सारणी 5(सी) में अन्तिम विरासतीय विवरणी के अनुसार अर्ह आई0टी0सी0 ₹ 10.15 करोड़ के बजाय ₹ 20.24 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। ये ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे अगस्त 2017 और दिसम्बर 2017 के मध्य किये गये थे परन्तु चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की शुद्धता की जाँच करने में सक्षम नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 10.09 करोड़ की आई0टी0सी0 का अधिक लाभ लिया गया जो कि चूककर्ता करदाताओं से वसूलनीय था **¼ifjf'k"V&III½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022), विभाग ने नौ मामले में धनराशि ₹ 1.38 करोड़ का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया तथा उनके द्वारा सभी नौ मामलों में धनराशि ₹ 1.32 करोड़ की वसूली सूचित की गयी। सात मामलों[17] धनराशि ₹ 2.54 करोड़ में विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 6.17 करोड़ के 28 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

---

[16] खण्ड 1, 5, 11, 13, 16 एवं 20 आगरा, खण्ड 1, 2 एवं 3 वा0क0 जी0 बी0 नगर, खण्ड 1, 4, 5, 10 एवं 17 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 2, 5, 7, 11, 13, 16,, 17 एवं 20 वा0क0 कानपुर, खण्ड 8, 12, 14, 15 एवं 16 वा0क0 लखनऊ तथा खण्ड 1, 2, 9, 12, 13 एवं 14 वा0क0 नोएडा।

[17] खण्ड 5 वा0क0 आगरा (09AAHFM0091Q1ZR), खण्ड 1 वा0क0 गाजियाबाद (09AAAC W0019N1Z8), खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद (09AAYFA1337J1Z1, 09AABCT3284F2Z9), खण्ड 14 वा0क0 नोएडा (09AAICS2757B1ZC, 09AAFCS0587C1ZD, 09AALPJ3073 F1ZO)।

(ii) लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2021) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि खण्ड 20 वा0क0 कानपुर के एक करदाता मे0 ओमेगा इन्टरनेशनल (09AEMPA0823R1Z7) ने जैसा कि अन्तिम विरासतीय विवरणी में आई0टी0सी0 अग्रेनीत दिखाया था, के अनुसार ₹ 24.37 लाख की क्रेडिट का लाभ ट्रान–1 की सारणी 5(सी) के अन्तर्गत लिया था। अग्रेतर लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने वार्षिक विवरणी में अग्रेनीत आई0टी0सी0 शून्य प्रदर्शित किया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार करदाता ₹ 23.19 लाख आई0टी0सी0 के लिये पात्र था, जिसमें से धनराशि ₹ 20.89 लाख करदाता को वापस कर दी गयी थी तथा शेष ₹ 2.30 लाख वैट अवधि में करदाता द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजित कर दी गयी थी। अतः वैट अवधि में करदाता के पास अग्रेषित करने के लिये कोई आई0टी0सी0 नहीं थी। तदनुसार ट्रान–1 के माध्यम से ₹ 24.37 लाख का लाभ लिया जाना अनियमित और वसूलनीय था। इस प्रकार क0नि0प्रा0 ने उचित तरीके से तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.37 लाख की अधिक आई0टी0सी0 का दावा हुआ।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2-1-8-3 ylfcr ?kks"k.kk i=ks ij vfu;fer vf/kd buiqV VsDl ØsfMV dk ykHk fy;k tkuk

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि छः वा0क0का0[18] के छः करदाताओं ने सारणी 5(सी) के माध्यम से ट्रान–1 में ₹ 1.18 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने ₹ 38.00 करोड़ के टर्नओवर को आच्छादित करने वाले फॉर्म 'सी' एवं 'एफ', जिसमें ₹ 3.94 करोड़ कर सन्निहित था, कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम कर निर्धारण के समय तक प्रस्तुत नहीं किया था। यह कर करदाताओं के पास उपलब्ध आई0टी0सी0 से घटाया जाना था। करदाताओं ने त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 1.18 करोड़ में से ₹ 64.28 लाख की आई0टी0सी0 जिसके फॉर्म 'सी' एवं 'एफ' लंबित थे अग्रेनीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.28 लाख की आई0टी0सी0 (ट्रान–1 में दावे की सीमा तक) का अधिक दावा हुआ जो कि वसूलनीय था **¼ifjf'k"V&IV½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। धनराशि ₹ 48.68 लाख के दो मामलों[19] में, विभाग का उत्तर और समापन गोष्ठी में कथन (जुलाई 2022) स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। दो मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh&2-3** में सूचीबद्ध है।

---

[18] खण्ड 3 एवं 5 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 12, 15 एवं 17 वा0क0 कानपुर एवं खण्ड 10 वा0क0 नोएडा।

[19] खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद (09ACEPG2119G1ZZ) एवं खण्ड 10 वा0क0 नोएडा (09AABCN7151P1ZX)।

lkj.kh&2-3

Ø0 l0	ys[kkijhf{kr bdkbZ@ Á{k.k l{ki e	foHkkx dk mRrj l{ki e	[k.Mu
1	**[k.M 12 ok0d0 dkuiqj** ₹ 4,91,73,009 के लंबित घोषणा पत्रों फॉर्म सी के विरुद्ध करदाता द्वारा ₹ 7,67,644 की अनियमित अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया।	विभाग ने कहा कि दिनांक 30.03.2022 को धारा 28(2)(i) सपठित धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें ₹ 4.88 करोड़ के चार नग लंबित फॉर्म सी प्रस्तुत किया गया है अतः 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वार्षिक विवरणी और एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश में ₹ 8,33,596 की आई0टी0 सी0 शेष थी परन्तु फॉर्म सी लंबित होने के बावजूद करदाता ने ट्रान–1 में ₹ 7,67,644 की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। इस प्रकार करदाता ने ट्रान–1 में आई0 टी0सी0 का दावा करते समय ₹ 7,67,644 की आई0टी0 सी0 का अनियमित लाभ लिया।
2	**[k.M 15 ok0d0 dkuiqj** ₹ 95,69,842 के लंबित घोषणा पत्रों फॉर्म सी के विरुद्ध करदाता द्वारा ₹ 2,87,095 की अनियमित अधिक आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया।	विभाग ने अवगत कराया कि प्रेक्षण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पर आधारित है। दिनांक 23.04.2022 को धारा 28(2)(i) सपठित धारा 32 के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया है जिसमें ₹ 11.83 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गयी है।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि कर निर्धारण एक पक्षीय था परन्तु कर निर्धारण आदेश में यह उल्लिखित था कि ₹ 95,69,842 के फॉर्म लंबित थे और ₹ 11,83,178 की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गयी थी जिसमें ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 अनियमित थी इस प्रकार करदाता ने ट्रान–1 में आई0टी0सी0 का दावा करते समय ₹ 2,87,095 की आई0टी0सी0 का अनियमित लाभ लिया।

शेष धनराशि ₹ 5.05 लाख के दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2-1-8-4 o"kZ 2016&17 ls 2017&18 esa vf/kd vkbZ0Vh0lh0 ys tkus dk dkj.k Vªku&1 dh lkj.kh 5¼lh½ esa vf/kd buiqV ØsfMV dk ykHk fy;k tkuk

(i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वा0क0का0[20] के तीन करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 66.93 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत किया। वर्ष 2016–17 और 2017–18 की विरासतीय विवरणियों तथा कर निर्धारण आदेश की जाँच में प्रकट हुआ कि इन करदाताओं के पास वर्ष 2016–17 में ₹ 38.56 लाख की आई0टी0सी0 उपलब्ध थी जबकि करदाता ने त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से वर्ष 2017–18 में ₹ 51.32 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत

[20] खण्ड वा0क0 कानपुर देहात, खण्ड 12 एवं 13 वा0क0 लखनऊ।

की। इस प्रकार, करदाता वर्ष 2017–18 में ₹ 12.76 लाख की अधिक आई0टी0सी0 अग्रेनीत करके ले गये जिसमें से करदाताओं ने ट्रान–1 में त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से ₹ 9.60 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया जो कि वसूलनीय था **¼ifjf'k"V&v½**।

धनराशि ₹ 1.79 लाख के एक मामले[21] में विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लिखित है (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 7.80 लाख के शेष दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

(ii) लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2021) और पाया कि खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर के एक करदाता मे0 भारत प्रिन्ट्स (09AALPW0556A1ZN) ने ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 12.23 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत किया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2016–17 और 2017–18 की विरासतीय विवरणी तथा कर निर्धारण आदेश के अनुसार करदाता द्वारा रंग, डाइज एवं रसायनों की खरीद पर वर्ष 2016–17 में ₹ 10.71 लाख की आई0टी0सी0 अर्जित किया गया था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा उत्क्रमित कर दिया गया क्योंकि कपड़ों की छपाई में रंग, डाइज एवं रसायनों के प्रयोग पर करदाता द्वारा करदेयता स्वीकार नहीं की गयी थी। जबकि करदाता द्वारा वर्ष 2016–17 से अपने जून 2017 की विवरणी में ₹ 10.71 लाख की आई0टी0सी0 अग्रेनीत की गयी थी। वर्ष 2017–18 में भी करदाता ने खरीद पर ₹ 1.52 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। चूँकि करदाता ने कपड़ों की छपाई में रंग, डाइज एवं रसायनों के प्रयोग पर कोई करदेयता स्वीकार नहीं की थी, करदाता को कोई आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं की जानी चाहिये थी। अतः करदाता द्वारा ट्रान–1 में ₹ 12.23 लाख की आई0टी0सी0 दावा अनियमित था तथा उत्क्रमित किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2-1-8-5 V\u&1 dh lkj.kh 5¼lh½ e§ VhMh,l dk buiqV VSDl ØsfMV d§ :Ik e§ vuqeU; vfu;fer nkok

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार करदाता के अन्तिम विरासतीय विवरणियों में उपलब्ध आई0टी0सी0, पूंजीगत माल का लाभ नहीं लिया गया, क्रेडिट नियत तिथि से 30 दिनों के अन्दर लेखों में शामिल की गयी पारगमन में छूट प्राप्त मालों की आई0टी0सी0 करमुक्त मालों के भण्डार पर आई0टी0सी0 और मालों जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है लेकिन उनके पश्चातवर्ती विक्रय विद्यमान कानूनों में कर के अधीन नहीं हैं लेकिन अब मा0से0क0 कानून में करयोग्य है की आई0टी0सी0 का दावा ट्रान–1 में अनुमन्य है।

लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2021) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि खण्ड 13 वा0क0 नोएडा के एक

[21] खण्ड वा0क0 कानपुर देहात (09AGJPA9427E1ZF)।

करदाता मे0 ओएसएस कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 नोएडा (09AACCO0915H1ZM) ने ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 23.78 लाख की आई0टी0सी0 का लाभ लिया जो कि क0नि0प्रा0 द्वारा भी उसके कर निर्धारण आदेश में अनुमन्य की गयी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता द्वारा ट्रान–1 में स्रोत पर कर से सम्बन्धित धनराशि ₹ 23.78 लाख का दावा किया गया था जो कि मा0से0क0 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुकूल नहीं था। इस प्रकार, क0नि0प्रा0 जब कर निर्धारण आदेश पारित कर रहे थे, तथ्यों का उचित तरीके से परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ट्रान–1 में ₹ 23.78 लाख का अधिक दावा किया गया जो कि करदाता से वसूल किये जाने योग्य था।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

2-1-8-6 V'ku&1 e =fVi.k nkok dh x;h vkb0Vh0lh0 dh olyh u gkuk

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 116 वा0क0का0 के 915 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 5(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (नवम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 14 वा0क0 लखनऊ के एक करदाता मे0 शालीमार केएसएमबी प्रोजेक्ट्स लखनऊ (09ACFFS5832H1ZV) जो फ्लैटों का निर्माण करते हैं, ने अपने अन्तिम विरासतीय विवरणी के अनुसार ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में ₹ 1.45 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया। क0नि0प्रा0 जब वर्ष 2016–17 का कर निर्धारण कर रहे थे तो जिसके लिये संभावित खरीददारों के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था की निर्माण सामग्री की खरीद पर अर्जित की गयी कुल ₹ 2.12 करोड़ की आई0टी0सी0 में से फ्लैटों के निर्माण के निष्पादन में की गयी आपूर्ति 48.53 प्रतिशत की सीमा तक ₹ 1.04 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य किया। शेष आई0टी0सी0 ₹ 1.08 करोड़ जब्त कर ली गयी थी तथा अगले वर्ष के लिये कोई आई0टी0सी अग्रेनीत नहीं की गयी थी। इसी प्रकार क0नि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2017–18 में कुल आई0टी0सी ₹ 69.36 लाख में से ₹ 33.95 लाख (बिक्री की सीमा 48.95 प्रतिशत तक) की आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया गया था तथा शेष ₹ 35.41 लाख की आई0टी0सी0 को जब्त कर लिया गया था। इस प्रकार अगले कर अवधि के लिये कोई आई0टी0सी0 अग्रेनीत नहीं की गयी थी।

इस प्रकार ट्रान–1 में ₹ 1.45 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा अनियमित था तथा ठेकेदार से वसूल किये जाने योग्य था। क0नि0प्रा0 ₹ 1.45 करोड़ के आई0टी0सी0 के अधिक दावे को वसूल करने में असफल रहे।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में और समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

2-1-9 lkj.kh 6¼ch½ d ek/;e l vf/kd ØfMV dk ykHk fy;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने ई0क्रे0ले0 में, पूँजीगत माल के सम्बन्ध में उपभोग न की गयी आई0टी0सी0 की जमा, जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्त अवधि के लिये दाखिल विवरणी में अग्रेनीत नहीं की गयी है, ऐसी अवधि में एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाये, लेने का हकदार होगा:

परन्तु पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान विधि के अधीन आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य नहीं थी और इस अधिनियम के अधीन भी आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य न हो।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिये ''उपभोग न की गयी आई0टी0सी0'' पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि आई0टी0सी0 की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने आई0टी0सी0 की सकल रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजीगत माल के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूँजीगत माल के सम्बन्ध में हकदार था।

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(1) यह निर्धारित करता है कि धारा 140 के अधीन इनपुट टैक्स की क्रेडिट को लेने का अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्रारूप मा0से0क0 ट्रॉन–1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुये इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगाः

अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 117(2) यह निर्धारित करता है कि उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में–

(क) धारा 140 की उपधारा (2) के अधीन दावे की स्थिति में नियत दिन पर पूँजीगत माल के प्रत्येक मद के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जायेंगी–

(i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से उपलब्ध या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम; और

(ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अभी तक उपलब्ध या प्रयुक्त किये जाने वाले कर या शुल्क की रकम।

2-1-9-1 Vku&1 ,oa dj fu/kkj.k vkn'k e vUrj d dkj.k Vku&1 dh lkj.kh 6¼ch½ e vf/kd bui V VDl ØfMV dk ykHk fy;k tkuk

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 65 वा0क0का0 के 226[22] करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि आठ वा0क0का0[23] के आठ करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूंजीगत माल की ₹ 97.48 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जैसा कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारित था कि वे पूंजीगत माल के कुल केवल ₹ 55.08 लाख की अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 के लिये पात्र थे। करदाता ने पूंजीगत माल के कुल अनुप्रयुक्त अर्ह ₹ 55.08 लाख की आई0टी0सी0 के बजाय त्रुटिपूर्वक ₹ 97.48 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप वैट अवधि के पूंजीगत माल की उपभोग न की गयी आई0टी0सी0 ₹ 42.40 लाख का अधिक दावा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में हुआ और वह वसूलनीय था ¼ifjf'k"V&VI½।

---

[22] 1,058 मामलों में से सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के जाँच किये गये कुल मामले।

[23] खण्ड 15 वा0क0 आगरा, खण्ड 9 एवं 17 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 14 वा0क0 कानपुर, खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 2, 4 एवं 13 वा0क0 नोएडा।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने धनराशि ₹ 13.02 लाख के एक मामले में प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और उतनी ही (₹ 13.02 लाख) वसूली सूचित की। धनराशि ₹ 0.12 लाख के एक मामले[24] में, विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh&2-4** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh&2-4

Ø0 l0	y[kkijhf{kr bdkb@ Á{k.k l{ki e	foHkkx dk mRrj l{ki e	[k.Mu
1	**[k.M 9 ok0d0 xkft;kckn** ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में करदाता द्वारा पूंजीगत माल की ₹ 3,84,886 आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया गया।	विभाग ने उत्तर दिया कि त्रुटिवश वार्षिक विवरणी एवं वर्ष 2017–18 के कर निर्धारण आदेश में ₹ 9,99,343 की आई0टी0सी0 दर्शायी नहीं जा सकी। अब उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत इस त्रुटि को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि ₹ 9,99,343 की आई0टी0सी0 का यह संशोधन पूंजीगत माल की आई0टी0सी0 के दावे को प्रभावित नहीं करता है। यह ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में दावा की गयी आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है। अतः पूंजीगत माल की आई0टी0सी0 ₹ 3,84,886 करदाता से वसूली योग्य थी।

शेष पांच मामलों धनराशि ₹ 25.41 लाख में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2-1-9-2 Vku&1 ,o okf"kd fooj.kh e vUrj d dkj.k Vku&1 dh lkj.kh 6¼ch½ e iathxr eky dk vf/kd buiV VDl ØfMV dk ykHk fy;k tkuk

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 65 वा0क0का0 के 226 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि तीन वा0क0का0[25] के तीन करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूंजीगत माल की ₹ 2.35 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया। जबकि, वार्षिक विवरणी में उन्होंने पूंजीगत माल की ₹ 32.87 लाख की अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 अग्रेनीत किया था। इस प्रकार करदाताओं ने पूंजीगत माल की ₹ 2.02 करोड़ की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया जो कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 के आलोक में वसूली योग्य था **¼ifjf'k"V&VII½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

---

[24] खण्ड 4 वा0क0 नोएडा (09AACFJ5445Q1ZR)।

[25] ज्वा0कमि0 (का0स0) II वा0क0 गाजियाबाद एवं ज्वा0कमि0 (का0स0) II तथा खण्ड 27 वा0क0 कानपुर।

2-1-9-3 Vku&1 esa fooj.k ÁLrqr ugh fd;s tkus ds dkj.k djnkrkvksa }kjk iathxr eky dh vlR;kfir buiqV VDl ØfMV dk ykHk fy;k tkuk

लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 65 वा0क0का0 के 226 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 6(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि सात वा0क0का0[26] के 12 करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में वैट अवधि से सम्बन्धित पूंजीगत माल की ₹ 5.09 करोड़ की अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 का दावा किया। जबकि यह पाया गया कि ट्रान–1 में पूंजीगत माल के क्रय से सम्बन्धित बीजकों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर, चूँकि विभाग ने कोई वार्षिक विवरणियां, कर निर्धारण आदेश प्रस्तुत नहीं किया था, लेखापरीक्षा इन करदाताओं के द्वारा दावा एवं लाभ ली गयी धनराशि की शुद्धता सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था ¼**ifjf'k"V&VIII**½।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। धनराशि ₹ 4.85 करोड़ के 10 मामलों[27] में, विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी (जुलाई 2022) में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 24.54 लाख के दो मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2-1-10 lkj.kh 7¼ch½ ds ek/;e ls vf/kd ØfMV dk ykHk fy;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(5) यह निर्धारित करती है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात प्राप्त इनपुटों के सम्बन्ध में अपने इ0क्रे0ले0 में मूल्य सवंर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके सम्बन्ध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय सम्बन्धी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था।

परन्तु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी जो तीस दिन की अवधि से अधिक न हो।

परन्तु यह और कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा जो कि लिया गया है, के सम्बन्ध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

---

[26] ज्वा0कमि0 (का0स0) I, II, खण्ड 4, 7 वा0क0 गाजियाबाद, खण्ड 11 वा0क0 लखनऊ एवं खण्ड 10 तथा 14 वा0क0 नोएडा।

[27] ज्वा0कमि0 (का0स0–I) वा0क0 गाजियाबाद (09AAACS0229G1ZN, 09AAACR 1435K1ZD), ज्वा0कमि0 (का0स0 II) वा0क0 गाजियाबाद (09AAACA9942Q1ZY, 09AAACB1247M1ZN, 09AAACS0189B1ZM), खण्ड 7 वा0क0 गाजियाबाद (09AAA CS1110J1ZQ), खण्ड 10 वा0क0 नोएडा (09AABCL5987H1Z0, 09AACCO2600H1ZS) एवं खण्ड 14 वा0क0 नोएडा (09AACCG4124A1Z7, 09AAACP9581G1ZY)।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 2(एफ) यह निर्धारित करती है कि संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूंजीगत माल, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार आई0टी0सी0 के दावे के उद्देश्य के लिये, पूंजीगत माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया था। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार समाधान योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वाले व्यापारियों को आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं थी। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) यह निर्दिष्ट करती है कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान कानून के अन्तर्गत आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य नहीं थी और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य न हो।

2-1-10-1 Vªku&1 dh lkj.kh 7¼ch½ esa vfu;fer buiqV VSDl ØsfMV dk ykHk fy;k tkuk

(i) लेखापरीक्षा ने (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 60 वा0क0का0 के 148[28] करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की और पाया कि नौ वा0क0का0[29] के नौ करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 की सारणी 7(बी) में ₹ 2.81 करोड़ की क्रेडिट का लाभ लिया। यद्यपि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजकों के विवरण, वस्तुओं के विवरण, मात्रा, मूल्य, कर और लेखों में प्रविष्टि का दिनांक ट्रान–1 की सारणी 7(बी) में नहीं अंकित किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त विवरणों के बिना करदाताओं को ₹ 2.81 करोड़ की आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं थी जो वसूल की जानी चाहिये थी। क0नि0प्रा0, कर निर्धारण आदेश पारित करने के दौरान तथ्यों की जाँच करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ट्रान–1 में ₹ 2.81 करोड़ की आई0टी0सी0 का अधिक दावा हुआ **¼ifjf'k"V&IX½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग नें धनराशि ₹ 0.88 लाख के एक मामाले के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 2.53 करोड़ के तीन मामलों[30] में, विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh&2-5** में सूचीबद्ध है।

[28] 1,058 में से सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के जाँच किये गये कुल दावों की संख्या।

[29] खण्ड 1, 3 वा0क0 जी0बी0 नगर, ज्वा0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद, ज्वा0कमि0 (का0स0) II, खण्ड 29 एवं 30 वा0क0 कानपुर, खण्ड 8 वा0क0 लखनऊ तथा खण्ड 13 वा0क0 नोएडा।

[30] खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर (09AAACI8344L1Z6), ज्वा0कमि0 (का0स0) II वा0क0 गाजियाबाद (09AAACA9942Q1ZY) एवं खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद (09AABCF8078M1ZZ)।

lkj.kh&2-5

Ø0 l0	y[kkijhf{kr bdkbZ@ Å{k.k lf{kf e	foHkkx dk mRrj lf{kf e	[k.Mu
1	[k.M 8 ok0d0 y[kuÅ ट्रान–1 की सारणी 7(बी) में करदाता द्वारा ₹ 1,10,503 की अनियमित आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त किया गया।	विभाग ने कहा कि वार्षिक विवरणी, बैलेन्स शीट, खरीद एवं बिक्री के विवरण से लाभ एवं हानि खाता तथा कर निर्धारण आदेश से जाँच के पश्चात करदाता को एक नोटिस जारी की गयी थी। करदाता ने उत्तर दिया कि लाभ एवं हानि खाते में ₹ 2.38 लाख की धनराशि कमीशन एवं इन्सेन्टिव शीर्ष से सम्बन्धित है तथा कर का कोई भी घटक इसमें सम्मिलित नहीं है। यह धनराशि विक्रय का भाग भी नहीं है।	विभाग ने अपने उत्तर में सारणी 7(बी) में दावा की गयी आई0टी0सी0 के मुद्दे को सम्बोधित नहीं किया।

शेष चार मामलों में धनराशि ₹ 26.00 लाख में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही की जा रही है (जुलाई 2022)।

(ii) लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 60 वा0क0का0 के 148 करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(बी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था), के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (नवम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 21 वा0क0 लखनऊ के 12 करदाताओं में से एक करदाता मे0 एच0डी0पी0एल0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 लखनऊ (09AABCH1939H1ZK) ने भण्डार में रखे माल पर ट्रान–1 की सारणी 7(बी) में ₹ 26.79 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता संकर्म संविदा में लगा हुआ था। यद्यपि, उसने पूंजीगत माल के बीजकों पर ₹ 1.94 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया था। इस प्रकार करदाता द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 लाख की आई0टी0सी0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी तथा जिसे अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता थी। क0नि0अ0 ने उचित तरीके से तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ट्रान–1 की सारणी 7(बी) के माध्यम से ₹ 1.94 लाख की अनियमित आई0टी0सी0 का दावा हुआ जो वसूली योग्य था।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही चल रही है (जुलाई 2022)।

2-1-11 V™ku&1 dh lkj.kh 7¼ch½ esa iwathxr eky ij bui¨V VsDl ØsfMV dh vfu;fer vuqeU;rk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 140(2) यह निर्धारित करती है कि धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति पूँजीगत माल के सम्बन्ध में अनुप्रयुक्त आई0टी0सी0 की जमा जो विवरणी में अग्रेनीत नहीं की गयी है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अन्तर्गत ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन को समाप्ति अवधि के लिये अपने इ0क्रे0ले0 में लेने का, हकदार होगा। परन्तु पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं होगी

जब तक कि उक्त क्रेडिट विद्यमान कानून के अन्तर्गत आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य नहीं थी और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य न हो।

उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली, 2008 का नियम 21(1)(एन) यह निर्धारित करता है कि ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में जो पूंजीगत माल हो एवं ऐसा पूंजीगत माल जो किसी व्यापारी द्वारा करमुक्त माल के निर्माण में प्रयोग या उपभोग के लिये खरीदा गया हो के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के क्रेडिट की कोई धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 55 वा0क0का0 के 91[31] करदाताओं (जिन्होंने सारणी 7(सी) के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरण एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (दिसम्बर 2021) और पाया कि ज्वा0कमि0 (का0स0) वा0क0 आयल सेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में दो करदाताओं में से एक करदाता मे0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 (09AAACI1681G1ZN) जो वैट अवधि के दौरान कर मुक्त माल (एलपीजी) के निर्माण एवं बिक्री में लगे हुये थे, ने ट्रान–1 की सारणी 7(सी) में सिलिण्डर एवं एलपीजी डीपीआर (प्रेशर रेगुलेटर) (पूंजीगत माल) जो घरेलू एलपीजी के निर्माण एवं वितरण में प्रयुक्त हुआ था, पर ₹ 4.73 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया। चूँकि करदाता कर मुक्त माल के निर्माण एवं विक्रय में लगा हुआ था उन्हें उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स की क्रेडिट अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 करदाता का कर निर्धारण करते समय, ट्रान–1 की सारणी 7(सी) में दावा की गयी आई0टी0सी0 ₹ 4.73 करोड़ का परीक्षण करने में असफल रहे जो कि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और जिसे अनुमन्य न किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में एवं समापन गोष्ठी में विभाग ने धनराशि ₹ 4.73 करोड़ के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 4.73 करोड़ की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)।

2-1-12 Vªku&1 dh lkj.kh 11 esa buiqV VSDl ØsfMV nkoksa dk vlR;kiu

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 142(11)(सी) यह निर्धारित करती है कि जहां उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 के अन्तर्गत दोनों में से किसी आपूर्ति पर कर देय था, इस अधिनियम के अधीन ऐसा कर उद्ग्रहीत किया जायेगा तथा करदाता नियत दिन के पश्चात की गई आपूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन अदा किये गये मू0सं0क0 या सेवा कर की क्रेडिट को लेने के लिये हकदार होगा तथा ऐसी क्रेडिट की उस रीति में जैसी विहित की जाये गणना की जायेगी। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 118 के अन्तर्गत प्रत्येक करदाता, आपूर्ति का अनुपात, जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य संवर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका है, लेकिन आपूर्ति नियत दिन के बाद की गई है और उस पर आई0टी0सी0 अनुज्ञेय है, की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

[31] कुल 1,058 मामलों में से ट्रान–1 की सारणी 7(सी) के अन्तर्गत दावा किये गये मामले की जाँच की गई है।

लेखापरीक्षा ने 1,058 करदाताओं (124 वा0क0का0) में से 15 वा0क0का0 के 31[32] करदाताओं (जिन्होंने सारणी 11 के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था) के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की नमूना जाँच की (सितम्बर 2021) और पाया कि खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद के 25 करदाताओं में से 16 करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया एवं ट्रान–1 की सारणी 11 में ₹ 51.97 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया। अग्रेतर, इन करदाताओं ने जैसा कि ट्रान–1 की सारणी 11 में आवश्यक था, वस्तुओं की खरीद के बीजकों के विवरण, संदत्त कर एवं संदत्त वैट जिसे रा0मा0से0क0 के रूप में लिया गया था दाखिल किया था। यद्यपि, नियत दिनांक के पूर्व एवं पश्चात की गयी आपूर्तियों के विवरण एवं द्विभाजन जैसा अधिनियम एवं नियमों में विहित किया गया है उपलब्ध नहीं था। इन आवश्यक विवरणों के अभाव में करदाताओं द्वारा ₹ 51.97 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा अभिनिश्चित नहीं किया गया **¼ifjf'k"V&X½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने एक मामले में धनराशि ₹ 61.55 लाख के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 61.55 लाख की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)। धनराशि ₹ 47.63 करोड़ के छः मामलों[33] में विभाग का उत्तर एवं समापन गोष्ठी में कथन स्वीकार्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 2.1.8.1 में उल्लेख किया गया है। शेष धनराशि ₹ 3.73 करोड़ के चार मामलों में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2-1-13 Vªku&1 e vf/kd buiqV VSDl ØsfMV d ykHk ij C;kt dh olwyh u gksuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) यह निर्धारित करती है कि जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश वापसी की गयी है या जहाँ आई0टी0सी0 का लाभ करापवंचना के करने से या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के अतिरिक्त किसी भी कारण से गलत ढंग से लिया गया या उसका उपयोग किया गया है, वह उस व्यक्ति पर प्रभार्य कर के साथ नोटिस की तामील करेगा जो इस प्रकार संदाय नहीं किया गया या कम संदाय किया गया है या जिसकी वापसी त्रुटिपूर्ण ढंग से कम की गयी हो या जिसने गलत ढंग से आई0टी0सी0 लिया या उपयोग किया हो, उनसे यह कारण बताने की उपेक्षा की जाती है कि उन्हें नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित क्यो नहीं करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 124 वा0क0का0 के 1,058 करदाताओं के ट्रान–1, अन्तिम विरासतीय विवरणियों, वार्षिक विवरणी एवं कर निर्धारण आदेश की (जुलाई 2021 एवं दिसम्बर 2021 के मध्य) नमूना जाँच की और पाया कि तीन वा0क0का0[34] के तीन करदाताओं ने ट्रान–1 दाखिल किया और ट्रान–1 के माध्यम से ₹ 11.78 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया। जबकि, उनके इ0क्रे0ले0 में ₹ 67.85 लाख की आई0टी0सी0 क्रेडिट हुई थी। इस प्रकार व्यापारियों ने अनुमन्य आई0टी0सी0 ₹ 40.66 लाख के बजाय त्रुटिपूर्वक ₹ 67.85 लाख की आई0टी0सी0 का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.19 लाख की अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया जो कि उस पर देय ब्याज सहित

[32] कुल 1,058 मामलों में से ट्रान–1 की सारणी 11 के अन्तर्गत दावा किये गये मामले की जाँच की गई।

[33] खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद (09AACCI9503M107, 09AAACM6572A1ZN, 09AADCG 9947J1ZY, 09AADCN2095A1ZP, 09AAACX0984F1Z6 एवं 09AADCG9948H1Z2)।

[34] खण्ड 1 वा0क0 जी0बी0 नगर, खण्ड 2 वा0क0 गाजियाबाद एवं खण्ड 2 वा0क0 कानपुर।

वसूलनीय था। जबकि यह पाया गया कि करदाताओं ने बिना ₹ 11.78 लाख देय ब्याज दिये हुये अधिक आई0टी0सी0 ₹ 27.19 लाख जमा कर दिया था। ब्याज की धनराशि को न तो करदाताओं ने जमा किया था और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी थी **¼ifjf'k"V&XI½**।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में विभाग ने एक मामले में धनराशि ₹ 0.49 लाख के प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 0.49 लाख की वसूली सूचित की गयी (जुलाई 2022)। शेष दो मामलों में धनराशि ₹ 11.28 लाख में विभाग ने समापन गोष्ठी में उत्तर दिया कि कार्यवाही चल रही है।

2.1.14 fu"d"k ,o lLrfr

लेखापरीक्षा जाँच ने विभाग द्वारा परिकल्पित एवं अपनाए गये सत्यापन तंत्र में कमियों को दर्शाया। नई कर व्यवस्था को लागू हुये चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूर्ण होनी थी। 86 करदाताओं (40 वा0क0का0) ने ट्रान–1 की तालिका 5(सी) में ₹ 35.46 करोड़ की आई0टी0सी0 का लाभ लिया और इन मामलों में एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश शून्य आई0टी0सी0 के साथ पारित किये गये जिसके परिणामस्वरूप इन 86 मामलों में आई0टी0सी0 का दावा सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षित 1,058[35] मामलों (124 वा0क0का0 में) में से 165 दावों (68 खण्डों में) में ₹ 99.56 करोड़ धनराशि का अनुपालन विचलन पाया।

lLrfr

ljdkj Vkft'kuy ØfMV nkok d lR;kiu d fy, ,d le; lhek r; dju ij fopkj dj ldrh g vkj lEcfU/kr vf/kdkfj;k dk fu/kkfjr le; lhek d Hkhrj lefpr lgk;d nLrkotk d lkFk Vkft'kuy ØfMV d nkok dh tkp d fy, funf'k n ldrh gA y[kk ijh{kk }kjk bfxr fd; x; Vkft'kuy ØfMV d vf/kd ykHk d ekey dk Hkh iquleY;kdu fd;k tk ldrk gA

2.2 þeky ,o lok dj d vrxr çfrnk; nkok d ilLdj.k ij vuikyu y[kk ijh{kkß

2.2.1 dj ç'kklu

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर और मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (वा0क0), उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिए 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइंट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0)

---

[35] 1,058 करदाताओं (124 खण्डों) में से– 915 करदाता (116 खण्ड) सारणी 5सी से सम्बन्ध रखते हैं, 226 करदाता (65 खण्ड) सारणी 6बी से सम्बन्ध रखते हैं, 148 करदाता (60 खण्ड) सारणी 7बी से सम्बन्ध रखते हैं, 91 करदाता (55 खण्ड) सारणी 7सी से सम्बन्ध रखते हैं, 106 करदाता (64 खण्ड) सारणी 7डी से सम्बन्ध रखते हैं, 20 करदाता (17 खण्ड) सारणी 10ए से सम्बन्ध रखते हैं, 18 करदाता (12 खण्ड) सारणी 10बी से सम्बन्ध रखते हैं तथा 31 करदाता (15 खण्ड) सारणी 11 से सम्बन्ध रखते हैं।

और 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में मौजूदा कानून के अन्तर्गत माल और सेवा कर (मा0से0क0) का प्रशासन भी देख रहा है।

माल एवं सेवा कर (मा0से0क0)[36] राज्य के अन्दर माल अथवा सेवाओं (मानव उपभोग के लिए मदिरा एवं पाँच विशिष्टीकृत पेट्रोलियम उत्पादों[37] को छोड़कर) की आपूर्ति पर पृथक–पृथक एवं समवर्ती रूप से संघ (के0मा0से0क0) एवं राज्यों (रा0मा0से0के0)/संघ शासित प्रदेश (स0शा0प्र0मा0से0क0) के द्वारा आरोपित की जाती है। अग्रेतर, नये कर विधान के प्रावधानों के अंतर्गत माल अथवा सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति (आयात सहित) पर एकीकृत मा0से0क0 (ए0मा0से0क0) आरोपित किया जाता है।

2.2.2 ifjp;

मा0से0क0 प्रतिदाय कर प्रशासन से करदाता को देय किसी भी राशि को संदर्भित करता है; मा0से0क0 कानूनों में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य मा0से0क0 व्यवस्था में प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और आदर्श के अनुरूप बनाना है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) अधिनियम, 2017 की धारा 54 और नियमावली 2017 के नियम 89(1) और 89 (2) में दिए गए सुसंगत प्रावधान विभिन्न स्थितियों का एक विहंगावलोकन देते हैं जो प्रतिदाय दावे को आवश्यक बना सकते हैं। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था। **ifji= l[;k 17@17@2017& ek0l0d0 fnukd 15-11-2017 vkj ifji= l[;k 24@24@2017&ek0l0d0 fnukd 21-12-2017** को विस्तृत प्रक्रियाओं को बताते हुए जारी किया गया था। इस इलेक्ट्रॉनिक–सह–मैनुअल प्रक्रिया में, आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन पत्र मा0से0क0 आरएफडी–01ए में दाखिल करने की आवश्यकता थी, उसका एक प्रिंट आउट लेकर सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ इसे अधिकार क्षेत्र वाले कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना था। मास्टर सर्कुलर सं0 125/44/2019– मा0से0क0 दिनांक 18 नवंबर 2019 इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन और प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देशों का उल्लेख करता है। यद्यापि, 26 सितंबर 2019 से पहले कॉमन पोर्टल पर दाखिल किए गए सभी प्रतिदाय आवेदनों के लिए पहले के परिपत्रों के प्रावधानों को लागू करना जारी रखा गया और आवेदन को मानवीय रूप से संसाधित करना जारी रखा गया जैसा कि नई प्रणाली लागू होने के पूर्व किया गया था।

2.2.3 y[kkijh{kk dk mís';

मा0से0क0 व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की गयी थीः

(i) प्रतिदाय की स्वीकृति के संबंध में जारी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;

(ii) कर प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अनुपालन और करदाता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रणालियों की प्रभावशीलता;

(iii) क्या प्रतिदाय आवेदनों के निस्तारण में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है;

---

[36] केन्द्रीय मा0से0क0: के0मा0से0क0 एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशः मा0से0करः रा0मा0से0क0/ /स0शा0प्र0मा0से0क0।

[37] पेट्रोलियम उत्पाद क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

2.2.4 y[kkijh{kk ekun.M

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड में शामिल थे:

(i) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

(ii) उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017

(iii) एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

(iv) सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र

2.2.5 y[kkijh{kk dk dk;{k= vkj y[kkijh{kk i)fr

लेखापरीक्षा पद्धति में विभाग द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों के स्वीकृत प्रतिदाय दावों की सत्यता का सत्यापन करना शामिल है। इसमें प्रतिदाय मामलों के संबंध में विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच भी शामिल है। फील्ड ऑडिट के दौरान, वा0क0वि0 के कार्यालयों में चयनित मामलों में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के मध्य संसाधित किए गए प्रतिदाय मामलों की जांच की गई। कमिश्नर, वाणिज्य कर के साथ दिनांक 25 मार्च 2021 को एक परिचयात्मक गोष्ठी आयोजित की गयी। फील्ड ऑडिट फरवरी 2021 से नवंबर 2021 के बीच आयोजित किया गया। शासन एवं विभाग को 28 अप्रैल 2022 को मसौदा जारी किया गया था। विभाग का उत्तर 6 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ।

2.2.6 ueuk p;u

जीएसटीएन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक अखिल भारतीय प्रतिदाय आँकड़े प्रदान किये है। यह देखते हुए कि 26 सितम्बर 2019 के दोनो तरफ उपलब्ध प्रतिदाय डाटा में काफी भिन्नता है, इन दो चरणों के लिए प्रतिदाय जोखिम के मापदण्ड भी अलग हैं। 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि के लिए चूंकि कोई अन्य प्रासंगिक जोखिम मापदण्ड उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिदाय आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई प्रतिदाय राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। इसके पश्चात, क्रमबद्ध किए गए प्रतिदाय आवेदनों को चर्तुथकों में विभाजित किया गया और नमूना तैयार किया गया। 26 सितंबर 2019 के बाद दाखिल किए गए प्रतिदाय आवेदनों का चयन करने के लिए, दावा किए गए प्रतिदाय राशि (60 प्रतिशत महत्व वाले प्रतिदाय), प्रतिदाय की स्वीकृति में देरी (15 प्रतिशत), प्रतिदाय स्वीकृत/प्रतिदाय दावा अनुपात (10 प्रतिशत) जैसे जोखिम मापदण्डो का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था एवं कमीपूरक ज्ञापन जारी किया गया था (15 प्रतिशत)। 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए प्रतिदाय आवेदनों का चयन उपरोक्त प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के लिए वाणिज्य कर विभाग के 152 खण्डों के 1,442 (751 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन) चयनित प्रतिदाय मामलों का नमूना चयन किया गया था, जिनमें से 12[38] प्रतिदाय प्रकरणों के अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण जांच नहीं की जा सकी। इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा 1,442 मामलों के नमूने में से 1,430 मामलों का सत्यापन किया जा सका। चयनित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

[38] डि0कमि0 खण्ड–15 गाज़ियाबाद के आठ प्रतिदाय मामले और डि0कमि0 खण्ड–16 गाज़ियाबाद के चार मामले के लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजे गये जिन्हे आग में नष्ट हुआ बताया गया है।

lkj.kh-2-6

Ø- l-	izfrnk; Js.kh	la[;k	/kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½	lSDVl@ ok0d0dk0 dh la[;k
1.	कर के भुगतान के बिना निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी	823	504.74	80
2.	कर के भुगतान के साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए कर की वापसी	5	5.67	4
3.	कर के भुगतान के बिना एस0ई0जेड इकाई/एस0ई0जेड0 डेवलपर को की गई आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी	17	27.14	3
4.	एस0ई0जेड0/इकाई/एस0इ0जेड0 डेवलपर को की गई आपूर्ति पर कर के भुगतान के साथ भुगतान किए गए कर की वापसी	4	3.81	2
5.	प्रतिलोमित कर संरचना के कारण जमा की गयी अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी	375	940.91	87
6.	डीम्ड निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के आपूर्तिकर्ता को वापसी	5	1.04	2
7.	डीम्ड निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के प्राप्तकर्ता को वापसी	2	0.99	1
8.	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष की वापसी	145	31.71	77
9.	कर के अधिक भुगतान की वापसी	11	1.67	10
10.	राज्य के भीतर आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी जिसे बाद में अंतर–राज्य आपूर्ति माना जाता है और इसके उलट	1	0.58	1
11.	मूल्यांकन/अनंतिम मूल्यांकन/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण प्रतिदाय	18	1.43	6
12.	किसी अन्य आधार या कारण से प्रतिदाय	36	6.28	30
	;kx	**1,442**	**1,525.97**	

y[kkijh{kk dk ifj.kke

1,430 प्रतिदाय दावों की विस्तृत जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने प्रतिदाय दावों की स्वीकृति में विलम्ब, प्रतिदाय के अधिक/अनियमित भुगतान और प्रतिदाय दावों को संसाधित करते समय अन्य विभिन्न कमियों को देखा जिनका विवरण निम्नवत हैं।

lkj.kh-2-7

Ø- l-	y[kkijh{kk i{k.kksa dh izd`fr	;kx				y[kk ijh{kk uewus ls dfe;ksa dh izfr'krrk ¼la-d- vuqlkj½
		y[kk ijh{kk uewuk		dfe;ka		
		la-	/kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½	la-	dj izHkko ¼₹ djksM+ esa½	
1	पावती का समयान्तर्गत जारी न किया जाना	1,430	1,523.50	76	लागू नहीं	5.31

2	प्रतिदाय आदेशों का समय पर स्वीकृत न किया जाना	1,430	1,523.50	122	0.14	8.53
3	अधिक / अनियमित प्रतिदाय / कर दिया जाना	1,430	1,523.50	31	5.51	2.17
4	प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण में विविध कमियाँ	1,430	1,523.50	15	लागू नहीं	1.05

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.7 ikorh le;kUrxZr fuxZr u fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7), सपठित उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 90 (1) और (2) यह प्रावधानित करता है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (इ0क्रे0ले0) से प्रतिदाय के दावे से संबंधित है, वहां आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से एक पावती फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी–02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिदाय के लिए दावा करने की तारीख और समय अवधि यानी प्रतिदाय आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्दिष्ट 60 दिन का उल्लेख होगा। इ0क्रे0ले0 के अलावा अन्य प्रतिदाय से संबंधित आवेदन को सम्पूर्ण रूप से जाँच करके उक्त आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की अवधि के भीतर उचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी–02 में एक पावती उपलब्ध कराई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन चयनित मामलों की नमूना जांच की और 36 वा0क0का0 के 30 पूर्व स्वचालन और 46 पश्च स्वचालन के प्रतिदाय[39] मामलों में यह पाया गया कि ₹ 65.85 करोड़ के प्रतिदाय की प्रक्रिया में पावती निर्गत करने में एक प्रकरण में छः माह, तीन प्रकरणों में तीन माह से छः माह तथा 72 प्रकरणों में तीन माह से कम का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। विवरण **ifjf'k"V&XII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और समय के भीतर पावती जारी न करने के विभिन्न कारण बताए जैसे कि सिस्टम की कमियाँ, कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और नई मा0से0क0 प्रणाली से परिचित न होने के कारण पूर्व स्वचालन अवधि से संबंधित मामलों में डीलरों ने प्रतिदाय आवेदन हार्ड कॉपी में समर्थित दस्तावेजों के साथ समय पर जमा नहीं किया और जोर देकर कहा कि इसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

समय पर पावती जारी न होने के कारण के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

[39] खण्ड–04 आगरा, खण्ड–10 आगरा, खण्ड–11 आगरा, खण्ड–12 आगरा, खण्ड–13 आगरा, खण्ड–16 आगरा, खण्ड–01 अलीगढ़, खण्ड–11 अलीगढ़, जेसी–सीसी–I गाज़ियाबाद, जेसी–सीसी–II गाज़ियाबाद, खण्ड–04 गाज़ियाबाद, खण्ड–06 गाज़ियाबाद, खण्ड–13 गाज़ियाबाद, खण्ड–15 गाज़ियाबाद, खण्ड–17 गाज़ियाबाद, खण्ड–02 जी0सी0 नगर, जेसी–सीसी–I कानपुर, खण्ड–01 कानपुर, खण्ड–05 कानपुर, खण्ड–06 कानपुर, खण्ड–11 कानपुर, खण्ड–13 कानपुर, खण्ड–21 कानपुर, खण्ड–22 कानपुर, खण्ड–24 कानपुर, खण्ड–26 कानपुर, खण्ड–27 कानपुर, खण्ड–28 कानपुर, खण्ड–04 लखनऊ, खण्ड–07 लखनऊ, खण्ड–01 मुरादाबाद, खण्ड–04 मुरादाबाद, खण्ड–05 मुरादाबाद, खण्ड–06 मुरादाबाद, खण्ड–09 मुरादाबाद, खण्ड–10 नोएडा।

2.2.8 çfrnk; vkn'k le;kUrxZr Loh—r u fd;k tkuk

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) सपठित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (उ0प्र0मा0से0क0) नियमावली, 2017 के नियम 92 के अनुसार प्रतिदाय आवेदन जमा करने पर अधिकारी परीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करेगा। वह जांच करेगा कि क्या प्रतिदाय दावा राशि देय है और आवेदक को देय है और फिर फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी–06 में एक आदेश देगा, जिसमें आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक की प्रतिदाय की राशि की स्वीकृति दी जाएगी। सक्षम अधिकारी को शून्य दर आपूर्ति के मामले में अनंतिम आधार पर उसे वापस की गई राशि, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करना चाहिए। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार, यदि आवेदक को देय कोई प्रतिदाय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो 6/9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन चयनित मामलों की नमूना जाँच की और 25[40] वा0क0का0 के 110 पूर्व स्वचालन और 12 पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामलों की स्वीकृति में यह पाया गया कि 19 प्रकरणों में छः माह, 35 प्रकरणों में तीन से छः माह तथा 68 प्रकरणों में तीन माह से कम का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, विभाग ने ₹ 8.77 करोड़ के प्रतिदाय को विलम्ब से स्वीकृत करने पर दावेदारों को उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के अंतर्गत ₹ 13.99 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। विवरण **ifjf'k"V&XIII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। विभाग ने उत्तर में (जुलाई 2022), लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और समय पर प्रतिदाय आदेशों को स्वीकृत न करने के विभिन्न कारणों को बताया जैसे कि सिस्टम की कमियाँ, कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन और नई मा0से0क0 प्रणाली से परिचित न होने के कारण पूर्व स्वचालन अवधि से संबंधित मामलों में डीलरों ने प्रतिदाय आवेदन हार्ड कॉपी में समर्थित दस्तावेजों के साथ समय पर जमा नहीं किया और जोर देकर कहा कि इसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

समय पर प्रतिदाय आदेशों के जारी न होने के कारण के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

2.2.9 vufre çfrnk; le;kUrxZr Loh—r u fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि शून्य दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय इस शर्त के अधीन दिया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति पर संबंधित कर अवधि से ठीक पहले के पांच वर्षों के किसी अवधि में, अधिनियम के अंतर्गत या विद्यमान कानून के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो, जहां करापवंचन की राशि ₹ 2.5 करोड़ से अधिक है। सक्षम अधिकारी इसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और साक्ष्यों की जांच करेगा। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, वह पावती की तारीख से सात दिनों से अनधिक अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि को स्वीकृत करते हुए फॉर्म मा0से0क0 आरएफडी–04 में एक अनंतिम प्रतिदाय आदेश देगा।

---

[40] जेसी–सीसी आगरा, खण्ड–9,10,15, आगरा, जेसी–सीसी, गोरखपुर, जेसी (सीसी–II) कानपुर, खण्ड–06,09,13,15,16,20,21,26 एवं 28 कानपुर, खण्ड–09 लखनऊ, खण्ड–01,05,06,07,09,10, मुरादाबाद, खण्ड–03 एवं 04 नोएडा, खण्ड–01 प्रयागराज।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 85 वा0क0का0 के शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 856 मामलों की नमूना जाँच की और पाया कि सात[41] वा0क0का0 के 10 पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामलों में अंनतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में दो से लेकर 52 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। विवरण **ifjf'k"V&XIV** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने पाँच प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। शेष छः प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार न करने के प्रकरणों में विभागीय उत्तरों का विश्लेषण **lkj.kh&2-8** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh&2-8

Ø- l-	**y[kkijh{kk bdkbZ@ i{k.k lk{; e**	**foHkkxh; mRrj lk{; e**	**[kaMu**
1	**[k.M&1 vkxjk%** अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 37 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि 12.07.2019 को कमी का ज्ञापन जारी करने के बाद 09.08.2019 को एक नया आवेदन किया गया और 13.08.2019 को अंतिम प्रतिदाय समय से स्वीकृत हुआ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 01.07. 2019 को आवेदक को पावती जारी करने के बाद दिनांक 12.07.2019 को कमी का ज्ञापन का जारी करने का कोई औचित्य नहीं था।
2	अ. **tslh ¼lhlh½&II dkuiqj%** अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 13 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 15.66 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 05.07.2019 को आरएफडी–04 जारी किया गया।	विभाग ने अपने उत्तर में आरएफडी–04 की स्वीकृति में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।
	ब. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 33 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 11.99 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 22.10.2019 को आरएफडी–04 जारी किया गया।	
	स. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 17 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने बताया कि ₹ 1.86 लाख की राशि को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 05.07.2019 को आरएफडी–04 जारी किया गया।	
3	अ. **[k.M&12 uks,Mk%** अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 17 दिन का विलम्ब हुआ।	विभाग ने कहा कि रिफण्ड आवेदन के साथ समर्थित दस्तावेज अधिक मात्रा में थे और पठनीय नहीं थे।	विभाग ने दस्तावेजों की अधिक मात्रा और दस्तावेजों की अपठनीयता के कारण विलम्ब को स्वीकार किया।
	ब. अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में 48 दिन का विलम्ब हुआ।		

[41] खण्ड–01,09,12,15, आगरा, जेसी (सीसी)–II कानपुर, खण्ड–06 मुरादाबाद एवं खण्ड–12 नोएडा।

2.2.10 vufre çfrnk; dh vfu;fer Loh—fr

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6), के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों की शून्य दर आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के लिए किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए प्रतिदाय की कुल राशि का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद सक्षम अधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय के दावे के अंतिम भुगतान के लिए उप धारा (5) के अंतर्गत एक आदेश जारी करेगा। इस प्रकार, वस्तुओं और/या सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति दी जाती है न कि अन्य श्रेणियों में।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) में से 134 वा0क0का0 में वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य से संबंधित 586 मामले की नमूना जाँच की और दो[42] वा0क0का0 के तीन प्रतिदाय मामलों में पाया गया कि पंजीकृत व्यक्तियों ने प्रतिदाय श्रेणियों में ₹ 1.05 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया था यथा कर का अधिक भुगतान, प्रतिलोमित कर संरचना और किसी अन्य श्रेणियों। विभाग ने पंजीकृत व्यक्तियों को ₹ 94.59 लाख का अनंतिम प्रतिदाय स्वीकृत किया, जबकि अनंतिम प्रतिदाय केवल माल और/अथवा सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण ही स्वीकृत किया जाता है। विभाग ने प्रतिदाय को अंतिम रूप देते समय माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के विवरण की उचित जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 94.59 लाख का अनियमित प्रतिदाय हुआ। विवरण **ifjf'k"V& XV** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh&2-9** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh&2-9

Ø- l-	y[kkijh{kk bdkbZ@i{k.k l{ki esa	foHkkxh; mRrj l{ki esa	[kaMu
1	**[kaM&5] ok0d0 dkuiqj** अनन्तिम प्रतिदाय कर के अधिक भुगतान श्रेणी में किया गया जबकि धारा 54(6) के अंतर्गत अनन्तिम प्रतिदाय केवल शून्य दर श्रेणी में ही अनुमन्य है।	विभाग ने कहा कि उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों के शून्य दर आपूर्ति के साथ अन्य श्रेणियों में भी अनन्तिम प्रतिदाय को देने पर प्रतिबंध नहीं है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उ0प्र0मा0 से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के अनुसार केवल शून्य दर आपूर्ति के मामलों में ही अनन्तिम प्रतिदाय अनुमन्य है।

2.2.11 lsok vkSj iwathxr oLrqvksa ij vçtr vkÃVhlh dk çfrnk; esa 'kkfey dj fy;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में वस्तुओं या सेवाओं

[42] खण्ड–03 नोएडा एवं खण्ड–05 कानपुर।

की शून्य दर आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय देने का सूत्र[43] निर्धारित किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के मामले में, "शुद्ध आईटीसी" का अर्थ संगत अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी है और प्रतिलोमित कर संरचना के मामले में, आईटीसी केवल इनपुट पर अर्जित होता है। के0मा0 से0क0/रा0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय की राशि करदाता से धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) में से 136 वा0क0का0 के वस्तुओं और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति एवं प्रतिलोमित कर संरचना से सम्बन्धित 1,231 नमूना मामलों की जाँच की और सात[44] वा0क0का0 के तीन पूर्व स्वचालन और छः पश्च स्वचालन मामलों में यह पाया कि पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 4.17 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने प्रतिदाय दावों की गणना करते समय शुद्ध आईटीसी में सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त ₹ 18.48 लाख के आईटीसी को शामिल किया था। विभाग की ओर से विवरणियों की जांच करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 17.28 लाख के अधिक प्रतिदाय की स्वीकृति हुई जो ₹ 4.07 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय थी। विवरण **ifjf'k"V& XVI** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग (अप्रैल 2022) को प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 4.07 लाख के ब्याज के साथ ₹ 17.29 लाख की राशि के नौ मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 0.33 लाख के ब्याज के साथ ₹ 2.31 लाख की वसूली और ₹ 0.20 लाख शास्ति विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया। छः मामलों में विभाग ने बताया कि वसूली की कार्यवाही चल रही है।

2.2.12 ifrykfer dj lajpuk esa vfèkd çfrnk; vuqeU; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी का दावा कर सकता है, जहां कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण उत्पादन आपूर्ति पर क्रेडिट जमा हुआ है (अर्थात, प्रतिलोमित कर संरचना)। इसके अतिरिक्त, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(5) में प्रतिलोमित कर संरचना के कारण अप्रयुक्त आईटीसी के अधिकतम प्रतिदाय का सूत्र[45] निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, प्रतिदाय की गणना के उद्देश्य से शुद्ध आईटीसी में सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट की खरीद पर प्राप्त आईटीसी शामिल है, लेकिन इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर लिया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) और 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 80 वा0क0का0 के प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 375 मामलों पर यह देखा गया कि जेसी–सीसी रेंज–बी, सीटी नोएडा, के एक पूर्व स्वचालन मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने माल और सेवाओं की श्रेणी की प्रतिलोमित दर

---

[43] शून्य–दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के मामले में प्रतिदाय राशि = (शून्य–दर वस्तुओं की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य–दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल टर्नओवर और वस्तु एवं प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति मामले की प्रतिदाय राशि = (प्रतिलोमित दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर – इस तरह की प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर।

[44] खण्ड–06 एवं 08 गाज़ियाबाद, खण्ड–03 जी0बी0 नगर, जे0सी0–सी0सी0–ख0, जी0बी0 नगर खण्ड–09,10 एवं खण्ड–14 नोएडा।

[45] प्रतिदाय राशि = (प्रतिलोमित दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + प्रतिलोमित दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर – इस तरह की प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर।

आपूर्ति के कारण ₹ 1.23 करोड़ की वापसी का दावा किया था जिसे क0नि0प्रा0 द्वारा स्वीकृत किया गया था। पंजीकृत व्यक्ति ने संबंधित अवधि के दौरान सकल आईटीसी से ₹ 1.88 करोड़ की सेवाओं से संबंधित ₹ 12.16 लाख के आईटीसी की कटौती के बाद ₹ 1.76 करोड़ के शुद्ध आईटीसी का दावा किया था। लेखापरीक्षा गणना के अनुसार सेवाओं से संबंधित आईटीसी ₹ 17.96 लाख थी। इस प्रकार, सेवाओं से संबंधित ₹ 5.80 लाख की आईटीसी अतिरिक्त रूप से सकल आईटीसी से कटौती योग्य थी। विभाग ने प्रतिदाय को अंतिम रूप देते समय इस तथ्य की उचित जांच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.26 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 1.08 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था। विवरण **परिशिष्ट-XVII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 2.07 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.67 लाख के कर की वसूली प्रतिवेदित की गई।

2.2.13 दो वर्ष की सुसंगत अवधि के बाद कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय स्वीकृत किया जाना

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप–धारा (1) और (3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी कर के प्रतिदाय और ब्याज का दावा करता है, यदि कोई हो, तो ऐसे कर पर किये गये भुगतान अथवा उसके द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि हो तो, वह उपयुक्त तिथि[46] से दो वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित रीति और रूप में आवेदन कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 61 के अनुसार प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के लिए विवरणी ऐसे माह के अगले माह के बीसवें दिन या उससे पहले जमा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के बीच) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष की वापसी को छोड़कर 135 वा0 क0का0 के 1,297 मामले की नमूना जाँच की और यह पाया कि डि0कमि0खण्ड–4, वा0क0, आगरा के प्रतिलोमित कर सरंचना के एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने जुलाई 2017 से सितंबर 2017 की अवधि से संबंधित 22 जनवरी 2020 को ₹ 11.11 लाख की वापसी का दावा किया था। नियमों के अनुसार, सितंबर 2017 के महीने के लिए विवरणी दाखिल करने की तारीख 20 अक्टूबर 2017 थी। उपर्युक्त अवधि के प्रतिदाय के दावे की अधिकतम समय सीमा 20 सितंबर 2019 तक थी, जबकि प्रतिदाय का दावा 22 जनवरी 2020 को किया गया था, जो दो साल की अधिकतम अवधि से अधिक था। विभाग ने प्रतिदाय को अन्तिम रूप देते समय उपयुक्त तिथि के पक्ष पर विचार नहीं किया तथा अनियमित रूप से प्रतिदाय स्वीकृत किया। विवरण **परिशिष्ट-XVIII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा ₹ 1.11 लाख का अर्थदण्ड एवं लागू ब्याज सहित ₹ 11.11 लाख का कर आरोपित किया।

2.2.14 अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार नहीं किये जाने के कारण प्रतिदाय की अधिक/अनियमित स्वीकृति

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) के अनुसार प्रतिदाय के लिए आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ यह स्थापित करना होगा कि आवेदक को

[46] उपयुक्त तिथि का तात्पर्य अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में, धारा 39 के अधीन प्रतिफल प्रस्तुत करने की नियत तिथि जिसमें प्रतिदाय के लिए ऐसा दावा किया जाता है।

प्रतिदाय देय है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89 (2) (ज) में परिकल्पना की गई है कि प्रतिलोमित कर संरचना के कारण प्रतिदाय के प्रकरण में आवेदन के साथ (i) कर अवधि के दौरान प्राप्त बीजकों की संख्या और तिथि का विवरण (ii) कर अवधि के दौरान जारी किए गए बीजकों की संख्या और तिथि का विवरण होगा। अग्रेतर, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली 2017 का नियम 89 (5) प्रतिलोमित शुल्क संरचना के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम वापसी के लिए सूत्र निर्धारित करता है। नियम के अनुसार, शुद्ध आईटीसी में केवल उपयुक्त अवधि के दौरान इनपुट पर प्राप्त आईटीसी शामिल है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट शामिल नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 152 वा0क0का0 (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) के 739 पूर्व स्वचालन और 691 पश्च स्वचालन मामलों की नमूना जांच की और यह पाया गया कि तीन[47] वा0क0का0 के दो पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 83.83 लाख के प्रतिदाय का दावा किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। विभाग ने दस्तावेजी साक्ष्यों (विवरण–1ए और अनुलग्नक 'बी') में दर्शाए गए ₹ 2.60 करोड़ के शुद्ध आईटीसी के स्थान पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा किए गए ₹ 3.91 करोड़ के शुद्ध आईटीसी पर विचार किया। विभाग ने प्रकरणों को अन्तिम रूप देते समय तथ्यों की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख का अधिक/अनियमित प्रतिदाय हुआ। विवरण **ifjf'k"V& XIX** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा ब्याज सहित कर की वसूली की। ₹ 36.37 लाख के एक अन्य मामले में कार्यवाही चल रही है। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh 2-10** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh–2-10

Ø-l	ys[kkijh{kk bdkbZ@i{k.k lf{kIr e	foHkkxh; mRrj lf{kIr e	[kaMu
1.	**tlh ¼lhlh&I½ xkft;kckn** कर निर्धारण प्राधिकारी ने विवरण 1ए में दर्शाये गए शुद्ध आई. टी. सी. ₹ 124.12 लाख के स्थान पर ₹ 190.36 लाख शुद्ध आई. टी.सी. को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय की गणना में ₹ 35.68 लाख का अनियमित प्रतिदाय हुआ।	विवरण 1ए क्रय पर आई. टी.सी प्रदर्शित करता है। जून 2019 की समाप्ति पर ई. सी. एल. (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर) का शेष ₹ 192.44 लाख था।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रतिदाय आवेदन के साथ जमा किए विवरण 1ए में शुद्ध आई. टी.सी ₹ 124.12 लाख थी जो प्रतिदाय की गणना के लिए अनुमन्य थी।

2.2.15 ,e0lh0d0 Hkqxrku dk vfèkd çfrnk; Loh—r fd;k tkuk

ए0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति के0मा0से0क0 अधिनियम की धारा 54 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत कर के भुगतान एवं माल एवं सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर भुगतान किए गए ऐसे कर के प्रतिदाय का दावा कुछ शर्तों सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के अधीन जैसा कि निर्धारित किया गया हो, कर सकता है।

[47] खण्ड–05, जेसी–सीसी–I, गाज़ियाबाद एवं खण्ड–06 गाज़ियाबाद।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति (कर के भुगतान के साथ) से संबंधित 8 वा0क0का0 के 9 मामलों की जाँच की और यह देखा कि जेसी (सीसी–I), वा0क0 लखनऊ के एक प्रतिदाय के मामले में (कर के भुगतान के साथ) पंजीकृत व्यक्ति ने माह सितंबर 2018 के लिए माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के ₹ 1.35 करोड़ के लिए प्रतिदाय का दावा किया था। सितंबर 2018 के विवरणी 3बी के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 1.62 करोड़ के शून्य दर माल का निर्यात किया था और ₹ 67.33 लाख के आईजीएसटी का भुगतान किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति शून्य दर माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की सीमा तक मात्र ₹ 67.33 लाख के प्रतिदाय के लिए पात्र था। विभाग, विवरणियों की उचित जाँच करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.22 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 35.40 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण **ifjf'k"V& XX** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने कहा कि प्रतिदाय 2018–19 और नवंबर एवं दिसंबर 2017 की अवधि से संबंधित था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दावा की गई अवधि (सितम्बर 2018) प्रतिदाय आवेदन आरएफडी–01 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी जो कि प्रतिदाय के लिए स्वीकार्य थी। नवंबर और दिसंबर 2017 की अवधि, जिसका उल्लेख प्रतिदाय आवेदन में नहीं किया गया था, स्वीकार्य नहीं थी।

2.2.16 'kq) vkÃ0Vh0lh0 dh nkok—r èkujkf'k ij fopkj u fd;s tkus dk dkj.k vfèkd çfrnk; dh vuqeU;rk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) के अनुसार प्रतिदाय के लिए आवेदन निर्धारित किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होना चाहिए। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89 (2) (ब) में परिकल्पना की गई है कि माल के निर्यात के लिए प्रतिदाय आवेदन के साथ (i) शिपिंग बिल/निर्यात के बिल की संख्या और तिथि का विवरण (ii) प्रासंगिक निर्यात बीजकों की संख्या एवं तिथि का विवरण होगा। इसके अलावा, उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 का नियम 89 (4) बांड/एलयूटी के अंतर्गत निर्यात के मामले में आईटीसी की वापसी की गणना के लिए सूत्र[48] निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वा0क0का0 के शून्य दर माल और सेवाओं की आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,231 मामलों की नमूना जाँच की और देखा कि डि0कमि0 खण्ड–14 नोएडा के एक पूर्व स्वचालन मामले में, पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 51.51 लाख के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने फरवरी 2019 के लिए आईटीसी के समर्थन में प्रस्तुत विवरण के अनुसार ₹ 36.21 लाख के स्थान पर आरएफडी–01ए[49] में शुद्ध आईटीसी ₹ 51.51 लाख दर्शाया। जबकि वस्तुओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण अप्रयुक्त आईटीसी की अधिकतम प्रतिदाय के लिए निर्धारित सूत्र के अनुसार और सेवाओं के लिए स्वीकार्य प्रतिदाय की अधिकतम राशि ₹ 36.21 लाख थी। विभाग ने आईटीसी के समर्थन में प्रस्तुत विवरण की उचित जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.29 लाख का

[48] प्रतिदाय राशि = (शून्य–दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य–दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

[49] प्रतिदाय आवेदन

अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 6.54 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण **ifjf'k"V&XXI** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022), विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया और कहा कि धारा 54 (3) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्ति को संबंधित अवधि की वापसी के लिए अनुमति दी गई थी जैसा कि प्रतिदाय आवेदन आरएफडी–01 (फरवरी 2019) में दावा किया गया था। नवंबर 2018 के लिए प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह उपयुक्त अवधि से संबंधित नहीं था।

2.2.17 f'kçix fcy e fu;kr eY; ij fopkj u fd; tku d dkj.k vfèkd çfrnk; vuqeU; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 (4) में कहा गया है कि प्रतिदाय के लिए आवेदन दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होना चाहिए जो निर्धारित किया गया हो। उ0प्र0मा0से0क0 नियम, 2017 के नियम 89 (2) (ब) में परिकल्पना की गई है कि माल के निर्यात के कारण प्रतिदाय के लिए शिपिंग बिल/निर्यात बिलों की संख्या और तिथि और सुसंगत निर्यात चालान की संख्या और तारीख वाले एक विवरण की आवश्यकता होती है। नियम 89 के उप–नियम 4 में बांड या एलयूटी के अंतर्गत कर के भुगतान के बिना माल की शून्य दर आपूर्ति के मामलों में प्रतिदाय की स्वीकृति के लिए सूत्र[50] प्रदान किया गया है। के0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 के प्रावधान के अनुसार गलत प्रतिदाय की राशि करदाता से धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 87 वा0क0का0 के 828 मामले की नमूना जांच की और देखा कि डि0कमि0 खण्ड–14 वा0क0 नोएडा के एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय मामले में, पंजीकृत व्यक्ति ने ₹ 45.88 लाख के प्रतिदाय का दावा किया और ₹ 6.10 करोड़ के शिपिंग बिल राशि पर निर्यात टर्नओवर के स्थान पर आरएफडी–01 में ₹ 7.22 करोड़ का निर्यात बताया था, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 45.60 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया। जबकि, शिपिंग बिल की वास्तविक निर्यात राशि पर विचार करते हुए, स्वीकार्य प्रतिदाय की राशि ₹ 43.42 लाख थी। विभाग ने प्रतिदाय के दावे को अंतिम रूप देते समय निर्यात के लिए शिपिंग बिल राशि पर विचार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.18 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 65,879 के ब्याज के साथ वसूलनीय था। विवरण **ifjf'k"V&XXII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने कहा कि 1.20 करोड़ रुपये के कुछ निर्यात बिल अपलोड करने रह गए थे जिन्हें बाद में जीएसटीआर–1 में अपलोड किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजीकृत व्यक्तियों को प्रतिदाय आवेदन के समय समर्थित शिपिंग बिलों का विवरण प्रस्तुत करना था।

[50] प्रतिदाय राशि = (शून्य–दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य–दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

2.2.18 lDy Vuvkoj dk xyr lek;kftr djus ij çfrnk; dk vfèkd vuqeksn; fd;k tkuk

धारा 54 (3), उप–धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89 (4) (ङ) के अनुसार, "समायोजित सकल टर्नओवर" का तात्पर्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में टर्नओवर से है, जैसा कि धारा 2 के खंड (112) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, सुसंगत अवधि[51] के दौरान शून्य दर आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य करमुक्त आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर। उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 73 में प्रावधान है कि गलत प्रतिदाय की राशि धारा 50 के अंतर्गत लागू ब्याज के साथ पंजीकृत व्यक्ति से वसूल की जानी है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 123 वा0क0का0 के 1,215 माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना श्रेणी से संबंधित मामले की नमूना जाँच की और देखा कि एक पूर्व स्वचालन प्रतिदाय मामले में डि0कमि0 खण्ड–13, वा0क0 नोएडा के पंजीकृत व्यक्ति ने अगस्त और सितंबर 2017 के महीने के लिए ₹ 25.31 लाख के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। कर योग्य व्यक्ति ने दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय राशि की गणना करते समय आरएफडी–01 में समायोजित सकल टर्नओवर ₹ 2.49 करोड़, माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति का टर्नओवर ₹ 2.49 करोड़ और आरएफडी–01[52] में शुद्ध आईटीसी ₹ 25.31 लाख दर्शाया गया था। जबकि सितंबर 2017 के जी0एस0टी0आर–1 में कर योग्य आपूर्ति ₹ 30.84 लाख और निर्यात आपूर्ति ₹ 2.49 करोड़ थी। अगस्त 2017 के महीने में कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, ₹ 2.80 करोड़ के संशोधित समायोजित सकल टर्नओवर को सूत्र[53] में लागू करते हुए, स्वीकार्य कुल प्रतिदाय राशि ₹ 22.52 लाख ही है। विभाग ने प्रतिदाय दावे को अंतिम रूप देते समय सूत्र में सकल टर्नओवर की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.79 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 1.39 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था। विवरण **ifjf'k"V& XXIII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

2.2.19 vuqi;qDr vofèk ds f'kçix fcy dk lR;kfir djrs gq, vfèkd çfrnk; vuqeksn; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54(4) यह निर्धारित करती है कि प्रतिदाय के लिए आवेदन निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होना चाहिए। उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(2) (ब) के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के

---

51 "उपयुक्त अवधि" जिसका तात्पर्य है कि जिस अवधि के लिए दावा दाखिल किया गया है। धारा 2 खंड (112) "राज्य में टर्नओवर या संघ राज्यक्षेत्र में टर्नओवर" से सभी कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य अभिप्रेत है (आवक आपूर्ति को छोड़कर, जिस पर कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर संदेय है) एवं माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अन्दर की जाने वाली आपूर्तियों को कर योग्य व्यक्ति द्वारा छूट, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से बनाए गए माल या सेवाओं या दोनों के अंतर्राज्यीय आपूर्ति किन्तु केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर एकीकृत कर और उपकर से बाहर हैं।

52 प्रतिदाय हेतु आवेदन

53 प्रतिदाय राशि = (शून्य–दर माल की आपूर्ति का टर्नओवर + शून्य–दर सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर) x शुद्ध आईटीसी/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर।

आधार पर प्रतिदाय आवेदन के साथ एक विवरण जिसमें संख्या और शिपिंग बिल का दिनांक/निर्यात संगत चालान की संख्या एवं दिनांक होगा। अग्रेतर उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली 2017 के नियम 89 (4) (स) के अनुसार, माल के शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर को सुसंगत अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के विरुद्ध माना जाएगा, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के बीच) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 82 वा0क0का0 के माल एवं सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति से संबंधित 823 मामले नमूना जांच की और देखा कि चार[54] वा0क0का0 के माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण तीन पूर्व स्वचालन और दो पश्च स्वचालन के मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 4.82 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 87.07 करोड़ के माल की शून्य दर आपूर्ति और सकल समायोजित टर्नओवर ₹ 133.78 करोड़ दर्शाया था। माल के शून्य दर आपूर्ति के टर्नओवर की गणना करते समय कर योग्य व्यक्तियों ने ₹ 21.71 करोड़ का निर्यात टर्नओवर शामिल किया था जो कि शिपिंग बिलों में वर्णित उपयुक्त अवधि से संबंधित नहीं था। शिपिंग बिल के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान किए गए निर्यात का टर्नओवर मात्र ₹ 65.36 करोड़ है और लेखापरीक्षा के अनुसार ₹ 4.09 करोड़ के प्रतिदाय की गणना होती है। विभाग ने माल की शून्य दर आपूर्ति की सही राशि पर विचार किए बिना प्रतिदाय की स्वीकृति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.12[55] लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो कि लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 29.08 लाख के ब्याज के साथ वसूलनीय था। विवरण **ifjf'k"V&XXIV** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 18.61 लाख के ब्याज के साथ ₹ 37.53 लाख की राशि के चार प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी। एक प्रकरण में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इस मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **lkj.kh 2-11** में सूचीबद्ध है।

lkj.kh&2-11

Ø- l-	y[kkijhf{kr bdkÃ@ ç{k.k l{ki e	foHkkxh; mRrj l{ki e	[k.Mu
1	**tlh lhlh thch uxj** क0नि0प्रा0 ने माल की शून्य दर आपूर्ति की धनराशि पर विचार किए बिना प्रतिदाय अनुमन्य किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.58 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ब्याज सहित वसूलनीय था।	₹ 6.43 करोड़ के शिपिंग बिल अक्टूबर 2019 का जी0एस0 टी0 आर0–1 दाखिल करने के पूर्व प्राप्त किये गए इसलिए इसे अक्टूबर 2019 के जी0एस0 टी0आर0–1 और 3बी में घोषित नहीं किया गया और इसे माह अक्टूबर 2019 के प्रतिदाय की गणना में लिया गया।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि प्रतिदाय उपयुक्त अवधि (नवम्बर 2019) के लिए ही अनुमन्य किया जाना था। अक्टूबर 2019 के लिए दावा किया गया प्रतिदाय उपयुक्त अवधि से सम्बन्धित न होने के कारण स्वीकार्य नहीं था।

[54] जेसी सीसी रेन्ज ए–नोएडा, खण्ड–01 नोयडा, खण्ड–08 नोएडा एवं खण्ड–09 नोएडा।

[55] (₹ 4.82 करोड़ – ₹ 4.09 करोड़)।

2.2.20 vo:) ØfMV ij vf/kd ifrnk; vuqeU; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 17 (5) यह निर्धारित करती है कि जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि उस हिस्से तक सीमित होगी जो इनपुट टैक्स के रूप में उसके व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार है। धारा 16 की उप–धारा (1) और धारा 18 की उप–धारा (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अवरुद्ध क्रेडिट[56] के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वा0क0का0 के माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,231 मामलों की नमूना जांच की और यह देखा कि दो[57] वा0क0का0 के एक पूर्व स्वचालन और एक पश्च स्वचालन प्रतिदाय प्रकरणों में पंजीकृत व्यक्तियों ने ₹ 47.78 लाख के प्रतिदाय का दावा किया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा ₹ 47.49 लाख स्वीकृत किये गये। पंजीकृत व्यक्तियों ने संबंधित अवधि के दौरान ₹ 60.13 लाख का आईटीसी अर्जित किया था, जिसमें ₹ 2.24 लाख मोटर वाहनों की सेवाओं से संबंधित था जिसके लिए प्रतिदाय की अनुमति नहीं थी। अतः पंजीकृत व्यक्ति को ₹ 57.89 लाख का शुद्ध आईटीसी अनुमन्य थी। सूत्र[58] में सही शुद्ध आईटीसी लागू करने पर प्रतिदाय की अधिकतम राशि ₹ 45.68 लाख आती है। प्रतिदाय की प्रक्रिया करते समय क0नि0प्रा0 द्वारा इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 68,321 के ब्याज सहित वसूली योग्य है। विवरण **ifjf'k"V&XXV** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दोनों मामलों में ₹ 1.81 लाख की राशि के ₹ 68,321 के ब्याज सहित लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 68,321 के ब्याज सहित ₹ 1.81 लाख की वसूली प्रतिवेदित की।

2.2.21 lokvk ij xyr nj dk dkj.k çfrnk; vf/kd vuqeU; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 नियमावली, 2017 के नियम 89(4) के अनुसार सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति इस प्रकार वर्णित है ''सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति, सेवाओ के शून्य दर आपूर्ति के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त भुगतानों का सकल योग है और सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति जहाँ आपूर्ति पूर्ण हो गयी जिसके लिए सुसंगत अवधि से पूर्व के किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर भुगतान प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं की आपूर्ति पूर्ण नहीं हुई थी।''

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 123 वा0क0का0 के माल एवं सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित 1,219 मामले की जाँच की और देखा कि दो[59] वा0क0का0 के दो प्रतिदाय के मामलों में सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति के कारण पंजीकृत व्यक्तियों

---

[56] मोटर वाहनो, भोजन एवं पेय पदार्थो की सेवा।

[57] खण्ड–02 नोएडा एवं खण्ड–13 नोएडा।

[58] प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर x शुद्ध आई0टी0सी0/समायोजित किया गया सकल टर्नओवर–आईएनवीआईटीसी के मामले में प्रतिलोमित दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर तथा वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के मामले में शून्य दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर x सकल इनपुट कर क्रेडिट/समायोजित सकल टर्नओवर।

[59] खण्ड–08 नोएडा एवं खण्ड–09 नोएडा।

ने विभाग द्वारा स्वीकृत ₹ 2.93 करोड़ के अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा किया। पंजीकृत व्यक्तियों ने सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति का आवर्त ₹ 15.06 करोड़ के स्थान पर ₹ 21.79 करोड़ दर्शाया। विभाग ने निर्धारित सूत्र[60] के अनुसार ₹ 21.79 करोड़ की सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ₹ 2.34 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.93 करोड़ की त्रुटिपूर्ण गणना की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.57 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ, यह ₹ 26.56 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय है। विवरण **ifjf'k"V&XXVI** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने दोनों लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी।

2.2.22 mlh cht d ij nks ckj vkÃ-Vh-lh- vuqeU; fd;s tkus ds dkj.k vfu;fer çfrnk; vuqeU; fd;k tkuk

उ0प्र0मा0से0क0 अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप–धारा (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी कर के प्रतिदाय और ब्याज का दावा करता है, यदि कोई हो, तो ऐसे कर पर किये गये भुगतान अथवा उसके द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि हो तो, वह सुसंगत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित रीति और रूप में आवेदन कर सकता है। अग्रेतर धारा 54 (3) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति कर के भुगतान के बिना शून्य दर आपूर्ति के लिए किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आईटीसी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी से नवंबर 2021 के मध्य) 152 वा0क0का0 के 1,430 नमूना मामलों में से 136 वा0क0का0 के 1,231 मामले माल और सेवाओं की शून्य दर आपूर्ति और प्रतिलोमित शुल्क संरचना से संबंधित की जाँच की और यह देखा गया कि डि0कमि0 खण्ड–1 जी0बी0 नगर में माल की शून्य दर आपूर्ति के एक पूर्व–स्वचालन प्रकरण में, एक पंजीकृत व्यक्ति ने माह जून 2018 के लिए एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के बिना) को की गई आपूर्ति के कारण ₹ 2.56 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था।

आईटीसी दावे के समर्थन में संलग्न अनुलग्नक का सत्यापन करते समय, यह पाया गया कि पंजीकृत व्यक्ति ने यह कहते हुए ₹ 12.62 लाख के आईटीसी का दावा किया था कि "मा0से0क0 को अब चालानों में शामिल नहीं किया गया है" (चालानों का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया था) जबकि पंजीकृत व्यक्ति ने उसी अनुलग्नक में पिछले महीनों से संबंधित बीजकों को पहले से ही शामिल किया हुआ था। इसके परिणामस्वरूप समान बीजकों पर ₹ 12.62 लाख के आईटीसी का अधिक दावा हुआ। अग्रेतर, लिपिकीय त्रुटि के कारण जून 2018 में ₹ 11.52 लाख की आवक आपूर्ति पर ₹ 9.45 लाख के अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया था। इस प्रकार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ₹ 22.07 लाख के कुल अतिरिक्त आईटीसी का अनियमित रूप से दावा किया गया था। कुल अर्जित आईटीसी ₹ 3.51 करोड़ में से ₹ 22.07 लाख के इस अस्वीकार्य आईटीसी की कटौती के बाद, जून 2018 के महीने के लिए कुल स्वीकार्य आईटीसी ₹ 3.29 करोड़ है। जून 2018 के महीने के लिए जावक आपूर्ति पर देय ₹ 92.18 लाख के कर का समायोजन स्वीकार्य आई0टी0सी0 से करने पर, प्रतिदाय के लिए अधिकतम अप्रयुक्त आईटीसी ₹ 2.37 करोड़ आता है। यद्यपि, विभाग ने पंजीकृत

[60] शून्य दर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर x सकल इनपुट कर क्रेडिट/ समायोजित सकल टर्नओवर।

व्यक्ति को ₹ 2.56 करोड़ वापस कर दिए। इसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आईटीसी ₹ 19.13 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ जो ₹ 5.84 लाख के ब्याज सहित वसूलनीय था। विवरण **ifjf'k"V&XXVII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को (अप्रैल 2022) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही चल रही थी।

2.2.23 th0,l0Vh0,u0 ikVy ij deh ifjyf{kr gkuk

सरकार द्वारा मा0से0क0 से संबंधित सभी कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए 22 जून 2017 को कॉमन मा0से0क0 पोर्टल अधिसूचित किया गया। पोर्टल ने करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए सुविधा प्रदान की। इस पोर्टल के मुख्य रूप से दो सिरे हैं, फ्रंट और बैक एंड। इस पोर्टल का फ्रंट एंड करदाताओं के लिए और बैक एंड कर प्राधिकारियों के लिए है।

प्रतिदाय पर लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक प्रकरण[61] में सर्वर एआरएन सर्च से संबंधित सही सूचना प्रदान नहीं कर रहा था क्योंकि पोर्टल एक ही एआरएन पर दो अलग–अलग पंजीकृत व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्रदान कर रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एक अन्य प्रकरण[62] में 17 फरवरी 2020 को आरएफडी–06 में प्रतिदाय स्वीकृत किया गया जबकि 29 फरवरी 2020 को आरएफडी–02 में पावती निर्गत की गयी। मा0से0क0 प्रतिदाय के दोहरे भुगतान के एक प्रकरण[63] में भी देखा गया कि मा0से0क0 प्रतिदाय दो बार किया गया था, यद्यपि इसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए जमा किया गया। एक पश्च स्वचालन प्रकरण[64] में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत अवधि के दो साल बाद प्रतिदाय के लिए आवेदन किया गया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप के0मा0से0क0/रा0मा0से0क0 अधिनियम 2017 की धारा 54 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि पोर्टल में उपयुक्त तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के संबंध में कोई जाँच नहीं है। यह जीएसटीएन पोर्टल में तकनीकी कमियों की ओर इशारा करता है। विवरण **ifjf'k"V&XXVIII** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2022)। उत्तर में (जुलाई 2022) विभाग ने ₹ 81,630.00 की राशि के एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वसूली की कार्यवाही चल रही थी। विभाग ने एक प्रकरण में उत्तर नहीं दिया तथा अन्य दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया, इन प्रकरणों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण **lkj.kh&2-12** में सूचीबद्ध है।

---

[61] खण्ड–19 लखनऊ।
[62] खण्ड–7 आगरा।
[63] खण्ड–13 नोएडा।
[64] खण्ड–4 आगरा।

lkj.kh&2-12

Ø- l-	y[kkijhf{kr bdkÃ @ ç{k.k l{ki e	foHkkxh; mRrj l{ki e	[kMu
1	**lDVj&19 y[kuÅ%** एक एआरएन पर सर्वर दो अलग अलग सूचनाएँ दे रहा था।	सर्वर एक एआरएन के लिए एक प्रकरण प्रदर्शित करता है।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पोर्टल एक ही एआरएन पर दो अलग अलग पंजीकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचनाएँ प्रदर्शित कर रहा था।
2	**lDVj&7] vkxjk%** 17.02. 2020 को आरएफडी–06 स्वीकृत करने के बाद 29. 02.2020 को आरएफडी–02 जारी किया गया।	पोर्टल पावती की तिथि 29.02.2020 एवं आरएफडी–06 की तिथि 17.03.2020 प्रदर्शित कर रहा है।	विभागीय उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि 17.02.2020 को आरएफडी–06 स्वीकृत करने के बाद 29.02.2020 को आरएफडी–02 जारी किया गया।

2.2.24 fu"d"k ,o lLrfr

प्रावधानों, अधिनियम और नियमों का पालन न करना, विवरणी, आईटीसी दावे, शिपिंग बिल, खरीद और बिक्री विवरण, बिक्री टर्नओवर की उचित जाँच न करने के परिणामस्वरूप पावती जारी करने में विलम्ब, प्रतिदाय की विलम्ब स्वीकृति, कर योग्य व्यक्तियों को अधिक वापसी और अनियमित वापसी हुई।

lLrfr%

ljdkj fuèkkfjr le; vofèk d Hkhrj çfrnk; nkok dk Loh—r dju l igy lcfèkr leFkZr nLrkot d lkFk çfrnk; vkonu dh tkp d fy, mfpr vfèkdkfj;k dk funs'k tkjh dju ij fopkj dj ldrh gA

v/;k;&III: LVkEi ,oa fucU/ku Qhl

3-1 dj i'kklu

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधिनियम), निबन्धन अधिनियम, 1908 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार नियन्त्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। इस तरह के शुल्क का भुगतान विलेखों के निष्पादकों द्वारा मुद्रित स्टाम्प पेपर अथवा ई–स्टाम्प द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निबन्धन अधिनियम, 1908 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निबन्धन फीस के निर्धारण और संग्रहण की प्रणाली को व्यापक रूप से रेखांकित करते है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्तियों का मूल्यांकन विर्निदिष्ट किया जाता है। उप–निबन्धक या निबन्धन अधिकारी उनके सामने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करता है एवं देखता है कि वे अनुमन्य समय के अन्दर प्रस्तुत किए गये हैं तथा लेखपत्र भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 के अनुसार उचित रूप से स्टाम्पित है।

3-2 lxBukRed <kpk

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियन्त्रण का कार्य प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक, निबन्धन (म0नि0नि0) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख होते हैं। वह निबन्धन कार्य के अधीक्षण एवं प्रशासन हेतु अधिकृत है। म0नि0 की सहायता क्रमशः मुख्यालय स्तर पर चार अपर महानिरीक्षक, मुख्यालय/मण्डल स्तर पर 23 उप महानिरीक्षक (उ0म0नि0), जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) और तहसील स्तर पर 372 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है। संगठनात्मक ढाँचे का वर्णन नीचे **pkV&3-1** में दर्शाया गया है।

pkV&3-1% lxBukRed <kpk

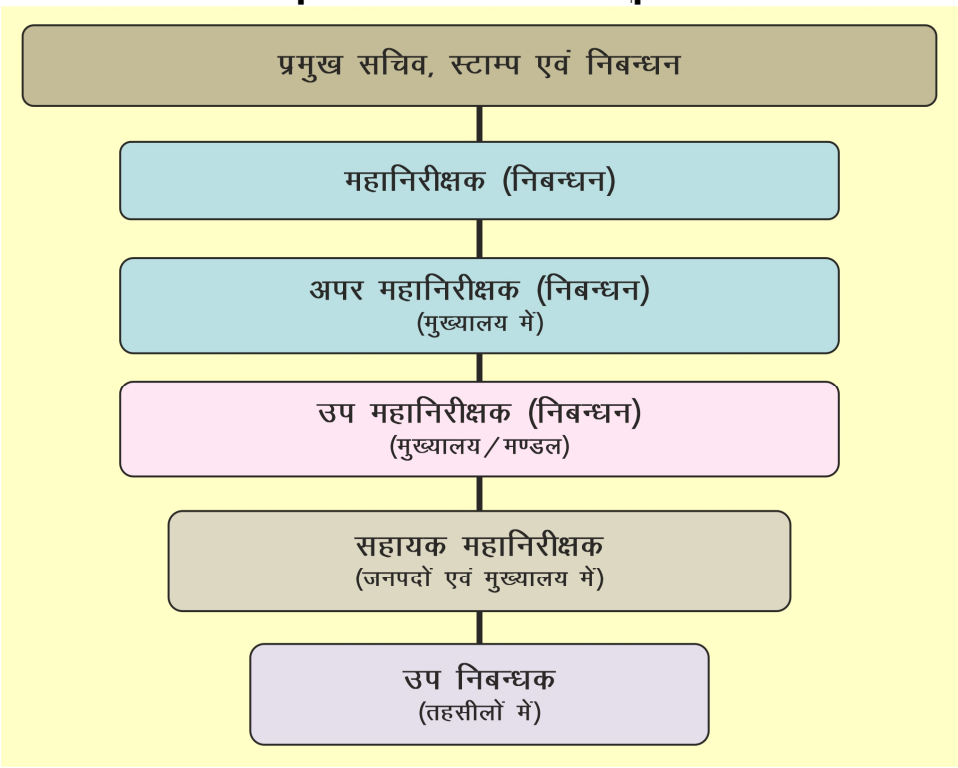

3-3 y[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2021–22 के दौरान स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की 438 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से कार्यालय प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं 60 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) (14 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गयी। 60 उप निबन्धक कार्यालयों में से 36 कार्यालयों में ”बन्धक विलेखों पर स्टाम्प व अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण” पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गयी। लेखापरीक्षा में 708 मामलों में ₹ 351.30 करोड़ धनराशि की कमियाँ एवं अनियमिततायें पायी गयीं, जैसा कि **lkj.kh&3-1** में वर्णित है–

lkj.kh&3-1

Øe l0	Jf.k;k	Ekkeyk dh l[;k	/kujkf'k (₹ djkM e)
1	''बन्धक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण'' पर अनुपालन लेखापरीक्षा	208	300.58
2	विलेखों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण स्टाम्प एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	115	30.02
3	भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	209	15.00
4	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	58	2.66
5	अन्य अनियमिततायें	118	3.04
	;kx	**708**	**351-30**

3-4 ^^cU/kd foy[kk ij LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd d vkjki.k ,o lxg.k^^ ij vuikyu y[kkijh{kk

3-4-1 cU/kd foy[k dk ifjp;

भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 2 (17) में परिभाषित है कि ”बंधक विलेख” में प्रत्येक वह विलेख शामिल है, जिससे ऋण के रूप में दिये गये अग्रिम, या दिये जाने वाले धन, या किसी वर्तमान या भविष्य की देनदारी की अदायगी, या किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने की जमानत के लिए कोई व्यक्ति किसी निश्चित सम्पत्ति को या उससे सम्बन्धित अधिकार को, दूसरे किसी अन्य को अन्तरित करे, या उस पर, उसका अधिकार सृजित करे। बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर उक्त अधिनियम की अनुसूची–1ख के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है।

3-4-2 jktLo ikfIr;k d :>ku

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान मुख्य लेखा शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं निबन्धन फीस के अन्तर्गत विभिन्न विलेखों के निबन्धन पर संग्रहीत स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का विवरण निम्नवत् है:

lkj.kh&3-2% jktLo izkfIr;ksa dk :>ku

/kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½				
foRrh; o"kZ	iathd`r y[ki=ksa dh la[;k	LFkkxhr dsy 'kqYd ¼LVkEi ,oa vfrfjDr LVkEi 'kqYd½	fucU/ku Qhl	dqy jktLo
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
2018–19	35,81,002	13,319.54	2,413.49	15,733.03
2019–20	34,87,816	13,514.83	2,554.97	16,069.80
2020–21	35,07,635	13,849.64	2,625.60	16,475.24

(स्रोतः ऑकड़े वित्त लेखे से लिये गये है एवं कॉलम (2) के ऑंकड़ें विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं)

lkj.kh&3-3% vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk laxg.k] dVkSrh ,oa vkoaVu

/kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½						
foRrh; o"kZ	dqy laxghr vfrfjDr LVkEi 'kqYd	4 izfr'kr dh nj ls dVkSrh fd;k x;k vku"kfxd 0;;	4 izfr'kr dh nj ls dVkSrh fd;k laxg.k 0;;	MsMhdsVsM vcZu VkaliksVZ Q.M ds vUrxZr 25 izfr'kr dh nj ls dh x;h dVkSrh	dqy dVkSrh	vkoaVu ds fy;s Hkstk x;h dqy /kujkf'k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½ ¿2&¼3$4½À x 25%	¼6½	¼7½
2018–19	2,009.55	80.38	80.38	462.20	622.96	1,386.59
2019–20	2,135.48	85.42	85.42	491.16	662.00	1,473.48
2020–21	2,214.09	88.56	88.56	509.24	686.36	1,527.73

(स्रोतः ऑकड़ें विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये है।)

lkj.kh&3-3 के कॉलम (3), (4) एवं (5) में दर्शायी गयी सभी कटौतियाँ दिनांक 13 सितम्बर 2013 के शासकीय आदेश[1] (शा0आ0) के अन्तर्गत की गयी थी। कॉलम (3) एवं (4) में दर्शायी गयी कटौतियाँ विभाग द्वारा ही रख ली गयी, जबकि कॉलम (5) में दर्शायी गयी कटौती उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों के तहत "डेडीकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड" को हस्तान्तरित कर दी गयी। कॉलम (7) में दर्शायी गयी धनराशि को आवंटन के लिए वित्त विभाग को प्रेषित किया गया जिसे वह राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित निर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर समय–समय पर ऐसे अनुपात में निर्धारित करेगा जिसे वह विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एवं नगर महापालिका अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड को आवंटित करेगा।

3-4-3 Ys[kkijh{kk ds mn~ns';

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी थी कि क्याः

(i) बन्धक विलेखों के सन्दर्भ में स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण व संग्रहण सरकार एवं विभाग द्वारा जारी अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है।

[1] सं0का.नि0–5–1149/11–2013–312(268)/2001 दिनांक 13 सितम्बर 2013।

(ii) विभाग में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, लेखांकन एवं आवंटन के सम्बन्ध में प्रचलित प्रणाली पर्याप्त है।

3-4-4 y[kkijh{kk dk;l {k= vkj dk;li.kkyh

वर्ष 2020–21 के लिए जनपद–वार राजस्व एवं बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के सन्दर्भ में राजस्व संग्रहण के आधार पर निम्नलिखित दो चरणों को अपनाते हुये लेखापरीक्षा इकाइयों का चयन किया गया:

Pkj.k&1% वर्ष 2020–21 के लिये जनपद–वार राजस्व (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस) की स्थिति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा 75 जनपदों में से शीर्ष 11 जनपदों[2] का चयन किया गया।

pj.k&2% 11 जनपदों में 43 उपनिबन्धक कार्यालयों को उनके बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के सन्दर्भ में उनके राजस्व संग्रह के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और 36 उपनिबन्धक कार्यालयों[3] को लेखापरीक्षा के लिये चुना गया।

म0नि0 निबन्धन के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2021 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उददेश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान, 11 जनपदों में स्थित 36 चयनित उप निबन्धक कार्यालयों के बन्धक विलेखों (बिना कब्जा), स्वत्व पत्रों के निक्षेप विलेखों और जमानतनामा विलेखों की अवधि वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक के अभिलेखों[4] की जाँच अगस्त 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य की गयी। शासन के साथ एक समापन गोष्ठी का आयोजन दिनांक 12 जुलाई 2022 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गयी। शासन/विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

Ykk[kkijh{kk dk ifj.kke

3-4-5 cU/kd foy[kk ¼fcuk dCtk½ ij LVkEi vkj vfrfjDr LVkEi 'kYd d vkjki.k l lEcfU/kr vfu;ferrk;

राज्य सरकार की अधिसूचना[5] दिनांक 25 मई 2001 के अनुसार बन्धक विलेखों पर आरोपणीय[6] स्टाम्प शुल्क से, धनराशि की उस सीमा तक जो ₹ पांच लाख से अधिक है, को माफ कर दिया गया। अनुवर्ती अधिसूचना[7] दिनांक 10 जुलाई 2008 के द्वारा शासन ने पूर्व में निर्गत अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए स्टाम्प शुल्क आरोपण (बन्धक बिना कब्जा के किसी भी विलेख पर), ₹ पाँच लाख की सीमा का उल्लेख किये बिना, उस सीमा तक जो ऐसे विलेखों द्वारा प्रतिभूत रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया

---

2 आगरा, बरेली, गोरखपुर, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी।

3 उ0नि0–द्वितीय एवं तृतीय आगरा, उ0नि0–द्वितीय बरेली, उ0नि0–प्रथम एवं द्वितीय गोरखपुर, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, ग्रेटर नोयडा एंव दादरी जी0बी0नगर, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं मोदीनगर गाजियाबाद, उ0नि0–द्वितीय एवं तृतीय कानपुर नगर, उ0नि0–द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मोहनलालगंज एवं सरोजनीनगर लखनऊ, उ0नि0–प्रथम एवं द्वितीय मथुरा, उ0नि0–प्रथम, तृतीय एवं सरधना मेरठ, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, फूलपुर एवं करछना प्रयागराज और उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं गंगापुर वाराणसी।

4 पंजीकृत विलेखों एवं *स्याहा*।

5 अधिसूचना सं0.का0नि0–5–3139/II-2001–500(121)/2000 टी0सी0 दिनांक 25 मई, 2001।

6 अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड ख और ग के अधीन।

7 अधिसूचना सं0.का0नि0–5–2758/XI-2008–500(159)–2006 लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2008।

(0.5 प्रतिशत) या उसके भाग पर ₹ पाँच की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक है, छूट प्रदान की गयी।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973[8] (उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973) प्रावधानित करती है कि भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेख–पत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो किसी विकास क्षेत्र में स्थित हो, उस मूल्य अथवा प्रतिफल की राशि जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया है को दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रावधानों/अधिसूचनाओं के अनुपालन में विभाग की विफलता की चर्चा नीचे प्रस्तर संख्या 3.4.5.1, 3.4.5.2 और 3.4.5.3 में की गयी है:

3-4-5-1 lqjf{kr /kujkf'k ₹ nks ls nl djksM+ ds e/; okys c/kd foys[kks ¼fcuk dCtk½ ij vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk de vkjksi.k

mRrj izns'k uxj fu;kstu ,oa fodkl vf/kfu;e] 1973 ds v/khu ₹ nks ls nl djksM+ ds e/; dh lqjf{kr /kujkf'k okys cU/kd foys[kks ¼fcuk dCtk½ ij ₹ 4-01 djksM+ dk vfrfjDr LVkEi 'kqYd vkjksi.k ugha fd;k x;kA

36 उपनिबन्धक कार्यालयों में से 15 की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि बन्धक (बिना कब्जा) के 51 विलेखपत्रों (कुल 1,332 विलेखपत्रों में से) जिनकी सुरक्षित धनराशि ₹ दो से दस करोड़ के मध्य थी, ऋण की अदायगी को सुनिश्चित करने/परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु निष्पादित एवं निबन्धित किये गये थे। बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के सन्दर्भ में अधिनियमों और उसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना के क्रम में, ऐसे विलेखों द्वारा सुरक्षित धनराशि पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की गणना क्रमशः 0.5 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत की दर से की जानी थी। यद्यपि, इन विलेखों में स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण पूर्व अधिसूचना दिनांक 25 मई 2001 के आलोक में ₹ पांच लाख से सीमित कर दिया गया था। उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्राधिकार के अन्तर्गत आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को भा0स्टा0, अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अर्न्तगत माफ/कम नहीं किया जा सकता था। उप निबन्धक कार्यालय उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 51 विलेखों पर ₹ 4.01 करोड के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **ifjf'k"V& XXIX** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर जाँच में पाया कि 36 चयनित उप निबन्धक कार्यालयों में से 06 कार्यालयों में निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों ने दस बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) में शुल्क की सही दरों अर्थात 0.5 एवं 2 प्रतिशत को लागू करते हुये सम्पूर्ण सुरक्षित धनराशि पर ₹ 78.19 लाख स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को आरोपित एवं वसूल किया था। जैसा कि **ifjf'k"V& XXIX-A** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में लेखापरीक्षा के अवलोकन को इस आलोक में देखा जा सकता है कि कुछ निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों ने उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के प्रावधानों व नवीनतम अधिसूचना की सही व्याख्या की जबकि, उनमें से अधिकांश ने इसे गलत रूप से लिया था।

[8] धारा 39 के खण्ड (1)।

3-4-5-2 ₹ 10 djksM+ ls vf/kd dh lqjf{kr /kujkf'k okys cU/kd foys[kksa ¼fcuk dCtk½ ij LVkEi vkSj vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk de@vuqjksi.k

HkkO LVkO vf/kfu;e] 1899 ,oa mRrj izns'k uxj fu;kstu ,oa fodkl vf/kfu;e] 1973 ds izko/kkuksa dk vuqikyu u fd, tkus ls ₹ 10 djksM+ ls vf/kd dh lqjf{kr jkf'k okys cU/kd foys[kksa ij ₹ 225-31 djksM+ dk LVkEi ,oa vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk de@vuqjksi.k fd;k x;kA

36 उपनिबन्धक कार्यालयों में से 13 की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि बंधक (बिना कब्जा) के 50 विलेखों (कुल 1,378 विलेखों की नमूना जाँच में से) जिनकी सुरक्षित धनराशि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी, ऋण की अदायगी को सुरक्षित रखने हेतु विलेख के रूप में निष्पादित और निबन्धित किये गये थे। बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के सम्बन्ध में अधिनियमों और उसके अधीन निर्गत अधिसूचना के क्रम में, ऐसे विलेखों द्वारा सुरक्षित धनराशि पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आगणन क्रमशः 0.5 प्रतिशत और दो प्रतिशत की दर से की जानी थी।

यद्यपि, इन विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्व अधिसूचना दिनांक 25 मई 2001 को लागू करते हुये मात्र ₹ पांच लाख तक सीमित कर दिया गया था जो कि संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 की दृष्टि से सही नहीं था जो 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क को आरोपित करने के लिये ₹ पांच लाख को किसी सीमा का उल्लेख किये बिना प्रदान किया गया। अग्रेतर, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्राधिकार के अन्तर्गत आरोपणीय अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क को भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अर्न्तगत माफ/कम नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, उ0नि0का0 अधिनियमों के प्रावधानों व अधिसूचना को लागू करने में विफल रहें। जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹ 225.31 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि **ifjf'k"V&XXX** में दर्शाया गया है।

3-4-5-3 LVkEi 'kqYd dks ₹ ikap yk[k rd lhfer fd;s tkus ds dkj.k LVkEi 'kqYd dk de vkjksi.k

cU/kd foys[k }kjk lqjf{kr jkf'k ij iR;sd ,d gtkj :Ik;s ;k mlds Hkkx ds fy;s ₹ ikap dh nj ls LVkEi 'kqYd vkjksi.kh; gSA ;|fi] mi fucU/kdksa }kjk LVkEi 'kqYd dh jkf'k dks ₹ ikap yk[k rd lhfer dj fn;s tkus ds ifj.kkeLo:Ik ₹ 32-95 djksM+ ds LVkEi 'kqYd dk de vkjksi.k gqvkA

लेखापरीक्षा द्वारा चार उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि तीन उप निबन्धक कार्यालयों में 47 बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) (733 विलेखों की नमूना जाँच में से) (इन विलेखों में सन्दर्भित क्षेत्रों को उ0प्र0न0नि0 वि0 अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण हेतु ''विकास क्षेत्र'' घोषित नहीं किया गया) पर आरोपणीय शुल्क ₹ पाँच लाख से अधिक था जिसे कि 0.5 प्रतिशत की दर से गणना किया जाना था। उप निबन्धकों ने स्टाम्प शुल्क को पाँच लाख तक सीमित कर दिया था जो संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क ₹ पाँच लाख की सीमा का उल्लेख किये बिना आरोपणीय था। उप–निबन्धक कार्यालयों द्वारा संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 32.95 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **ifjf'k"V&XXXI** में दर्शाया गया है।

दस उप निबन्धक कार्यालयों (इस अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु 36 नमूना जाँच से भिन्न) की लेखापरीक्षा (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) के दौरान वैसी ही लेखापरीक्षा टिप्पणियां पायी गयीं जैसाकि प्रस्तर संख्या 3.4.5.1 से 3.4.5.3 में पायी गयी हैं। अक्टूबर 2017 से फरवरी 2022 तक की अवधि में पंजीकृत 12 बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) (12,171 नमूना जाँच में से) में संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 और उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के कारण ₹ 2.73 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा कि **ifjf'k"V&XXXII** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने मामलें को शासन और विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2022 और अप्रैल 2022)। विभाग ने प्रस्तर 3.4.5.1 से 3.4.5.3 के सम्बन्ध में उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि अधिसूचना संख्या का0नि0–5–2758/II–2008–500(159)/2006 दिनांक 10 जुलाई 2008 बन्धक विलेख (बिना कब्जा) से सम्बन्धित है इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन से इस अधिसूचना के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क ₹ 20 प्रति हजार से घटाकर ₹ 5 प्रति हजार किया गया। जहाँ तक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2001 का सम्बन्ध है, बन्धक के विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क, जो कि ₹ पांच लाख से अधिक है, की सीमा तक सीमित किया जाता है और इसे दिनांक 10 जुलाई 2008 की अधिसूचना द्वारा संशोधन के रूप में नहीं माना जा सकता, जैसा कि दिनांक 25 मई 2001 की अधिसूचना में स्टाम्प शुल्क की दर का उल्लेख नहीं है। अग्रेतर, दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 की धारा 39 में कहा गया है कि अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई भी विलेख प्रतिफल की राशि या मूल्य पर दो प्रतिशत तक की वृद्वि, जो स्टाम्प शुल्क की प्रकृति की होगी एवं दिनांक 25 मई 2001 की अधिसूचना में प्रावधनित किया गया है कि बन्धक विलेख पर स्टाम्प शुल्क की राशि ₹ पाँच लाख से अधिक की सीमा तक आरोपणीय होगी, सीमित किया जाता है। इसलिये, तत्कालिक मामलों में, स्टाम्प शुल्क ₹ पांच लाख से अधिक प्रभारित नहीं किया जा सकता था। यद्यपि, तत्कालिक मामलों में लेखापरीक्षा की समीक्षा को देखते हुये स्टाम्प वाद दर्ज करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 25 मई 2001 में यह प्रावधानित किया गया था कि अनुसूची 1 ब के अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत बन्धक विलेखों पर प्रभारणीय स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचना में आंशिक संशोधित करते हुए यह प्रावधानित किया गया कि विलेख के माध्यम से सुरक्षित धनराशि पर प्रत्येक ₹ एक हजार अथवा उसके भाग के लिए ₹ पाँच का स्टाम्प शुल्क देय होगा। जबकि पूर्ववर्ती अधिसूचना 2001 में संशोधन करते हुए संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 में स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्वगामी को देखते हुये विभाग का तर्क सही नहीं है। अग्रेतर, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 9[9] के प्रावधानों के अन्तर्गत माफ/कम नहीं किया जा सकता।

lLrfr%

foHkkx dk vf/kfu;e@vf/kl pukvk d ikoa/kkuk d vu lkj cU/kd foy[kk ¼fcuk dCtk½ ij LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd dh olyh d fy; fucU/kudrk ikf/kdkfj;k dk mi;Dr Li"Vhdj.k tkjh djuk pkfg;A

9 भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की इस धारा में राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क को माफ करने या कम करने का उल्लेख है।

3-4-6 cU/kd foy[kk d LFkku ij LoRo i= d fu{ki foy[kk dk fu"iknu fd, tku l LVkEi 'kYd ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd dk de vkjki.k

y[ki=k dk cU/kd foy[kk d LFkku ij LoRo i=k d fu{ki foy[kk d :Ik e ith—r fd;k x;k] ftld ifj.kkeLo:Ik LVkEi 'kYd ,o vfrfjDr LVkEi 'kYd d :Ik e ₹ 36-87 djkM dk de vkjki.k fd;k x;kA

सम्पत्ति का अंतरण अधिनियम (स0अं0) निर्धारित[10] करता है कि जहां कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास एवं मुम्बई में एवं किसी भी अन्य नगर में, जिसे (संबंधित राज्य सरकार), शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जब एक व्यक्ति किसी ऋणदाता या उसके प्रतिनिधि को अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित स्वत्व–पत्र उसकी जमानत देने के उद्देश्य से सौंप दे तो इस सौदे को स्वत्व–पत्र के निक्षेप द्वारा बन्धक कहा जाता है। सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम प्रावधानित करता है[11] कि स्वत्व–पत्र के निक्षेप द्वारा सृजित बन्धक को छोड़कर अन्य सब प्रकार के बन्धक विधिक मान्यता के लिए विधिवत रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र द्वारा सृजित किए जा सकते है।

माननीय उच्चतम न्यायालय[12] ने स्वत्व विलेखों के लेनदेन को रिकार्ड करने वाले एक विलेख के अनिवार्य पंजीकरण के सम्बन्ध में कहा है कि–"*यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वत्व पत्रों के निक्षेप विलेखों को वास्तविक रूप से सौंपना एक बन्धक का मूल तत्व है अचल सम्पत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों को ऋणदाता को एक उधारकर्ता इस इरादे से कि वे दस्तावेज एक सुरक्षा का गठन करेंगे जो लेनदार को अंततः उस धन की वसूली करने में सक्षम करेगा जो उसने ऋण के रूप में दिया है। किन्तु यदि निष्पादनकर्ता उस सौदे को लिखित स्वरूप देना चाहे तो वह विलेख ही उस सौदे का एकमात्र साक्ष्य होगा, ऐसी दशा में उस लेख को ही बन्धक सृजन करने वाला विलेख माना जायेगा। ऐसे मामले में जमा एवं अभिलेख दोनों ही लेनदेन के अभिन्न अंग एवं बन्धक के सृजन में आवश्यक तत्व होंगे। यह इस प्रकार कि ऐसा मामला जो कि सौदे की सुरक्षा के सन्दर्भ में सृजित दस्तावेज हो, उसे भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति में रूचि पैदा करने वाले गैर–वसीयतनामा साधन के रूप में जहां ऐसी सम्पत्ति का मूल्य एक सौ रूपये और ऊपर हो, निबन्धन की आवश्यकता होती है* "।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 36 उपनिबन्धक कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य) की गयी। 18 उप निबन्धक कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने देखा कि 48 विलेखों में (स्वत्व–पत्र के निक्षेप के कुल 78 विलेखों की नमूना जाँच में), बन्धककर्ताओं ने ऋण के भुगतान को ब्याज और प्रभारों सहित सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिये बन्धक रखने और उन्हे विभाग में पंजीकृत कराने के लिये अपनी अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित स्वामित्व विलेख बन्धक/बैंक के पास जमा किये एवं सम्पत्ति के पक्ष में प्रभार सृजित किया। इस प्रकार उपरोक्त सन्दर्भित मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इन दस्तावेजों, जो कि लेनदेन का एकमात्र प्रमाण है और विलेख का लिखित भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 2 (17) की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, को निबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निबिन्धित कराना आवश्यक था और क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जाना चाहिये था। बन्धक विलेख के स्थान पर स्वत्व विलेख के रूप में लेखपत्रों के निबन्धित करने

---

[10] सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 (एफ)।

[11] सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 59।

[12] यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया बनाम लेखराम सोनाराम, ए0आई0आर0 1965 एस0सी0 1591।

के परिणामस्वरूप ₹ 36.87 करोड़ के स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **ifjf'k"V& XXXIII** में वर्णित है।

पाँच उप निबन्धक कार्यालयों (इस अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये 36 नमूना जाँच के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) के दौरान भी इसी तरह की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ पायी गयी थी। अक्टूबर 2018 से जनवरी 2022 की अवधि में निबन्धित स्वत्व–पत्र के निक्षेप के पाँच विलेखों (11,009 नमूना जाँच में से) को बन्धक विलेख के स्थान पर स्वत्व पत्रों के निक्षेप विलेख के रूप में पंजीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया जैसा कि **ifjf'k"V&XXXIV** में वर्णित है।

प्रकरण शासन और विभाग को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022 और अप्रैल 2022) था। अपने उत्तर (जुलाई 2022) में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। अग्रेतर कहा कि स्वत्व–पत्र के निक्षेप विलेख के लिये अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक नहीं है परन्तु, यदि वह पंजीकृत है, तो उसे बन्धक विलेख के रूप में माना जाना चाहिये था। इन प्रकरणों में, स्टाम्प–वाद दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

3-4-7 cU/kd foy[k d LFkku ij tekurh ckM d fu"iknu d dkj.k jktLo dk de vkjki.k

y[ki=k dk cU/kd foy[k d LFkku ij tekurh c/k i= d :Ik e ithdr fd;k x;k] ftld ifj.kkeLo:Ik LVkEi 'kYd] vfrjDr LVkEi 'kYd ,o fucU/ku Qh l jkf'k ₹ 1-44 djkM dk de vkjki.k gvkA

भा0 स्टा0 अधिनियम[13] के अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 57 के अन्तर्गत, जमानती बंध पत्र एक कार्यालय के यथोचित कार्यपालन या उससे संबंधित प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के उत्तरदायित्व के लिए जमानत के रूप में निष्पादित कोई विलेख या किसी इकरार के यथोचित पालन, या किसी दायित्व के यथोचित निर्वाह के लिए किसी जमानती द्वारा निष्पादित, जब सुरक्षित किया गया धन ₹ 100 से अधिक न हो, पर ₹ 10 का स्टाम्प शुल्क एवं अन्य किसी दशा में ₹ एक सौ का स्टाम्प शुल्क देय है। भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 2(17) के अन्तर्गत बन्धक पत्र में प्रत्येक वह विलेख शामिल है जिससे ऋण के रूप में दिये गये अग्रिम या दिये जाने वाले धन, या किसी वर्तमान या भविष्य की देनदारी की अदायगी, या किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने की जमानत के लिए कोई व्यक्ति किसी निश्चित सम्पत्ति को या उससे सम्बन्धित अधिकार को, दूसरे किसी अन्य को अन्तरित करे, या उस पर, उसका अधिकार सृजित करे। बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर ऐसे विलेखों द्वारा सुरक्षित धनराशि पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता की गणना 0.5 प्रतिशत एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लिये, यदि सम्पत्ति विकास क्षेत्रों में स्थित हो, दो प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।

पक्षकार द्वारा निष्पादित विलेखों की प्रकृति के सम्बन्ध में निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों की व्याख्या की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये, लेखापरीक्षा द्वारा 36 चयनित उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) की गयी। दो उप निबन्धक कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने देखा कि जमानती बांड के 12 विलेखों में, (जाँच किये गये जमानती बांडों के कुल 49 पंजीकृत लेखपत्रों में से) उप निबन्धकों ने लेखपत्रों की गलत व्याख्या करते हुए बन्धक विलेखों के स्थान पर जमानती बाँड के रूप में पंजीकृत करते हुए निष्पादनकर्ताओं से ₹ 3,440 का स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस को आरोपित एवं वसूल किया गया था। इन प्रकरणों में, निष्पादनकर्ताओं ने समूह आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिये

[13] भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची–1(ख) के अनुच्छेद 57।

विकास प्राधिकरणों के समक्ष भवन योजना प्रस्तुत की थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था और देय विकास शुल्कों यथा आंतरिक, वाह्य और अन्य विकास शुल्कों की मांग की गयी थी। इसके पश्चात, विकासकर्ताओं द्वारा विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त शुल्कों के भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देय शुल्कों के समतुल्य परियोजना भूमि के भाग एवं फ्लैटस पर प्रथम प्रभार सृजित करते हुए जमानती बॉंड का निष्पादन किया गया। इस प्रकार, वे भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 2 (17) में परिभाषित बन्धक की परिभाषा के अन्तर्गत आते है। निबन्धन प्राधिकारियों को उन्हें बन्धक विलेख (बिना कब्जा) के रूप में न कि जमानती बॉंड के रूप मे मानना चाहिये था। इसलिये, भा0 स्टा0 अधिनियम[14], 1899, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम[15], 1973 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 और उसके अधीन जारी अधिसूचना[16] के प्रावधानों के अन्तर्गत, इन विलेखों पर स्टाम्प, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस जमानती बॉंड की बजाय बन्धक विलेख (बिना कब्जा) की भाँति आरोपणीय था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि के राजस्व का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **ifjf'k"V&XXXV** में दर्शाया गया है।

दो उप निबन्धक कार्यालयों (इस अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये नमूना जाँच किये गये 36 उपनिबन्धक कार्यालयों को छोड़कर) की अनुपालन लेखापरीक्षा (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) के दौरान भी इसी तरह की लेखापरीक्षा आपत्ति पायी गयी थी, जहाँ अप्रैल 2021 से नवम्बर 2021 की अवधि के मध्य निबन्धित सात लेखपत्रों को बन्धक विलेख के स्थान पर जमानती बॉंड के रूप में पंजीकृत किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड की धनराशि के स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **ifjf'k"V -XXXVI** में वर्णित है।

यह उल्लेखनीय है कि 36 चयनित उप निबन्धक कार्यालयों में से दो उप निबन्धक कार्यालयों (तीन विलेखों में) में निबन्धन प्राधिकारियों ने समान विलेखों को बन्धक विलेख (बिना कब्जा) मानते हुए सम्पूर्ण सुरक्षित राशि पर 0.5, दो एवं एक प्रतिशत की दर से क्रमशः स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित व वसूल किया जैसा कि **ifjf'k"V&XXXVI-A** में दर्शाया गया है।

बिन्दु संख्या 3.4.5.1 की तरह यहाँ भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों उप निबन्धक कार्यालयों में निष्पादित विभिन्न प्रकार के विलेखों के सम्बन्ध में अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या विवेकाधीन आधार पर व्याख्या कर रहे है और जिसके कारण स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ जैसा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2022)। विभाग अपने उत्तर (जुलाई 2022) में लेखापरीक्षा टिप्पणी पर सहमत था। अग्रेतर बताया कि, यदि निष्पादनकर्ताओं ने समूह आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिये विकास प्राधिकरणों के समक्ष भवन योजना प्रस्तुत की थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था और देय विकास शुल्कों यथा आंतरिक, वाह्य और अन्य विकास शुल्कों की मांग की गयी थी और विकासकर्ताओं द्वारा विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त शुल्कों

---

[14] अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 40 (ख) एवं (ग)।

[15] उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 की धारा 39 (1)।

[16] (i) सं0.का0नि0–5–3139/II-2001–500(121)/2000 टी0सी0 दिनांक 25 मई, 2001 (ii) सं0. का0नि0 –5–2758/XI-2008–500(159)–2006 लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2008, एवं (iii) सं0. –30/2015/1430/94–एसटी.नि–2–2015–700(74)/2015 दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 द्वारा, संशोधित अधिसूचना सं0.–02/2020/127/94–एसटी.नि–2–2000–700(74)/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2020।

के भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देय शुल्कों के समतुल्य परियोजना भूमि के भाग और फ्लैटस पर प्रथम प्रभार सृजित करते हुए जमानती बाँड का निष्पादन किया गया था तो इन विलेखों को बन्धक विलेखों की भाँति मानना चाहिए था न कि जमानती बाँड के रूप में एवं बन्धक विलेखों की भाँति ही शुल्कों की प्रभार्यता होगी। इन तत्काल प्रकरणों में, स्टाम्प–वाद दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

y[kkijh{kk lLrqfr djrk g fd foHkkx dk ;g lqfuf'pr djuk pkfg;s fd LVkEi ,o vfrfjDr LVkEi 'kqYd dk fu'p; foys[kk d okLrfod yunu@ fy[kr d vk/kkj ij u fd ukedj.k vFkok Hkk"kk d vk/kkj ij fd;k tkuk pkfg;sA

3-4-8 vfrfjDr LVkEi 'kqYd d lxg.k] vkoVu rFkk y[kkdj.k e i.kkyhxr dfe;k

उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत, भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी 'विकास क्षेत्र[17]' में स्थित हो, उस राशि या प्रतिफल के उस मूल्य पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा। उक्त वृद्धि से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को, आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हो, कटौती के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार, या तो केवल विभाग में अथवा विकास प्राधिकरण को, उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद् और नगर महापालिका या नगर परिषद् जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे अनुपात में आवंटित एवं भुगतान निर्धारित किया जायेगा जिसे इस तरह से एवं ऐसे सिद्वान्तों के अनुसार जो समय–समय पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना में निर्दिष्ट करेगा।

इस सन्दर्भ में दिनांक 13 सितम्बर 2013 के शासनादेश द्वारा वसूल किये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के उचित आवंटन हेतु नई प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। नई प्रक्रिया के अनुसार, चार प्रतिशत आनुषंगिक व्यय, चार प्रतिशत संग्रहण व्यय और 25 प्रतिशत अर्बन डेडीकेटेड ट्रान्सपोर्ट फण्ड की कटौती के पश्चात, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग और शहरी विकास विभाग को आदेश में निर्धारित दर से किया जायेगा।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, लेखाकरण और आवंटन की वर्तमान प्रणाली के मूल्यांकन से प्रणालीगत और कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर कई कमियां प्रकाश में आयीं। जिसको आगे के प्रस्तरों में प्रस्तुत किया गया है:

3-4-8-1 mi&'kh"kZ d xBu e foQyrk

वर्गीकरण की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, स्टाम्प और निबन्धन फीस (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को सम्मिलित करते हुए) को मुख्य शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, 02–गैर न्यायिक स्टाम्प, 102–स्टाम्प की विक्रय के अन्तर्गत लेखाकरण किया जाता है।

उ0 नि0 कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में संग्रहीत की गयी धनराशि को स्टाम्प शुल्क के उक्त मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत ही दर्शाया गया है।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के पृथक लेखांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अलग से उप–शीर्ष नहीं खोला गया है। उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 यह अपेक्षा करता है कि ''विकास क्षेत्र'' में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण के सम्बन्ध में संग्रहीत की गयी गयी धनराशि को राज्य सरकार द्वारा यथा

---

[17] ''विकास क्षेत्र'' का अर्थ उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन घोषित विकास क्षेत्र। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा ''विकास क्षेत्र'' की घोषणा की जाती है।

अधिसूचित संस्थाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया जाये। लघु शीर्ष/उप–शीर्ष के अभाव में विकास क्षेत्रों से वसूल किये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की राशि स्टाम्प शुल्क के उक्त मुख्य शीर्ष में स्टाम्प शुल्क के रूप में जमा की जा रही है और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में पृथक लेखांकन प्रविष्टि नहीं की जा रही है।

इसलिये, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 की अपेक्षा को पूरा करने के लिये इसका स्पष्ट तौर पर लेखांकन अनिवार्य है। एक स्पष्ट उप–शीर्ष की अनुपस्थिति में, विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में नहीं है कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी।

इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश राज्य के लिये मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.8 में प्रकाश में लाया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2022)। विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नकद रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, धनराशि को कोषागार में जमा करने और पृथक उप–शीर्ष खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विभाग स्टाम्प शुल्क सहित अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को मुद्रित तथा ई–स्टाम्प अथवा दोनों के रूप में वसूल करता है, जिसे विभागीय लेखाशीर्ष के अन्तर्गत राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है। तदनुसार, आनुषंगिक व्ययों की कटौती के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित अनुपात में अन्य विभागों को धनराशि आवंटित की जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार संग्रहीत की गयी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य यथा अधिसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत राशि से विधिवत वित्तपोषण की पूर्ति हेतु है। इसलिये, पृथक उप–शीर्ष के अभाव में विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में सरकार के खाते में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी।

3.4.8.2 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का त्रुटिपूर्ण लेखांकन

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 36 उप निबन्धक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 26 उप निबन्धक कार्यालयों[18] में पंजीकृत 289 (6,665 विलेखों की नमूना जाँच में) विक्रय, विकासकर्ता अनुबन्ध, पट्टा और बन्धक विलेखों में, उप निबन्धकों द्वारा निर्धारित दरों पर ₹ 10.40 करोड़ की राशि का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 6.68 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित एवं वसूल किया गया था। सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालयों में *स्याहा*[19] (प्रेरणा[20] सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः उत्सर्जित) की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 6.68 करोड़ की वास्तव में आरोपित धनराशि के विरूद्व केवल ₹ 0.03 करोड़ ही अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में दर्ज किया गया था। दो अलग–अलग अधिनियमों[21] के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार संग्रहीत शुल्क को *स्याहा* में एक ही कॉलम में स्टाम्प शुल्क के रूप में दर्शाया गया था, जबकि *स्याहा* में

[18] उ0नि0–द्वितीय एवं तृतीय आगरा, उ0नि0–द्वितीय बरेली, उ0नि0–प्रथम जी0बी0 नगर, नोएडा, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, गाजियाबाद उ0नि0–प्रथम एवं द्वितीय गोरखपुर, उ0नि0–द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मोहनलालगंज एवं सरोजनी नगर लखनऊ, उ0नि0–प्रथम एवं द्वितीय मथुरा, उ0नि0–प्रथम, तृतीय एवं सरधना मेरठ, उ0नि0–प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं गंगापुर वाराणसी।

[19] स्टाम्प मैनुअल के अधीन नियम 211 के अनुसार *स्याहा* प्रपत्र सं0 13 में रखा जाता है। इसमें स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आदि वसूल की गयी धनराशि सम्मिलित होती है।

[20] प्रेरणा (सम्पत्ति मूल्यांकन एवं निबन्धन एप्लीकेशन) साफ्टवेयर निबंधन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात 01 अगस्त 2006 को विभाग द्वारा लागू किया गया।

[21] भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973।

दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की उचित बुकिंग के लिये एक अलग कॉलम उपलब्ध था।
इसलिये, यह आवश्यक है कि उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत संग्रहीत किये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को अनिवार्य और स्पष्ट रूप से लेखाकरण किया जाना चाहिए एवं सही लेखाकरण के लिये *स्याहा* में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

LkLrfr;k %

1- vfrfjDr LVkEi 'kYd d ctV vkj y[kkdj.k e iHkkoh ikjnf'kZrk yku dh nf"V l ljdkjh y[k e mud vkjki.k ,oa lxg.k d y[kkdj.k gr ,d iFkd mi&'kh"k [kkyk tkuk pkfg;A

2- m0i0u0fu0fo0 vf/kfu;e] 1973 d vUrxZr lxghr vfrfjDr LVkEi 'kYd dk vfuok;Z vkj Li"V :Ik l mfpr y[kkdj.k d fy; *L;kgk* e vfrfjDr LVkEi 'kYd d :i e nt fd;k tkuk pkfg,A

3-4-9 fu"d"k

लेखापरीक्षा ने देखा कि बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर आरोपणीय शुल्क की राशि के सम्बन्ध में स्पष्टता के अभाव के कारण, उप निबन्धकों ने पूर्ववर्ती अधिसूचना दिनांक 25.05.2001 के अनुसार स्टाम्प शुल्क और अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क दोनों की धनराशि को ₹ पाँच लाख तक सीमित कर दिया। संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के परिप्रेक्ष्य में यह सही नहीं है। अग्रेतर, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के प्राधिकार के अन्तर्गत आरोपित किया जाता है, इसे भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफ/कम नहीं किया जा सकता है।

विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के उददेश्य के लिये अभिलेखो में निहित लिखत और न कि निष्पादकों द्वारा उन्हें सौंपे गये नामकरण निर्णायक होते हैं। जबकि, विभाग ने अभिलेखों पर दिए गये नामकरण पर शुल्क का आरोपण एवं वसूल किया था।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के पृथक लेखाकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई पृथक उप–शीर्ष नहीं खोला गया था। इस प्रकार, विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी थी।

vU; vuqikyu y[kkijh{kk fVIif.k;k

3.5 Hkkjrh; LVkEi vf/kfu;e] 1899 dh /kkjk 27 d mYYk?ku d dkj.k LVkEi 'kYd ,oa fucU/ku Qhl dk de vkjki.k fd;k tkuk

fu"iknudrkvk }kjk fucU/ku gr iLrr y[ki=k e Hkfe d i.k@lgh fooj.k dh ?kk"k.kk ugh dh x;h ftld ifj.kkeLo:Ik ₹ 6-57 djkM dh jkf'k d LVkEi 'kYd ,oa fucU/ku Qhl dk de vkjki.k gvkA

भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 27 विशेष रूप से यह प्रावधानित करती है कि "प्रतिफल (यदि हो) और अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियाँ जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करते हों, उसमें सम्पूर्णता और सत्यता पूर्वक व्यक्त किये जायेगें जिसका अर्थ है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन को प्रभावित

करने वाले सभी तथ्य जैसे कि भूमि की प्रकृति (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक), निर्माण, सड़क से दूरी, इत्यादि का निष्पादनकर्ताओं द्वारा लेखपत्र में सत्यता पूर्वक उल्लेख किया जाये। हस्तान्तरण विलेख पर अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा निर्गत परिपत्र (27 नवम्बर 2018) के अनुसार सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करने एवं कम स्टाम्प शुल्क अरोपित करने का अधिकार कलेक्टर स्टाम्प के पास निहित है। बाजार मूल्य निर्धारित करते समय कलेक्टर स्टाम्प लेखपत्र निष्पादन की तिथि के सन्दर्भ में सम्पत्ति के बाजार मूल्य की जाँच करेंगे तथा लेखपत्र निष्पादन की तिथि को अन्तरित सम्पत्ति की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य विनिश्चय करेंगे।

लेखापरीक्षा ने 60 उप निबन्धक कार्यालयों की नमूना जाँच (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) में अक्टूबर 2017 से फरवरी 2022 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की। 29 उप निबन्धक कार्यालयों में यह देखा गया कि 54 विक्रय विलेखों (78,707 नमूना जांच में से) में विक्रीत भूमि को मुख्य सडक और आबादी से दूर, 200 मीटर की त्रिज्या में कृषिक गतिविधियों के होने एवं भूमि के क्रय करने का उददेश्य कृषि दर्शाया गया था। सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत अन्य विक्रय विलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि प्रश्नगत विक्रय विलेखों में दर्शाये गये आराजी[22] नंबरों में, आवासीय भूखण्डों को प्रश्नगत विक्रय विलेखों के निबन्धन से पूर्व एवं पश्चात में विक्रय किया गया था। कुछ मामलों में, एक ही आराजी नंबर में मकान और विकसित कालोनियां थीं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निष्पादकों ने जानबूझकर करापवंचन के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाया गया, जो कि भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 की धारा 27 का उल्लंघन है।

वर्तमान में लेखपत्रों का पंजीकरण *प्रेरणा* साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन मोड में किया जा रहा है। यद्यपि, निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों निबन्धन के लिए प्रस्तुत भूमि की महत्ता के निर्धारण में साफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने में विफल रहे अर्थात उसी *आराजी* संख्या से विक्रय विलेखों का निष्पादन हो चुका था। जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस के रूप में ₹ 6.57 करोड़ की धनराशि का कम आरोपण हुआ जैसा कि **ifjf'k"V&XXXVII** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

3.6 lEifRr d voeY;kdu d dkj.k LVkEi 'kYd ,o fucU/ku Qhl dk de vkjki.k fd;k tkuk

fucU/kudrk ikf/kdkfj;k }kjk Hkfe dh egRrk ,o lxeU@e[; lMd dh fLFkfr dk lKku e ugh fy;k x;k ftlds ifj.kkeLo:Ik ₹ 1-26 djkM dh /kujkf'k d LVkEi 'kYd ,o fucU/ku Qhl dk de vkjki.k fd;k x;kA

भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 प्रावधानित करता है कि हस्तान्तरण के एक विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरों को निबन्धन प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

[22] आराजी/खसरा/गाटा किसी क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व की संख्या को दर्शाता है।

आराजी की स्थिति को सम्बंधित उप निबन्धक कार्यालयों के डीएम सर्किल रेट को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था जैसे (i) मुख्य सड़क पर (ii) सम्पर्क सड़क मार्ग या जनपदीय मार्ग पर (iii) आबादी के समीप (iv) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143/उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत घोषित अकृषिक *आराजी* संख्या (v) आबादी के आराजी नम्बर जो अकृषिक घोषित न किये गये हो। *आराजी* के इस प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य उददेश्य बिक्री योग्य सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन है। दर सूची में विभिन्न निर्देश दिये गये है जिसका अनुपालन निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों के लिये अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने 60 उपनिबन्धक कार्यालयों की नमूना जाँच (अगस्त 2021 और मार्च 2022 के मध्य) में (अक्टूबर 2017 से फरवरी 2022) की अवधि के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि आठ उपनिबन्धक कार्यालयों से सम्बन्धित 11 विक्रय विलेखपत्रों (15,108 नमूना जाँच में से) प्रश्नगत विलेखों में भूमि की स्थिति को मुख्य/सेगमेन्ट सड़क से दूर दर्शाते हुए सामान्य आवासीय/कृषि दरों पर भूमि का मूल्यांकन किया गया था। इन 11 विक्रय विलेखों में से छः में, वे *आराजी* संख्या जिसमें यह भूमि स्थित थी, पूर्व से ही गैर–कृषिक के रूप में घोषित की जा चुकी थी, यद्यपि, विक्रय विलेखो में भूमि को कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया था। अन्य पाँच मामलों में, यह पाया गया कि उसी *आराजी* की भूमि का छोटा भाग सेगमेन्ट दर पर विक्रय किया गया था जबकि जमीन का बड़ा भाग उसी विक्रेता द्वारा क्रेताओं को सामान्य आवासीय दर पर विक्रय किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निबन्धनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा भूमि की महत्ता एवं उसकी प्रास्थिति सेगमेन्ट/मुख्य सड़क को संज्ञान में नहीं लिया गया। वर्तमान में लेखपत्रों को *प्रेरणा* साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन मोड में पंजीकृत किया जा रहा है किन्तु निबन्धनकर्ता प्राधिकारी भूमि की महत्ता और उसके मूल्यांकन के निर्धारण में साफ्टवेयर की सुविधा का लाभ उठाने में विफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ जैसा कि **ifjf'k"V&XXXVIII** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

v/;k;-IV: [kuu ikfIr;k

4-1 dj iz'kklu

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर, पर जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

4-2 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2021–22 के दौरान, 75 जिलों में से भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, के 13 जिला खान अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जाँच में रॉयल्टी कम/नही वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 439.99 करोड़ धनराशि के 3,588 मामले प्रकाश में आये, जैसा कि **lkj.kh&4-1** में वर्णित है।

lkj.kh&4-1

Ø0l0	Jf.k;k	ekeyks dh la[;k	/kujkf'k ¼₹ djksM+ esa½
1	रॉयल्टी न वसूल किया जाना	61	119.06
2	खनिज मूल्यों की वसूली न किया जाना	10	23.83
3	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	40	6.20
4	शास्ति का अनारोपण	203	7.03
5	अन्य अनियमिततायें[1]	3,274	283.87
;ksx		**3,588**	**439.99**

4-3 iV~Vk fujLrhdj.k esa foyEc ds dkj.k jktLo dh gkfu

> **foHkkx us iV~Vk/kkjd }kjk jk;YVh ,oa vU; ns; jkf'k dk Hkqxrku u fd;s tkus ds dkj.k iV~Vs dk rRdky fujLr ugh fd;k rFkk iV~Vs dk iquLFkkiu ugh fd;k ftlls ₹ 14-18 djksM+ jktLo dh gkfu gqbZA**

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 28(2)(1) एवं (4) प्रावधानित करते हैं कि निविदा/नीलामी की किश्तों की धनराशि चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक निर्धारित की जायेगी। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58(1) प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टाधारक पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा

[1] जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में अंशदान लाइसेंसधारियों/पट्टेधारकों से वसूल न होना, पट्टेधारकों/ईंट भट्ठा मालिकों आदि द्वारा रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज नही वसूला जाना।

समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टाधारक से ऐसे देयों को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला जिसमे खनन संक्रियायें जारी हो, के ट्रस्ट को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो रॉयल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

इस प्रकार, खनन पट्टों की रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान का भुगतान शासन को त्रैमासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तब पट्टा निरस्त किया जा सकता है एवं रॉयल्टी की वसूली नियमों के अनुसार भू राजस्व के बकाया की तरह की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने डीएमओ फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2022) की और देखा कि राज्य सरकार एवं मैसर्स क्लासिक इन्फ्रावेंचर एलएलपी (पट्टाधारक) के मध्य 13 जनवरी 2019 को एक समझौता किया गया था, जहाँ राज्य सरकार ने खनन कार्य के लिए ग्राम अधवल, फतेहपुर गाटा संख्या ए 11 में पाँच वर्ष के लिए 40.48 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। पट्टाधारक को पहले वर्ष के लिए ₹ 8,09,600 घनमीटर मौरम प्रति वर्ष खुदाई के लिए ₹ 306 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक था और बाद के वर्षों में पट्टा विलेख में प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करना था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पट्टाधारक ने प्रतिभूति की राशि के रूप में ₹ 6.14 करोड़ जमा किये (5 मई 2018) तथा प्रत्येक की रॉयल्टी की पहली किश्त अनूसूची के अनुसार जमा की। हालाँकि, पट्टाधारक द्वारा 1 अप्रैल 2019 और 1 जुलाई 2019 को देय ₹ 6.19 करोड़ की दूसरी एवं तीसरी किश्त के भुगतान में चूक की गयी। केवल ₹ 55.00 लाख का आंशिक भुगतान किया गया था (सितम्बर 2019 एवं अक्टूबर 2019 के मध्य)। पट्टाधारक ने आगे 1 अक्टूबर 2019 को देय ₹ 6.19 करोड़ की चौथी किश्त के भुगतान में चूक की। इस प्रकार, बिना भुगतान के अवशेष राशि ₹ 18.03 करोड़ थी।

जिला खान अधिकारी (डीएमओ) एवं जिलाधिकारी (डीएम) फतेहपुर ने क्रमशः 24 अप्रैल 2019 एवं 28 मई 2019 को नोटिस जारी किया लेकिन पट्टाधारक ने दूसरी किश्त जमा नही की। जिला प्राधिकरण ने 16 अगस्त 2019 (दूसरी किश्त की बकाया राशि के लिए) और 14 जनवरी 2020 (बाद की किश्तों की बकाया राशि के लिए) पट्टाधारक के खिलाफ देरी से वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। विभाग ने तीसरी किश्त के प्रति आंशिक भुगतान का समायोजन किया क्योंकि दूसरी किश्त की चूक के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका था। अंततः डीएम द्वारा 3 जनवरी 2020 को लीज रद्द कर दी गयी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि पट्टाधारक को ₹ 1.85 करोड़ के बकाया डीएमएफटी अंशदान और ₹ 49.55 लाख के स्रोत पर संग्रह (टीसीएस) राशि के भुगतान के लिए 10 सितम्बर 2020 को नोटिस जारी किया गया था, तथापि पट्टाधारक के विरूद्ध कोई वसूली प्रमाण पत्र जारी नही किया गया। इस प्रकार, पट्टाधारक द्वारा ₹ 11.83 करोड़ की रॉयल्टी, ₹ 1.85 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान तथा ₹ 49.55 लाख की टीसीएस की राशि जमा नही की गई।

पट्टाधारक द्वारा 1 अप्रैल 2019 को देय दूसरी किश्त के भुगतान में चूक के बाद सम्बन्धित डीएमओ एवं डीएम पट्टा रद्द करने में विफल रहे और पट्टे का पुर्नस्थापन करने में विफल रहे। 14 जनवरी 2020 को जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र को 10 जून 2021 को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिये गए थे कि न तो पट्टाधारक के भागीदार वसूली प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते पर पाए गए थे और न ही उनके नाम पर कोई सम्पत्ति पाई गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4.4 fu;ked <kp e fjDrrk

ek tnk fu;ked <kp d rgr] pfd uhyke d ek/;e l iVV ij fn, x,] [kuu {k=k d ekeyk e [kfut dh dher dk ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k g] blfy, ;g ftyk vf/kdkfj;k d foo d ij NkM fn;k x;k g fd o ;k rk jk;YVh d v/;k; III dh njk dk viuk, ;k uhyke d ek/;e l [kkth xbl [kfut dh dher dh njk dk dke e yA ifj.kkeLo:i] iVVk/kkjd dHkh&dHkh vo/k [kuu d fy, o/k fudklh d fy, n; jkf'k d edkcy de n.M dk Hkxrku djrk g] bl idkj vo/k [kuu dk ikRlkfgr djrk gA

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गये उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसकी कीमत और उस अवधि के लिये जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है।

सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में, स्पष्ट किया है कि 'खनिजों का मूल्य' सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना है। रॉयल्टी की दरें उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में परिभाषित की गयी है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 57, यह प्रावधानित करता है कि जो कोई भी नियम 3[2] के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोष सिद्ध हो जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ₹ 25,000 तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। दिनांक 18 मई 2017 के आदेश द्वारा सरकार ने उक्त नियम के अर्थदण्ड के प्रावधानों में संशोधन किया कि कारावास जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिये न्यूनतम ₹ दो लाख एवं अधिकतम ₹ पाँच लाख तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23(1) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिये जाने की घोषणा कर सकती है। अग्रेतर, नियम 23 (3), यह प्रावधानित करता है कि ऐसी घोषणा पर, अध्याय III[3] के उपबन्ध उस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार, किसी भी अवैध खनन के लिये राज्य सरकार खनिज या उसके मूल्य और प्रासंगिक रॉयल्टी की वसूली कर सकती है। अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड मई 2017 में बढ़ा दिया गया था। जिन क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिये अधिसूचित किया गया है, उनके लिये अध्याय III में रॉयल्टी दर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नीलामी के द्वारा व्यवस्थिति अधिसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में शास्ति प्रावधानों का दो परिदृश्यों के अन्तर्गत विश्लेषण कियाः (क) नीलाम किये गये क्षेत्रों में और (ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अवैध खनन। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं:

[2] खनन कार्य इन नियमों के तहत दिए गए पट्टा या खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

[3] रॉयल्टी और अपरिहार्य भाटक के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधान।

¼d½ uhyke fd;s x;s [kuu iV~Vk {ks=ksa ds ekeyksa esa ^[kfut eY;* ifjHkkf"kr u fd;k tkuk

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23 (3) यह प्रावधानित करता है कि नीलाम किये गये क्षेत्रों के लिये अध्याय III लागू नहीं होगा। अध्याय III निर्धारित करता है कि खनिजों की रॉयल्टी खनिज के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके आधार पर खनिज मूल्य को साधारणतया रॉयल्टी का पाँच गुना माना जाता हैं। चूंकि नीलाम के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामलों में अध्याय III लागू नहीं है, ऐसे मामलों में अवैध खनन के मामले में खनिज मूल्य निर्धारित करने के बारे में अस्पष्टता है। यह जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो अध्याय III की दरों या नीलामी के माध्यम से खोजी गयी दरों को अपनाएं।

¼[k½ uhyke fd;s x;s {ks=ksa ;k uhyke fd;s x;s {ks=ksa ds vkl&ikl ds {ks=ksa esa vo/k [kuu ds fy;s vkjksfir jk;YVh] *[kfut eY;* ,oa vFkZn.M dh vi;kZIr ek=k

लेखापरीक्षा ने चार जि0खा0का0[4] के अभिलेखों[5] की नमूना जाँच (नवम्बर 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य) की और देखा कि 13 मामलों में से सात में जहाँ नीलामी के माध्यम से पट्टे दिये गये थे, जिला अधिकारियों के जाँच दल ने सात पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में 61,769 घ0मी0 उप खनिजों (बालू/मौरम/गिट्टी) के अवैध खनन की सूचना दी थी। विवरण **lkj.kh&4-2** में दिया गया है:

lkj.kh&4-2% vo/k mR[kuu dk fooj.k

Ø0 l0	iV~Vk/kkjd dk uke	iV~Vk {ks=	iV~Vk@ijfeV dh vof/k	ifro"kZ [kfut dh tkus okyh ek=k ¼?k0eh0 esa½	jk;YVh dh nj ifr ?k0eh0 esa ¼₹ esa½	fjiksVZ ds vuqlkj iV~Vk {ks= ds vkl ikl vo/k :Ik ls mR[kfur cky w dh ek=k ¼?k0eh0 esa½	vo/k [kuu ds fy, mBk;h xbZ vfrfjDr ekax ¼₹ esa½
1.	मे0 शुभ कंस्ट्रक्शन प्रो. शशि देवी, 168/19, नोनिया मोहल्ला, जिला बाँदा	ग्राम–सलेमपुर, तहसील मोठ, जिला–झाँसी, अराजी नंबर–321गा0, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर	16.01.2021 से 15.01.2026	50,000	952	2,885	25.97 लाख
2.	मे0 सागर ब्रिक फील्ड	ग्राम–रूसाई सैदपुर, तहसील–चायल, जिला–कौशाम्बी, खंड संख्या 8/3 से 8/4 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर	01.05.2020 से 30.04.2025	3,60,000	155	25,364	2.38 करोड़
3.	श्री केशरी नंदन सिंह	ग्राम–कतरी, तहसील–मंझनपुर, खंड संख्या 14/11 से 14/12 क्षेत्रफल 10.46 हेक्टेयर	20.12.2018 से 19.12.2023	4,85,000	315	10,746	1.12 करोड़
4.	मे0 रिषभ हर्बल प्रा0 लिमिटेड	ग्राम–दिया, तहसील–मंझनपुर, खंड संख्या 11/15 से 11/16 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर	11.04.2018 से 10.04.2023	3,60,000	181	19,600	1.81 करोड़
5	मे0 रत्ना जादोन ई–7, एम 708 अरेरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0)	ग्राम–अधवल, तहसील–फतेहपुर, जिला–फतेहपुर, क्षेत्रफल 25.00 हेक्टेयर	06.11.2020 से 05.11.2025	2,50,000	400	50	0.45 लाख

[4] डीएमओ–फतेहपुर, झाँसी, कौशाम्बी एवं सोनभद्र।
[5] पट्टा पत्रावलियाँ।

Ø0 l0	iVVk/kkjd dk uke	iVVk {k=	iVVk@ijfeV dh vof/k	ifro"k [knkbl dh tkus okyh ek=k ¼?k0eh0 e½	jk;YVh dh nj ifr ?k0eh0 e ¼₹ e½	fjikVl ds vuqlkj iVVk {k= ds vklikl vo/k :Ik ls mR[kfur ckyw dh ek=k ¼?k0eh0 e½	vo/k [kuu ds fy, mBkbl xbl vfrfjDr ekx ¼₹ e½
6	मे0 सी0 एस0 इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रबंध निदेशक श्रीमती पुष्पा सिंह	ग्राम–बिल्ली मारकुंडी, तहसील–रार्बट्सगंज, सोनभद्र, अराजी संख्या 7536 गा0 (मि) खंड–3, क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर	06.11.2020 से 05.11.2030	40,000	3,000	608	5.84 लाख
7	मे0 साईं राम एन्टरप्राइजेज साझीदार श्री चन्द्र भूषण गुप्ता	ग्राम–बिल्ली मारकुंडी, तहसील–ओबरा, सोनभद्र, अराजी संख्या 7536 गा (मि), खंड–1, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर	05.10.2020 से 04.10.2030	49,700	3,010	2,502	24.27 लाख
;kx							₹ 5.88 djksM

जिला प्राधिकारियों ने अवैध खनन की मात्रा की गणना की और अवैध खनन के लिये कुल ₹ 0.93 करोड़ रॉयल्टी, ₹ 4.65 करोड़ 'खनिज मूल्य' एवं मात्र ₹ 30.25 लाख[6] शास्ति का मांग पत्र जारी किया (जून 2018 और जून 2021 के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने जिलाधिकारी द्वारा वास्तविक आरोपित अर्थदण्ड की मात्रा एवं नीलामी द्वारा खोजी गयी दरों के आधार पर तुलना की। विवरण नीचे **lkj.kh&4-3** में दिया गया है।

lkj.kh&4-3% vkjksfir vFkZn.M dh /kujkf'k dk fo'ys"k.k

(₹ yk[k esa flok; LrEHk 4 vkSj 9 ds)

Ø0 l0	iVVk/kkjd dk uke	vo/k :i ls [kuu dh x;h ek=k ¼?k0eh0 e½	ftykf/kdkjh }kjk okLro esa vkjksfir					uhykeh }kjk ckyh x;h nj ds vk/kkj ij ¼y[kkijh{kk }kjk vkxf.kr½				
			jk;YVh dh nj ¼ifr ?k0eh0½	jk;YVh	[kfut eY;	vFkZn.M	;kx	jk;YVh dh ckyh x;h nj ¼ifr ?k0eh0½	jk;YVh	[kfut eY;	vFkZn.M	;kx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. (1 प्रकरण)	मे0 शुभ कंस्ट्रक्शन प्रो. शशि देवी, 168/19 नोनिया मोहल्ला जिला बाँदा	2,885	150	4.33	21.64	0.00	**25.97**	952	27.46	137.33	5.00	**169.79**
2. (2 प्रकरण)	मे0 सागर ब्रिक फील्ड	25,364	150	38.05	190.23	10.00	**238.28**	155	39.31	196.57	10.00	**245.88**
3. (3 प्रकरण)	श्री केशरी नंदन सिंह	10,746	150	16.12	80.60	15.00	**111.71**	315	33.85	169.25	15.00	**218.10**
4. (2 प्रकरण)	मे0 रिषभ हर्बल प्रा0 लिमिटेड	19,600	150	29.40	147.00	5.00	**181.40**	181	35.48	177.38	10.00	**222.86**
5. (1 प्रकरण)	मे0 रत्ना जादोन ई–7, एम 708 अरेरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0)	50	150	0.075	0.38	0	**0.45**	400	0.20	1.00	5.00	**6.20**
6. (1 प्रकरण)	मे0 सी0 एस0 इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रबंध निदेशक–श्रीमती पुष्पा सिंह	608	160	0.97	4.86	0	**5.84**	3,000	18.24	91.20	5.00	**114.44**

[6] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963।

(₹ yk[k esa flok; LrEHk 4 vkSj 9 ds)												
Ø0 l0	iV~Vk/kkjd dk uke	vo/k :i ls [kuu dh x;h ek=k ¼?k0eh0 esa½	ftykf/kdkjh }kjk okLro esa vkjksfir					uhykeh }kjk cksyh x;h nj ds vk/kkj ij ¼ys[kkijh{kk }kjk vkxf.kr½				
			jk;YVh dh nj ¼izfr ?k0eh0½	jk;YVh	[kfut eY;	vFkZn.M	;ksx	jk;YVh dh cksyh x;h nj ¼izfr ?k0eh0½	jk;YVh	[kfut eY;	vFkZn.M	;ksx
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7. (1 प्रकरण)	मे0 साईं राम एन्टरप्राइजेज साझीदार श्री चन्द्र भूषण गुप्ता	2,502	160	4.00	20.02	0.25	**24.27**	3,010	75.31	376.55	5.00	**456.86**

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा निम्न निर्दिष्ट है:

(i) अवैध खनन के लिये दण्डात्मक मांग उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में दी गयी रॉयल्टी की दरों पर आधारित थी जो नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरों से काफी कम थी। इस प्रकार, जब अध्याय III में दी गयी मौरम की रॉयल्टी की दरें ₹ 150 और गिट्टी (डोलोस्टोन) की ₹ 160 तक थी, नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरें मौरम ₹ 155 से ₹ 952 और गिट्टी (डोलोस्टोन) की ₹ 3,000 से ₹ 3,010 के बीच थी। अध्याय III की दरों के आधार पर, इन पट्टेधारकों से मौरम के लिये केवल ₹ 0.45 लाख से ₹ 2.38 करोड़ और गिट्टी (डोलोस्टोन) के लिए ₹ 5.84 लाख से ₹ 24.27 लाख के बीच की राशि की मांग की गयी। तथापि, यदि नीलामी की दरों पर विचार किया जाता तो इन सात पट्टेधारकों को ₹ 6.20 लाख से ₹ 4.57 करोड़ की दण्डात्मक राशि का भुगतान करना पड़ता। इसलिये यद्यपि नीलामी क्षेत्रों या पड़ोसी क्षेत्रों में विभिन्न पट्टेधारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, विनियमों ने बहुत कम दरों पर रॉयल्टी एवं 'खनिज मूल्य' आरोपित करने की अनुमति दी गई।

(ii) पट्टेधारकों (सारणी 4.3 का क्रमांक 6 और 7 देखें) ने बिना रॉयल्टी दिए उन्हें नीलाम किए गए पट्टा क्षेत्र से खनिज निकाले। हालाँकि, अवैध खनन के लिए लगाया गया जुर्माना नीलाम किए गए पट्टा क्षेत्र से वैध खनन के लिए देय राशि से कम था, इस प्रकार अवैध खनन को प्रोत्साहित किया गया।

(iii) यद्यपि अर्थदण्ड आरोपित करना आवश्यक था और प्रत्येक मामले में अधिकतम ₹ पाँच लाख प्रति हेक्टेयर था, यह देखा गया कि केवल सात मामले में जिला अधिकारियों ने मात्र ₹ 30.25 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जबकि छः मामलों में कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार के मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.4 में और उत्तर प्रदेश सरकार के मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.3 में इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूचना दी गई थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4-5 iVV/kkjdk }kjk [kfutk d vo/k ifjogu d ekeyk e [kfut dk eY; ugh yxk;k tkuk

iVV/kkjdk }kjk fcuk i|i= ,e0,e0 11 d [kfut d vo/k ifjogu d ikdj.kk e ₹ 11-92 djkM d [kfutk dk eY; vkjkfir ,o oly ugh fd;k x;kA

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002, प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (प्रपत्र एम0एम0–11[7]/प्रपत्र सी[8]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[9], 1957, प्रावधानित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 70(1) सपठित धारा 4(1–ए) और खा0 एवं ख0 (वी0 और वी0) अधिनियम की धारा 21 (1 से 5) उसके द्वारा पट्टा एवं परमिट धारक या अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी माध्यम से खनिज परिवहन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एमएम–11 में ट्रांजिट पास जारी करता है। अग्रेतर, नियम 70(2) में प्रावधान है कि उपनियम (2) के तहत जारी एमएम–11 प्रपत्र के बिना कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी खनिज का परिवहन नही करेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि वह दोषी पाया जाता है, तो छः महीने की कैद या ₹ 25,000 का जुर्माना हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी, फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2022) की और पाया कि दो पट्टेधारकों को मौरम की खुदाई के लिए दो पट्टे आवंटित किये गये थे और अनुबंध राज्य सरकार और पट्टाधारक के बीच (मार्च 2018 और अप्रैल 2018 के बीच) निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशक, भूविज्ञान और खनन के आदेश के अनुपालन में, डीएम फतेहपुर ने मौरम के अवैध उत्खनन के लिए पिछली निरीक्षण रिपोर्ट (जून 2018 में किए गए निरीक्षण) के परिणामों को सत्यापित करने के लिए एक जाँच (सितम्बर 2018) की स्थापना की। जाँच दल ने बताया (अक्टूबर 2018) कि दोनो पट्टेधारकों ने 2,09,514 घनमीटर मौरम का उत्खनन किया जिसमे से ई–एमएम–11 प्रपत्र केवल 1,42,414 घनमीटर के लिए जनरेट किए गए थे। इस प्रकार, 67,100 घनमीटर मौरम को बिना ई–एमएम–11 प्रपत्र जनरेट किए अवैध परिवहन किया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में देखा गया कि दोनों पट्टेधारकों ने मौरम के ओवरलोडिंग को स्वीकार (अक्टूबर 2018) किया लेकिन विभाग ने बिना ई–एमएम–11 प्रपत्रों के मौरम के अवैध परिवहन के लिए खनिज का मूल्य ₹ 11.92 करोड़ नही लगाया। तत्पश्चात्, दोनों पट्टेधारकों ने अक्टूबर 2018 में देय किश्त जमा नहीं की और विभाग ने जमानत राशि जब्त कर (जनवरी 2019 से फरवरी 2019 के बीच) पट्टों को रद्द कर दिया।

इस प्रकार, विभाग ने ₹ 11.92 करोड़ की राशि के खनिज मूल्य की वसूली न करके पट्टेधारकों को अनुचित लाभ पहुँचाया जैसा कि **ifjf'k"V& XXXIX** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

---

7 उप खनिजों के परिवहन के लिए खनन पट्टा धारक अथवा क्रेशर प्लान्ट धारक द्वारा जारी ट्रॉजिट पास (रवन्ना) इसमें पट्टाधारक का नाम और पता खनिजों की प्रकृति एवं मात्रा और वाहन का नम्बर जिसके द्वारा खनिज का पारगमन होता है शामिल है।

8 खनिज के भण्डार हेतु अनुज्ञप्तिधारी भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन हेतु प्रपत्र–सी में ट्रांजिट पास जारी करेगा।

9 खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

4-6 jk;YVh vkj ifrHkfr tek d Hkxrku e foyEc d fy, ckyh io c;kuk jkf'k tCr u fd;k tkuk

ftyk [kku vf/kdkjh u jk;YVh ,o ifrHkfr tek jkf'k d Hkxrku e foyEc d fy, ckyh io c;kuk jkf'k ₹ 3-51 djkM tCr ugh dhA

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश[10] दिनांक 14 अगस्त 2017 में प्रावधान है कि गौण खनिजों के लिए पट्टे के प्रत्येक सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त होने के बाद पहले वर्ष की देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत (सुरक्षा जमा के रूप में 25 प्रतिशत और प्रथम किश्त 25 प्रतिशत), एलओआई जारी करने की तारीख से दो कार्य दिवसों के अंदर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से, मेटल स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन (एमएसटीसी)[11] के ई–भुगतान गेटवे पर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बोली पूर्व बयाना राशि, इस राशि को जमा करने से पूर्व समायोजित की जाएगी। अग्रेतर, यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त राशि को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो उनके द्वारा जमा की गई बोली पूर्व बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और इस सम्बन्ध में किसी भी शिकायत या आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) के दो कार्यालयों[12] के अभिलेखों[13] की जाँच की और पाया (जनवरी/मार्च 2022) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों (डीएम) ने चार सफल बोलीदाताओं के पक्ष में (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली में बालू/मौरम के खनन पट्टे के लिए एलओआई जारी किया। बोलीदाताओं को एलओआई निर्गत होने के दो कार्य दिवस के अन्दर ₹ 6.50 करोड़ (पहले वर्ष की देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत) जमा करना आवश्यक था। बोलीदाताओं ने छः से 88 दिनों तक की देरी के साथ आवश्यक धनराशि जमा की किन्तु सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों ने रॉयल्टी और सुरक्षा जमा के भुगतान में देरी के लिए बोली पूर्व बयाना राशि ₹ 3.51 करोड़ को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नही की, जैसा कि **ifjf'k"V&XL** में वर्णित है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4-7 [kuu iVVk foy[kk ij LVkEi 'kYd ,o fucU/ku Qh l dk de vkjki.k

ftyk [kfut Qkm.M'ku VLV ¼ft0[k0Qk0V0½ e n; v'knkuk dk 39 [kuu iVVk foy[kk e ifrQy e lfEefyr u fd; tku d ifj.kkeLo:i ₹ 4-85 djkM LVkEi 'kYd ,o ₹ 1-10 djkM fucU/ku Qh l dk de vkjki.k fd;k tkukA

नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान खनन पट्टों पर लागू है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0अ0) की अनुसूची I–ख का अनुच्छेद 35 (ख) (एक) प्रावधानित करता है कि जहां लीज 30 वर्ष से अधिक नही हो, किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नही है, वहां स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रभार्य होना चाहिये जो

[10] आदेश का प्रस्तर 19 (2)।
[11] भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ई–नीलामी का सेवा प्रदाता।
[12] फतेहपुर एवं कौशाम्बी।
[13] पट्टा पत्रावलियाँ, लेटर आफ इन्टेन्ट इत्यादि।

ऐसा जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के अनुसार इन पट्टा विलेखों पर 2 प्रतिशत प्रतिफल का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकरण (I) कहता है कि जब पट्टाधारक ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेस या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते है, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने की सहमति पट्टाधारक द्वारा की गयी हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 33(1) प्रावधानित करती है कि सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी पुलिस अधिकारी के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत होता है कि विलेख यथा विधि स्टाम्पयुक्त नही है, उसे जब्त करेगा।

उत्तर प्रदेश जि0ख0फा0ट्र0 नियमावली, 2017, के नियम 10(2) के अन्तर्गत पट्टेधारकों को रॉयल्टी का 10 प्रतिशत जि0ख0फा0ट्र0 में भी भुगतान करना अनिवार्य है। सरकार ने दिनांक 13 फरवरी 2020 की अधिसूचना[14] के द्वारा भी पूर्व अधिसूचना[15] 8 दिसम्बर 2015 में संशोधन किया और निबंधन फीस को इस तरह के प्रतिफल या मूल्य पर एक प्रतिशत की दर या अभिलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की गणना में जो भी अधिक हो को न्यूनतम ₹ 100 के अधीन, से संशोधित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2021 और मार्च 2022 के मध्य) कि छः[16] जि0खा0का0 में फरवरी 2018 और जनवरी 2022 के बीच पाँच से दस वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित किये गये 39 खनन पट्टा विलेखों में स्टाम्प शुल्क के प्रभार्यता के लिये केवल रॉयल्टी की धनराशि को प्रतिफल में सम्मिलित किया गया था एवं जि0ख0फा0ट्र0 में जमा होने वाले अंशदान को शामिल नही किया गया था। इन पट्टा विलेखों में ₹ 2,176.66 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 62.11 करोड़ प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के विरूद्ध ₹ 1,978.78 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 56.16 करोड़ का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया था। इस प्रकार, शासन ₹ 4.85 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.10 करोड़ के निबन्धन फीस के कम आरोपण के कारण राजस्व से वंचित रहा।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4-8 iVVk/kkjdks d }kjk jk;YVh tek ugh fd;k tkuk

ukS iVVk/kkjdks d }kjk nks ftyk [kuu dk;kZy;ks e ₹ 1-73 djkM dh jk;YVh tek ugh dh xbA

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 28 (2) (1) एवं (4) प्रावधानित करते है कि निविदा/नीलामी की किश्तों की धनराशि चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक निर्धारित की जायेगी। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58 (1) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य सरकार को देय रॉल्यटी सहित पट्टे के अर्न्तगत कोई देय राशि अथवा अपरिहार्य भाटक नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर पट्टाधारक को नोटिस देने के बाद खनन पट्टा निर्धारित कर सकता है, यदि ऐसे भुगतान के लिये नियत तिथि के बाद इसे 15 दिनों के अन्दर जमा

[14] संख्या 02/2020/127/94-स्टाम्प निबन्धन -2-2020-700(74)/15।

[15] संख्या 30/2015/1430/94-स्टाम्प निबन्धन -2-2015-700(74)/15।

[16] फतेहपुर, झाँसी, कौशाम्बी, ललितपुर, शाहजहाँपुर और सोनभद्र।

नहीं किया गया हो। यह अधिकार पट्टाधारक से ऐसे देयों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा।

इस प्रकार, खनन पट्टों की रॉयल्टी का भुगतान शासन को त्रैमासिक/मासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसा नही किया जाता तब पट्टा निरस्त किया जा सकता है एवं रॉयल्टी की वसूली नियमों के अनुसार भू राजस्व के बकाया की तरह की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने जिला खान कार्यालयों गोंडा एवं ललितपुर में 35 पट्टा विलेखों की लीज फाइलों की नमूना जाँच की और पाया (नवम्बर 2021 एवं मार्च 2022) कि नौ पट्टेधारकों ने अप्रैल 2019 और जनवरी 2022 के बीच देय **₹** 2.68 करोड़ की देय रॉयल्टी की राशि का भुगतान पट्टा विलेख की अनूसूची के अनुसार जमा नहीं की थी। पट्टाधारक मैसर्स अराध्या इंटरप्राइजेज गोंडा, के केवल एक मामले में सरकार ने दिसम्बर 2021 में **₹** 1.79 करोड़ की देय रॉयल्टी के विरूद्ध **₹** 95.14 लाख की प्रतिभूति राशि को समायोजित किया। इस प्रकार, पट्टेधारकों के द्वारा **₹** 1.73 करोड़ की रॉयल्टी जमा नही की गई थी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा भी इन देय राशियों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। जिसके परिणामस्वरूप **₹** 1.73 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2021)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

v/;k;-V: vU; dj ikfIr;k

¼v½ okguksa] eky ,oa ;kf=;ksa ij dj

5.1 dj Á'kklu

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, *वाहन* को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र वाले वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, *सारथी* (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु तथा वाहनों के पंजीयन व ड्राइविंग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

5.2 y[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2021–22 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 11 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 16,379 मामलो में सन्निहित ₹ 47.83 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर, स्वस्थता शुल्क की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **lkj.kh&5-1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी ।

2 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 इसमे कार्यालय के प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 02 स0प0अ0 एवं 08 स0स0प0अ0 शामिल हैं।

lkj.kh&5-1

Ø0 l0	Jf.k;k	ekeyk dh l[;k	/kujkf'k (₹ djkM e)
1	कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली	4,165	24.47
2	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन	8,023	04.09
3	जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना	833	10.06
4	उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से शास्ति की वसूली न होना	83	00.43
5	अन्य अनियमितताएं[4]	3,275	08.78
;kx		16]379	47-83

5.3 m0i0jk0l0i0fu0 cl l vfrfjDr dj dk oly u fd;k tkuk

m0i0jk0l0i0fu0 }kjk lpkfyr cl l vfrfjDr dj ₹ 6-27 djkM dh oly u fd;k tkuk

उ0 प्र0 मोटर यान कराधान (उ0 प्र0 मो0 या0 क0) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित अक्टूबर 2009) की धारा 6(1) प्रावधानित करती है कि राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वमित्व वाली कोई भी सर्वाजनिक सेवा वाहन को उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बन्धित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा संचालित बसो पर अतिरिक्त कर की दर निम्न **lkj.kh 5-2** में वर्णित है।

lkj.kh&5-2

Ø0 l0	okgu dk idkj	ifr lhV vfrjfDr dj dh nj ¼₹ e½		
		ekfld	=ekfld	okf"kd
1	दो वर्ष तक पुराने वाहन	600	1,800	6,500
2	दो वर्ष से अधिक एवं चार वर्ष से अनाधिक पुराने वाहन	500	1,500	5,400
3	चार वर्ष से अधिक एवं छः वर्ष से अनाधिक पुराने वाहन	400	1,200	4,800
4	छः वर्ष से अधिक पुराने वाहन	150	450	1,600

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर एवं अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाया के लिये यथास्थिति स्वामी या संचालन से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो के बकाया कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई, सम्मिलित होंगे।

लेखा परीक्षा ने मार्च 2020 से फरवरी 2022 की अवधि में दो[5] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखो[6] की नमूना जाँच की एवं देखा (फरवरी 2022 से मार्च 2022 के मध्य) कि

---

[4] तीन माह से अधिक समय से समर्पित वाहनों से राजस्व प्राप्त न होना, जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से राजस्व प्राप्त न होना, 15 साल से अधिक वाहनों का पुर्नपंजीयन नहीं होने से राजस्व की हानि, कैरिज बाई रोड, अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि एवं कर का भुगतान किये बिना वाहनों के संचालन के कारण राजस्व की हानि।

[5] स0प0अ0 झांसी एवं स0स0प0अ0 उन्नाव।

[6] वाहन डाटाबेस, कर की स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, रसीद बुक इत्यादि।

उ0प्र0रा0स0प0नि0 की 272 बसों की नमूना जाँच किये गये मामलों में से उ0प0स0प0नि0 द्वारा संचालित 174 वाहनों से ₹ 6.27 करोड़ धनराशि के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की गयी थी। कराधान अधिकारी ₹ 6.27 करोड़ धनराशि के अतिरिक्त कर राशि की वसूली करने में विफल रहे।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

¼c½ jkT; vkcdkjh

5-4 dj Á'kklu

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा, जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों एवं यवासवानियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[7] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[8] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों[9], मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनकी दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (सं0आ0आ0) होते हैं, जिनकी 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं। आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) इनकी सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

5-5 y[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2021–22 के दौरान, विभाग की 128 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 29[10] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,519 मामलों में सन्निहित ₹ 1,276.12 करोड़

---

[7] 2020–21 के कुल आबकारी राजस्व में दे0म0 50 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 37 प्रतिशत, बीयर 11 प्रतिशत एवं अन्य दो प्रतिशत था।

[8] दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

[9] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।
उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।
उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

[10] इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग के प्रमुख), 12 जिला आबकारी कार्यालय व 16 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

के आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज के कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि **lkj.kh 5-3** में उल्लिखित किया गया है।

lkj.kh&5-3

Ø0 l0	Jf.k;k	ekeyk dh l[;k	/kujkf'k ¼₹ djkM e½
1	आबकारी अभिकर का कम/न वसूल होना	5	29.00
2	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	2,508	164.00
3	आबकारी अभिलेखों में इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा का कम अंकित किया जाना	1	1,078.09
4	अन्य अनियमितताएं[11]	5	5.03
	;kx	**2]519**	**1]276-12**

5-6 vkcdkjh vfHky[kk e buiV vkcdkjh lkexh d miHkkx dh ek=k dk de vfdr fd;k tkuk

lgk;d vkcdkjh vk;Dr] jfMdk [krku fyfeVM] jkeij] vkcdkjh vfHky[kk e n'kk;h x;h buiV vkcdkjh lkexh d miHkkx dh fuxjkuh vk;dj foHkkx e nkf[ky fooj.kh d lkFk dju e foQy jgk] ifj.kkeLo:Ik o"k 2013&14 l 2019&20 dh vof/k d nkjku ₹ 1]078-09 djkM ¼₹ 482-34 djkM d C;kt lfgr½ d vkcdkjh jktLo d buiV vkcdkjh lkexh d miHkkx dk de djd fn[kku dk irk ugh pykA

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 यह प्रावधानित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित किसी आबकारी शुल्क योग्य पदार्थ पर, ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, आबकारी शुल्क आरोपित किया जा सकता है। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 38क के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर जमा न किया गया हो, वहाँ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वसूलनीय है।

इनपुट उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाने वाले शीरे, अनाजों एवं माल्ट को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में स्प्रिट/वाश प्राप्त करने के लिए किण्डिवित एवं आसवित किया जाता है, जो शराब और अन्य मादक पदार्थों जैसे अंतिम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पुर्नआसवित, मिश्रित, सम्मिश्रित, परिष्कृत एवं पतला किया जाता है।

सहायक आबकारी आयुक्त, रेडिकों खेतान लि0 रामपुर के कार्यालय की लेखापरीक्षा (मार्च 2022) के दौरान, 2013–14 से 2019–20 तक की अवधि के लिए शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे कि शीरा, ग्रेन एवं बारले माल्ट से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के अभिलेखों[12] की जाँच की गयी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा आयकर विभाग (आ0वि0) के वैधानिक रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत शीरा, ग्रेन एवं बारले माल्ट की उपभोग के आंकड़ों की तुलना सहायक

[11] नियमों का अनुपालन न किये जाने के लिये शास्ति का अनारोपण, अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन प्राप्त करने में विफलता के कारण प्रशमन धनराशि का कम आरोपण, मदिरा की बिक्री एम0आर0पी0 से अधिक पर किये जाने के मामलों में उचित कार्यवाही न किया जाना, न्यू0प्र0मा0 (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) निर्धारित दुकान पर समायोजित न किया जाना, न्यूनतम आसवन क्षमता प्राप्त करने के लिये शास्ति का अनारोपण, आदि।

[12] शीरे के मासिक स्टाक रजिस्टर (एम0एफ0–6 रजिस्टर) एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत विवरणी तथा लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं।

आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0), रेडिको खेतान लि0 रामपुर के अभिलेखों में दर्शाये गये तत्सम्बन्धी मात्राओं से की तथा आयकर विभाग को प्रेषित किये गये अभिलेखों/विवरणों में प्रदर्शित की गयी मात्राओं और राज्य आबकारी विभाग में उपलब्ध मात्राओं में भिन्नता देखी गयी। प्रयुक्त सामग्री में पायी गयी विसंगतियाँ इंगित करती हैं कि निर्धारिती द्वारा इनपुट्स के उपभोग को आबकारी विभाग में कम करके बताया गया, जिसमे ₹ 595.75 करोड़ का आबकारी राजस्व सन्निहित था जिस पर ₹ 482.34 करोड़ का ब्याज आरोपणीय था जैसा **lkfj.kh&5-4** में वर्णित है।

lkfj.kh&5-4% vkcdkjh lkexh d miHkkx dh ek=k dk de vfdr fd;s tku d dkj.k ifrQy 'kYd ,o C;kt dk vukjki.k

(₹ yk[k e)								
lkexh dk idkj (fDoVy e)	**foRrh; o"k**	**vk0fo0fj0 d vuqlkj miHkkx[13]**	**vkcdkjh foHkkx d vuqlkj miHkkx**	**vUrj**	**lfUufgr vkcdkjh ifrQy**	**foyEc dh vof/k eghuk[14] e**	**31 ekp 2022 rd n; C;kt**	**;kx**
शीरा	2013–14	28,75,826.00	28,63,956.00	11,870.00	1,269.64	96	1,828.28	3,097.92
	2014–15	21,01,363.00	20,93,214.00	8,149.00	1.042.13	84	1,313.09	2,355.22
	2015–16	22,36,773.00	21,93,281.00	43,492.00	6,858.00	72	7,406.65	14,264.65
	2016–17	29,01,022.00	28,45,293.00	55,729.00	8,498.50	60	7,648.66	16,147.16
	2017–18	25,92,165.00	25,38,563.00	53,602.00	7,334.43	48	5,280.79	12,615.22
	2018–19	25,88,483.00	25,33,726.00	54,757.00	9,068.74	36	4,897.12	13,965.86
	2019–20	23,17,076.00	22,75,990.00	41,086.00	5,900.44	24	2,124.16	8,024.60
ग्रेन	2013–14	7,24,291.00	7,15,337.60	8,953.40	1,711.63	96	2,464.74	4,176.37
	2014–15	8,71,340.00	8,50,928.40	20,411.60	4,622.16	84	5,823.92	10,446.08
	2015–16	8,36,547.00	8,26,779.60	9,767.40	2,549.71	72	2,753.68	5,303.39
	2016–17	7,82,993.00	7,73,338.60	9,654.40	2,492.71	60	2,243.43	4,736.14
	2017–18	8,69,470.00	8,59,252.00	10,218.00	2,651.74	48	1,909.26	4,561.00
	2018–19	8,63,871.00	8,54,412.00	9,459.00	2,961.19	36	1,599.04	4,560.23
	2019–20	7,81,030.00	7,72,792.00	8,238.00	2,578.95	24	928.42	3,507.37
बारले माल्ट	2015–16	18,893.00	18,892.75	0.25	0.06	72	0.06	0.12
	2019–20	42,220.76	42,094.45	126.31	34.80	24	12.53	47.33
;kx					**59]574-83**		**48]233-83**	**1]07]808-66**

इसके परिणामस्वरूप इनपुट्स आबकारी सामग्री का कम उपभोग अंकित किया गया जिसमें सरकार का ₹ 1,078.09 करोड़ का आबकारी राजस्व सन्निहित था, का विवरण **ifjf'k"V&XLI] XLII** एवं **XLIII** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

laLrqfr;k%

ljdkj dk%

1. **fu/kkfjrh }kjk buiqV vkcdkjh lkexh dh ek=k d¨ de vfdr fd;s tku dk fo'ys"k.k ,o vkcdkjh jktLo dh olwyh dh dk;okgh dh tkuh pkfg;sA**

2. **fu/kkj.k vf/kdkfj;k d fo#) lefpr dk;okgh ikjEHk dh tkuh pkfg;s tk fd viu drO;k d fuogu e foQy jg ,o vkcdkjh lkexh d de miHkkx dk ugh idM ik;sA**

13 आयकर विभाग के फार्म 3सीडी में सम्मिलित सूचना।

14 आबकारी राजस्व का भुगतान न करने के कारण विलम्ब की गणना सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन से 31 मार्च 2022 तक किया गया है।

5-7 ndkuk d 0;oLFkkiu dk fujLr dju ,o cfld vuKkiu 'kYd ¼c0v0'k0½@vuKkiu 'kYd ¼v0'k0½ rFkk ifrHkfr tek dk leigj.k fd;s tku e foQyrk

ndkuk d 0;oLFkkiu ij cfld vuKkiu 'kYd] vuKkiu 'kYd ,o ifrHkfr tek dk le; ij tek lfuf'pr dju e foHkkx vlQy jgkA bUgkus 0;oLFkkiu d fujLrhdj.k ,o uohuhdj.k 'kYd ₹ 0-19 djkM] vuKkiu 'kYd@cfld vuKkiu 'kYd ₹ 10-65 djkM vkj ifrHkfr tek ₹ 0-21 djkM dh dy /kujkf'k ₹ 11-05 djkM d leigj.k dh dkbl dk;okgh ikjEHk ugh dhA

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) की विभिन्न नियमावलियाँ[15] प्रावधानित करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर अनुज्ञापन शुल्क[16] (अ0शु0)/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[17] (बे0अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति धनराशि का आधा 10 कार्य दिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा। वर्ष 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 के लिए आबकारी नीति, यह भी प्रावधानित करती हैं कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में, अ0शु0/बे0अ0शु0 का आधा नवीनीकरण के आवेदन के अनुमोदन की सूचना के तीन कार्यदिवस के अन्दर जमा किया जायेगा, अ0शु0/बे0अ0शु0[18] तथा प्रतिभूति जमा[19] की शेष राशि उस वर्ष की आबकारी नीति में तय समय सीमा के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। विफलता के मामले में, दुकान का व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं विगत वर्ष की प्रतिभूति जमा का प्रतिशत, जो आबकारी नीति[20] में निश्चित किया गया हो, समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने 12 जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य) कि इन जनपदों में 2,687 मदिरा की दुकानों में

---

15 उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002 तथा संशोधन नियमावली 2019।
उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003 तथा संशोधन नियमावली 2019।

16 विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय फुटकर दुकान पर विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए एकांतिक विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के बदले में एक निर्धारित धनराशि से है। देशी मदिरा की दुकान के लिए अनुज्ञापन शुल्क का आशय बेसिक अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एकांति विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए अनुज्ञापी द्वारा देय प्रतिफल के शेष भाग से है तथा यह धनराशि दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर आरोपणीय प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी।
अ0शु0 की वर्षवार धनराशि– ₹ 222 प्रति बल्क लीटर (बी0एल0) (2018–19 एवं 2019–20) तथा ₹ 226 प्रति बी0 एल0 (2020–21 एवं 2021–22)।

17 बेसिक अनुज्ञापन शुल्क का तात्पर्य है कि देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन प्रदान करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा उसे अनुज्ञापन दिये जाने से पूर्व देय प्रतिफल का हिस्सा है।
बे0अ0शु0 की वर्षवार धनराशि– ₹ 28 प्रति बी0एल0 (2018–19), ₹ 30 प्रति बी0एल0 (2019–20), वर्ष 2019–20 की दुकानो के बे0अ0शु0 पर 10 प्रतिशत की वृद्धि (2020–21) तथा वर्ष 2020–21 की दुकानो के बे0अ0शु0 पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि (2021–22)।

18 अ0शु0/बे0अ0शु0 की जमा की तिथि–28.02.2019 (2019–20), 28.02.2020 (2020–21) तथा 15.03.2021 (2021–22)।

19 प्रतिभूति धनराशि की जमा की तिथि–31.03.2019 (2019–20), दे0म0 व वि0म0 के लिए 20.03.2020 तथा बीयर व मॉडल शॉप के लिए 25.03.2020 (2020–21) तथा 20.03.2021 (2021–22)।

20 प्रतिभूति धनराशि के समपहरण का प्रतिशत–वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में 15 प्रतिशत (दे0म0) तथा 50 प्रतिशत (वि0म0, बीयर व मॉ0शॉ0) तथा वर्ष 2021–22 में 15 प्रतिशत (दे0म0, वि0म0, बीयर व मॉ0शॉ0)।

से 688 अनुज्ञापियों (जाँच की गयी दुकानों का 25.60 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विभागीय अभिलेखों (दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निर्धारित जी–12 रजिस्टर) की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से इसमें जमा की देय तिथि, जमा की वास्तविक तिथि, विलम्ब से जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा इत्यादि की जाँच की और पाया कि दुकानों के व्यवस्थापन के समय अनुज्ञापियों द्वारा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की केवल आंशिक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया गया था। यद्यपि विलम्ब की अवधि एक से 173 दिनों की थी (15 दिनों तक विलम्ब, दुकानें–482, धनराशि ₹ 77.00 करोड़; 16 से 30 दिनों के मध्य विलम्ब, दुकानें–108, धनराशि ₹ 12.67 करोड़; तथा 30 दिनों से अधिक विलम्ब, दुकानें–98, धनराशि ₹ 11.05 करोड़), फिर भी सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आबकारी नियमावली/नीति के अनुसार दुकानों के व्यवस्थापन के निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा में देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 100.72 करोड़ की धनराशि समपहृत नहीं हुई। इस पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा ने उन दुकानों पर आपत्ति उठायी है जहाँ अत्यधिक देरी (30 दिनों से अधिक) पायी गयी। देय धनराशि के जमा में अत्यधिक देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 11.05 करोड़ (नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.19 करोड़, अ0शु0/बे0अ0शु0 ₹ 10.65 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 0.21 करोड़) के समपहरण में विफलता हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XLIV** में दर्शाया गया है।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 21 फरवरी 2023

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 फरवरी FEB 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-I

लेखापरीक्षा नमूना

(ट्रांजिशनल क्रेडिट के असत्यापन के कारण ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना)

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.6)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
1	खण्ड 13 वा0क0 आगरा	ए आर वी सन्स बेवरेजेस एण्ड फूड प्रा0 लि0 आगरा 09AALCA7417P1ZZ	25.12.2017	14,35,402	0	14,35,402
2	खण्ड 1 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	टी जे पावर इलेक्ट्रिकल प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAFCT1878D1Z6	05.12.2017	29,23,432	0	29,23,432
3	खण्ड 1 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	सत्यम रीयल बिल्ड प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAPCS3664L1ZK	27.12.2017	20,90,630	0	20,90,630
4	खण्ड 1 वा0क0 गाजियाबाद	टेमफ्लो सिस्टम्स प्रा0 लि. गाजियाबाद 09AABCT5025C1ZP	26.08.2017	8,97,700	0	8,97,700
5	खण्ड 6 वा0क0 गाजियाबाद	सेफ टावर्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AANCS7813F1Z0	18.11.2017	23,91,681	0	23,91,681
6	खण्ड 6 वा0क0 गाजियाबाद	एस.आर. इन्जीनियर्स गाजियाबाद 09AFVPM9572M1Z6	20.11.2017	11,04,440	0	11,04,440
7	खण्ड 6 वा0क0 गाजियाबाद	वंश इलेक्ट्रानिक्स गाजियाबाद 09AORPT5609K1Z2	27.12.2017	13,25,936	0	13,25,936
8	खण्ड 7 वा0क0 गाजियाबाद	श्री गंगा पेपर मिल्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACS1110J1ZQ	27.12.2017	1,75,438	0	1,75,438
9	खण्ड 8 वा0क0 गाजियाबाद	फर्स्ट प्लम्बिंग प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCF2111P1ZN	07.10.2017	10,42,685	0	10,42,685
10	खण्ड 8 वा0क0 गाजियाबाद	प्रीमियम कम्पोस्टोज इण्डिया प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACCP5349N1ZU	27.12.2017	87,95,832	0	87,95,832
11	खण्ड 8 वा0क0 गाजियाबाद	स्टील इंजीनियरिंग सर्विसेज गाजियाबाद 09APVPK7295R1ZD	20.09.2017	10,81,853	0	10,81,853
12	खण्ड 10 वा0क0 गाजियाबाद	शेप मशीन्स टूल्स प्रा0 लि0 09AAACS1198L1ZY	27.12.2017	22,88,677	0	22,88,677
13	खण्ड 11 वा0क0 गाजियाबाद	इफिमैक इक्यूपमेन्ट्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACCE0602P2ZM	04.12.2017	76,21,660	0	76,21,660

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
14	खण्ड 11 वा0क0 गाजियाबाद	सुपर प्रोवो फार्मा गाजियाबाद 09AFMPM5349H1ZZ	19.12.2017	9,56,046	0	9,56,046
15	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	ईआरए इन्फ्रा इन्जीनियरिंग लि0 गाजियाबाद 09AAACE1268K2ZI	04.12.2017	1,60,59,847	0	1,60,59,847
16	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	राहुल स्टील गाजियाबाद 09ADMPV3306P1ZS	27.12.2017	12,61,502	0	12,61,502
17	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	हिन्डन फोर्ज (पी) लि0 गाजियाबाद 09AAACH4606E1ZX	28.08.2017	21,72,681	0	21,72,681
18	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	ज्योति स्टील्स गाजियाबाद 09AHCPB0066C1Z2	26.12.2017	8,27,828	0	8,27,828
19	खण्ड 18 वा0क0 गाजियाबाद	आर के मेडिसिन्स (पी) लि0 गाजियाबाद 09AAACR9001M1Z7	02.09.2017	1,52,42,929	0	1,52,42,929
20	खण्ड 18 वा0क0 गाजियाबाद	एस वी कम्युनिकेशन गाजियाबाद 09ABIFS8491E1ZN	23.08.2017	18,34,793	0	18,34,793
21	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 I वा0क0 कानपुर	आर के एग्रो ऑयल पी. लि0 कानपुर 09AACCR3250Q1ZY	25.10.2017	48,03,362	0	48,03,362
22	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 I वा0क0 कानपुर	टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लि0 कानपुर 09AABCT1029L1ZA	28.08.2017	7,45,533	0	7,45,533
23	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 कानपुर	मिर्जा इन्टरनेशनल लि0 कानपुर 09AAECM3626M1Z5	27.12.2017	5,63,72,081	0	5,63,72,081
24	खण्ड 5 वा0क0 कानपुर	सिया मेटल्स पी0 लि0 कानपुर 09AACCS5086M1ZR	08.09.2017	9,41,277	0	9,41,277
25	खण्ड 8 वा0क0 कानपुर	खण्डेलवाल एक्सट्रैक्शन्स लि0 कानपुर 09AAACK5505F1ZS	28.09.2017	16,66,063	0	16,66,063
26	खण्ड 9 वा0क0 कानपुर	भगत सिंह एण्ड सन्स (केमिस्ट) कानपुर 09ARXPS9339Q1Z4	20.09.2017	73,63,930	0	73,63,930
27	खण्ड 13 वा0क0 कानपुर	जे के प्लाईवुड प्रोडक्ट्स कानपुर 09AAJFJ8141Q1ZL	30.08.2017	21,63,485	0	21,63,485
28	खण्ड 15 वा0क0 कानपुर	आर. पी. एम. सेल्स कानपुर 09AANFR8203P1ZG	26.12.2017	20,43,571	0	20,43,571
29	खण्ड 16 वा0क0 कानपुर	मार्श इन्टरनेशनल कानपुर 09AACFM4429M1ZY	27.12.2017	9,30,132	0	9,30,132

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
30	खण्ड 17 वा0क0 कानपुर	बालाजी एक्सपोर्ट्स कानपुर 09AHQPK2048B1ZF	27.12.2017	8,74,234	0	8,74,234
31	खण्ड 17 वा0क0 कानपुर	जय बजरंग उद्योग कानपुर 09AAFFJ5383A1ZG	26.12.2017	7,76,520	0	7,76,520
32	खण्ड 17 वा0क0 कानपुर	स्वादिष्ट ऑयल्स प्रा0लि0 कानपुर 09AAECA6774E1ZJ	27.12.2017	28,35,764	0	28,35,764
33	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	नवयुग इन्जीनियरिंग कं0 लि0 कानपुर 09AAACN7396R1ZF	16.10.2017	2,11,57,615	0	2,11,57,615
34	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	जैबुनको इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 कानपुर 09AADCK8892N1ZK	19.12.2017	14,01,677	0	14,01,677
35	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	अलीना इक्जिम कानपुर 09AIZPA3104E1ZG	25.12.2017	16,33,765	0	16,33,765
36	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	श्री उद्योग कानपुर 09AAMFS6312F1Z3	27.12.2017	3,91,720	0	3,91,720
37	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	यूनिटी इन्टरनेशनल कानपुर 09AAEFU3120H1ZD	27.12.2017	11,43,651	0	11,43,651
38	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	कान्टीनेन्टल टैनर्स कानपुर 09AARPH2464A1ZT	13.12.2017	10,40,851	0	10,40,851
39	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	अंकिता कैमरा एण्ड प्रिन्टर्स कानपुर 09AARPG3001A1ZB	26.08.2017	9,79,116	0	9,79,116
40	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	न्यू डायमण्ड लेदर फिनिशर्स कानपुर 09ANVPA1655M1ZH	25.12.2017	8,93,854	0	8,93,854
41	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	लेदर ट्रेन्ड कानपुर 09AAIPI0113Q1ZM	27.12.2017	8,57,804	0	8,57,804
42	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	जेकेईडब्ल्यू फोर्जिंग्स लि0 कानपुर 09AAACJ3439M1Z9	26.12.2017	6,70,644	0	6,70,644
43	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	सिदरा इन्टरनेशनल कानपुर 09BOMPA1231G1ZC	25.12.2017	7,13,053	0	7,13,053
44	खण्ड 21 वा0क0 कानपुर	करामत टैनिंग इण्स्ट्रीज, कानपुर 09AAIFK0330M1ZA	23.12.2017	32,88,787	0	32,88,787
45	खण्ड 21 वा0क0 कानपुर	सुपर लेदर्स कानपुर 09ADCFS7866D1ZQ	27.12.2017	9,11,227	0	9,11,227
46	खण्ड 22 वा0क0 कानपुर	बाबा हैण्डलूम कानपुर 09BBPPS3207J1Z7	27.12.2017	16,19,138	0	16,19,138
47	खण्ड 22 वा0क0 कानपुर	प्रगति ट्रेडिंग कं0 कानपुर 09AARFP2420N1ZR	27.12.2017	14,04,785	0	14,04,785

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
48	खण्ड 22 वा0क0 कानपुर	बालाजी ट्रेडर्स कानपुर 09AYIPM6755A1ZA	15.12.2017	6,30,562	0	6,30,562
49	खण्ड 24 वा0क0 कानपुर	श्रीनाथ बिल्डर्स एण्ड हाउसिंग कं0 प्रा0 लि0 कानपुर 09AAHCS5437P1ZL	27.12.2017	95,42,610	0	95,42,610
50	खण्ड 25 वा0क0 कानपुर	केवीएस इक्जिम इण्डिया प्रा0 लि0 कानपुर 09AABCK5874G1Z9	28.08.2017	12,28,161	0	12,28,161
51	खण्ड 25 वा0क0 कानपुर	पवन कोल एण्ड सन्स कानपुर 09ANYPK8488K1ZN	21.09.2017	6,14,089	0	6,14,089
52	खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	केलर ग्राउण्ड इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0 कानपुर 09AACCK0187B1ZU	26.12.2017	51,30,288	0	51,30,288
53	खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	कुन्दन कास्टिंग्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AAACK5601N1ZE	25.12.2017	15,45,882	0	15,45,882
54	खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	सिगमा कास्टिंग्स लि0 कानपुर 09AAGCS8962C1Z1	27.12.2017	12,11,418	0	12,11,418
55	खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	बजरंग बली इण्डस्ट्रीज कानपुर 09AADFB3160D1ZX	27.12.2017	8,28,611	0	8,28,611
56	खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	शाहपुरी ट्रेडर्स कानपुर 09AFGPS9751R1Z8	27.12.2017	7,07,141	0	7,07,141
57	खण्ड 30 वा0क0 कानपुर	श्री उधवदास सन्स कानपुर 09ABFPK2217H1ZV	18.12.2017	30,41,135	0	30,41,135
58	खण्ड 8 वा0क0 लखनऊ	डिजिटल एज़ रीटेल प्रा0लि0 लखनऊ 09AADCD8136E1ZP	27.12.2017	18,57,710	0	18,57,710
59	खण्ड 11 वा0क0 लखनऊ	बायोलाइफ मेडिकल प्रा0 लि0 लखनऊ 09AAJCS0030L1ZC	25.12.2017	11,83,501	0	11,83,501
60	खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	राज कन्स्ट्रक्शन्स लखनऊ 09BTGPM9612J1Z8	26.08.2017	67,61,455	0	67,61,455
61	खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	रंजीत मेकाट्रॉनिक्स प्रा0लि0 09AAACR7491R1ZF	27.12.2017	23,87,934	0	23,87,934
62	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	सिफी टेक्नोलाजीस लि0 लखनऊ 09AAACS9032R1ZP	10.11.2017	1,19,18,482	0	1,19,18,482

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
63	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	पी.एस.वी.टी. इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 लखनऊ 09AAHCP5566A1ZD	19.11.2017	3,24,154	0	3,24,154
64	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	पिसेसिया पावर ट्रान्समिशन प्रा0 लि0 09AAGCP6469F1Z0	23.12.2017	1,21,38,630	0	1,21,38,630
65	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	शालीमार कार्पो0 लि0 लखनऊ 09AADCS9234L1ZU	15.12.2017	1,15,93,816	0	1,15,93,816
66	खण्ड 1 वा0क0 नोएडा	वैनटेज इन्टीग्रेटेड सेक्युरिटी साल्यूशन्स प्रा0 लि0 09AAACU1717F1ZK	27.12.2017	14,69,846	0	14,69,846
67	खण्ड 3 वा0क0 नोएडा	एटीएस हाउसिंग प्रा0 लि0 नोएडा 09AAKCA6697G1Z3	19.12.2017	99,92,901	0	99,92,901
68	खण्ड 3 वा0क0 नोएडा	एटीएस टाउनशिप प्रा0 लि0 नोएडा 09AAHCA6981C1ZJ	21.12.2017	27,30,243	0	27,30,243
69	खण्ड 3 वा0क0 नोएडा	एटीएस बिल्डलाइन प्रा0 लि0 नोएडा 09AABCT7546A1ZF	13.12.2017	17,33,192	0	17,33,192
70	खण्ड 5 वा0क0 नोएडा	विस्प्रो अल्फा प्रा0 लि0 नोएडा 09AAECS6344J1Z0	15.12.2017	18,10,596	0	18,10,596
71	खण्ड 6 वा0क0 नोएडा	खण्डेलवाल लैमिनेटर्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AAACK0061G1ZX	26.08.2017	36,64,888	0	36,64,888
72	खण्ड 6 वा0क0 नोएडा	सिवटेक प्रोजेक्ट्स (आई) प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCC0488P1Z5	23.12.2017	18,00,567	0	18,00,567
73	खण्ड 6 वा0क0 नोएडा	प्रणव इन्टरप्राइजेस नोएडा 09ADOPG7738A1ZG	27.12.2017	13,82,442	0	13,82,442
74	खण्ड 7 वा0क0 नोएडा	कुशमैन एण्ड वेकफील्ड प्रापर्टी मैनेजमेन्ट सर्विसेज इण्डिया प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCC3657N1Z8	18.12.2017	1,26,15,842	0	1,26,15,842
75	खण्ड 7 वा0क0 नोएडा	ब्राइट सेल्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AAFCB4415Q2Z9	13.10.2017	1,03,18,485	0	1,03,18,485
76	खण्ड 8 वा0क0 नोएडा	एन.एस. एसोसिएट्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AABCN7057J1Z4	22.12.2017	64,70,274	0	64,70,274
77	खण्ड 9 वा0क0 नोएडा	जीवाईटी टीपीएल ज्वाइंट वेन्चर नोएडा 09AACAG1507F1Z4	27.12.2017	77,10,538	0	77,10,538

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../जीसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5 (सी) की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	असत्यापन के कारण अधिक दावा की गई आई0टी0सी0 (₹ में)
78	खण्ड 9 वा0क0 नोएडा	न्याती इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टैन्ट्स नोएडा 09AABPN2601F1Z6	23.12.2017	75,30,158	0	75,30,158
79	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	साइंटिफिक फैसिलटीज प्रा0 लि0 नोएडा 09AATCS7080C1ZX	26.12.2017	20,04,614	0	20,04,614
80	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	अल कासिम एसोसिएट्स नोएडा 09AAZFA9267C1ZU	27.12.2017	19,99,439	0	19,99,439
81	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	डी. पी. गर्ग एण्ड कं0 प्रा0 लि0 नोएडा 09AAACD9787G1Z5	25.01.2019	16,07,960	0	16,07,960
82	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	पेबल्स प्रोलीज प्रा0 लि0 नोएडा 09AAFCP2931B1ZQ	26.12.2017	53,80,187	0	53,80,187
83	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	आयुष ट्रेडिंग मैनुफैक्चरिंग कं0 नोएडा 09AGGPA1733J1ZM	26.12.2017	9,68,224	0	9,68,224
84	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	थ्री प्लेटिनम साफ्टेक प्रा0 लि0 नोएडा 09AADCT3082H1Z8	26.12.2017	24,70,444	0	24,70,444
85	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	भाटी इलेक्ट्रानिक्स नोएडा 09AJGPB1175Q1ZW	04.09.2017	8,95,227	0	8,95,227
86	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	नोबिलिटी इस्टेट्स प्रा0 लि0 09AAECN5591J1ZY	26.12.2017	62,69,637	0	62,69,637
योग				**35,46,25,914**	**0**	**35,46,25,914**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्टि-II

ट्रान–1 के माध्यम से कर निर्धारण आदेशों से अग्रेनीत से अधिक इनुपट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.8.1)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0टी0सी0) (₹ में)
1	खण्ड 1 वा0क0 आगरा	गिर्राज जी स्टोन क्रशर प्रा0 लि0 आगरा 09AAACG6742N2Z5	09.11.2017	44,69,489	उपलब्ध नहीं	41,66,084	3,03,405
2	खण्ड 5 वा0क0 आगरा	पारस ग्लासवेयर प्रा0 लि0 आगरा 09AACCP8075H1Z2	30.11.2017	95,13,043	27,51,488	26,51,488	68,61,555
3	खण्ड 5 वा0क0 आगरा	अशोक आटो सेल्स लि0 आगरा 09AABCA3711C1ZB	23.12.2017	13,67,580	13,67,580	4,70,390	8,97,190
4	खण्ड 13 वा0क0 आगरा	सिंह आटोमोबाइल्स आगरा 09AEBPN4268C1ZL	26.11.2017	6,64,190	उपलब्ध नहीं	0	6,64,190
5	खण्ड 15 वा0क0 आगरा	यू वी ओवरसीज आगरा 09AACFU5476A2Z5	26.10.2017	25,31,750	उपलब्ध नहीं	0	25,31,750
6	खण्ड 15 वा0क0 आगरा	बनी पाली प्लास्ट (इण्डिया) आगरा 09AAEFB2418B1ZI	07.11.2017	7,78,776	उपलब्ध नहीं	3,79,702	3,99,074
7	खण्ड 1 वा0क0 जी बी नगर	किसान पेट्रो आयल प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AADCK0136D1ZO	27.12.2017	74,00,744	74,00,744	0	74,00,744
8	खण्ड 1 वा0क0 जी बी नगर	इल जिन इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAACI8344L1Z6	26.08.2017	11,22,489	11,22,489	0	11,22,489
9	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	सोपान ओ एण्ड एम कम्पनी प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAFCS9163C1Z7	13.10.2017	20,09,191	20,15,689	0	20,09,191
10	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	जितेन्द्र सिंह एसोसिएट्स गाजियाबाद 09AIDPS6293E1ZW	06.11.2017	15,82,572	15,82,527	15,68,420	14,152
11	खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	सेवफैब बिल्डटेक प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAOCS7407E2Z2	09.12.2017	25,23,110	0	0	25,23,110
12	खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	फास्टेक प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCF7986L1ZU	30.10.2017	3,57,51,772	उपलब्ध नहीं	0	3,57,51,772

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0टी0सी0) (₹ में)
13	खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	आमोर इनाक्स लि0 गाजियाबाद 09AAFCA0194B1Z2	29.09.2017	2,42,98,561	2,32,95,685	2,32,69,626	10,28,935
14	खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	सिद्धार्थ मेटल गाजियाबाद 09AFCPJ2680L1Z7	04.11.2017	16,75,143	उपलब्ध नहीं	13,64,097	3,11,046
15	खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	सिद्धोमल पेपर कन्वर्जन कं0 प्रा0 लि0 09AAJCS1600A1ZX	27.12.2017	38,86,096	38,54,066	38,54,066	32,030
16	खण्ड 13 वा0क0 गाजियाबाद	स्टर्लिंग इन्टरनेशनल गाजियाबाद 09ABBPS1976 K1Z4	20.09.2017	27,13,026	7,18,129	20,58,125	6,54,901
17	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	एस आर बी कान्सोर्टियम रीयलकाम प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAQCS6954A1ZZ	26.12.2017	10,75,145	10,75,145	0	10,75,145
18	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	अहलूवालिया कान्ट्रैक्ट्स इण्डिया लि0 गाजियाबाद 09AABCA4304K1ZV	27.12.2017	6,47,57,953	0	0	6,47,57,953
19	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	नन्दिनी बिल्डहोम कान्सोर्टियम प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AADCN6561H1Z8	26.12.2017	58,68,349	1,93,02,814	0	58,68,349
20	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	भवानी स्टील्स गाजियाबाद 09AAAFB7889G1Z2	28.08.2017	9,73,145	2,52,648	0	9,73,145
21	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	विमल आर्गेनिक्स लि0 गाजियाबाद 09AAACV7698G1ZP	07.09.2017	10,67,655	0	2,19,745	8,47,910
22	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	आर पी इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACFR9755M1ZE	14.10.2017	15,42,577	15,38,074	15,38,074	4,503
23	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 कानपुर	रहमान इण्डस्ट्रीज लि0 कानपुर 09AAACR6862N1ZQ	20.11.2017	2,11,60,291	1,96,36,279	1,95,84,121	15,76,170
24	खण्ड 3 वा0क0 कानपुर	प्रसिद्ध कान्टेनर्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AAICP4788K1ZL	17.11.2017	8,84,478	4,59,703	4,59,703	4,24,775
25	खण्ड 6 वा0क0 कानपुर	शाह कार्पोरेशन कानपुर 09BNRPS1332J1ZI	24.08.2017	9,16,724	9,85,502	0	9,16,724

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0टी0सी0) (₹ में)
26	खण्ड 6 वा0क0 कानपुर	वेद साशो मेकानिका (इण्डिया) प्रा0 लि0 कानपुर 09AAACV4747Q1ZK	25.12.2017	6,29,433	0	0	6,29,433
27	खण्ड 6 वा0क0 कानपुर	आल्विन लेदर क्राफ्ट प्रा0 लि0 कानपुर 09AABCA4262C1Z3	20.12.2017	5,92,376	5,88,446	0	5,92,376
28	खण्ड 7 वा0क0 कानपुर	एकूमेन लैमिनेटर्स एलएलपी कानपुर 09ABAFA8330L1ZC	28.08.2017	84,11,411	84,11,411	2,44,970	81,66,441
29	खण्ड 10 वा0क0 कानपुर	कनोडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स कानपुर 09AEIPK9718F1Z6	25.12.2017	9,12,488	0	0	9,12,488
30	खण्ड 10 वा0क0 कानपुर	सोसायटी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AAPCS1765E1Z1	20.11.2017	26,85,002	26,85,002	26,82,616	2,386
31	खण्ड 12 वा0क0 कानपुर	रिषभ इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन कानपुर 09AAUPG4312R1ZI	27.12.2017	9,12,905	8,51,332	8,51,332	61,573
32	खण्ड 12 वा0क0 कानपुर	रामेश्वर प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद कानपुर 09AAHFR2393G1ZY	22.12.2017	53,88,572	53,86,178	53,86,178	2,394
33	खण्ड 14 वा0क0 कानपुर	ट्राइडेण्ट आटो कम्पोनेण्ट प्रा0 लि0 कानपुर 09AABCT0083G1ZH	11.12.2017	9,87,816	9,77,816	9,77,816	10,000
34	खण्ड 15 वा0क0 कानपुर	आर ए प्लास्टिक कानपुर 09AFJPG9381E1Z6	25.08.2017	6,92,954	6,92,954	6,28,708	64,246
35	खण्ड 21 वा0क0 कानपुर	यूनिवर्सल लेदर इण्डस्ट्रीज, कानपुर 09AVXPA6442Q1ZO	18.12.2017	6,56,057	6,95,509	5,72,022	84,035
36	खण्ड 27 वा0क0 कानपुर	आनन्द कोल्ड स्टोरेज कानपुर 09ABFFA8563L1ZW	27.12.2017	7,84,148	5,08,965	5,08,965	2,75,183
37	खण्ड 30 वा0क0 कानपुर	भारत एजेन्सीज कानपुर 09AAKFB8041Q1ZT	27.12.2017	10,66,267	6,830	6,830	10,59,437
38	खण्ड 4 वा0क0 लखनऊ	दी जी सॉ एण्ड मेटल वर्क्स प्रा0 लि0 लखनऊ 09AABCD3687N1Z2	23.08.2017	32,09,177	32,09,177	0	32,09,177

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0टी0सी0) (₹ में)
39	खण्ड 9 वा0क0 लखनऊ	एवरेस्ट इन्फ्रा इनर्जी लि0 लखनऊ 09AABCE7178B1ZO	26.12.2017	76,17,415	उपलब्ध नहीं	72,24,699	3,92,716
40	खण्ड 13 वा0क0 लखनऊ	एडवान्टेज मेडिकल सिस्टम लखनऊ 09AANPA0571D1Z2	27.12.2017	12,50,000	0	0	12,50,000
41	खण्ड 14 वा0क0 लखनऊ	श्री श्याम ट्रेडिंग कं0 09ACNPA2165P1Z7	14.11.2017	7,11,074	2,37,024	2,37,024	4,74,050
42	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	लियोट्रानिक स्केल्स प्रा0 लि0 09AAACL2561J1ZG	24.10.2017	24,03,774	24,03,774	0	24,03,774
43	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	दी क्लाइमेट मेकर्स (सेल्स) लखनऊ 09AAFFT3039B1ZF	27.12.2017	11,75,812	उपलब्ध नहीं	0	11,75,812
44	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	विशाल इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ 09AALFV3189N1Z7	24.11.2017	10,63,039	10,63,039	3,23,231	7,39,808
45	खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	जयश्री एग्रो इण्डस्ट्रीज लखनऊ 09AAHFJ5785G1ZW	26.12.2017	29,44,721	29,44,721	27,44,721	2,00,000
46	खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ	मेट्रो सेल्स कार्पोरेशन लखनऊ 09BGQPK8472B1Z0	23.12.2017	16,07,390	13,02,227	13,02,227	3,05,163
47	खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ	बाबा सिन्थेटिक लखनऊ 09AALFB9797L1ZD	25.08.2017	19,48,392	उपलब्ध नहीं	16,39,950	3,08,442
48	खण्ड 1 वा0क0 नोएडा	गोयल इन्टरप्राइजेज नोएडा 09ABVPG7601H1ZD	25.08.2017	9,44,249	9,44,249	0	9,44,249
49	खण्ड 2 वा0क0 नोएडा	प्रिसीजन इलेक्ट्रानिक्स लि0 नोएडा 09AAACP1441P1Z7	30.10.2017	9,60,822	16,17,276	0	9,60,822
50	खण्ड 4 वा0क0 नोएडा	जे एस एच पैकेजिंग्स नोएडा 09AACFJ5445Q1ZR	25.08.2017	67,88,692	67,88,692	51,358	67,37,334
51	खण्ड 8 वा0क0 नोएडा	सीएलई प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCR7266A1ZF	21.08.2017	4,79,73,321	4,79,73,321	4,32,34,686	47,38,635

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0टी0सी0) (₹ में)
52	खण्ड 9 वा0क0 नोएडा	की स्टोन डेवलपर्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCK1431C1Z3	26.12.2017	16,18,289	उपलब्ध नहीं	0	16,18,289
53	खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	कार्नेल ओवरसीज प्रा0 लि0 नोएडा 09AAACC0034F1ZA	27.12.2017	9,52,078	उपलब्ध नहीं	3,85,850	5,66,228
54	खण्ड 11 वा0क0 नोएडा	एम्बीएंस इन्टीरियर्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AADCA0739Q1ZA	29.11.2017	19,91,095	उपलब्ध नहीं	18,54,988	1,36,107
55	खण्ड 11 वा0क0 नोएडा	जैपसेल रीटेल नोएडा 09AOYPS7890E1ZU	27.12.2017	13,67,128	उपलब्ध नहीं	0	13,67,128
56	खण्ड 12 वा0क0 नोएडा	आईवर्ल्ड बिजनेस सल्यूशन्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AABCI4305A1Z7	27.12.2017	42,76,119	उपलब्ध नहीं	42,49,825	26,294
57	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	यूनीपार्ट्स इण्डिया लि0 नोएडा 09AAACU0454D1ZO	27.12.2017	27,10,813	0	0	27,10,813
58	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	प्रेसीडेंसी इन्फ्राहाइट्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AAGCP5711L1Z4	29.08.2017	3,49,68,949	उपलब्ध नहीं	2,81,47,119	68,21,830
59	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	कमल एण्ड एसोसिएट्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AABCK8424C1ZP	02.12.2017	45,70,002	16,75,784	0	45,70,002
60	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	महर्षि सोलर टेक्नालाजी प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCM0458M1Z7	27.12.2017	25,67,405	0	0	25,67,405
योग				**35,98,73,034**		**16,48,38,756**	**19,50,34,278**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट-III

अन्तिम विरासती विवरणियों से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेनीत किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.8.2)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0 टी0सी0) (₹ में)
1	खण्ड 1 वा0क0 आगरा	आरडीआई होम्स प्रा0 लि0 आगरा 09AAFCR6347F1Z6	27.12.2017	15,14,047	12,33,743	0	2,80,304
2	खण्ड 5 वा0क0 आगरा	मोनार्क फुटवियर आगरा 09AAHFM0091Q1ZR	17.10.2017	41,80,805	2,78,172	2,78,172	39,02,633
3	खण्ड 11 वा0क0 आगरा	पीपीएम इण्डिया आगरा 09AARFP1928P2ZB	27.12.2017	5,80,912	0	0	5,80,912
4	खण्ड 13 वा0क0 आगरा	एन्जेल इन्टरप्राइजेज आगरा 09ACYPJ9170G1ZV	27.12.2017	2,99,602	2,75,111	उपलब्ध नहीं	24,491
5	खण्ड 13 वा0क0 आगरा	ओम कान्स्ट्रक्शन राजू गुप्ता आगरा 09AFMPG5341M1Z2	16.10.2017	7,19,673	4,80,365	उपलब्ध नहीं	2,39,308
6	खण्ड 16 वा0क0 आगरा	श्री राम आशियाना प्रा0 लि0 आगरा 09AANCS3942H1ZY	27.12.2017	1,15,35,725	0	0	1,15,35,725
7	खण्ड 16 वा0क0 आगरा	पारस दास जैन एण्ड सन्स आगरा 09AAHFP9897R1ZQ	31.08.2017	12,02,000	0	उपलब्ध नहीं	12,02,000
8	खण्ड 20 वा0क0 आगरा	गुरू जी इन्जीनियर्स एण्ड कान्सट्रक्शन कं0 आगरा 09ANWPS2887G1ZZ	20.12.2017	14,74,590	11,42,760	0	3,31,830
9	खण्ड 1 वा0क0 जी बी नगर	अमित इन्टरप्राइजेज जी बी नगर 09BRBPB0296A1ZD	25.12.2017	1,03,28,303	0	0	1,03,28,303
10	खण्ड 2 वा0क0 जी बी नगर	एसआरवी टेक्नो इन्जीनियरिंग प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAPCS3676Q1Z6	26.12.2017	9,45,133	0	0	9,45,133
11	खण्ड 3 वा0क0 जी बी नगर	कावेरी टेक्नोबिल्ड प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAFCK5324H1ZI	27.12.2017	13,65,086	13,47,674	0	17,412
12	खण्ड 1 वा0क0 गाजियाबाद	एसएफसी सल्यूशन इण्डिया (सीलिंग) प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACW0019N1Z8	05.09.2017	67,76,942	0	0	67,76,942
13	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	ए के इन्जीनियर्स गाजियाबाद 09AAYFA1337J1Z1	07.12.2017	28,27,784	25,98,070	0	2,29,714
14	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	ट्रेन्चलेस इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCT3284F2Z9	27.12.2017	51,43,079	0	0	51,43,079

क्र.सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0 टी0सी0) (₹ में)
15	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	उत्तम सुक्रोटेक इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCU3958R1ZF	26.12.2017	13,19,324	9,24,812	उपलब्ध नहीं	3,94,512
16	खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	ब्लू स्टार बिल्डटेक प्रा0 लि0 प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACCB7945C1ZP	26.12.2017	13,94,759	13,23,033	0	71,726
17	खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	धनवर्षा बिल्डर्स प्रा0 लि0 09AADCD6622R1Z3	27.12.2017	1,09,20,183	1,09,16,758	0	3,425
18	खण्ड 10 वा0क0 गाजियाबाद	स्टोट्ज गियर्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACS4036M1Z5	04.09.2017	71,29,456	6,49,121	0	64,80,335
19	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	स्पेस केम इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद 09AGDPG7311D1ZU	27.12.2017	27,69,863	4,89,764	0	22,80,099
20	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	शिव स्टील्स गाजियाबाद 09AAWPM1613R1ZV	06.10.2017	8,83,033	8,73,033	0	10,000
21	खण्ड 2 वा0क0 कानपुर	श्री बांके बिहारी फार्मा, कानपुर 09AFLPC4855K1Z2	27.12.2017	8,19,932	5,13,984	0	3,05,948
22	खण्ड 5 वा0क0 कानपुर	नाबको पिग्मेंट्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AADCN4596J1ZW	11.10.2017	18,50,546	18,45,142	0	5,404
23	खण्ड 7 वा0क0 कानपुर	शिवम फ्रैगरेन्सेस कानपुर 09AGEPS3842C1ZF	25.12.2017	11,88,286	11,54,652	11,54,652	33,634
24	खण्ड 11 वा0क0 कानपुर	सिल्वर लाइन फैशन कानपुर 09AJGPK0875Q1ZI	15.11.2017	10,09,059	9,47,914	0	61,145
25	खण्ड 13 वा0क0 कानपुर	गुड–विल टैनर्स कानपुर 09ABOPA5045Q1Z5	25.08.2017	11,99,837	11,96,965	11,99,837	2,872
26	खण्ड 16 वा0क0 कानपुर	नाबको प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AAFCA8426N1Z6	24.08.2017	24,79,186	21,81,530	0	2,97,656
27	खण्ड 17 वा0क0 कानपुर	पवन तनय इन्टरप्राइजेज कानपुर 09BOZPK8504H1Z9	26.12.2017	4,91,157	1,94,386	0	2,96,771
28	खण्ड 18 वा0क0 कानपुर	विशाल इन्टरप्राइजेज कानपुर 09AAJPO0296M1Z3	27.12.2017	4,79,207	4,28,233	उपलब्ध नहीं	50,974

क्र.सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0 टी0सी0) (₹ में)
29	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	सुल्तान टैनर्स कानपुर 09AADFS2681N1ZN	27.12.2017	17,16,266	16,16,768	0	99,498
30	खण्ड 20 वा0क0 कानपुर	एस एस फैशन्स कानपुर 09ACZFS5689L1ZN	30.09.2017	8,81,556	7,04,876	0	1,76,680
31	खण्ड 8 वा0क0 लखनऊ	कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट लखनऊ 09AAAGC0017Q2ZF	26.12.2017	18,98,214	0	0	18,98,214
32	खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	एसकेसी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 लखनऊ 09AABCS2772F1ZC	27.12.2017	1,66,08,549	1,30,90,342	उपलब्ध नहीं	35,18,207
33	खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	सीआईपीईएल लखनऊ 09AAIFC4192K1Z2	30.08.2017	1,08,70,093	94,66,673	0	14,03,420
34	खण्ड 14 वा0क0 लखनऊ	राज मार्केटिंग लखनऊ 09ADHPN3945M1ZY	11.11.2017	7,44,620	3,73,255	0	3,71,365
35	खण्ड 15 वा0क0 लखनऊ	एन पी एस पावर साल्यूशन प्रा0 लि0 लखनऊ 09AADCN3125F1ZQ	21.12.2017	10,31,752	9,10,453	0	1,21,299
36	खण्ड 16 वा0क0 लखनऊ	मेटेक्नो (इण्डिया) प्रा0 लि0 लखनऊ 09AAECM4690F1ZA	11.11.2017	73,70,222	38,60,033	0	35,10,189
37	खण्ड 1 वा0क0 नोएडा	जोन्स लैन्ग लासले प्रापर्टी कान्सल्टैन्ट इण्डिया प्रा0 लि0 नोएडा 09AAACL2089B1ZQ	26.12.2017	69,81,683	0	उपलब्ध नहीं	69,81,683
38	खण्ड 2 वा0क0 नोएडा	पेस टेल सिस्टम्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AAFCP8340L1ZY	08.09.2017	35,98,173	35,83,796	उपलब्ध नहीं	14,377
39	खण्ड 9 वा0क0 नोएडा	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AACCN9505A1ZP	20.09.2017	3,48,36,638	3,34,13,816	0	14,22,822
40	खण्ड 12 वा0क0 नोएडा	जे एण्ड एस वायरलिंक्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AABCJ7521M2Z8	20.09.2017	36,98,931	34,79,706	34,79,706	2,19,225
41	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	आर जी इन्फ्रा बिल्ड प्रा0 लि0 नोएडा 09AADCR0005N1ZG	27.12.2017	1,99,85,114	0	0	1,99,85,114
42	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	स्पिरिट ग्लोबल कान्सट्रक्शन्स प्रा0 लि0 नोएडा 09AAICS2757B1ZC	24.08.2017	14,66,068	0	उपलब्ध नहीं	14,66,068

क्र.सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... /जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 5(सी) की धनराशि (₹ में)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (फार्म XXIV/LII) (₹ में)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावा की गई आई0 टी0सी0) (₹ में)
43	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	एटीएस ड्रीमजोन प्रा0 लि0 नोएडा 09AAFCS0587C1ZD	18.12.2017	37,99,266	0	उपलब्ध नहीं	37,99,266
44	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	त्रिलोक एण्ड एसोसिएट्स नोएडा 09AALPJ3073F1ZO	24.12.2017	40,32,604	0	उपलब्ध नहीं	40,32,604
योग				**20,23,47,258**	**10,14,94,940**		**10,08,52,318**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–IV

लंबित घोषणा पत्रों पर अनियमित अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.8.3)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	ट्रान–1 दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 सारणी 5(c) की धनराशि (₹)	अंतिम विरासती विवरणी में आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	लम्बित घोषणापत्रों की धनराशि (₹)	लम्बित घोषणा पपत्रों में देय कर जिनके लिए आई0टी0सी0 घटाया जाना था (₹)	ट्रान–1 में सकल अनियमित अधिक दावा की गयी आई0टी0सी0 (ट्रान–1 5(सी) की सीमा तक) (₹)
1	खण्ड 3 वा0क0 गाजियाबाद	क्वालिटी ट्रेडर्स गाजियाबाद 09AABFK0304N1ZH	26.12. 2017	11,33,830	11,33,830	10,12,078	40,483	40,483
2	खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	शिवा इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद 09ACEPG2119G1ZZ	26.12. 2017	18,91,671	18,91,671	65,07,603	1,30,151	1,30,151
3	खण्ड 12 वा0क0 कानपुर	भारत स्टील सप्लायर्स कानपुर 09AAIPP6247Q1ZS	26.12. 2017	7,67,644	8,33,596	4,91,73,009	9,83,460	7,67,644
4	खण्ड 15 वा0क0 कानपुर	बजरंग इन्डस्ट्रीज कानपुर 09AAMFB5683Q1ZH	04.09. 2017	11,83,178	11,83,178	95,69,842	2,87,095	2,87,095
5	खण्ड 17 वा0क0 कानपुर	वासु मेट प्लास्ट प्रा0 लि0 कानपुर 09AAECV3055F2ZB	27.12. 2017	20,78,728	20,78,728	1,40,27,456	4,64,974	4,64,974
6	खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	नारायण इण्डस्ट्रीज ग्लोबल लि0 नोएडा 09AABCN7151P1ZX	19.12. 2017	47,37,578	उपलब्ध नहीं	29,97,40,720	3,74,67,590	47,37,578
योग				**1,17,92,629**		**38,00,30,708**	**3,93,73,753**	**64,27,925**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–V

वर्ष 2016–17 से 2017–18 में अधिक आई0टी0सी0 ले आने के कारण ट्रान–1 की सारणी 5(सी) में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.8.4)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 की धनराशि (₹)	क0नि0 वर्ष 2016–17 कर निर्धारण आदेश से अग्रेनीत की गई आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	क0नि0 वर्ष 2017–18 कर निर्धारण आदेश में अग्रेषित करके लाई गई आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	क0नि0 वर्ष 2017–18 में अग्रेषित करके लाई गई अधिक आई0टी0सी0 (₹)	वर्ष 2017–18 से अग्रेषित करके लाई गई अधिक आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	वास्तविक अन्तर (₹)	2017-18 से अग्रेषणीय देय आई0टी0सी0 (₹)	अधिक दावाकृत एवं ट्रान–1 से सीमित आई0टी0सी0 (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8(7–6)	9	10 (9–8)	11	12(5–11)
1	खण्ड वा0क0 कानपुर देहात	नेपच्यून सेल्स कारपोरेशन कानपुर देहात 09AGJPA9427E1ZF	14.09.2017	28,15,449	30,56,972	35,52,770	4,95,798	31,31,854	26,36,056	26,36,056	1,79,393
2	खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	साई डिस्ट्रीब्यूटर्स लखनऊ 09AITPA2345P1ZQ	02.09.2017	27,40,149	1,78,058	3,71,085	1,93,027	27,40,149	25,47,122	25,47,122	1,93,027
3	खण्ड 13 वा0क0 लखनऊ	शारूख फोर्स लखनऊ 09ARBPS2828N1Z8	25.08.2017	11,37,254	6,21,380	12,08,533	5,87,153	11,37,254	5,50,101	5,50,100	5,87,154
योग				**66,92,852**	**38,56,410**	**51,32,388**	**12,75,978**	**70,09,257**	**57,33,279**	**57,33,278**	**9,59,574**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–VI

ट्रान–1 एवं कर निर्धारण आदेश में अन्तर के कारण ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.9.1)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 की धनराशि 6(बी) (₹ में)	वार्षिक विवरणी के अनुसार आई0टी0 सी0 की धनराशि (₹ में)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावाकृत आई0टी0सी0 (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खण्ड 15 वा0क0 आगरा	यूवी ओवरसीज आगरा 09AACFU5476A2Z5	26.10.2017	5,03,718	उपलब्ध नहीं	0	5,03,718
2	खण्ड 9 वा0क0 गाजियाबाद	श्री बांके बिहारी लाल एरोमेटिक्स गाजियाबाद 09ACFFS1816D1ZB	20.12.2017	3,84,886	0	0	3,84,886
3	खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	निपमैन फास्टनर इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACN3215D1ZY	27.09.2017	15,16,945	0	7,33,386	7,83,559
4	खण्ड 14 वा0क0 कानपुर	ट्राइडेण्ट आटो कम्पोनेन्ट्स प्रा0 लि0 कानपुर 09AABCT0083G1ZH	11.12.2017	5,37,322	67,470	4,93,396	43,926
5	खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ	मेट्रो सेल्स कार्पोरेशन लखनऊ 09BGQPK8472B1Z0	23.12.2017	13,02,276	उपलब्ध नहीं	0	13,02,276
6	खण्ड 2 वा0क0 नोएडा	प्रिसीजन इलेक्ट्रानिक्स लि0 नोएडा 09AAACP1441P1Z7	30.10.2017	10,822	0	0	10,822
7	खण्ड 4 वा0क0 नोएडा	जे.एस.एच. पैकेजिंग्स नोएडा 09AACFJ5445Q1ZR	25.08.2017	11,765	0	0	11,765
8	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	सती पालीप्लास्ट प्रा0 लि0 नोएडा 09AAMCS9287L1Z8	26.12.2017	54,79,997	उपलब्ध नहीं	42,81,234	11,98,763
योग				**97,47,731**		**55,08,016**	**42,39,715**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–VII

ट्रान–1 एवं वार्षिक विवरणी में अन्तर के कारण ट्रान–1 की सारणी 6(बी) में पूँजीगत माल का अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.9.2)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 की धनराशि 6(बी) (₹ में)	वार्षिक विवरणी के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावाकृत आई0टी0सी0 (₹ में)
1	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 गाजियाबाद	एलाइड निप्पन प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACA0494M1ZH	28.12.2017	42,16,322	32,87,121	9,29,201
2	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 कानपुर	मिर्जा इन्टरनेशनल लि0 कानपुर 09AAECM3626M1Z5	27.12.2017	1,78,01,776	0	1,78,01,776
3	खण्ड 27 वा0क0 कानपुर	आइरस इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 09AABCH1347K1ZJ	27.12.2017	14,95,157	0	14,95,157
योग				**2,35,13,255**	**32,87,121**	**2,02,26,134**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–VIII

ट्रान–1 में विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण करदाताओं द्वारा पूँजीगत माल की असत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.9.3)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 6(बी) की धनराशि (₹ में)	वार्षिक विवरणी के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹ में)	अधिक दावाकृत आई0टी0सी0 (₹ में)
1	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 I वा0क0 गाजियाबाद	श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि0 गाजियाबाद 09AAACS0229G1ZN	26.12.2017	2,19,44,141	उपलब्ध नहीं	2,19,44,141
2	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 I वा0क0 गाजियाबाद	राठी स्टील एण्ड पावर लि0 गाजियाबाद 09AAACR1435K1ZD	09.10.2017	6,58,446	उपलब्ध नहीं	6,58,446
3	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 गाजियाबाद	अम्बिका स्टील्स लि0 गाजियाबाद 09AAACA9942Q1ZY	04.09.2017	20,07,107	उपलब्ध नहीं	20,07,107
4	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 गाजियाबाद	टाटा स्टील बीएसएल लि0 गाजियाबाद 09AAACB1247M1ZN	07.12.2017	1,27,65,635	उपलब्ध नहीं	1,27,65,635
5	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 गाजियाबाद	शीला फोम लि0 गाजियाबाद 09AAACS0189B1ZM	04.12.2017	52,10,889	उपलब्ध नहीं	52,10,889
6	खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	विशाल पाइप्स लि0 गाजियाबाद 09AAACV3101G1ZR	28.08.2017	20,86,989	उपलब्ध नहीं	20,86,989
7	खण्ड 7 वा0क0 गाजियाबाद	गंगा पेपर मिल्स पी. लि0 गाजियाबाद 09AAACS1110J1ZQ	27.12.2017	12,38,465	उपलब्ध नहीं	12,38,465
8	खण्ड 11 वा0क0 लखनऊ	स्टेलर केबल्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 लखनऊ 09AADCR5387B3Z8	27.12.2017	3,67,080	उपलब्ध नहीं	3,67,080
9	खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	लावा इन्टरनेशनल लि0 नोएडा 09AABCL5987H1Z0	28.08.2017	21,53,144	उपलब्ध नहीं	21,53,144
10	खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	आप्टिमस इलेक्ट्रानिक्स लि0 09AACCO2600H1ZS	26.12.2017	21,72,764	उपलब्ध नहीं	21,72,764
11	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	गन्धर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0 नोएडा 09AACCG4124A1Z7	22.12.2017	1,81,858	उपलब्ध नहीं	1,81,858
12	खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	प्रोडेलिन इण्डिया प्रा0 लि0 नोएडा 09AAACP9581G1Z1	20.09.2017	1,44,495	उपलब्ध नहीं	1,44,495
योग				**5,09,31,013**		**5,09,31,013**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–IX

ट्रान–1 की सारणी 7(बी) में अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.10.1)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 7(बी) की धनराशि (₹)	फार्म XXIV/ फार्म-LII में आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	ट्रान–1 की सारणी 7(बी) की धनराशि का ब्यौरा (₹)	अधिक दावाकृत आई0टी0सी0 (₹)
1	खण्ड 1 वा0क0 जी बी नगर	इल जिन इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAACI8344L1Z6	26.08.2017	54,772	0	0	0	54,772
2	खण्ड 3 वा0क0 जी बी नगर	काइजेन मेटल फार्मिंग पी लि0 जी बी नगर 09AACCK1286B1ZS	22.11.2021	87,531	41,04,652	0	0	87,531
3	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 गाजियाबाद	अम्बिका स्टील्स लि0 गाजियाबाद 09AAACA9942Q1ZY	04.09.2017	6,57,915	0	40,298	0	6,57,915
4	खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	फ्लिपकार्ट इण्डिया प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCF8078M1ZZ	15.09.2017	2,45,65,297	0	0	0	2,45,65,297
5	ज्वा0 कमि0 कार्पो0स0 II वा0क0 कानपुर	मिर्जा इन्टरनेशनल कानपुर 09AAECM3626M1Z5	27.12.2017	2,68,885	16,95,294	0	0	2,68,885
6	खण्ड 29 वा0क0 कानपुर	एच. आई. एग्रो कानपुर 09AMCPK2779G1ZU	25.08.2017	2,96,714	0	0	0	2,96,714
7	खण्ड 30 वा0क0 कानपुर	गोल्डी इलेक्ट्रानिक्स कानपुर 09ADWPR4650E1Z0	24.09.2017	7,00,128	1,69,305	1,69,305	0	7,00,128
8	खण्ड 8 वा0क0 लखनऊ	डिजिटल एज रीटेल प्रा0लि0 लखनऊ 09AADCD8136E1ZP	27.12.2017	1,10,503	18,67,091	0	0	1,10,503
9	खण्ड 13 वा0क0 नोएडा	पेबल्स प्रोलीज प्रा0 लि0 नोएडा 09AAFCP2931B1ZQ	26.12.2017	13,33,778	उपलब्ध नहीं	0	0	13,33,778
योग				**2,80,75,523**			**0**	**2,80,75,523**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–X

ट्रान–1 की सारणी 11 में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे का असत्यापन

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.12)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स.../ जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 की 11 की धनराशि (₹)	धारा 28 (2)(i) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	अधिक दावाकृत आई0टी0सी0 (₹)
1	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	आईवी काउन्टी प्रा0लि0 गाजियाबाद 09AACCI9503M1Z7	25.12.2017	19,86,01,690	0	19,86,01,690
2	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	महागुन (इण्डिया) प्रा0 लि0 09AAACM6572A1ZN	23.12.2017	9,56,48,931	0	9,56,48,931
3	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	गौरसन्स रीएल्टी प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AADCG9947J1ZY	29.11.2017	5,67,26,465	0	5,67,26,465
4	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	नेक्सजेन इन्फ्राकान प्रा0 लि0 09AADCN2095A1ZP	04.11.2017	4,66,28,947	0	4,66,28,947
5	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	गौरसन्स स्पोर्ट्सवुड प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACX0984F1Z6	26.10.2017	4,66,16,061	0	4,66,16,061
6	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	गौरसन्स रीयलटेक प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AADCG9948H1Z2	04.12.2017	3,20,58,248	0	3,20,58,248
7	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	यूपी टाउनशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AABCU5795Q1ZA	29.11.2017	1,48,28,838	0	1,48,28,838
8	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	हेबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACCH6568B1ZK	04.11.2017	1,20,51,255	0	1,20,51,255
9	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	चार्म्स इण्डिया प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAACC6218R1Z7	26.12.2017	61,54,656	0	61,54,656
10	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	गौरसन्स हाई टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AACCG8097J2ZZ	23.12.2017	56,64,308	0	56,64,308
11	खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	दिया ग्रीन सिटी प्रा0 लि0 09AADCD9607N1Z4	27.12.2017	47,28,970	0	47,28,970
योग				**51,97,08,369**	**0**	**51,97,08,369**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–XI

ट्रान–1 में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ पर ब्याज की वसूली न होना

(सन्दर्भ प्रस्तर क्रमांक 2.1.13)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	व्यापारी का नाम मेसर्स... / जीएसटीआईएन	दाखिल करने की तिथि	ट्रान–1 की धनराशि (₹)	ई0क्रे0ले0 / ट्रान–1 की धनराशि (₹)	वैट व्यवस्था में अर्ह आई0टी0सी0 की धनराशि (₹)	अधिक दावाकृत आई0टी0 सी0 (₹)	जमा की गई धनराशि (₹)	ब्याज आरम्भ की तिथि	जमा की तिथि	ब्याज की अवधि (दिनों में)	ब्याज (₹)
1	खण्ड 1 वा0क0 जी बी नगर	टी जे पावर इलेक्ट्रिकल प्रा0 लि0 जी बी नगर 09AAFCT1878D1Z6	30 / 08 / 2017	29,23,432	36,25,033	29,23,432	7,01,601	7,01,601	30 / 08 / 2017	05 / 12 / 2017	98	33,908
2	खण्ड 2 वा0क0 गाजियाबाद	अमित सेल्स कार्पोरेशन प्रा0 लि0 गाजियाबाद 09AAHCA6175A1ZT	20 / 12 / 2017	22,87,607	22,87,607	3,35,741	19,51,866	1,37,506	20 / 12 / 2017	16 / 08 / 2021	1,336	90,596
								18,14,360	20 / 12 / 2017	14 / 01 / 2021	1,122	10,03,913
3	खण्ड 2 वा0क0 कानपुर	अशोक होम्यो फार्मेसी, कानपुर 09AACFA8256C1ZM	24 / 08 / 2017	8,72,052	8,72,052	8,06,321	65,731	65,731	01 / 07 / 2017	26 / 08 / 2021	1,518	49,206
योग				**60,83,091**	**67,84,692**	**40,65,494**	**27,19,198**	**27,19,198**				**11,77,622**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सूचना।

परिशिष्ट–XII

पावती समयान्तर्गत निर्गत न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.7)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	खण्ड–04 आगरा	09AAHCP8395H1ZQ	AA090220081281N/ जुलाई से सितम्बर-2017	आईएनवी आईटीसी	22-02-2020	19-03-2020	11,11,207	12	0	1
		09ALKPM2402P1ZR	AA911190602359/ अप्रैल-18 से मार्च-19	आईएनवी आईटीसी	17-11-2019	11-12-2019	13,79,768	10	0	1
		09AADFR2567C1ZA	AA090120010987E/ अक्टूबर–18 से मार्च–19	आईएनवी आईटीसी	04-01-2020	15-02-2020	39,90,527	28	0	1
2	खण्ड–10 आगरा	09AAECS2543R1ZR	AA0901180156094/ जनवरी–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	18-02-2019	04-04-2019	62,40,638	31	1	0
3	खण्ड–11 आगरा	09EAYPS7968R1ZP	AA0911190576017/ अप्रैल -2018 से मार्च -2019	आईएनवी आईटीसी	16-11-2019	17-12-2019	10,48,948	17	0	1
4	खण्ड–12 आगरा	09AADCH3397P1ZT	AB0911182088226/ अप्रैल से नवम्बर 2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02-02-2019	20-02-2019	59,65,652	4	1	0
		09AADCA3511E1Z7	AA090120085772A/ अप्रैल से दिसम्बर– 2019	आईएनवी आईटीसी	23-01-2020	15-02-2020	35,68,735	9	0	1
5	खण्ड–13 आगरा	09APJPS0636L1ZE	AA090220020718J/ अप्रैल से सितम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	07-02-2020	19-03-2020	10,38,393	27	0	1
6	खण्ड–16 आगरा	09AF0PD1842A1ZU	AA090220004424W/ अपील	एएनवाई ओटीएच	03-02-2020	24-02-2020	2,94,066	7	0	1

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
7	खण्ड–01 अलीगढ़	09AHRPV2162J1ZN	AA0911190982131/ अप्रैल–सितम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	26-11-2019	16-12-2019	18,71,224	6	0	1
8	खण्ड–11 अलीगढ़	09AACCC8663L1Z4	AA090819029491T/ अप्रैल–दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	08-08-2019	16-10-2019	5,14,825	55	1	0
9	खण्ड– 02 जी.बी. नगर	09AAECV8538M1ZJ	AA090220000447S दिसम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	01-02-2020	24-02-2020	37,72,78,242	9	0	1
10	ज्वाइंट कमिश्नर,कॉर्पोरेट सर्किल–I गाज़ियाबाद	09AAZPA1892P1ZR	AA090220022145W / नवम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	07-02-2020	14-03-2020	29,76,161	22	0	1
11	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II गाज़ियाबाद	09AAACP0274E1ZP	AA090819102181A/ सितम्बर–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	31-08-2019	18-09-2019	31,24,899	4	1	0
12	खण्ड–04 गाज़ियाबाद	09AABCU3958R1ZF	AA090220042567E/ जुलाई–सितम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	13-02-2020	19-03-2020	45,97,555	21	0	1
13	खण्ड–06 गाज़ियाबाद	09AAEPR4168E1ZJ	AA090120078206I/ अक्टूबर–दिसम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	22-01-2020	24-02-2020	31,02,440	19	0	1
		09AAEPR4168E1ZJ	AA0911190325175/ जुलाई–सितम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	09-11-2019	14-01-2020	17,77,107	52	0	1
14	खण्ड–13 गाज़ियाबाद	09AHFPK1888G1Z2	AA091219103321M/ जुलाई–2018	आईएनवी आईटीसी	30-12-2019	11-02-2020	11,33,153	29	0	1
		09AHFPK1888G1Z2	AA090120040010B/ सितम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	11-01-2020	15-02-2020	51,08,770	21	0	1
		09ABIFM6673N1ZE	AA091219002347A/ अप्रैल–जून–2019	आईएनवी आईटीसी	02-12-2019	15-01-2020	26,26,725	30	0	1

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	खण्ड–15 गाज़ियाबाद	09AABCA2535N1ZK	AA0908190833356J/ अप्रैल–जून–19	आईएनवी आईटीसी	26-08-2019	24-09-2019	27,36,070	15	1	0
16	खण्ड–17 गाज़ियाबाद	09AAACA2356C1Z5	AB090219272076Y/ फरवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	20-05-2019	10-06-2019	41,69,380	7	0	1
		09AAACA2356C1Z5	AB090119300521K/ जनवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	16-05-2019	10-06-2019	54,04,024	11	0	1
		09AANCA9940K1ZZ	AA091119008622C/ अप्रैल–सितम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	03-11-2019	27-11-2019	23,50,750	10	0	1
17	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–I कानपुर	09AAECP3930F1ZI	AA091219087983H	एएनवाई ओटीएच	25-12-2019	20-01-2020	8,38,176	12	0	1
18	खण्ड–01 कानपुर	09AAGCP5257K1ZX	AA0901201108100/ अप्रैल–18–मार्च–2019	आईएनवी आईटीसी	28-01-2020	18-02-2020	14,22,709	7	0	1
19	खण्ड–05 कानपुर	09AAACU0217G1ZP	AA091219027694W/ जुलाई–सितम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	09-12-2019	14-01-2020	33,34,148	22	0	1
20	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AB09041184255307/ अप्रैल–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	22-11-2018	17-12-2018	32,94,756	11	1	0
		09AAECT2086J1Z0	AC091218377515P/ दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	27-03-2019	18-04-2019	1,47,78,410	8	1	0
		09AAECT2086J1Z0	AC090918430064X/ सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	18-02-2019	19-03-2019	59,16,670	15	1	0
		09AAACB5732D1Z0	AC090918445307K/ सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02-03-2019	28-03-2019	15,05,768	12	1	0
		09AAACB5732D1Z0	AA090318024054G/ मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	10-01-2019	05-03-2019	14,65,441	40	1	0
		09AAACB5732D1Z0	AA090518033726W/ मई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	23-02-2019	28-03-2019	13,77,332	19	1	0

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09AAECT2086J1Z0	AC0906180063154/ जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	01-12-2018	31-12-2018	1,00,23,264	16	1	0
		09AAPFS3422D1Z7	AA091119016884Y/ अप्रैल–जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	05-11-2019	28-11-2019	21,31,421	9	0	1
		09AAFCV1184J1Z0	AA090220082702L/ मई–नवम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	22-02-2020	17-03-2020	17,77,864	10	0	1
21	खण्ड–11 कानपुर	09AAGCM6849N1ZM	AA09012191063 69Z/ अप्रैल–नवम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	31-12-2019	03-03-2020	2,25,02,759	49	0	1
		09AAACM9659A1ZD	AA090220057320T/ जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	17-02-2020	16-03-2020	19,81,766	14	0	1
22	खण्ड–13 कानपुर	09AAECN7476N1ZM	AA090320007024Z/ अप्रैल–18–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	03-03-2020	19-03-2020	23,50,306	2	0	1
		09AAAFE3460A1Z0	AA091019006995X/ जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	02-10-2019	19-03-2020	32,16,020	155	0	1
		09AAAFE3460A1Z0	AA091219083120D/ जुलाई–दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	24-12-2019	23-01-2020	44,85,104	16	0	1
23	खण्ड–23 कानपुर	09ACBPA5119M1ZP	AA090320008008S/ अक्टूबर–दिसम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	03-03-2020	19-03-2020	56,64,573	2	0	1
		09AAACP8108M1Z3	AA091219097892L/ अक्टूबर–दिसम्बर–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	28-12-2019	31-01-2020	65,42,899	20	0	1
		09AAMFP1147R1ZI	AA090220052254P/ अक्टूबर–दिसम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	15-02-2020	12-03-2020	26,20,043	12	0	1
		09AAMFP1147R1ZI	AA091119101782A/ जुलाई–सितम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	27-11-2019	19-12-2019	28,01,169	8	0	1
		09AABCA2315E1Z9/	AA090719079003Y/ जनवरी–मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	25-07-2019	08-11-2019	26,08,729	92	1	0

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09AAACH3614A1Z7	AA0903181580090/ अक्टूबर–मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	30-05-2019	04-07-2019	68,84,723	21	1	0
		09AAIFK0330M1ZA/	AA090619066971K/ जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	24-07-2019	02-11-2019	1,03,34,735	87	1	0
		09AADFE0130C1Z8	AC090318008937Q/ फ़रवरी–मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	22-12-2018	29-01-2019	43,30,905	24	1	0
		09AADFE0130C1Z8	AA0907190292521/ फ़रवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	11-07-2019	19-08-2019	32,63,505	25	1	0
		09AADFE0130C1Z8/	AA0905180036248/ अप्रैल–मई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02-01-2019	29-01-2019	56,42,677	13	1	0
		09AADFE0130C1Z8	AA0907180234442/ जून–जुलाई–2018/	इएक्सपी डब्लूओपी	19-01-2019	01-05-2019	51,96,949	88	1	0
		09AAMFS2765G1ZS	AA090318016879J/ जनवरी–मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	29-01-2019	14-02-2019	26,51,611	2	1	0
		09AADFE0130C1Z8	AB091018302456A/ अक्टूबर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	25-05-2019	14-06-2019	32,48,196	6	1	0
		09AAFCA0132K3ZV	AC090918255048K/ सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	26-12-2018	07-06-2019	23,63,537	149	1	0
		09ACOPF4176A1ZP	AA090719078388B/ दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	17-08-2019	08-11-2019	20,67,042	69	1	0
		09ACOPF4176A1ZP	AA0907190689948/ अक्टूबर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	17-08-2019	08-11-2019	20,19,201	69	1	0
24	खण्ड–22 कानपुर	09AQIPA1127E1ZE	AA091219094101A/ जुलाई–सितम्बर–2019	आईएनवी आईटीसी	27-12-2019	23-01-2020	11,23,470	13	0	1

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	खण्ड–24 कानपुर	09AABCV1734G1ZE	AA0901200878726/ अगस्त–2019	आईएनवी आईटीसी	23-01-2020	15-02-2020	16,76,089	9	0	1
26	खण्ड–26 कानपुर	09BOTPT5937D1Z7	AA090120027568D/ अपील	एएनवाई ओटीएच	08-01-2020	02-03-2020	4,37,658	40	0	1
27	खण्ड–27 कानपुर	09AAECR1354B1ZQ	AA091119049032E/ जून–2019	आईएनवी आईटीसी	14-11-2019	13-12-2019	12,82,600	15	0	1
28	खण्ड–28 कानपुर	09AADFS0013L1ZD	AA0912190083185/ अगस्त–18–मार्च–19	आईएनवी आईटीसी	03-12-2019	19-02-2020	25,84,599	64	0	1
		09ACQPD3380G1ZH	AC090318019003G/ मार्च–18	इएक्सपी डब्लूओपी	04-12-2018	04-01-2019	42,26,146	17	1	0
29	खण्ड–24 लखनऊ	09AABCP4377K1ZZ	AA091019030740G	ईएक्सबी सीएल	10-10-2019	26-12-2019	5,43,011	63	0	1
30	खण्ड–07 लखनऊ	09AABFA6623L1ZD	AA091018071639U/ सितम्बर–2018	ईएक्सबी सीएल	25-10-2018	14-11-2018	62,300	6	1	0
31	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AC090717762436J/ जुलाई–17	इएक्सपी डब्लूओपी	26-10-2018	01-12-2018	26,62,053	22	1	0
		09AACFF3729K1Z8	AC0903193550053/ अप्रैल–18–मार्च–19	आईएनवी आईटीसी	09-06-2019	23-12-2019	60,81,190	183	1	0
		09AABFK4410H1ZN	AB090818216569H/ अगस्त–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	01-12-2018	17-12-2018	37,15,338	2	1	0
		09AACFR5369M1ZK	AA0909191041535/ जुलाई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	27-09-2019	13-12-2019	50,91,579	63	0	1
32	खण्ड–04 मुरादाबाद	09AAAFL3325R1ZY	AA091219001712G/ जून–जुलाई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	02-12-2019	25-01-2020	25,08,553	40	0	1
33	खण्ड–05 मुरादाबाद	09ABJFS9546D1ZQ	AA0910190494360/ जुलाइ–अगस्त–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	15-10-2019	13-12-2019	1,25,33,447	45	0	1

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	विलंबित दिन	प्री–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटोमेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		09AALFM7707P1ZG	AA090220094058B/ अक्टूबर–दिसम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	26-02-2020	13-03-2020	56,64,174	2		1
34	खण्ड–06 मुरादाबाद	09AAMFD0301P1ZC	AA090220100929F/ अक्टूबर–19–जनवरी–20	इएक्सपी डब्लूओपी	27-02-2020	16-03-2020	72,64,155	4	0	1
35	खण्ड–09 मुरादाबाद	09AACFI4178B1ZJ	AA090120110049V/ जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	28-01-2020	15-02-2020	27,36,211	4	0	1
		09AAIFM4603M1Z0	AA0912191074448/ दिसम्बर–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	31-12-2019	07-03-2020	18,56,190	53	0	1
36	खण्ड–10 नोएडा	09AAEFF6444R1ZQ	AB090618871029M/ जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	05-10-2018	25-10-2018	23,67,708	6	1	0
योग							**65,84,68,138**	**2 to 183**	**30**	**46**

परिशिष्ट–XIII

प्रतिदाय आदेश समयान्तर्गत स्वीकृत न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.8)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–आगरा	09AAGFV5465L1ZH	AC090918290423L/26.12.2018/सितम्बर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	11/02/2019	15/02/2019	05/06/2020	77,73,000	7,77,300	421	53,793	2	0
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–आगरा	09AAGFV5465L1ZH	AB0911181701861/26.12.2018/नवम्बर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	11/02/2019	15/02/2019	05/06/2020	85,35,291	8,53,529	421	59,069		
2	खण्ड–09 आगरा	09AAAFK8720B2ZM	AB091218979275J/28.01.2019/दिसम्बर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	28/01/2019	01/02/2019	01/06/2020	19,76,618	1,97,661	431	14,004	1	0
3	खण्ड–10 आगरा	09AAECS2543R1ZR	AA0901180156094/18.02.2019/जनवरी-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	04/04/2019	04/04/2019	04/06/2020	58,69,165	2,26,997	368	13,732	1	0
4	खण्ड–15 आगरा	09AACCH1283P1Z5	AC0903180069215/13.11.2018/जुलाई 17-मार्च-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	15/11/2018	15/11/2018	03/06/2020	37,09,794	3,70,980	507	30,918	2	0
	खण्ड–15 आगरा	09AABCJ7677A1ZH	AA090719015130F/05.07.2019/अप्रैल से जनवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	08/07/2019	08/07/2019	03/06/2020	29,60,928	2,96,092	272	13,239		
5	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल, गोरखपुर	09AAACV8050E1ZD	AB0901193149680/10-06-2019/जनवरी–2019	आईएनवी आईटीसी	27/06/2019	27/06/2019	07/09/2019	34,49,962	34,49,962	13	7,373	1	0

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
6	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173Q1ZF	AA090919009288M/03.09.2019/ मई-2019	इएक्सपी डब्लूओपी	03/09/2019	12/09/2019	03/02/2020	74,32,619	8,41,579	94	13,004	12	0
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AB090518160492X/ 01.10.2018/ मई-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	10/10/2018	10/06/2019	10/06/2019	2,23,35,826	18,36,680	184	55,553		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AB090318954247Q/ 01.10.2018/ मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	10/10/2018	10/10/2018	04/06/2019	3,87,30,523	30,58,003	178	89,478		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AB090718167116S/ 27.10.2018/ जुलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	13/11/2018	13/11/2018	10/06/2019	2,67,62,607	20,11,524	150	49,599		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AB0904184004093/ 01.10.2018/ अप्रैल–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	10/10/2018	10/10/2018	10/06/2019	91,19,064	8,95,074	184	27,073		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AB091018139140I/14.12.2018/ अक्टूबर -2018	इएक्सपी डब्लूओपी	14/12/2018	15/06/2019	15/06/2019	3,81,55,437	30,03,887	124	61,230		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AC0909182629475/ 14.12.2018/ सितम्बर -2018	इएक्सपी डब्लूओपी	14/12/2018	15/06/2019	15/06/2019	2,66,51,439	20,58,455	124	41,959		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAAFN6778L1ZL	AB090218175375U/ 21.02.2019/ फ़रवरी-2018/अंतिम	इएक्सपी डब्लूओपी	21/02/2019	15/06/2019	19/12/2019	71,07,720	5,54,153	242	22,045		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173Q1ZF	AA090919011538R/ 04.09.2019/ जून–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04/09/2019	12/09/2019	03/02/2020	47,67,062	5,84,600	93	8,937		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173Q1ZF	AB0901193043658/ 22.05.2019/ जनवरी-2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04/06/2019	11/06/2019	03/02/2020	60,82,690	7,44,449	185	22,639		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAACR6862N1ZQ	AA0908180003085/ 14.12.2018/ अगस्त–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	14/12/2018	15/06/2019	15/06/2019	2,73,39,756	23,09,468	124	47,075		
	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173Q1ZF	AC090319296871G/ 25.05.2019/ मार्च-2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04/06/2019	11/06/2019	03/02/2020	52,77,673	6,95,489	185	21,150		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
7	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AB0904184255307/22.11.2018/अप्रैल–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	22/11/2018	17/12/2018	25/02/2019	32,94,756	3,16,219	36	1,871	9	
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AC091218377515P/27.03.2019/दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	27/03/2019	18/04/2019	17/06/2019	1,47,78,410	14,77,840	23	5,587		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AC090918430064X/18.02.19/सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	18/02/2019	19/03/2019	20/05/2019	59,16,670	5,91,667	32	3,112		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AB0911182446325/07.03.2019/नवम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	07/03/2019	25/03/2019	25/05/2019	54,42,716	5,44,272	20	1,789		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AA090719062264V/20.07.2019/अप्रैल–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	20/07/2019	29/07/2019	16/10/2019	38,61,418	3,82,542	29	1,824		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AC0906180063154/01.12.2018/जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	01/12/2018	31/12/2018	25/02/2019	1,00,23,264	9,78,910	27	4,345		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AB0901192431739/29.03.2019/जनवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	29/03/2019	18/04/2019	17/06/2019	1,21,38,772	12,13,878	21	4,190		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AA090819098555A/30.08.2019/मई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	30/08/2019	18/09/2019	18/11/2019	1,28,39,048	12,75,241	21	4,402		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	खण्ड–06 कानपुर	09AAACJ3405B1Z6	AA090819022722Z/07-08-2019/ अप्रैल–जून–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	11/09/2019	18/09/2019	18/11/2019	57,59,444	5,74,096	9	849		
	खण्ड–06 कानपुर	09AAECT2086J1Z0	AA091019000529A/01.10.2019/ जून–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	01/10/2019	15/10/2019	10/01/2020	99,32,968	9,93,296	42	6,858	0	1
8	खण्ड–09 कानपुर	09AACCI1944E1ZR	AB0903189744440W/23.10.2018/ जनवरी–मार्च-2018	इएक्सपीडब्लूओपी	23/10/2018	22/11/2018	06/04/2019	1,09,76,266	10,97,627	106	19,126	2	0
	खण्ड–09 कानपुर	09AACCI1944E1ZR	AB0912176422850/09.10.2018/अक्टूबर –दिसम्बर–2017	इएक्सपीडब्लूओपी	09/10/2018	15/10/2018	17/12/2018	85,19,000	8,51,900	10	1,400		
9	खण्ड–13 कानपुर	09AAAFE3460A1Z0	AA091219083120D/24/12/2019 जुलाई–दिसम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	24/12/2019	23/01/2020	29/02/2020	44,85,104	4,48,510	8	590	0	1
10	खण्ड–15 कानपुर	09AACFL9552C1ZA	AA090318107676Y/05.04.2019/ जनवरी–मार्च–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	01/05/2019	12/09/2019	12/09/2019	30,65,749	1,31,649	75	1,623	1	0
	खण्ड–15 कानपुर	09AACFL9552C1ZA	AA091219099703P/28.12.2019/ जुलाई –सितम्बर–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	28/12/2019	17/01/2020	13/07/2020	47,96,687	4,79,669	139	10,960	0	1

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
11	खण्ड–16 कानपुर	09AACFA4441P1Z8	AC090918537247H/28-05-2019/ जुलाई–सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	03/06/2019	14/06/2019	13/08/2019	73,09,526	7,30,953	12	1,442	6	0
	खण्ड–16 कानपुर	09AAVFR7847M1ZY	AA090919025982K/07.09.2019/अप्रैल–मार्च–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	24/09/2019	30/09/2019	10/06/2020	22,03,378	2,20,108	201	7,273		
	खण्ड–16 कानपुर	09AADCA7454Q1Z0	AC090918436583H/23.02.2019/जुलाई–सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	01/03/2019	07/03/2019	06/05/2019	1,63,13,594	16,31,360	7	1,877		
	खप्रण्ड–16 कानपुर	09AADCA7454Q1Z0	AC090318009015D/16.11.2018/फ़रवरी–मार्च–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	17/11/2018	26/11/2018	21/01/2019	1,82,04,542	18,20,454	6	1,796		
	खण्ड–16 कानपुर	09AALCA4722D1ZU	AB0905181740515/27.10.2018/मई–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	30/10/2018	12/11/2018	11/01/2019	29,83,250	2,98,325	14	687		
	खण्ड–16 कानपुर	09AALCA4722D1ZU	AC090918423816H/13-02-2019/ सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	20/02/2019	07/03/2019	06/05/2019	21,44,793	2,14,479	16	564		
	खण्ड–16 कानपुर	09AAACY0486D1ZC	AA090120002757L/02.01.2020/अपील	इएक्सपीडब्लूओपी	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	5,42,976	5,42,976	15	2,008	0	2
	खण्ड–16 कानपुर	09AALCA4722D1ZU	AA0911190523159/15-11-19/ जुलाई–सितम्बर–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	15/11/2019	23/11/2019	23/01/2020	69,38,958	6,93,896	10	1,141		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
12	खण्ड–20 कानपुर	09AACFU1898A1Z4	AA090819017873N/06.08.2019/अप्रैल–जून– 2019	इएक्सपीडब्लूओपी	17/09/2019	20/09/2019	21/12/2019	72,47,887	7,24,789	36	4,289	24	0
	खण्ड–20 कानपुर	09AACFU1898A1Z4	AC0903191320739/05.05.2019/जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	21/05/2019	21/05/2019	18/12/2019	49,48,056	4,94,805	152	12,363		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFC7319F1ZH	AC0903193117241/28.05.2019/मार्च–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	25/07/2019	09/08/2019	19/12/2019	39,83,057	3,82,683	88	5,536		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFC7319F1ZH	AC091218478282S/08.05.2019/दिसम्बर-2018	इएक्सपीडब्लूओपी	25/07/2019	09/08/2019	19/12/2019	31,27,284	3,09,521	88	4,477		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AB090418426945N/26.11.2018/अप्रैल-18	इएक्सपीडब्लूओपी	27/11/2018	27/11/2018	09/08/2019	68,22,385	6,82,239	196	21,981		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFC7319F1ZH	AA090919035984E/10.09.2019/जून-2019	इएक्सपीडब्लूओपी	04/10/2019	09/10/2019	19/12/2019	40,12,352	4,01,236	17	1,121		
	खण्ड–20 कानपुर	09AABFP8582F1ZX	AA090418052779K/16.05.2019/अप्रैल–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	24/06/2019	19/12/2019	20,01,895	2,00,191	121	3,982		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAQFA4221K1ZA	AA091217003720L/31.12.2018/अक्टूबर –दिसम्बर–2017	इएक्सपीडब्लूओपी	08/02/2019	11/02/2019	05/09/2019	45,45,860	4,54,586	150	11,209		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	खण्ड–20 कानपुर	09AABCP7389M1ZL	AA090818091723M/17.05.2019/अगस्त–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	24/06/2019	21/12/2019	22,35,594	2,14,832	123	4,344		
	खण्ड–20 कानपुर	09AABCP7389M1ZL	AA090718077643M/15.05.2019/जुलाई–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	24/06/2019	21/12/2019	23,36,253	2,14,206	123	4,331		
	खण्ड–20 कानपुर	09AFTPM5833K1ZO	AC091218424769K/06.04.2019/अक्टूबर–दिसम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	24/06/2019	19/12/2019	39,53,893	3,61,538	121	7,191		
	खण्ड–20 कानपुर	09AABCP7389M1ZL	AC090918538391L/30.05.2019/सितम्बर-2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	24/06/2019	21/12/2019	29,59,543	2,94,017	123	5,945		
	खण्ड–20 कानपुर	09AABFP8582F1ZX	AC090918535891E/24.05.2019/जुलाई–सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	22/06/2019	25/06/2019	19/12/2019	35,92,259	3,57,791	121	7,117		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AB090518191075U/26.11.2018/मई–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	27/11/2018	27/11/2018	09/08/2019	72,55,845	7,21,903	196	23,259		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AB091217626907Q/03.09.2018/दिसम्बर–2017	इएक्सपीडब्लूओपी	19/09/2018	20/09/2018	31/12/2018	59,32,130	5,87,078	44	4,246		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAACH3613H1ZU	AB0901181573451/13.09.2018/जनवरी–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	14/02/2019	14/02/2019	05/09/2019	83,25,106	7,18,089	144	16,998		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AA090718007011J/28.12.2018/जुलाई–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	29/12/2018	29/12/2018	09/08/2019	53,64,452	5,36,445	164	14,462		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AA090919002890W/02.09.2019/जून–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	27/09/2019	28/09/2019	21/12/2019	19,33,169	1,81,443	26	775		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AA0909190022544/02.09.2019/अप्रैल–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	27/09/2019	28/09/2019	21/12/2019	29,40,167	2,94,016	26	1,257		
13	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AC090918293743A/28.12.2018/सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	29/12/2018	29/12/2018	09/08/2019	38,64,582	3,86,459	164	10,419		
	खण्ड–20 कानपुर	09AJDPA8238Q1ZQ	AB0912176301848/12.09.2018/दिसम्बर–2017	इएक्सपीडब्लूओपी	15/09/2018	15/09/2018	31/12/2018	20,69,062	2,05,874	48	1,624		
	खण्ड–20 कानपुर	09AAFFA0253J1ZN	AB0902181345254/22.09.2018/फ़रवरी-2018	इएक्सपीडब्लूओपी	03/10/2018	12/10/2018	31/12/2018	39,23,996	3,90,103	30	1,924		
	खण्ड–20 कानपुर	09AACFU1898A1Z4	AC0909182747871/19.12.2018/अप्रैल–सितम्बर-2018	इएक्सपीडब्लूओपी	23/01/2019	23/01/2019	14/05/2019	2,51,94,072	25,19,408	52	21,536		
14	खण्ड–21 कानपुर	09AABCA2315E1Z9	AA090719079003Y/25.07.2019/जनवरी–मार्च–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	27/08/2019	08/11/2019	26/11/2019	26,08,729	2,60,872	32	1,372		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	खण्ड–21 कानपुर	09AAIFK0330M1ZA	AA090619066971K/25.06.2019/ जनवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	24/07/2019	02/11/2019	07/12/2019	1,03,34,735	10,31,492	77	13,056		
	खण्ड–21 कानपुर	09AADFE0130C1Z8	AA0907190292521/10.07.2019/फ़रवरी–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	11/07/2019	19/08/2019	24/10/2019	32,63,505	3,26,349	46	2,468		
	खण्ड–21 कानपुर	09AAMFS2765G1ZS	AA0903180168790/06.01.2019/जनवरी–मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	29/01/2019	14/02/2019	12/07/2019	26,51,611	2,65,160	105	4,577		
	खण्ड–21 कानपुर	09ACOPF4176A1ZP	AA090719078388B 25.07.2019/ दिसम्बर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	17/08/2019	08/11/2019	26/11/2019	20,67,042	1,84,754	42	1,276		
	खण्ड–21 कानपुर	09ACOPF4176A1ZP	AA0907190689948/23.07.2019/ अक्टूबर- 2018	इएक्सपी डब्लूओपी	16/08/2019	08/11/2019	26/11/2019	20,19,201	1,74,418	43	1,233		
	खण्ड–21 कानपुर	09AADFE0130C1Z8	AA0911190438150/13.11.2019/अप्रैल–मई– 2019	इएक्सपी डब्लूओपी	13/11/2019	21/11/2019	22/01/2020	51,12,637	10,15,970	11	1,837	0	1
15	खण्ड–26 कानपुर	09AKJPK0024H2ZE	AA090318040718Y/23.01.2019/जनवरी–मार्च–2018	आईएनवी आईटीसी	23/01/2019	13/03/2019	07/09/2019	13,78,113	1,37,811	168	3,806	2	0
	खण्ड–26 कानपुर	09ACZFS6900Q1ZX	AC090319068125X/01/05/2019/ मार्च–2019	एएनवाई ओटीएच	04/05/2019	29/06/2019	07/09/2019	16,12,821	1,61,281	67	1,776		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
16	खण्ड–28 कानपुर	09ACQPD3380G1ZH	AB091118299108R/05.06.2019/नवम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	17/06/2019	22/06/2019	14/11/2019	60,04,525	5,86,733	91	8,777	4	0
	खण्ड–28 कानपुर	09ACQPD3380G1ZH	AC090318019003G/04.12.2018/मार्च–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	03/01/2019	04/01/2019	11/10/2019	42,26,146	4,22,614	222	15,423		
	खण्ड–28 कानपुर	09ACQPD3380G1ZH	AA090618096361T/21.02.2019/जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	01/03/2019	02/03/2019	17/10/2019	43,34,347	4,33,434	171	12,184		
	खण्ड–28 कानपुर	09ACQPD3380G1ZH	AA0907180461821/22.02.2019/जुलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	01/03/2019	02/03/2019	17/10/2019	47,54,457	4,75,446	171	13,365		
17	खण्ड–09 लखनऊ	09AAEFM1220G2ZP	AA090719082241Z/26-07-2019/अन्य श्रेणी	एएनवाई ओटीएच	31/07/2019	02/08/2019	09/01/2020	15,44,000	15,44,000	103	39,213	1	0
18	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AC090717762436J/22.10.2018/जूलाई–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	26/10/2018	01/12/2018	08/12/2019	26,62,053	1,30,795	349	7,504	20	0
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AB090817476325L/30.10.2018/अगस्त– 2017	इएक्सपी डब्लूओपी	03/12/2018	04/12/2018	08/12/2019	68,61,089	1,97,836	311	10,114		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AA090818011213D/31-12-2018/अगस्त–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02/01/2019	04/01/2019	01/04/2019	64,57,300	6,45,732	30	3,184		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AA0907180058032/ 24-12-2018/ जूलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	31/12/2018	01/01/2019	03/04/2019	55,99,649	5,59,967	34	3,130		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AA090618008808R/ 23-12-2018/ जून–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	31/12/2018	01/01/2019	01/04/2019	67,33,150	6,73,317	32	3,542		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AACFR5369M1ZK	AA090919005077X/ 02-09-2019/ जून–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04/09/2019	12/09/2019	08/12/2019	56,76,815	5,67,681	36	3,359		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AGEPA3415B1Z6	AA0908190817886/ 26-08-2019/ अप्रैल–2018–मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	26/08/2019	29/08/2019	20/11/2019	27,42,195	2,74,221	27	1,217		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AB090418427256X/ 27-11-2018/ अप्रैल -2018	इएक्सपी डब्लूओपी	05/12/2018	05/12/2018	03/04/2019	76,52,281	7,65,227	60	7,547		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAJFV0634Q2ZI	AA090518000202P/ 14-12-2018/ मई-2018		17/12/2018	18/12/2018	03/04/2019	82,32,078	8,23,209	48	6,495		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAAFZ0390A1ZG	AB0907182040829/ 06-12-2018/ जुलाई– 2018	इएक्सपी डब्लूओपी	27/12/2018	06/01/2019	12/06/2019	32,95,831	3,29,584	108	5,851		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAAFZ0390A1ZG	AC0909182908647/ 26-12-2018/ सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	27/12/2018	06/01/2019	12/06/2019	39,33,095	3,93,311	108	6,983		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09ACGFS1577E1ZY	AA090618059316T/27-01-2019/अप्रैल–जून 2018	इएक्सपीडब्लूओपी	27/01/2019	02/02/2019	30/04/2019	23,06,721	2,30,673	34	1,289		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAEFR2511F1ZJ	AA090718076098K/04-05-2019/जुलाई–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	09/05/2019	13/05/2019	13/09/2019	26,45,349	2,64,535	68	2,957		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAEFR2511F1ZJ	AA090418048799E/10-04-2019/अप्रैल–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	30/04/2019	07/05/2019	13/09/2019	36,03,545	3,60,355	77	4,561		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAAFE3932D1ZT	AB0910182318419/30-01-2019/अक्टूबर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	05/02/2019	11/02/2019	15/06/2019	29,49,858	3,07,069	71	3,584		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAAFE3932D1ZT	AA090619044237W/18-06-2019/जनवरी–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	20/06/2019	28/06/2019	15/10/2019	30,75,158	3,07,515	58	2,932		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AABFK4410H1ZN	AB090818216569H/29-11-2018/अगस्त–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	01/12/2018	17/12/2018	07/02/2019	37,15,338	3,71,535	9	550		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AAQFA7387N1ZF	AC090918300138X/02-01-2019/सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	09/01/2019	15/01/2019	13/03/2019	40,28,496	4,02,850	4	265		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AACFF3729K1Z8	AC0903193550053/09-06-2019/अप्रैल–2018–मार्च–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	10/06/2019	23/12/2019	23/12/2019	60,81,190	6,08,120	137	13,695		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09AASFR2926A1Z4	AB091118217142H/09-02-2019/नवम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	29/05/2019	01/06/2019	08/12/2019	21,68,833	1,90,600	134	4,198		
	खण्ड–01 मुरादाबाद	09BNWPM2708R1ZX	AA091219035667T/11-12-19/अप्रैल–सितम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	11/12/2019	24/12/2019	20/02/2020	31,95,746	3,19,575	12	630	0	1
19	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AADFP8382M1ZI	AB090618973250U/06-11-18/जून-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	13/11/2018	19/11/2018	16/01/2019	61,40,899	6,14,090	5	505	6	0
	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AALFM7707P1ZG	AA090919056844F/16-09-2019/जुलाई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04/10/2019	09/10/2019	04/12/2019	52,73,308	5,27,331	2	173		
	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AAAFE8217D2ZO	AB090118176964M/04-12-2018/जनवरी–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	18/01/2019	28/01/2019	28/03/2019	21,85,893	2,18,590	10	359		
	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AADFP8382M1ZI	AC090918251029O/07-12-2018/सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	12/12/2018	15/12/2018	12/02/2019	71,47,404	7,14,740	3	352		
	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AADFP8382M1ZI	AB090518180765K/01-11-2018/मई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	13/11/2018	19/11/2018	16/01/2019	66,72,762	6,67,276	5	548		
	खण्ड–05 मुरादाबाद	09AALFM7707P1ZG	AB090718200942Z/30-11-2018/जुलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	06/12/2018	10/12/2018	07/02/2019	25,34,966	2,53,497	4	167		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
20	खण्ड–06 मुरादाबाद	09AAMFD0301P1ZC	AB090917942519D/30-11-2018/सितम्बर-2017	इएक्सपी डब्लूओपी	03/01/2019	15/01/2019	26/07/2019	20,89,556	94,111	145	2,243	2	0
	खण्ड–06 मुरादाबाद	09AAMFD0301P1ZC	AC091218430589O/10-04-2019/दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	26/04/2019	09/05/2019	13/12/2019	24,63,280	2,46,328	172	6,965		
	खण्ड–06 मुरादाबाद	09AAMFD0301P1ZC	AA091219045988H/14-12-2019/जून–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	14/12/2019	20/12/2019	18/06/2020	18,76,130	1,87,613	128	3,948	0	1
21	खण्ड–07 मुरादाबाद	09AACFB5825G1ZK	AB090817472421V/27-09-2018/अगस्त–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	05/10/2018	09/10/2018	19/02/2019	27,22,063	1,07,701	78	1,381	2	0
	खण्ड–07 मुरादाबाद	09AACFB5825G1ZK	AB090917920633R/29-09-2018/सितम्बर–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	05/10/2018	09/10/2018	19/02/2019	33,32,227	1,36,879	78	1,755		
	खण्ड–07 मुरादाबाद	09AAEFS7106H1Z5	AA0912190088531/03-12-2019/मई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	03/12/2019	19/12/2019	27/02/2020	18,58,011	1,85,801	27	825	0	2
	खण्ड–07 मुरादाबाद	09ABOFA4157B1ZI	AA091119089868B/24-11-2019/जून–जुलाई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	24/11/2019	11/12/2019	29/01/2020	33,97,805	6,79,561	7	782		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
22	खण्ड–09 मुरादाबाद	09ACXFS5839C1ZG	AB091018231225F/30-01-2019/अक्टूबर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	25/02/2019	25/02/2019	28/05/2019	44,87,952	8,12,343	33	4,407	8	0
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09AAGCA0012R1ZN	AB091217648596L/23-10-2018/दिसम्बर–2017	इएक्सपी डब्लूओपी	26/10/2018	26/10/2018	25/07/2019	25,27,925	1,32,085	213	4,625		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09ACXFS5839C1ZG	AA090718012530C/04-01-2019/जुलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	21/01/2019	21/01/2019	28/05/2019	22,70,683	4,29,995	68	4,807		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09ACXFS5839C1ZG	AA0908191004650/31-08-2019/मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	26/09/2019	26/09/2019	18/12/2019	24,77,635	2,47,763	24	977		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09AABCP4126C1ZT	AB090118177489J/08-12-2018/जनवरी–2018	आईएनवी आईटीसी	15/12/2018	15/12/2018	14/05/2019	46,65,341	4,66,534	91	6,979		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09AAMFS3428E1Z2	AB090718202786P/04-12-2018/जुलाई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02/01/2019	02/01/2019	07/05/2019	20,73,049	2,24,066	66	2,431		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09AAGCA0012R1ZN	AB0902181514726/04-12-2018/फ़रवरी–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	04/12/2018	04/12/2018	25/07/2019	20,43,606	1,43,028	174	4,091		
	खण्ड–09 मुरादाबाद	09ACXFS5839C1ZG	AB090518184846E/11-11-2018/मई–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	13/12/2018	13/12/2018	28/05/2019	42,21,156	4,22,116	107	7,425		

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअल फाइलिंग के मामलें में प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जीएसटी/आर.एफ.डी. 06 में आदेश जारी करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय धनराशि समयान्तर्गत स्वीकृत न होना	दिनों में विलम्ब की अवधि	देय ब्याज का विभाग द्वारा भुगतान न किया जाना 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से	प्री–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
23	खण्ड–10 मुरादाबाद	09AFHPB7862H1Z9	AA090819051817J/17-08-2019/अप्रैल–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	17/08/2019	26/08/2019	07/12/2019	20,62,202	2,06,221	53	1,797	1	0
	खण्ड–10 मुरादाबाद	09AAGFF0820M1ZE	AA091219058448Q/18-12-2019/जुलाई–सितम्बर–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	18/12/2019	31/12/2019	22/06/2020	21,58,852	5,12,689	128	10,788	0	1
24	खण्ड–03 नोएडा	09AAAFT2687G1ZY	AA090718055577J/19.03.2019/जुलाई–2018	ईएक्सबीसीएल	25/03/2019	25/03/2019	04/01/2020	66,14,335	6,61,434	226	24,573	2	0
	खण्ड–03 नोएडा	09AAAFX1751H1Z5	AB091218697580N/21.01.2019/दिसम्बर–2018	ईएक्सबीसीएल	22/02/2019	22/02/2019	25/02/2020	4,60,000	46,000	309	2,337		
25	खण्ड–04 नोएडा	09AAAPS5873P1ZT	AC0909183987830/30.01.2019/जुलाई–सितम्बर–2018	इएक्सपीडब्लूओपी	15/02/2019	15/02/2019	29/05/2020	27,58,570	2,75,858	410	18,592	1	0
26	खण्ड–01 प्रयागराज	09AAGCB9962P1ZP	AA0911191016294/अप्रैल–18–मार्च–19/27.11.2019	आईएनवीआईटीसी	27/11/2019	07/01/2020	02/03/2020	2,36,90,054	2,36,90,054	37	1,44,087	0	1
योग								**80,08,10,665**	**8,77,25,671**	**2 to 507 days**	**13,99,439**	**110**	**12**

परिशिष्ट–XIV

अनन्तिम प्रतिदाय समयान्तर्गत स्वीकृत न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.9)

क्रम. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअली दावाकृत प्रतिदाय के प्रकरणों में आवेदन करने का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 04 में प्रोविजनल प्रतिदाय स्वीकृत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रोविजनल प्रतिदाय की धनराशि जिसे समयान्तर्गत स्वीकृत नहीं किया गया	विलंबित दिन (8–7)–7 दिन +1	प्री–ऑटो–मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो–मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	खण्ड–01 आगरा	09AABFK0897 L1ZV	AA090619073233Z/ 27.06.2019/ फ़रवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	01-07-2019	01-07-2019	13-08-2019	55,97,364	50,08,486	37	1	0
2	खण्ड–09 आगरा	09AAAFK8720 B2ZM	AA0908190510814/ 17.08.2019/मई–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	17-08-2019	22-08-2019	12-09-2019	20,02,074	18,01,866	15	1	0
3	खण्ड–12 आगरा	09AABCH3397 P1ZT	AB0911182088226/ 02.02.2019/अप्रैल–2018 –नवम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	02-02-2019	20-02-2019	11-03-2019	59,65,652	50,49,851	13	1	0
4	खण्ड–15 आगरा	09AACCH1283 P1Z5	AC0903180069215/ 13.11.2018/जुलाई–17 मार्च–18	इएक्सपी डब्लूओपी	15-11-2018	15-11-2018	23-11-2018	37,09,794	33,38,814	2	1	0
	खण्ड–15 आगरा	09AABCJ7677A 1ZH	AA090719015130F/ 05.07.2019/अप्रैल–18 –जनवरी–19	इएक्सपी डब्लूओपी	05-07-2019	08-07-2019	25-07-2019	29,60,928	26,64,836	11	1	0
5	ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAAFN6778 L1ZL	AB090218175375U/ 21.02.2019/ फ़रवरी–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	21-02-2019	15-06-2019	05-07-2019	71,07,720	49,91,045	14	**1**	**0**

क्रम. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	मैनुअली दावाकृत प्रतिदाय के प्रकरणों में आवेदन करने का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 02 में पावती निर्गत करने का दिनांक	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 04 में प्रोविजनल प्रतिदाय स्वीकृत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रोविजनल प्रतिदाय की धनराशि जिसे समयान्तर्गत स्वीकृत नहीं किया गया	विलंबित दिन (8–7)–7 दिन +1	प्री–ऑटो–मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या	पोस्ट–ऑटो–मेशन प्रकरणों में आपत्तियों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173 Q1ZF	AA090919011538R/ 04.09.2019/ जून–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	04-09-2019	12-09-2019	22-10-2019	47,67,062	41,82,460	34	**1**	**0**
	ज्वाइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट सर्किल–II कानपुर	09AAOFS0173 Q1ZF	AC090319296871G/ 25.05.2019/ मार्च–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	25-05-2019	11-06-2019	05-07-2019	52,77,673	45,82,184	18	**1**	**0**
6	खण्ड–06 मुरादाबाद	09AAMFD0301 P1ZC	AA091219047087Z/ 14.12.2019/ सितम्बर–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	लागू नहीं	17-12-2019	27-12-2019	18,64,661	16,78,195	4	**0**	**1**
7	खण्ड–12 नोएडा	09AAACG036I KIZP	AB091018251282B/ 19.02.2019/ अक्टूबर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	19-02-2019	19-02-2019	18-04-2019	56,56,257	50,90,631	52	**1**	**0**
	खण्ड–12 नोएडा	09AAACT5951 C1ZF	AA091217017322J/ 14.01.2019/ अक्टूबर से दिसम्बर-2017	इएक्सपी डब्लूओपी	14-01-2019	18-02-2019	02-03-2019	1,69,08,019	1,52,17,217	6	**1**	**0**
योग										**2 to 52**	**10**	**1**

परिशिष्ट–XV

अनन्तिम प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.10)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 04 में प्रोविजनल प्रतिदाय स्वीकृत करने का दिनांक	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	कर–प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय की धनराशि			अनियमित रूप से स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय की धनराशि (9+10+11)
							आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	खण्ड–03 नोएडा	09AAAFT2687G1ZY	AA090718055577J/19.03.2019/ जुलाई–2018	एक्सएसपीएवाई	16.04.2019	66,14,335	59,52,901	0	0	59,52,901
		09AAAFX1751H1Z5	AB091218697580N/ 21.01.2019/ दिसम्बर–2018	एएनवाई ओटीएच	15.05.2019	4,60,000	90,000	1,62,000	1,62,000	4,14,000
2	खण्ड–05 नोएडा	09AAACU0217G1ZP	AA0903180622752/ 01.03.2019/जनवरी–मार्च– 2018	आईएनवी आईटीसी	06.05.2019	34,35,540	0	15,45,993	15,45,993	30,91,986
योग						**1,05,09,875**				**94,58,887**

परिशिष्ट–XVI

सेवा और पूंजीगत वस्तुओं पर अर्जित आई.टी.सी. को प्रतिदाय में शामिल कर लिया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.11)

क्र. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	ए.आर.एन. दाखिल करने का दिनांक	आर.एफ.डी. 01 में दाखिल विवरण					आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय			आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय			विभाग द्वारा स्वीकृत कुल प्रतिदाय (12+13+14+15+16+17)	प्रतिदाय जिसमे सेवा और पूंजीगत वस्तुओं की इनपुट को शामिल कर लिया गया	लेखा–परीक्षा में आगणित नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस के आधार पर प्रतिदाय अनुमन्य था (10-19)	लेखा–परीक्षा में आगणित प्रतिदाय (8*20/9)	लेखा–परीक्षा में आगणित अधिक अनुमन्य किया गया प्रतिदाय (18-21)	आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रति–दाय का दिनांक	लेखा–परीक्षा का दिनांक	दिनों की संख्या (24-23)	ब्याज की धनराशि @ 18% प्रति वर्ष (22*0.18*25/365)
						जीरो रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर	एडज स्टेड कुल टर्नओवर	इनवर्टेड रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर	प्रतिदाय के विरूद्ध दावा किया गया नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	खण्ड–06 गाज़ियाबाद	09AAEPR4168E1ZJ	AA090320055871C/19.03.2020/अप्रैल –जून-2019	आईएनवी आईटीसी	19.03.2020	4,41,78,963	5,22,90,476	22,08,948	50,13,202	20,26,585	0	0	0	10,20,430	5,03,078	5,03,077	20,26,585	3,23,499	46,89,703	17,53,269	2,73,316	08.07.2020	24.07.2021	381	51,353
	खण्ड–06 गाज़ियाबाद	09AAEPR4168E1ZJ	AA091119032517 5/09.11.2019/जुलाई –सितम्बर–2018	आईएनवी आईटीसी	09.11.2019	7,35,01,164	7,82,46,024	36,75,058	58,04,129	17,77,107	0	0	0	17,77,107	0	0	17,77,107	93,578	57,10,551	16,89,204	87,903	03.02.2020	17.07.2021	530	22,975

क्र. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	ए.आर.एन. दाखिल करने का दिनांक	आर.एफ.डी. 01 में दाखिल विवरण					आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय			आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय			विभाग द्वारा स्वीकृत कुल प्रतिदाय (12+13+14+15+16+17)	प्रतिदाय जिसमे सेवा और पूंजीगत वस्तुओं की इनपुट को शामिल कर लिया गया	लेखा–परीक्षा में आगणित नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस के आधार पर प्रतिदाय अनुमन्य था (10-19)	लेखा–परीक्षा में आगणित प्रतिदाय (8*20/9)	लेखा–परीक्षा में आगणित अधिक अनुमन्य किया गया प्रतिदाय (18-21)	आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रति–दाय का दिनांक	लेखा–परीक्षा का दिनांक	दिनों की संख्या (24-23)	ब्याज की धनराशि @ 18% प्रति वर्ष (22*0.18*25/365)
						जीरो रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर	एडजस्टेड कुल टर्नओवर	इनवर्टेड रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर	प्रतिदाय के विरूद्ध दावा किया गया नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	खण्ड–08 गाज़ियाबाद	09AABCD5880F1ZK	AA091219053986L/अगस्त 2019 – अक्टूबर-2019	आईएनवी आईटीसी	17.12.2019	2,28,68,247	2,28,68,247	11,43,412	23,68,755	12,25,342	0	0	0	8,95,015	2,62,353	67,974	12,25,342	14,325	23,54,430	12,11,018	14,324	20.12.2019	12.08.2021	601	4,246
3	खण्ड–03 जी.बी.नगर	09AAFCD8675A1ZJ	AC090918526255N / 04.05.2019/ जुलाई – सितम्बर-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	04.05.2019	11,85,36,661	28,69,92,617	0	98,77,624	40,79,758	0	15,16,892	21,54,889	0	1,68,543	2,39,432	40,79,756	59,721	98,17,903	40,55,092	24,664	23.12.2019	05.07.2021	560	6,811
4	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–बी, नोएडा	09AACCR0787L1ZW	AA090919065846A/18.09.2018/अक्टूबर – दिसम्बर-2017	इएक्सपी डब्लूओपी	18.09.2019	125,96,58,420	126,27,78,511	0	1,41,85,102	1,41,50,053	91,52,972	17,91,038	17,91,038	10,16,997	1,99,004	1,99,004	1,41,50,053	1,15,500	1,40,69,602	1,40,34,839	1,15,214	07.12.2019	28.07.2021	599	34,034

क्र. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	ए.आर.एन. दाखिल करने का दिनांक	आर.एफ.डी. 01 में दाखिल विवरण					आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय			आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय			विभाग द्वारा स्वीकृत कुल प्रतिदाय (12+13+14+15+16+17)	प्रतिदाय जिसमे सेवा और पूंजीगत वस्तुओं की इनपुट को शामिल कर लिया गया	लेखा–परीक्षा में आगणित नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस के आधार पर प्रतिदाय अनुमन्य था (10-19)	लेखा–परीक्षा में आगणित प्रतिदाय (8*20/9)	लेखा–परीक्षा में आगणित अधिक अनुमन्य किया गया प्रतिदाय (18-21)	आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रति–दाय का दिनांक	लेखा–परीक्षा का दिनांक	दिनों की संख्या (24-23)	ब्याज की धनराशि @ 18% प्रति वर्ष (22*0.18*25/365)
						जीरो रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर	एडज स्टेड कुल टर्नओवर	इनवर्टेड रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर	प्रतिदाय के विरूद्ध दावा किया गया नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	खण्ड–09 नोएडा	09AADCP8581H1ZY	AA090318123810C/29.04.2019/जुलाई–मार्च-2018	इएक्सपी डब्लूओपी	29.04.2019	23,91,41,924	23,93,35,298	0	1,20,61,659	1,20,51,914	0	0	0	42,75,565	38,88,175	38,88,175	1,20,51,915	6,72,840	1,13,88,819	1,13,79,617	6,72,298	09.06.2020	13.10.2021	491	1,62,788
6	खण्ड–10 नोएडा	09AABCI1947G1ZL	AA090620076555 1/ अगस्त-2019	आईएनवी आईटीसी	20.06.2020	1,74,26,394	1,74,26,394	9,03,780	19,86,150	10,82,370	0	0	0	0	2,90,656	7,63,910	10,54,566	1,49,753	18,36,397	9,32,617	1,21,949	04.07.2020	13.10.2021	466	28,025
7	खण्ड–14 नोएडा	09AAHCR1874R1ZH	AAO902200 42395J/ जुलाई–2018 –दिसम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	13.02.2020	10,13,82,260	10,13,82,260	0	24,39,630	24,39,630	0	0	0	6,50,166	8,94,732	8,94,732	24,39,630	1,05,992	23,33,638	23,33,638	1,05,992	06.03.2020	08.09.2021	551	28,801

क्र. सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	ए.आर.एन. दाखिल करने का दिनांक	आर.एफ.डी. 01 में दाखिल विवरण					आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय			आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय			विभाग द्वारा स्वीकृत कुल प्रतिदाय (12+13+14+15+16+17)	प्रतिदाय जिसमे सेवा और पूंजीगत वस्तुओं की इनपुट को शामिल कर लिया गया	लेखा–परीक्षा में आगणित नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस के आधार पर प्रतिदाय अनुमन्य था (10-19)	लेखा–परीक्षा में आगणित प्रतिदाय (8*20/9)	लेखा–परीक्षा में आगणित अधिक अनुमन्य किया गया प्रतिदाय (18-21)	आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रति–दाय का दिनांक	लेखा–परीक्षा का दिनांक	दिनों की संख्या (24-23)	ब्याज की धनराशि @ 18% प्रति वर्ष (22*0.18*25/365)
						जीरो रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर	एडजस्टेड कुल टर्नओवर	इनवर्टेड रेटेड वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर	प्रतिदाय के विरूद्ध दावा किया गया नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी.	सी.जी.एस.टी.	एस.जी.एस.टी.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	खण्ड–14 नोएडा	09AAFCR0053E1ZP	AA090620041240T/अगस्त-2019	इएक्सपीडब्लूओपी	15.06.2020	10,13,39,445	10,13,39,445	0	28,54,338	28,54,338	4,04,863	10,82,020	10,82,020	44,985	1,20,225	1,20,225	28,54,338	3,12,375	25,41,963	25,41,963	3,12,375	27.06.2020	08.09.2021	438	67,473
	योग									**4,16,87,097**							**4,16,59,292**	**18,47,583**			**17,28,036**				**4,06,507**

परिशिष्ट–XVII

प्रतिलोमित कर संरचना में अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.12)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन.संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय	आर.एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय दिनांक	आर.एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय	आर.एफ.डी. 01ए के अनुसार इनवर्टेड कर संरचना सेवा एवं वस्तु आपूर्ति का टर्न ओवर	आर.एफ.डी. 01ए के अनुसार इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवम सेवा पर देय कर	आर.एफ.डी. 01ए के अनुसार एडजस्टेड कुल टर्न ओवर	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आई.टी.सी.	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सेवाओं पर अर्जित घटाई गई आई.टी.सी.	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा की गई नेट आई.टी.सी. (13–14)	लेखापरीक्षा में सेवाओं पर आगणित कुल आई.टी.सी	लेखापरीक्षा में सेवाओं पर आगणित अन्तरीय आई.टी.सी. (16–14)	लेखापरीक्षा में आगणित नेट आई.टी.सी. (15–17)	लेखापरीक्षा में आगणित प्रतिदाय (10*18/12–11)	स्वीकृत किया गया अधिक प्रतिदाय (9–19)	ब्याज की धनराशि @ 18% प्रति वर्ष आर.एफ.डी. 06 पारित किये जाने की तिथि से लेखापरीक्षा की तिथि (07.06.20219 से 22.06.2021) 416 दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–बी, नोएडा	09AAACJ1625K1ZL	AB09041841849 10/01.11.2018 (अप्रैल–2019)	आईएनवी आईटीसी	1,22,58,351	07.06.2019	1,22,58,351	7,40,81,522	37,04,076	8,16,42,576	1,88,07,842	12,16,225	1,75,91,617	17,96,238	5,80,013	1,70,11,604	1,17,32,055	5,26,296	1,07,970
योग					**1,22,58,351**						**1,88,07,842**	**12,16,225**	**1,75,91,617**	**17,96,238**	**5,80,013**	**1,70,11,604**	**1,17,32,055**	**5,26,296**	**1,07,970**

परिशिष्ट–XVIII

दो वर्षों की सुसंगत अवधि के बाद कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय स्वीकृत किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.13)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी./आर.एफ.डी.–06 के अनुसार दिनांक 15.06.2020 को स्वीकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी.–05 के अनुसार दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदाय का भुगतान संज्ञापन	इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का टर्नओवर	इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत सेवा एवं वस्तु आपूर्ति पर देय कर	एडजस्टेड कुल टर्नओवर	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा विवरण–01 के अनुसार दावाकृत नेट आई.टी.सी.	दो वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	खण्ड–04 आगरा	09AAHCP8395H1ZQ	AA090220081281N/22.02.2020/ जुलाई–2017–सितम्बर–2017	आईएनवी आईटीसी	11,11,207	11,11,207	11,11,207	1,15,19,908	13,82,396	1,44,15,522	31,20,388	11,11,207
योग												**11,11,207**

परिशिष्ट–XIX

अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार नहीं किये जाने के कारण प्रतिदाय की अधिक/अनियमित स्वीकृति

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.14)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ. डी.–06 में स्वीकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी. –01 के अनुसार इनवर्टेड दर पर आपूर्ति का टर्न ओवर	आर.एफ. डी.–01 में प्रदर्शित देय कर	आर.एफ.डी. –01 के अनुसार एडजस्टेड कुल टर्नओवर	आर.एफ. डी.–01 के अनुसार दावाकृत नेट आई. टी.सी	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किये गए विवरणों में दावा की गई आई. टी.सी.	लेखापरीक्षा में आगणित अधिकतम प्रतिदाय (इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का टर्नओवर'नेट आई.टी.सी. /एडजस्टेड कुल टर्नओवर –देय कर)	अधिक / अनियमित प्रतिदाय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	खण्ड–05 आगरा	09AKYPG5996 M1ZU	AA090520038698X/ 27.05.2020/अक्टूबर – दिसंबर– 2019	आईएनवी आईटीसी	11,76,852	11,76,852	77,02,045	7,701	77,02,045	11,84,553	11,10,991	11,03,290	73,562
2	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–I गाज़ियाबाद	09AAECP6092J1 ZY	AA0909190906885/ 24.09.2019/जून–2019	आईएनवी आईटीसी	35,67,820	35,67,820	8,56,00,858	1,54,08,028	8,58,70,858	1,90,35,701	1,24,11,631	**-3,035,422**	35,67,820
3	खण्ड–06 गाज़ियाबाद	09AAECP6092J1 ZY	AA0906181537550/16. 04.2019/जून–2018	आईएनवी आईटीसी	36,37,710	36,37,710	8,42,34,191	1,51,62,039	8,47,16,427	1,89,07,377	1,24,92,496	**-2,740,655**	36,37,710
योग					**83,82,382**	**83,82,382**	**17,75,37,094**	**3,05,77,768**	**17,82,89,330**	**3,91,27,631**	**2,60,15,118**		**72,79,092**

परिशिष्ट–XX

ए.मा.से.क. भुगतान का अधिक प्रतिदाय स्वीकृत किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.15)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	कर–प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय की धनराशि	सितम्बर 2018 में जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. भुगतान सहित किये गये आपूर्ति का टर्नओवर	जी.एस.टी.आर. 3बी के अनुसार सितम्बर 2018 में भुगतान की आई.जी.एस.टी. की धनराशि	पंजीकृत व्यक्ति को स्वीकार्य अधिकतम प्रतिदाय	कर–प्राधिकरी द्वारा स्वीकृत अधिक प्रतिदाय	ब्याज की धनराशि / 18% प्रति वर्ष प्रतिदाय भुगतान के दिनांक से लेखापरीक्षा दिनांक तक (27.12.2018 से 26.11.2021) = 1068 दिन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल–I लखनऊ	09AABCP5806H1ZE	AC0909181565977/17.11.2018/ सितम्बर–2018	एएनवाई ओटीएच	1,34,54,880	1,34,54,880	1,62,33,014	67,33,126	67,33,126	67,21,754	35,40,247
योग						**1,34,54,880**	**1,62,33,014**	**67,33,126**	**67,33,126**	**67,21,754**	**35,40,247**

परिशिष्ट–XXI

शुद्ध आई0टी0सी0 के दावाकृत धनराशि पर विचार न किये जाने के कारण अधिक प्रतिदाय की अनुमन्यता

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.16)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोविजनल प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय की धनराशि	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य प्रतिदाय की धनराशि	विवरण 03 के अनुसार जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का दावाकृत टर्नओवर	विवरण 03 के अनुसार एडजस्टेड कुल टर्नओवर	विवरण 03 के अनुसार नेट आई.टी.सी	प्रतिदाय की गणना हेतु अनुमन्य वास्ता–विक नेट आई.टी.सी.	लेखा परीक्षा में आगणित प्रतिदाय की धनराशि	पंजीकृत व्यक्ति को स्वीकृत अधिक प्रतिदाय की धनराशि (9–14)	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 04 में स्वी–कृत अधिक प्रतिदाय दिनांक 30.04.2019 (कालम सं. 15 का 90%)	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत अधिक प्रतिदाय (कालम सं. 15 का 10%)	ब्याज की धनराशि/ 18% प्रति वर्ष (i) दिनांक 30–04–2019 से 16–09–2021=867 दिन (ii) 13–08–2019 से 27–10–2021=785 दिन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	खण्ड–14 नोएडा	09AAHFC2798Q1ZJ	AB09021924 62352/30.04.2019/ फरवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	51,50,656	46,35,590	5,15,066	51,50,656	4,13,05,953	4,13,05,953	51,50,656	36,21,463	36,21,463	15,29,193	13,76,274	1,52,919	6,53,824
योग					**51,50,656**			**51,50,656**			**51,50,656**	**36,21,463**	**36,21,463**	**15,29,193**			**6,53,824**

परिशिष्ट–XXII

शिपिंग बिल में निर्यात मूल्य पर विचार न किये जाने के कारण अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.17)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रोवि–जनल प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी. 01 में अंकित जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का दावाकृत टर्नओवर	आर.एफ.डी. 01 के अनुसार एडजस्टेड कुल टर्नओवर	लेखापरीक्षा में आगणित वस्तु आपूर्ति का टर्नओवर	लेखापरीक्षा में आगणित एडजस्टेड कुल टर्नओवर	आर.एफ.डी. 01 के अनुसार नेट आई.टी.सी.	लेखापरीक्षा में आगणित प्रतिदाय (12x14/13)	अधिक प्रतिदाय (9–15)	आर.एफ.डी. 06 में प्रतिदाय स्वीकृत करने का दिनांक	लेखापरीक्षा का दिनांक	दिनों की संख्या (18–17)	ब्याज की धनराशि /18% प्रति वर्ष (16*0-18*19/365)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
1	खण्ड–14 नोएडा	09AAFCP7225G1ZB	AA09121908218 8S/24.12.2019/ अक्टूबर–मार्च 2019	इएक्सपीडब्लूओपी	45,88,419	0	45,59,828	7,22,05,059	10,47,49,141	6,10,48,716	9,35,92,798	66,56,499	43,41,902	2,17,926	4.01.2020	08.09.2021	613	65,879
योग					**45,88,419**	**0**	**45,59,828**	**7,22,05,059**		**6,10,48,716**			**43,41,902**	**2,17,926**				**65,879**

परिशिष्ट–XXIII

सकल टर्नओवर का गलत समायोजित करने पर प्रतिदाय का अधिक अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.18)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्या–लय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का टर्नओवर	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत एडजस्टेड कुल टर्नओवर	जी.एस.टी. आर. 3 बी. के अनुसार वह कराधीन धनराशि जो एडजस्टेड कुल टर्नओवर की गणन में सम्मिलित नही की गई	नेट आई.टी.सी.	दावा–कृत प्रति–दाय की धन–राशि	जी.एस.टी. / आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रतिदाय दिनांक 05.12.2018	जी.एस.टी. / आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय दिनांक 08.03.2019	कुल स्वी–कृत प्रति–दाय की धन–राशि	लेखा-परीक्षा में आ–गणित एड–जस्टेड कुल टर्न–ओवर	लेखा–परीक्षा में आ–गणित प्रति–दाय की धन–राशि	अधिक प्रति–दाय की धन–राशि (13–15)	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 04 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 14 का 90%)	जी.एस.टी./ आर.एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 14 का 10%)	आर.एफ.डी. 04 में स्वीकृत अधिक प्रतिदाय (11–17)	आर.एफ.डी. 06 में स्वीकृत अधिक प्रतिदाय (12–18)	प्रोवि–जनल प्रतिदाय पर आगणित ब्याज की धन–राशि	अंतिम प्रतिदाय पर आगणित ब्याज की धन–राशि	कुल ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	खण्ड–13 नोएडा	09AACCA7070R1Z3	AB090917942631P/01.12.2018/ अगस्त–सितम्बर–2017	इएक्सपीडब्लूओपी	2,48,71,965	2,48,71,965	30,83,928	25,30,786	25,30,786	22,77,708	2,53,078	25,30,786	2,79,55,893	22,51,605	2,79,181	20,26,445	2,25,160	2,51,263	27,918	1,25,893	12,708	1,38,601
योग					**2,48,71,965**	**2,48,71,965**	**30,83,928**	**25,30,786**	**25,30,786**	**22,77,708**	**2,53,078**	**25,30,786**	**2,79,55,893**	**22,51,605**	**2,79,181**	**20,26,445**	**2,25,160**	**2,51,263**	**27,918**	**1,25,893**	**12,708**	**1,38,601**

परिशिष्ट–XXIV

अनुपयुक्त अवधि के शिपिंग बिल को सम्मिलित करते हुए अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.19)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रति–दाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी./आर. एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रतिदाय	जी.एस.टी./आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय	कर–प्राधि–कारी द्वारा अनु–मन्य प्रतिदाय (7ा8)	विवरण–03बी के अनुसार जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का दावाकृत टर्नओवर	विवरण–03बी के अनुसार एड–जस्टेड कुल टर्नओवर	धनराशि जो असंगत अवधि के वस्तु एवं सेवा आपूर्ति के टर्न–ओवर में सम्मिलित थी	स्वीकृत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का कुल टर्नओवर (10–12)	स्वीकृत एडज–स्टेबल कुल टर्नओवर (11–12)	नेट आई. टी.सी.	लेखा–परीक्षा में आग–णित प्रति–दाय	पंजीकृत व्यक्ति को अनुमन्य किया गया अधिक प्रतिदाय (9–16)	जी.एस.टी./आर.एफ.डी. 04 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 16 का 90%)	जी.एस.टी./आर. एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 16 का 10%)	आर. एफ.डी. 04 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय (7–18)	आर. एफ. डी. 06 में स्वी–कृति अधिक प्रति–दाय	आर. एफ. डी.04 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय पर ब्याज की धन–राशि	आर. एफ. डी. 06 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय पर ब्याज की धन–राशि	कुल ब्याज	ब्याज सहित अधिक अनु–मन्य प्रति–दाय (17+24)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ज्वाइंट कमिश्नर, कॉर्पोरेट सर्किल, रेंज–ए , नोएडा	09AAJCS1175L1ZW	AA090120036772J/10.01.2020/नवम्बर–2019	इएक्सपीडब्लूओपी	1,53,18,916	1,37,87,024	15,31,892	1,53,18,916	17,95,27,267	37,69,66,761	6,42,06,252	11,53,21,015	31,27,60,509	3,21,66,268	1,18,60,342	34,58,574	1,06,74,308	11,86,034	31,12,716	3,45,858	9,44,048	1,03,018	10,47,066	45,05,640
2	खण्ड–01 नोएडा	09ABXPL4118Q1ZP	AA090320020676H/26.11.2019/अप्रैल–18–मार्च–19	इएक्सपीडब्लूओपी	1,27,04,159	0	1,27,04,159	1,27,04,159	33,74,40,436	34,65,02,300	1,20,13,286	32,54,27,150	33,44,89,014	1,30,45,325	1,26,91,905	12,254	0	0	0	12,254	0	3,384	3,384	15,638

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रति–दाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	जी.एस.टी. /आर. एफ.डी. 04 में स्वीकृत प्रतिदाय	जी.एस.टी. /आर. एफ.डी. 06 में स्वीकृत प्रतिदाय	कर–प्राधि–कारी द्वारा अनु–मन्य प्रतिदाय (78)	विवरण–03बी के अनुसार जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा का दावाकृत टर्नओवर	विवरण–03बी के अनुसार एड–जस्टेड कुल टर्नओवर	धनराशि जो असंगत अवधि के वस्तु एवं सेवा आपूर्ति के टर्न–ओवर में सम्मिलित थी	स्वीकृत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का कुल टर्नओवर (10–12)	स्वीकृत एडज–स्टेबल कुल टर्नओवर (11–12)	नेट आई. टी.सी.	लेखा–परीक्षा में आग–णित प्रति–दाय	पंजीकृत व्यक्ति को अनुमन्य किया गया अधिक प्रतिदाय (9–16)	जी.एस. टी./ आर.एफ. डी. 04 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 16 का 90%)	जी.एस. टी./ आर. एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय (कालम सं. 16 का 10%)	आर. एफ.डी. 04 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय (7–18)	आर. एफ. डी. 06 में स्वी–कृति अधिक प्रति–दाय	आर. एफ. डी.04 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय पर ब्याज की धन–राशि	आर. एफ. डी. 06 में अनु–मन्य अधिक प्रति–दाय पर ब्याज की धन–राशि	कुल ब्याज	ब्याज सहित अधिक अनु–मन्य प्रति–दाय (17+24)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	खण्ड–08 नोएडा	09AAJCS 1175L1Z W	AC090918 2421213/0 4.12.2018/सितम्बर–2018	इएक्सपी डब्लूओपी	1,24,17,383	1,11,75,645	12,19,264	1,23,94,909	24,66,31,098	50,04,77,616	10,37,72,689	14,28,58,409	39,67,04,927	2,47,41,990	89,09,900	34,85,009	80,18,910	8,90,990	31,56,735	3,28,274	16,08,119	1,56,384	17,64,503	52,49,512
4	खण्ड–09 नोएडा	09AANF S4306C1 ZA	AB090119 2095642/ 16.03.2019 / जनवरी–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	40,01,165	36,01,050	4,00,115	40,01,165	7,67,76,036	8,13,15,030	2,56,33,207	5,11,42,829	5,56,81,823	42,37,714	38,92,270	1,08,895	35,03,043	3,89,227	98,007	10,888	35,621	3,861	39,481	1,48,377
		09AANF S4306C1 ZA	AA090919 032808J/ 09.09. 2019/ जून–2019	इएक्सपी डब्लूओपी	37,42,059	33,67,854	3,74,205	37,42,059	3,03,10,689	3,25,11,811	1,14,36,713	1,88,73,976	2,10,75,098	40,13,802	35,94,593	1,47,466	32,35,134	3,59,459	1,32,720	14,746	48,303	5,229	53,531	2,00,997
योग					**4,81,83,682**			**4,81,61,208**	**87,06,85,526**	**133,77,73,518**	**21,70,62,147**	**65,36,23,379**			**4,09,49,011**	**72,12,197**					**26,36,090**	**2,71,876**	**29,07,966**	**1,01,20,163**

परिशिष्ट–XXV

अवरूद्ध क्रेडिट पर अधिक प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.20)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य प्रतिदाय की धनराशि	इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का टर्नओवर अथवा निर्यातित वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का टर्नओवर	इनवर्टेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति पर देय कर	एडजस्टेड कुल टर्नओवर	नेट आई.टी.सी.	नेट आई.टी.सी. में सम्मिलित की गई अवरूद्ध क्रेडिट्स की धनराशि	लेखा–परीक्षा में आगणित नेट आई.टी.सी. (11–12)	लेखा–परीक्षा में आगणित प्रतिदाय	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य अधिक प्रतिदाय (7–14)	देय ब्याज
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	खण्ड–02 नोएडा	09AAAFE1088J1ZD	AA0912190106739/04.12.2019/अक्टूबर–17–मार्च –2018	इएक्सपीडब्लूओपी	33,94,350	33,94,350	18,70,18,756	0	23,49,95,450	42,65,116	68,131	41,96,985	33,40,128	54,222	16,899
2	खण्ड–13 नोएडा	09AAICP8381N1ZI	AA090717013818T/23.04.2019/ जुलाई –2017	आईएनवीआईटीसी	13,83,166	13,55,061	30,40,600	3,64,872	30,40,600	17,48,038	1,55,686	15,92,352	12,27,480	1,27,581	51,422
योग					**47,77,516**	**47,49,411**				**60,13,154**	**2,23,817**	**57,89,337**	**45,67,608**	**1,81,803**	**68,321**

परिशिष्ट–XXVI

सेवाओं पर गलत दावे के कारण प्रतिदाय अधिक अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.21)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी.आई.एन.संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी.01 के अनुसार जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का टर्न–ओवर	आर.एफ.डी.01 के अनु–सार एडज–स्टेड कुल टर्न–ओवर	जी.एस.टी./आर.एफ.डी.04 में अनु–मन्य प्रति–दाय	जी.एस.टी./आर.एफ.डी.06 में अनु–मन्य प्रति–दाय	नेट आई.टी.सी.	कर–प्राधिकारी द्वारा अनु–मन्य प्रति–दाय	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत संगत अवधि की सेवा आपूर्ति पर प्राप्त धनराशि	दाखिल विवरणों में दर्शित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत संगत अवधि की सेवा आपूर्ति पर प्राप्त धनराशि	संगत अवधि हेतु इनवॉइस की धनराशि जिसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत पूर्व के अग्रिम के लिए दर्शित किया गया	दाखिल विवरणों के अनुसार संगत अवधि हेतु इनवॉइस की धनराशि जिसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावाकृत पूर्व के अग्रिम के लिए दाखिल किया गया	लेखा–परीक्षा में आगणित जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का टर्नओवर	लेखा–परीक्षा में आ–गणित सेवाओं पर एड–जस्टेड कुल टर्न–ओवर	लेखा–परीक्षा में आ–गणित प्रतिदाय	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य अधिक प्रतिदाय (12–19)	कर–प्राधि–कारी द्वारा जी.एस.टी./आर.एफ.डी.04 में अनुमन्य अधिक प्रतिदाय (अधिक प्रतिदाय का 90%)	कर–प्राधिकारी द्वारा जी.एस.टी./आर.एफ.डी.06 में अनुमन्य अधिक प्रतिदाय (अधिक प्रतिदाय का 10%)	अधिक अनुमन्य प्रोविजनल प्रतिदाय पर ब्याज (आर.एफ.डी. 04 आदेश दिनांक से लेखा–परीक्षा तिथि तक) /18% प्रति वर्ष	अधिक अनुमन्य अंतिम प्रतिदाय पर ब्याज (आर.एफ.डी. 06 आदेश दिनांक से लेखा–परीक्षा तिथि तक) /18% प्रति वर्ष	अधिक अनुमन्य प्रतिदाय पर कुल ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	खण्ड–08 नोएडा	09AAHCS1556IK1ZZ	AB090718108 5610/ 17.09.2018/ जुलाई–2018	एसइजेड डब्लूओपी	2,06,10,338	12,38,07,744	13,36,04,087	1,85,49,304	20,61,034	2,25,94,761	2,06,10,338	10,58,97,602	10,43,02,084	1,79,10,142	36,56,055	10,79,58,139	13,36,04,087	1,82,57,588	23,52,750	21,17,475	2,35,275	10,60,942	78,086	11,39,028
2	खण्ड–09 नोएडा	09AACCM3199B1Z1	AA090917017 989A/ 12.02.2019/ सितम्बर– 2017	इएक्सपी डब्लूओपी	86,44,447	9,41,09,110	21,58,07,247	77,80,002	8,64,445	1,98,23,101	86,44,447	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,26,00,905	16,42,99,042	51,39,908	35,04,539	31,54,085	3,50,454	13,71,897	1,45,174	15,17,072
			योग		**2,92,54,785**	**21,79,16,854**	**34,94,11,334**	**2,63,29,306**	**29,25,479**	**4,24,17,862**	**2,92,54,785**	**10,58,97,602**	**10,43,02,084**	**1,79,10,142**	**36,56,055**	**15,05,59,044**	**29,79,03,129**	**2,33,97,496**	**58,57,289**	**52,71,560**	**5,85,729**	**24,32,839**	**2,23,260**	**26,56,100**

परिशिष्ट–XXVII

उसी बीजक पर दो बार आईटीसी अनुमन्य किये जाने के कारण अनियमित प्रतिदाय अनुमन्य किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.22)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी. एस. टी. आई. एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य प्रतिदाय	जीरो रेटेड कर संरचना के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा आपूर्ति का टर्नओवर	एड–जस्टेड कुल टर्न–ओवर	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दावा की गई नेट आई.टी.सी.	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जी.एस.टी./आर.एफ.डी.01 में आगणित प्रतिदाय	असंगत अवधि के इनवॉइस को शामिल करने के कारण अमान्य आई.टी.सी. की धनराशि	इनवॉइस संख्या एनएल14 दिनांक 30.06.2018 के लिए कर की गलत गणना के कारण अननुमन्य आई.टी.सी. की धनराशि	अन–नुमन्य कुल आई.टी.सी. की धनराशि	माह के दौरान अर्जित की गई आई.टी.सी.की धनराशि	आई.टी.सी. के विरुद्ध माह के दौरान जमा कर की धनराशि	पंजीकृत व्यक्ति को अनुमन्य अधिकतम आई.टी.सी. की धनराशि (लेखा–परीक्षा में आगणित नेट आई.टी.सी. की धनराशि) (15–14)	पंजीकृत व्यक्ति को स्वीकृत अधिकतम प्रतिदाय (17–16)	अधिक प्रति–दाय (7–18)	आर. एफ.डी. 06 में अनुमन्य प्रतिदाय	लेखा–परीक्षा दिनांक	ब्याज की गणना हेतु दिनों की संख्या (21–20)	ब्याज/18% प्रति वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	खण्ड–01 जी.बी. नगर	09AAECC9463G1ZD	AA0910190122641/ 04.10.2019/ जून–2018	एसइजेड डब्लूओपी	2,56,25,829	2,56,25,829	4,56,90,649	4,72,75,582	3,51,37,330	3,39,59,337	12,61,856	9,44,640	22,06,496	3,51,37,332	92,17,872	3,29,30,836	2,37,12,964	19,12,865	43,596	16-07-2021	619	5,83,922
योग					**2,56,25,829**	**2,56,25,829**			**3,51,37,330**	**3,39,59,337**	**12,61,856**	**9,44,640**	**22,06,496**	**3,51,37,332**	**92,17,872**	**3,29,30,836**	**2,37,12,964**	**19,12,865**				**5,83,922**

परिशिष्ट–XXVIII

जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर कमी परिलक्षित होना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–2.2.23)

क्रम सं.	वाणिज्य कर कार्यालय का नाम	जी.एस.टी. आई.एन. संख्या	ए.आर.एन. संख्या और दिनांक	प्रतिदाय श्रेणी	दावाकृत प्रतिदाय की धनराशि	प्रतिदाय हेतु आवेदन का दिनांक	प्रतिदाय अनुमन्य किया जाने का दिनांकि	कर–प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य प्रतिदाय की धनराशि	आर.एफ.डी. 05 में दो बार जारी हुए भुगतान–संज्ञापन का विवरण		दो बार क्रेडिट हुए प्रतिदाय का विवरण	जी.एस.टी.एन. पोर्टल के अनुसार ए.आर.एन. सर्च का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	खण्ड–04 आगरा	09AAHCP 8395H1ZQ	AA0902200812 81N/ 22.02.2020/ जुलाई–सितम्बर–2017	आईएनवी आईटीसी	11,11,207	22.02.2020	15.06.2020	11,11,207	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	खण्ड–07 आगरा	09BYNPP 4104N1ZV	AA0902201079 45E/ 29.02.2020	ईएक्सबी सीएल	13,69,778	29.02.2020	17.02.2020	13,69,778	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	खण्ड–19 लखनऊ	09AABCP 8800D1ZM	AA0905200079 839/ 08.05.2020/ मार्च–18 – मार्च–2019	आईएनवी आईटीसी	1,73,01,533	08.05.2020	18.05.2020	1,73,01,533	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	मेसर्स शिव ट्रेडर्स जी. एस.टी.एन. –09CWYP P018C1Z4
4	खण्ड–13 नोएडा	09AAACV2 680A1ZL	AA0912190408 424/ 13.12.2019/ अप्रैल – जून–2019	आईएनवी आईटीसी	9,45,878	13.12.2019	15.01.2010	9,45,878	ZA090120 007338Z दिनांक 15.01.2020	ZA090120 0073347 दिनांक 15.01.2020	9,45,878 + 9,45,878	उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट–XXIX

सुरक्षित धनराशि ₹ 2 से दस करोड़ के मध्य वाले बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 3.4.5.1)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम अरोपण
1	उप निबन्धक–प्रथम, नोयडा	जी.बी. नगर	8509	6298	02-08-2018	02-08-2018	9,50,00,000	5,00,000	4,75,000	19,00,000	18,75,000
2	उप निबन्धक–प्रथम	गाजियाबाद	15652	4968	26-06-2018	26-06-2018	6,49,33,784	5,00,000	3,24,669	12,98,676	11,23,345
3			16076	104	10-01-2019	10-01-2019	2,17,00,000	5,00,000	1,08,500	4,34,000	42,500
4			17947	2089	04-03-2021	04-03-2021	7,50,00,000	5,00,000	3,75,000	15,00,000	13,75,000
5			17496	4377	07-09-2020	07-09-2020	7,08,00,000	5,00,000	3,54,000	14,16,000	12,70,000
6			16412	3395	26-04-2019	26-04-2019	2,46,00,000	5,00,000	1,23,000	4,92,000	1,15,000
7	उप निबन्धक–द्वितीय	गाजियाबाद	13949	7011	07-06-2018	07-06-2018	5,25,00,000	5,00,000	2,62,500	10,50,000	8,12,500
8	उप निबन्धक–तृतीय	गाजियाबाद	13458	2874	17-04-2018	17-04-2018	2,50,00,000	5,00,000	1,25,000	5,00,000	1,25,000
9	उप निबन्धक–चतुर्थ	गाजियाबाद	37738	6027	15-04-2019	15-04-2019	6,00,00,000	5,00,000	3,00,000	12,00,000	10,00,000
10	उप निबन्धक–द्वितीय	गोरखपुर	16663	3368	11-03-2020	11-03-2020	3,00,00,000	5,00,000	1,50,000	6,00,000	2,50,000
11	उप निबन्धक–तृतीय	लखनऊ	13909	275	18-01-2020	18-01-2020	3,75,00,000	5,00,000	1,87,500	7,50,000	4,37,500
12	उप निबन्धक–द्वितीय	लखनऊ	22031	2282	11-02-2019	12-02-2019	2,50,00,000	5,00,000	1,25,000	5,00,000	1,25,000
13			22029	2247	11-02-2019	12-02-2019	3,00,00,000	5,00,000	1,50,000	6,00,000	2,50,000
14			22029	2246	11-02-2019	12-02-2019	3,45,00,000	5,00,000	1,72,500	6,90,000	3,62,500
15			22029	2244	11-02-2019	12-02-2019	3,82,00,000	5,00,000	1,91,000	7,64,000	4,55,000
16			21236	11087	17-07-2018	17-07-2018	7,36,96,050	5,00,000	3,68,480	14,73,921	13,42,401
17			23577	3953	04-03-2020	06-03-2020	2,08,43,423	5,00,000	1,04,217	4,16,868	21,086
18			22824	13687	29-08-2019	30-08-2019	2,98,00,000	5,00,000	1,49,000	5,96,000	2,45,000
19			20963	7398	14-05-2018	15-05-2018	3,78,00,000	5,00,000	1,89,000	7,56,000	4,45,000
20			23312	155	06-01-2020	06-01-2020	3,80,00,000	5,00,000	1,90,000	7,60,000	4,50,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम अरोपण
21			22910	14897	26-08-2019	25-09-2019	4,98,00,000	5,00,000	2,49,000	9,96,000	7,45,000
22			23380	1120	24-01-2020	24-01-2020	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000
23			23502	2854	19-02-2020	19-02-2020	8,00,00,000	5,00,000	4,00,000	16,00,000	15,00,000
24			24505	453	31-12-2020	11-01-2021	2,52,22,612	5,00,000	1,26,113	5,04,452	1,30,565
25			24705	3686	18-02-2021	19-02-2021	2,70,19,200	5,00,000	1,35,096	5,40,384	1,75,480
26	उप निबन्धक – मोहनलालगंज	लखनऊ	9741	20712	06-11-2018	06-11-2018	6,82,05,190	5,00,000	3,41,026	13,64,104	12,05,130
27			10684	15863	05-08-2019	05-08-2019	2,43,00,000	5,00,000	1,21,500	4,86,000	1,07,500
28			10774	17701	27-08-2019	03-09-2019	3,19,04,294	5,00,000	1,59,521	6,38,086	2,97,607
29			12059	17345	19-10-2020	29-10-2020	5,56,64,800	5,00,000	2,78,324	11,13,296	8,91,620
30			12201	19707	24-11-2020	24-11-2020	5,64,60,075	5,00,000	2,82,300	11,29,202	9,11,502
31			10288	7856	16-04-2019	16-04-2019	7,28,56,215	5,00,000	3,64,281	14,57,124	13,21,405
32			11551	7479	19-06-2020	19-06-2020	9,48,30,043	5,00,000	4,74,150	18,96,601	18,70,751
33			11644	9280	07-07-2020	17-07-2020	9,64,87,000	5,00,000	4,82,435	19,29,740	19,12,175
34	उप निबन्धक – सरोजिनीनगर	लखनऊ	1118	413	04-01-2019	04-01-2019	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000
35			1676	8660	30-03-2019	30-03-2019	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000
36			779	11231	15-11-2018	15-11-2018	8,96,40,000	5,00,000	4,48,200	17,92,800	17,41,000
37			3005	27820	18-10-2019	18-10-2019	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000
38			2032	13792	24-05-2019	24-05-2019	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000
39			3802	3594	06-02-2020	06-02-2020	9,59,43,820	5,00,000	4,79,719	19,18,876	18,98,596
40			4190	9307	11-06-2020	15-06-2020	2,05,00,000	5,00,000	1,02,500	4,10,000	12,500
41			6354	12028	23-03-2021	27-03-2021	2,64,65,136	5,00,000	1,32,326	5,29,303	1,61,628
42			4321	11229	06-07-2020	06-07-2020	4,50,00,000	5,00,000	2,25,000	9,00,000	6,25,000
43			6187	8904	06-03-2021	06-03-2021	4,60,26,600	5,00,000	2,30,133	9,20,532	6,50,665
44			5853	2660	22-01-2021	23-01-2021	5,00,00,000	5,00,000	2,50,000	10,00,000	7,50,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम अरोपण
45	उप निबन्धक–प्रथम	मथुरा	14267	12060	28-08-2018	28-08-2018	2,25,00,000	5,00,000	1,12,500	4,50,000	62,500
46			15432	17962	10-12-2019	10-12-2019	10,00,00,000	5,00,000	5,00,000	20,00,000	20,00,000
47	उप निबन्धक–द्वितीय	मथुरा	8867	6893	19-06-2018	19-06-2018	7,35,00,000	5,00,000	3,67,500	14,70,000	13,37,500
48	उप निबन्धक–तृतीय	मेरठ	13389	1820	12-02-2019	12-02-2019	3,24,00,000	1,62,000	1,62,000	6,48,000	6,48,000
49	उप निबन्धक–प्रथम	प्रयागराज	10437	1786	06-04-2019	06-04-2019	6,01,21,556	5,00,000	3,00,608	12,02,431	10,03,039
50			10685	5337	24-09-2019	24-09-2019	8,03,93,700	5,00,000	4,01,969	16,07,874	15,09,843
51	उप निबन्धक–द्वितीय	वाराणसी	10424	5158	05-08-2019	05-08-2019	4,98,00,000	5,00,000	2,49,000	9,96,000	7,45,000
योग							**2,60,99,13,498**	**2,51,62,000**	**1,30,49,567**	**5,21,98,270**	**4,00,85,837**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXIX-A

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के अनुरूप स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.5.1)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	2.5 प्रतिशत की दर से कुल आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	स्याहा में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में दर्शायी गयी धनराशि
1	उप निबन्धक–तृतीय	आगरा	9117	8221	19-09-2018	19-09-2018	2,00,00,000	5,00,000	4,00,000
2	उप निबन्धक–तृतीय	आगरा	9757	7912	30-09-2019	30-09-2019	2,72,48,980	6,86,000	0
3	उप निबन्धक–तृतीय	आगरा	9986	1209	12-02-2020	12-02-2020	2,25,00,000	5,62,500	4,50,000
4	उप निबन्धक–द्वितीय	गोरखपुर	14417	3883	11-04-2018	11-04-2018	2,58,00,000	6,45,000	5,16,000
5	उप निबन्धक–प्रथम	मथुरा	15425	17800	07-12-2019	07-12-2019	2,47,00,000	6,17,500	4,94,000
6	उप निबन्धक–द्वितीय	मथुरा	10555	7597	25-06-2021	25-06-2021	7,25,00,000	18,12,500	14,50,000
7	उप निबन्धक–तृतीय	मेरठ	12912	6674	22-06-2018	22-06-2018	2,58,04,800	6,45,200	5,16,090
8	उप निबन्धक–तृतीय	मेरठ	12974	7795	23-07-2018	23-07-2018	2,40,44,160	6,01,204	4,80,880
9	उप निबन्धक–तृतीय	मेरठ	15173	10627	12-08-2021	12-08-2021	2,50,00,000	6,25,000	5,00,000
10	उप निबन्धक–प्रथम	प्रयागराज	11416	1800	08-03-2021	08-03-2021	4,50,00,000	11,25,000	9,00,000
योग							**31,25,97,940**	**78,19,904**	**57,06,970**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXX

₹ 10 करोड़ से अधिक सुरक्षित धनराशि वाले बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.5.2)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर	
											स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क
1	उप निबन्धक–सदर ग्रेटर नोयडा	जी.बी. नगर	29622	32763	28-09-2018	28-09-2018	1,05,00,00,000	5,00,000	52,50,000	2,10,00,000	47,50,000	2,10,00,000
2	उप निबन्धक–प्रथम	गाजियाबाद	15611	4565	11-06-2018	11-06-2018	1,20,79,70,050	5,00,000	60,39,850	2,41,59,401	55,39,850	2,41,59,401
3			16289	2207	13-03-2019	13-03-2019	2,24,99,99,870	5,00,000	1,12,49,999	4,49,99,997	1,07,49,999	4,49,99,997
4			16693	6150	05-08-2019	05-08-2019	1,25,00,00,000	5,00,000	62,50,000	2,50,00,000	57,50,000	2,50,00,000
5	उप निबन्धक–द्वितीय	गाजियाबाद	14277	10080	21-08-2018	21-08-2018	1,00,00,00,000	5,00,000	50,00,000	2,00,00,000	45,00,000	2,00,00,000
6			14429	11480	19-09-2018	20-09-2018	20,00,00,000	5,00,000	10,00,000	40,00,000	5,00,000	40,00,000
7			14520	12327	15-10-2018	15-10-2018	14,50,00,000	5,00,000	7,25,000	29,00,000	2,25,000	29,00,000
8			14778	189	10-01-2019	10-01-2019	50,00,00,000	5,00,000	25,00,000	1,00,00,000	20,00,000	1,00,00,000
9			15224	4371	28-03-2019	28-03-2019	28,00,00,000	5,01,000	14,00,000	56,00,000	8,99,000	56,00,000
10			16289	14461	20-11-2019	20-11-2019	1,45,00,00,000	5,00,000	72,50,000	2,90,00,000	67,50,000	2,90,00,000
11	उप निबन्धक–तृतीय	गाजियाबाद	13436	2649	09-04-2018	09-04-2018	15,00,00,000	5,00,000	7,50,000	30,00,000	2,50,000	30,00,000
12			14725	6907	09-08-2019	13-08-2019	43,50,00,000	5,00,000	21,75,000	87,00,000	16,75,000	87,00,000
13			14172	1138	31-01-2019	31-01-2019	16,80,00,000	5,00,000	8,40,000	33,60,000	3,40,000	33,60,000
14			14977	9534	21-11-2019	21-11-2019	4,20,00,00,000	5,00,000	2,10,00,000	8,40,00,000	2,05,00,000	8,40,00,000
15	उप निबन्धक–चतुर्थ	गाजियाबाद	36566	20365	12-09-2018	12-09-2018	19,00,00,000	5,00,000	9,50,000	38,00,000	4,50,000	38,00,000
16			37303	1586	16-01-2019	16-01-2019	20,00,00,000	5,00,000	10,00,000	40,00,000	5,00,000	40,00,000
17			37577	4387	07-03-2019	07-03-2019	24,00,00,000	5,00,000	12,00,000	48,00,000	7,00,000	48,00,000
18			38030	8987	28-06-2019	28-06-2019	1,50,00,00,000	5,02,000	75,00,000	3,00,00,000	69,98,000	3,00,00,000
19			38007	8741	24-06-2019	24-06-2019	20,00,00,000	5,00,000	10,00,000	40,00,000	5,00,000	40,00,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर	
											स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क
20			38144	10152	31-07-2019	31-07-2019	75,00,00,000	5,01,100	37,50,000	1,50,00,000	32,48,900	1,50,00,000
21	उप निबन्धक–पंचम	गाजियाबाद	7046	4333	31-05-2018	31-05-2018	6,50,00,00,000	5,10,000	3,25,00,000	13,00,00,000	3,19,90,000	13,00,00,000
22			7527	1236	21-02-2019	21-02-2019	17,00,00,000	5,00,000	8,50,000	34,00,000	3,50,000	34,00,000
23			7603	2000	28-03-2019	28-03-2019	1,80,00,00,000	5,00,000	90,00,000	3,60,00,000	85,00,000	3,60,00,000
24			7701	2946	28-05-2019	28-05-2019	12,93,00,000	5,00,000	6,46,500	25,86,000	1,46,500	25,86,000
25	उप निबन्धक–प्रथम	गोरखपुर	16617	307	11-01-2021	11-01-2021	53,14,33,00,000	5,00,000	26,57,16,500	1,06,28,66,000	26,52,16,500	1,06,28,66,000
26	उप निबन्धक–द्वितीय	लखनऊ	22712	12043	30-07-2019	31-07-2019	15,75,00,000	5,00,000	7,87,500	31,50,000	2,87,500	31,50,000
27			23454	2174	10-02-2020	10-02-2020	18,79,19,000	5,00,000	9,39,595	37,58,380	4,39,595	37,58,380
28			24355	14888	07-12-2020	08-12-2020	27,00,00,000	5,00,000	13,50,000	54,00,000	8,50,000	54,00,000
29			21278	11663	25-07-2018	25-07-2018	28,20,07,000	4,40,460	14,10,035	56,40,140	9,69,575	56,40,140
30			23303	26	03-01-2020	03-01-2020	38,50,00,000	5,00,000	19,25,000	77,00,000	14,25,000	77,00,000
31			23449	2112	31-01-2020	10-02-2020	40,00,00,000	5,00,000	20,00,000	80,00,000	15,00,000	80,00,000
32	उप निबन्धक– मोहनलालगंज	लखनऊ	9651	18862	15-10-2018	15-10-2018	13,81,16,560	5,00,000	6,90,583	27,62,331	1,90,583	27,62,331
33			10347	9040	04-05-2019	04-05-2019	10,86,23,696	5,00,000	5,43,118	21,72,474	43,118	21,72,474
34			11343	3136	28-01-2020	11-02-2020	15,00,00,000	5,00,000	7,50,000	30,00,000	2,50,000	30,00,000
35			9673	19290	22-10-2018	22-10-2018	23,58,03,430	5,00,000	11,79,017	47,16,069	6,79,017	47,16,069
36	उप निबन्धक– सरोजनीनगर	लखनऊ	1288	2879	24-01-2019	30-01-2019	12,93,67,500	5,00,000	6,46,838	25,87,350	1,46,838	25,87,350
37			861	12445	28-11-2018	28-11-2018	26,11,40,750	5,00,000	13,05,704	52,22,815	8,05,704	52,22,815
38			1663	8455	29-03-2019	29-03-2019	30,00,00,000	5,00,000	15,00,000	60,00,000	10,00,000	60,00,000
39			1286	2855	18-01-2019	30-01-2019	33,84,65,825	5,00,000	16,92,329	67,69,317	11,92,329	67,69,317
40			950	13793	12-11-2018	12-11-2018	1,29,00,00,000	5,00,000	64,50,000	2,58,00,000	59,50,000	2,58,00,000
41			372	5299	09-06-2018	09-06-2018	5,25,00,00,000	5,00,600	2,62,50,000	10,50,00,000	2,57,49,400	10,50,00,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर	
											स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क
42			3672	1782	20-01-2020	21-01-2020	11,91,56,586	5,00,000	5,95,783	23,83,132	95,783	23,83,132
43			3313	32128	29-11-2019	30-11-2019	15,30,00,000	5,00,000	7,65,000	30,60,000	2,65,000	30,60,000
44			2282	17390	28-06-2019	28-06-2019	46,57,57,940	5,00,000	23,28,790	93,15,159	18,28,790	93,15,159
45			5683	29993	24-12-2020	29-12-2020	13,50,37,688	5,00,000	6,75,188	27,00,754	1,75,188	27,00,754
46			1401	4553	13-02-2019	15-02-2019	32,92,03,680	5,00,000	16,46,018	65,84,074	11,46,018	65,84,074
47	उप निबन्धक–प्रथम	मथुरा	15596	2176	06-02-2020	06-02-2020	43,00,00,000	5,00,000	21,50,000	86,00,000	16,50,000	86,00,000
48	उप निबन्धक–तृतीय	मेरठ	12990	8077	27-07-2018	27-07-2018	25,00,00,000	5,00,500	12,50,000	50,00,000	7,49,500	50,00,000
49			13630	6249	12-06-2019	12-06-2019	14,68,90,000	5,00,000	7,34,450	29,37,800	2,34,450	29,37,800
50	उप निबन्धक–प्रथम	वाराणसी	10472	2201	05-04-2018	05-04-2018	10,25,00,000	5,00,000	5,12,500	20,50,000	12,500	20,50,000
योग							**91,12,40,59,575**	**2,49,55,660**	**45,56,20,298**	**1,82,24,81,192**	**43,06,64,638**	**1,82,24,81,192**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXI

स्टाम्प शुल्क को ₹ पॉच लाख तक सीमित किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.5.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	शुल्क का अन्तर
1	उप निबन्धक–प्रथम, नोएडा	जी.बी. नगर	8401	5217	26-06-2018	27-06-2018	73,00,00,000	5,00,000	36,50,000	31,50,000
2			8811	9169	20-11-2018	20-11-2018	5,50,00,00,260	5,00,000	2,75,00,001	2,70,00,001
3			8844	9485	03-12-2018	03-12-2018	2,35,00,00,000	5,00,000	1,17,50,000	1,12,50,000
4			8844	9484	03-12-2018	03-12-2018	2,35,00,00,000	5,00,000	1,17,50,000	1,12,50,000
5			8892	9925	28-11-2018	19-12-2018	3,50,00,00,000	5,00,500	1,75,00,000	1,69,99,500
6			9154	2162	10-04-2019	10-04-2019	2,35,00,00,000	5,00,000	1,17,50,000	1,12,50,000
7			9297	3486	03-06-2019	03-06-2019	23,69,00,000	5,00,500	11,84,500	6,84,000
8			10230	4535	28-10-2020	28-10-2020	34,00,00,000	5,00,000	17,00,000	12,00,000
9			9854	654	24-01-2020	24-01-2020	1,98,00,00,000	5,00,000	99,00,000	94,00,000
10	उप निबन्धक–द्वितीय नोएडा	जी.बी. नगर	10391	2855	01-05-2019	01-05-2019	2,50,00,00,000	5,00,000	1,25,00,000	1,20,00,000
11			9984	8562	27-11.2018	28-11-2018	4,00,00,00,000	5,00,000	2,00,00,000	1,95,00,000
12			9984	8557	27-11-2018	28-11-2018	4,00,00,00,000	5,00,000	2,00,00,000	1,95,00,000
13			10374	2689	25-04-2019	25-04-2019	50,00,00,000	5,00,000	25,00,000	20,00,000
14			10192	1046	12-02-2019	12-02-2019	1,51,90,00,000	5,00,000	75,95,000	70,95,000
15			9704	5665	02-08-2018	02-08-2018	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
16			9984	8563	27-11-2018	28-11-2018	4,00,00,00,000	5,00,000	2,00,00,000	1,95,00,000
17			10805	7082	05-11-2019	05-11-2019	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
18			10967	8825	23-12-2019	23-12-2019	1,25,00,00,000	5,00,000	62,50,000	57,50,000
19	उप निबन्धक–सदर, ग्रेटर नोएडा	जी.बी. नगर	27288	10471	02-04-2018	02-04-2018	10,04,66,608	5,00,000	5,02,333	2,333
20			27469	12235	13-04-2018	17-04-2018	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
21			27517	12731	09-04-2018	19-04-2018	60,00,00,000	5,00,500	30,00,000	24,99,500
22			28107	18461	04-06-2018	04-04-2018	18,00,00,000	5,00,050	9,00,000	3,99,950
23			28214	19461	11-06-2018	11-06-2018	2,80,00,00,000	15,00,000	1,40,00,000	1,25,00,000
24			28272	20027	14-06-2018	14-06-2018	11,00,00,000	5,01,000	5,50,000	49,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	शुल्क का अन्तर
25			28957	26533	01-08-2018	01-08-2018	36,00,00,000	5,00,000	18,00,000	13,00,000
26			29264	29470	30-08-2018	30-08-2018	1,25,00,00,000	5,00,000	62,50,000	57,50,000
27			29424	30955	13-09-2018	13-09-2018	21,00,00,000	5,00,000	10,50,000	5,50,000
28			29893	35253	24-10-2018	24-10-2018	1,35,00,00,000	5,00,000	67,50,000	62,50,000
29			30005	36316	01-11-2018	01-11-2018	36,00,00,000	5,00,000	18,00,000	13,00,000
30			30151	37651	16-11-2018	16-11-2018	55,00,00,000	5,00,000	27,50,000	22,50,000
31			31788	9405	15-03-2019	15-04-2019	18,00,00,000	5,00,000	9,00,000	4,00,000
32			31873	10192	26-03-2019	26-03-2019	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
33			31938	10804	29-03-2019	29-03-2019	50,00,00,000	5,00,000	25,00,000	20,00,000
34			31959	10986	29-03-2019	29-03-2019	84,00,00,000	5,00,000	42,00,000	37,00,000
35			32178	13004	16-04-2019	16-04-2019	6,40,00,00,000	5,00,000	3,20,00,000	3,15,00,000
36			32402	15054	02-05-2019	02-05-2019	40,00,00,000	5,00,000	20,00,000	15,00,000
37			33447	24567	24-07-2019	24-07-2019	20,00,00,000	5,00,000	10,00,000	5,00,000
38			33454	24630	24-07-2019	24-07-2019	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
39			33646	26394	09-08-2019	09-08-2019	1,12,00,00,000	5,00,000	56,00,000	51,00,000
40			33657	26493	09-08-2019	09-08-2019	5,00,00,00,000	10,00,000	2,50,00,000	2,40,00,000
41			34131	30851	20-09-2019	20-09-2019	50,00,00,000	5,00,000	25,00,000	20,00,000
42			34179	31295	26-09-2019	26-09-2019	75,00,00,000	5,00,000	37,50,000	32,50,000
43			35468	43370	28-12-2019	28-12-2019	35,00,00,000	5,00,000	17,50,000	12,50,000
44			35747	2343	20-01-2020	20-01-2020	85,00,00,000	5,00,000	42,50,000	37,50,000
45			35894	3777	30-01-2020	30-01-2020	4,50,00,00,000	5,00,000	2,25,00,000	2,20,00,000
46			36038	5129	10-02-2020	10-02-2020	27,50,00,000	5,00,100	13,75,000	8,74,900
47			38404	5268	08-03-2021	08-03-2021	31,00,00,000	5,00,500	15,50,000	10,49,500
योग							**70,90,13,66,868**	**2,50,03,150**	**35,45,06,834**	**32,95,03,684**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXII

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम अरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.5.1 से 3.4.5.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निबन्धन तिथि	सुरक्षित धनराशि	कुल आरोपित शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
1	उप निबन्धक–प्रथम	आगरा	11205	2531	16-07-2021	7,00,00,000	5,00,000	3,50,000	14,00,000	12,50,000
2	उप निबन्धक–प्रथम	अलीगढ	14938	3743	26-06-2020	5,80,65,000	5,00,000	2,90,325	11,61,300	9,51,625
3	उप निबन्धक–प्रथम		16062	1851	16-02-2022	3,50,00,000	5,00,000	1,75,000	7,00,000	3,75,000
4	उप निबन्धक–तृतीय, नोएडा	जी.बी. नगर	7348	4158	29-07-2019	3,50,00,00,000	5,00,000	1,75,00,000	0	1,70,00,000
5	उप निबन्धक–पंचम	गाजियाबाद	8729	3126	02-09-2021	5,53,06,000	5,00,000	2,76,530	11,06,120	8,82,650
6	उप निबन्धक–सरोजनीनगर	लखनऊ	6448	13943	23-04-2021	5,68,15,875	5,00,000	2,84,079	11,36,318	9,20,397
7			6396	12922	08-04-2021	5,65,00,000	5,00,000	2,82,500	11,30,000	9,12,500
8	उप निबन्धक–मोहनलालगंज		12800	9663	08-04-2021	10,65,63,750	5,00,000	5,32,820	21,31,280	21,64,100
9	उप निबन्धक–प्रथम		24331	355	30-03-2019	5,10,00,000	5,00,000	2,55,000	10,20,000	7,75,000
10	उप निबन्धक–प्रथम	मथुरा	16851	16276	22-09-2021	2,80,00,000	5,00,000	1,40,000	5,60,000	2,00,000
11	उप निबन्धक–प्रथम	वाराणसी	12917	9478	23-11-2021	4,90,00,000	5,00,000	2,45,000	9,80,000	7,25,000
12	उप निबन्धक–गंगापुर		6863	7049	29-10-2021	6,54,00,000	5,00,000	3,27,000	13,08,000	11,35,000
योग						**4,13,16,50,625**	**60,00,000**	**2,06,58,254**	**1,26,33,018**	**2,72,91,272**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXIII

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के स्थान पर स्वत्व पत्र के निक्षेप विलेखों के निष्पादन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.6)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धक/सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर
1	उप निबन्धक –तृतीय	आगरा	9537	4297	20-05-2019	20-05-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	1,10,00,000	10,000	55,000	2,20,000	2,65,000
2	उप निबन्धक– द्वितीय	बरेली	10839	1322	19-01-2019	01-02-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	32,00,000	10,000	16,000	64,000	70,000
3			11003	3530	26-03-2019	26-03-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	22,75,000	10,000	11,375	45,500	46,875
4			11518	9673	06-09-2019	06-09-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	25,00,000	10,000	12,500	50,000	52,500
5	उप निबन्धक– दादरी	जी.बी. नगर	17606	14005	06-04-2021	06-04-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	61,61,000	10,000	30,805	0	20,805
6	उप निबन्धक– प्रथम नोयडा		9271	3252	24-05-2019	24-05-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	2,00,00,000	10,000	1,00,000	0	90,000
7	उप निबन्धक– प्रथम	गाजियाबाद	16175	1114	05-02-2019	05-02-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	2,00,00,000	10,000	1,00,000	4,00,000	4,90,000
8	उप निबन्धक– द्वितीय		13944	6978	07-06-2018	07-06-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	75,00,00,000	10,000	37,50,000	1,50,00,000	1,87,40,000
9			14180	9170	24-07-2018	24-07-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	31,50,000	10,000	15,750	63,000	68,750
10			14359	10848	06-09-2018	06-09-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	25,00,000	10,000	12,500	50,000	52,500

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धक/सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर
11			14658	13604	16-11-2018	16-11-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	8,25,000	4,200	4,125	16,500	16,425
12			15602	7915	11-06-2019	11-06-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	40,00,00,000	10,000	20,00,000	80,00,000	99,90,000
13			16305	14639	26-11-2019	26-11-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	36,05,000	10,000	18,025	72,100	80,125
14	उप निबन्धक–तृतीय		14576	5341	18-06-2019	18-06-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	3,00,00,000	10,000	1,50,000	6,00,000	7,40,000
15			13732	5769	25-07-2018	26-07-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	27,00,000	10,000	13,500	54,000	57,500
16			13701	5426	13-07-2018	13-07-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	6,00,000	3,000	3,000	12,000	12,000
17			14284	2295	06-03-2019	12-03-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	85,00,000	10,000	42,500	1,70,000	2,02,500
18			13877	7302	25-09-2018	25-09-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	4,35,000	2,200	2,175	8,700	8,675
19			13424	2523	05-04-2018	05-04-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	35,25,837	10,000	17,629	70,517	78,146
20	उप निबन्धक–चतुर्थ		36325	17684	07-08-2018	07-08-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	1,58,85,300	10,000	79,427	3,17,706	3,87,133
21			36325	17685	07-08-2018	07-08-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	1,06,00,000	10,000	53,000	2,12,000	2,55,000
22			36718	22096	05-10-2018	05-10-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	24,00,00,000	10,000	12,00,000	48,00,000	59,90,000
23			37445	3074	06-02-2019	06-02-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	12,50,00,00,000	10,000	6,25,00,000	25,00,00,000	31,24,90,000

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धक/सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर
24			36682	21702	28-09-2018	28-09-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	8,00,00,000	10,000	4,00,000	16,00,000	19,90,000
25	उप निबन्धक–पंचम		7785	3743	17-07-2019	17-07-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	15,50,849	7,800	7,754	31,017	30,971
26	उप निबन्धक–तृतीय	लखनऊ	12923	2623	02-05-2018	02-05-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	22,00,000	10,000	11,000	44,000	45,000
27			14051	7566	25-05-2018	29-05-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	9,50,00,000	10,020	4,75,000	19,00,000	23,64,980
28	उप निबन्धक–प्रथम		15043	9891	11-07-2019	11-07-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	10,00,00,000	10,000	5,00,000	20,00,000	24,90,000
29		मथुरा	16470	4269	08-02-2021	02-03-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	2,00,00,000	10,000	1,00,000	4,00,000	4,90,000
30	उप निबन्धक–द्वितीय		9027	10564	20-09-2018	20-09-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	5,00,00,000	10,000	2,50,000	10,00,000	12,40,000
31		मेरठ	12143	3541	12-04-2018	12-04-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	5,00,00,000	10,000	2,50,000	10,00,000	12,40,000
32			12276	6066	21-06-2018	02-07-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	26,47,00,000	10,000	13,23,500	52,94,000	66,07,500
33	उप निबन्धक–प्रथम		13001	7811	23-09-2019	24-09-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	9,79,841	10,000	4,899	19,597	14,496
34			13284	1947	27-02-2020	03-03-2020	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	14,58,586	10,000	7,293	29,172	26,465
35			13714	182	04-01-2021	06-01-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	4,86,445	10,000	2,432	9,729	2,161
36	उप निबन्धक–तृतीय		14747	1229	22-01-2021	22-01-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	17,00,000	10,000	8,500	34,000	32,500

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धक/सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर
37	उप निबन्धक–सरधना		9273	2407	13-02-2020	13-02-2020	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	21,97,000	10,000	10,985	43,940	44,925
38			8263	14065	24-08-2018	24-08-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	9,11,218	10,000	4,556	18,224	12,780
39	उप निबन्धक–प्रथम	प्रयागराज	10813	7134	18-12-2019	18-12-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	28,91,311	10,000	14,457	57,826	62,283
40	उप निबन्धक–प्रथम	वाराणसी	11074	963	11-02-2019	11-02-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	56,27,512	10,000	28,138	1,12,550	1,30,688
41			12400	1327	10-02-2021	11-02-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	14,40,000	10,100	7,200	28,800	25,900
42			12434	1791	24-02-2021	24-02-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	48,00,000	10,000	24,000	96,000	1,10,000
43	उप निबन्धक–द्वितीय		9554	2929	15-05-2018	15-05-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	60,99,530	10,000	30,498	1,21,991	1,42,488
44			9961	7761	17-12-2018	17-12-2018	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	24,35,000	10,100	12,175	48,700	50,775
45			10295	3679	13-06-2019	13-06-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	1,70,00,000	10,000	85,000	3,40,000	4,15,000
46			10538	6457	04-10-2019	04-10-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	2,97,00,000	10,000	1,48,500	5,94,000	7,32,500
47			10688	8161	13-12-2019	13-12-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	25,00,000	20,000	12,500	50,000	42,500
48			11023	3524	02-09-2020	02-09-2020	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	48,36,741	10,000	24,184	96,735	1,10,919
योग								**14,78,59,76,170**	**4,67,420**	**7,39,29,881**	**29,51,96,303**	**36,86,58,764**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXIV

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के स्थान पर स्वत्व पत्र के निक्षेप विलेखों के निष्पादन किये जाने से स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.6)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धक/सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अन्तर
1	उप निबंधक–प्रथम	आगरा	10762	3738	24-10-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	10,00,00,000	10,030	5,00,000	20,00,000	24,89,970
2	उप निबंधक–सदर	बाराबंकी	12862	2005	03-02-2020	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	26,45,00,000	10,000	13,22,500	52,90,000	66,02,500
3	उप निबंधक–प्रथम	बरेली	10183	916	23-01-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	2,66,00,000	10,000	1,33,000	5,32,000	6,55,000
4	उप निबंधक–प्रथम	लखनऊ	629	287	28-12-2019	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	1,21,80,000	10,000	60,900	2,43,600	2,94,500
5	उप निबंधक–तृतीय	मेरठ	15378	16106	26-11-2021	स्वत्व पत्रों का निक्षेप	40,00,000	10,000	20,000	80,000	90,000
योग							**40,72,80,000**	**50,030**	**20,36,400**	**81,45,600**	**1,01,31,970**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXV

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के स्थान पर जमानती बाँड के निष्पादन के कारण राजस्व का कम आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.7)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	अदा किया गया निबन्धन शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन शुल्क	अन्तर
1	उप निबन्धक–द्वितीय	आगरा	14907	3650	24-07-2020	24-07-2020	जमानतनामा विलेख	2,33,60,000	120	100	1,16,800	4,67,200	2,33,600	8,17,380
2			14907	3649	24-07-2020	24-07-2020	जमानतनामा विलेख	3,53,60,000	120	100	1,76,800	7,07,200	3,53,600	12,37,380
3			14945	4247	17-08-2020	17-08-2020	जमानतनामा विलेख	1,04,70,000	300	100	52,350	2,09,400	1,04,700	3,66,050
4			15067	6316	16-10-2020	16-10-2020	जमानतनामा विलेख	1,67,60,000	300	100	83,800	3,35,200	1,67,600	5,86,200
5			15196	8616	22-12-2020	22-12-2020	जमानतनामा विलेख	1,01,70,765	300	100	50,854	2,03,415	1,01,708	3,55,577
6	उप निबन्धक–द्वितीय	गाजियाबाद	13924	6759	01-06-2018	01-06-2018	जमानतनामा विलेख	13,86,89,136	100	100	6,93,446	27,73,783	20,000	34,87,028
7			14468	11850	03-10-2018	04-10-2018	जमानतनामा विलेख	1,21,99,224	100	100	60,996	2,43,984	20,000	3,24,781
8			14778	186	10-01-2019	10-01-2019	जमानतनामा विलेख	9,23,70,082	100	100	4,61,850	18,47,402	20,000	23,29,052
9			14924	1566	30-01-2019	30-01-2019	जमानतनामा विलेख	3,35,61,526	100	100	1,67,808	6,71,231	20,000	8,58,838

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	अदा किया गया निबन्धन शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन शुल्क	अन्तर
10			15467	6669	15-05-2019	15-05-2019	जमानतनामा विलेख	52,72,997	100	100	26,365	1,05,460	20,000	1,51,625
11			16138	12992	14-10-2019	14-10-2019	जमानतनामा विलेख	4,37,93,075	500	100	2,18,965	8,75,862	20,000	11,14,227
12			14862	955	21-01-2019	21-01-2019	जमानतनामा विलेख	11,20,50,000	100	100	5,60,250	22,41,000	20,000	28,21,050
योग								**53,40,56,805**	**2,240**	**1,200**	**26,70,284**	**1,06,81,136**	**11,01,208**	**1,44,49,188**

परिशिष्ट–XXXVI

बन्धक विलेखों (बिना कब्जा) के स्थान पर जमानती बाँड के निष्पादन के कारण राजस्व का कम अरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.7)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	सुरक्षित धनराशि	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	अदा किया गया निबन्धन शुल्क	0.5 प्रतिशत की दर से आरोप–णीय स्टाम्प शुल्क	दो प्रतिशत की दर से आरोपणीय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन शुल्क	अन्तर
1	उप निबन्धक–द्वितीय	आगरा	15420	4239	5/31/2021	जमानतनामा विलेख	69,33,670	500	100	34,668	1,38,673	69,337	2,42,078
2			15454	5040	6/21/2021	जमानतनामा विलेख	98,88,000	200	100	49,440	1,97,760	98,880	3,45,780
3			15492	5976	07-12-2021	जमानतनामा विलेख	1,46,25,000	200	100	73,125	2,92,500	1,46,250	5,11,575
4			15493	6011	7/13/2021	जमानतनामा विलेख	1,46,25,000	200	100	73,125	2,92,500	1,46,250	5,11,575
5			15597	8625	9/20/2021	जमानतनामा विलेख	59,58,495	200	100	29,792	1,19,170	59,585	2,08,247
6	उप निबन्धक–द्वितीय	गाजियाबाद	18029	6680	6/21/2021	जमानतनामा विलेख	14,61,64,272	100	100	7,30,821	29,23,285	14,61,643	51,15,550
7			18239	9510	8/18/2021	जमानतनामा विलेख	9,34,43,000	1,000	100	4,67,215	18,68,860	9,34,430	32,69,405
योग							**29,16,37,437**	**2,400**	**700**	**14,58,187**	**58,32,749**	**29,16,374**	**1,02,04,210**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXVI-A

जमानतनामा विलेखों पर अधिनियमों एवं अधिसूचना के अनुरूप स्टाम्प, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4.7)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	जनपद	खण्ड संख्या	लेखपत्र संख्या	निष्पादन तिथि	निबन्धन तिथि	विलेख का प्रकार	बन्धककर्ता	बन्धकी	सुरक्षित धनराशि	2.5 प्रतिशत की दर से आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपति निबन्धन फीस
1	उप निबंधक–सरधना	मेरठ	10493	20061	11/16/2021	11/16/2021	जमानतनामा सह बन्धक विलेख	उपनिवेशक आशियाना कान्सट्रक्शन	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	30,00,000	75,000	30,000
2	उप निबंधक–सरधना	मेरठ	10202	9010	06-10-2021	06-10-2021	जमानतनामा सह बन्धक विलेख	अंसल हाउसिंग लि0	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	25,00,000	62,500	25,000
3	उप निबंधक–प्रथम	मेरठ	13519	6394	10-06-2020	10-07-2020	जमानतनामा सह बन्धक विलेख	मेसर्स जय किशन ईस्टेट डेवलपरर्स प्रा0 लि0	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	2,63,55,512	6,59,000	2,63,560
योग										**3,18,55,512**	**7,96,500**	**3,18,560**

परिशिष्ट–XXXVII

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के उल्लंघन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना

(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.5*)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
1	उ0नि0 द्वितीय, आगरा	**15378**	**3280**	**24.03.2021**	**ए**	**बी**	1080	**0.2555 हे0**	**कृषि भूमि रा. रा. मार्ग पर**	**195 लाख प्रति हे0**	**4983000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**339000**	**49830**	**10000**	**25550000**	**1778500**	**255500**	**1645170**
		15114	7137	05.11.2020	सी	डी		219.22 व.मी.	आवासीय प्लाट के चारो तरफ प्लाटस एवं सड़क	5500 प्रति व.मी.	1206000	6 एवं 7 प्रतिशत	74500	12060					
		15115	7153	05.11.2020	बी	ई		86.62 व.मी.	आवासीय प्लाटस एवं रा.रा. मार्ग	10000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	953000	7 प्रतिशत	66800	9530					
		प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 22 के अनुसार 3000 से 10000 वर्ग मी. के लिए निर्धारित दर ₹ 10,000 प्रति वर्ग मी0 के 70 प्रतिशत की दर से																	
2		**14966**	**4609**	**26.08.2020**	**ए**	**बी**	1086	**0.2305 हे0**	**आवासीय गतिविधि के पास स्थित कृषि भूमि**	**195 प्रति हे0 + 30 प्रतिशत**	**5860000**	7 प्रतिशत	**410200**	**58600**	**10000**	**23050000**	**1613500**	**230500**	**1375200**
		14015	198	07.01.2019	सी	डी		136.56 व.मी.	रा.रा. मार्ग पर स्थित आवासीय प्लाट	10000 प्रति व.मी.	1366000	6 एवं 7 प्रतिशत	85700	20000					
		14167	2625	29.03.2019	सी	ई		83.61 व.मी.	प्लाटों व 16 फीट सड़क से घिरा आवासीय प्लाट	10000 प्रति व.मी.	837000	6 प्रतिशत	50300	16740					
3	उ0नि0 सदर, आजमगढ	**7669**	**6269**	**04.11.2020**	**ए**	**बी**	351 मि	**0.22842 हे0**	**चकमार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**4500 प्रति व.मी.***	**3567000**	6 प्रतिशत	**178500**	**35670**	**4500**	**10279000**	**513950**	**102790**	**402570**
		7621	5292	01.10.2020	सी	डी		113.40 व.मी.	8 फीट आर.सी. सी. सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	4500 प्रति व.मी.	511000	5 प्रतिशत	25550	5110					
		7690	6727	24.11.2020	सी	ई		340.20 व.मी.		4500 प्रति व.मी.	1531000	4 एवं 5 प्रतिशत	66550	15310					
		**प्रभावी सर्किल दर सूची दिनांक 16.9.2019 के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 बी के अनुसार प्रथम 500 व.मी. पर मूल दर का 100 प्रतिशत, अगले 500 व.मी. पर मूल दर का 20 प्रतिशत और शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन मूल दर का 15 प्रतिशत*																	

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
4	उ0नि0 प्रथम, बरेली	**13002**	**16162**	**12.11.2021**	**ए**	**बी**	299 मि	**0.451 167 हे0**	**बडा बाईपास पर स्थित कृषि भूमि**	*****	**10524000**	7 प्रतिशत	**737000**	**105240**	**6000**	**27071000**	**1894970**	**270710**	**1323440**
		6590	8202	28.06.2014	**सी**	**डी**		125.41 व.मी.	बडा बाईपास के साथ दो सड़को पर स्थित आवासीय भूमि	6000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	830000	6 प्रतिशत	50000	10000					
		**प्रभावी सर्किल दर सूची दिनांक 31.07.2020 के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 5000/व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ दो करोड प्रति हेक्टेयर की दर से*																	
5		**12810**	**11263**	**13.08.2021**	**ए**	**बी**	111	**0.3169 हे0**	**आबादी के नजदीक स्थित कृषि भूमि**	*****	**4804000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**326300**	**48040**	**3200**	**10141000**	**699870**	**101410**	**426940**
		12592	6009	16.04.2021	बी	सी		55.74 व.मी.	कालोनी एवं 25 फीट सड़क पर स्थित आवासीय भूमि	3500 प्रति व.मी.	196000	6 प्रतिशत	11800	1960					
		12813	11347	16.08.2021	**ए**	डी		91.97 व.मी.	25 फीट सड़क पर स्थित आवासीय भूमि	3500 प्रति व.मी.	322000	7 प्रतिशत	22550	3220					
		** प्रथम 500 वर्गमीटर का मूल्यांकन : 3200 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 0.2669 हे0 का मूल्यांकन ₹ 120 लाख प्रति हेक्टयर की दर से*																	
6	उ0नि0 सदर, बस्ती	**8363**	**1544**	**27.02.2019**	**ए**	**बी**	2589 एस	**0.2530 हे0**	**आबादी एवं सड़क से 200 मी0 दूर स्थित कृषि भूमि**	**112 लाख प्रति हे0**	**2834000**	7 प्रतिशत	**198500**	**20000**	**8000**	**20240000**	**1416800**	**20000**	**1218300**
		8247	10935	18.12.2018	सी	डी		126.50 व.मी.	आवासीय प्लाट एवं सम्पर्क मार्ग	8400 प्रति व.मी.	1063000	6 एवं 7 प्रतिशत	64500	20000					
		9852	8881	25.11.2021	सी	ई		160.00 व.मी.		9500 प्रति व.मी.	1520000	6 एवं 7 प्रतिशत	96400	15200					
7	उ0नि0 सदर बाराबंकी	**14310**	**15423**	**19.08.2021**	**ए**	**बी**	534 मि	**0.2510 हे0**	**सडक एवं आबादी से दूर कृषि भूमि**	**48 लाख प्रति हे0**	**1950000**	**5 प्रतिशत**	**97500**	**19500**	**4200**	**10542000**	**527100**	**105420**	**515520**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		14094	10118	07.06.2021	ए	सी		288.89 व.मी.	प्लाटस एवं सड़क से सटा आवासीय प्लाट	4200 प्रति व.मी.	1214000	5 प्रतिशत	60800	12140					
8	उ0नि0 सदर, इटावा	**9044**	**9167**	**04.11.2019**	**ए**	**बी**	614	**0.1620 हे0**	**कृषि भूमि**	**144 लाख प्रति हे0**	**2333000**	7 प्रतिशत	**163320**	**20000**	**9000**	**14580000**	**1020600**	**20000**	**857280**
		8970	7857	19.09.2019	ए	**सी**		1225 व.फी.	आराजी के भाग को पट्टे पर दिया गया										
9	उ0नि0 प्रथम, नोएडा, जी. बी. नगर	**9315**	**3652**	**11.06.2019**	ए	**बी**	282	**269.78 व.मी.**	**आवासीय प्लाट**	**13000 प्रति व.मी.**	**3508000**	**4 एवं 5 प्रतिशत**	**165500**	**20000**	**104000**	**28058000**	**1392900**	**20000**	**1227400**
		9315	3649	11.06.2019	ए	**बी**		109.06 व.मी.	व्यवसायिक प्लाट जिसमें 138.80 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल	104000 प्रति व.मी.	13425000	4 एवं 5 प्रतिशत	661500	20000					
10		**10516**	**2204**	**10.06.2021**	ए	**बी**	879/2 एम्	**0.1683 हे0**	**कृषि भूमि**	**264 लाख प्रति हे0**	**4443120**	**5 प्रतिशत**	**222206**	**44440**	**13000**	**21879000**	**1093950**	**218790**	**1046094**
11		**10516**	**2208**	**10.06.2021**	ए	**बी**		**0.1852 हे0**	**कृषि भूमि**	**264 लाख प्रति हे0**	**4889280**	**5 प्रतिशत**	**244514**	**48900**	**13000**	**24076000**	**1203800**	**240760**	**1151146**
		10069	2848	24.07.2020	सी	डी		50.16 व.मी.	15 फीट चौडी सड़क व प्लाटों से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	13000 प्रति व.मी.	653000	4 प्रतिशत	26150	6530					
		9811	209	08.01.2020	सी	ई		83.61 व.मी.		13000 प्रति व.मी.	1087000	5 प्रतिशत	54350	20000					
12	उ0नि0 तृतीय गाजियाबाद	**15485**	**4160**	**19.08.2020**	ए	**बी**	1153 मि	**0.2530 हे0**	**मुख्य सडक से 500 मी0 दूर, आबादी से सटा सम्पर्क मार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**187 लाख प्रति हे0**	**4732000**	7 प्रतिशत	**332000**	**47320**	*	**12653000**	**885710**	**126530**	**632920**
13		**15485**	**4161**	**19.08.2020**	ए	**बी**		**0.2530 हे0**			**4732000**	7 प्रतिशत	**332000**	**47320**	*	**12653000**	**885710**	**126530**	**632920**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		15438	3655	28.07.2020	सी	डी		42.64 व.मी.	सड़क व विकसित कालोनी में स्थित आवासीय प्लाट	5500 प्रति व.मी.	235000	6 प्रतिशत	14100	2350					
		15468	3984	13.08.2020	सी	ई		85.28 व.मी.		5500 प्रति व.मी. + 8 प्रतिशत	507000	6 प्रतिशत	30500	5070					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 35 (3) के अनुसार प्रथम 1000 व0मी0 का मूल्यांकन ₹ 5500 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्याकन निर्धारित दर के 85 प्रतिशत यानि ₹ 4675 प्रति व.मी. की दर से*																	
14	उ0नि0 चतुर्थ गाजियाबाद	**40383**	**9805**	**03.09.2021**	**ए**	**बी**	528 मि	**0.18074 हे0**	**सड़क से दूर व आबादी से सटी कृषि भूमि**	**254.70 लाख प्रति हे0**	**4604000**	7 प्रतिशत	**322500**	**46040**	*****	**15540000**	**1087800**	**155400**	**874660**
		40355	9438	27.08.2021	सी	डी		41.80 व.मी.	प्लाटों व सडक से सटा एवं कालोनी में स्थित आवासीय भूमि	9000 प्रति व.मी.	377000	7 प्रतिशत	26400	3770					
		40201	7345	14.07.2021	ई	एफ		41.80 व.मी.		9000 प्रति व.मी.	377000	6 प्रतिशत	22700	3770					
		**प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 35 (2) के अनुसार प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 9000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 807.40 व.मी. का मूल्याकन निर्धारित दर के 90 प्रतिशत यानि ₹ 8100 प्रति व.मी. की दर से*																	
15		**39689**	**626**	**18.01.2021**	**ए**	**बी**	132	**0.0836 हे0**	**मुख्य मार्ग पर व मंदिर से सटी हुई कृषि भूमि**	**226.60 लाख प्रति हे0**	**1895000**	7 प्रतिशत	**133000**	**18950**	**10000**	**8360000**	**585200**	**83600**	**516850**
		39404	7436	22.10.2020	**सी**	**डी**		16.25 व.मी.	प्लाट्स व 30 फीट रोड से सटा आवासीय प्लाट	10000 प्रति व.मी.	163000	6 प्रतिशत	10000	1630					
16	उ0नि0 पंचम गाजियाबाद	**8742**	**3305**	**10.09.2021**	**ए**	**बी**	1108 एवं 1109	**0.2210 हे0**	**सडक से 500 मी0 दूर व आबादी से सटी कृषि भूमि**	**640 लाख प्रति हे0**	**19852794**	7 प्रतिशत	**1389900**	**198528**	**16700***	**34887000**	**2442090**	**348870**	**1202532**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		8693	2635	28.07.2021	**बी**	**सी**		83.61 व.मी.	प्लाट्स व रोड से सटा हुआ विकसित कालोनी के अन्दर स्थित आवासीय प्लाट	16700 प्रति व.मी.	1400000	6 एवं 7 प्रतिशत	88000	14000					
		8706	2818	10.08.2021	**बी**	**डी**		71.06 व.मी.	प्लाट्स व रोड से सटा हुआ विकसित कालोनी के अन्दर स्थित आवासीय मकान	16700 प्रति व.मी. व निर्मित क्षेत्रफल हेतु 12000 प्रति व.मी.	2100000	7 प्रतिशत	147000	21000					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 35 (2) के अनुसार प्रथम 1000 व.मी.का मूल्यांकन ₹ 16700 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्याकन निर्धारित दर के 90 प्रतिशत यानि ₹ 15030 प्रति व.मी. की दर से*																	
17		**7350**	**7485**	**01.11.2018**	**ए**	**बी**	395	**0.1524 हे0**	**कृषि भूमि की चौहद्दी में सम्पर्क मार्ग और मुख्य मार्ग से दो कि.मी. दूर दर्शाया गया**	**90 लाख प्रति हे0**	**1372000**	6 एवं 7 प्रतिशत	**86050**	**20000**	**8200***	**12068000**	**834760**	**20000**	**748710**
		6587	7320	29.12.2017	सी	डी		25.08 व.मी.	विकसित कालोनी में सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	8200 प्रति व.मी	206000	7 प्रतिशत	14500	4120					
		6588	7324	29.12.2017	सी	ई		20.90 व.मी.		8200 प्रति व.मी	172000	7 प्रतिशत	10400	3440					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 35 (2) के अनुसार प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 8200 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्याकन निर्धारित दर के 90 प्रतिशत यानि ₹ 7380 प्रति व.मी. की दर से*																	
18	उ0नि0 प्रथम गोरखपुर	**16808**	**3390**	**12.03.2021**	**ए**	**बी**	839, 823, 825	**0.4060 हे0**	**सड़क से एक कि.मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	**85 लाख प्रति हे0**	**8000000**	**5 प्रतिशत**	**400000**	**80000**	*****	**23753000**	**1187650**	**237530**	**945180**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		16826	3710	19.03.2021	बी	सी		185.8736 व.मी.	आवासीय प्लाट व सड़क	8000 प्रति व.मी.	1487000	4 एवं 5 प्रतिशत	64520	14870					
		16484	9744	02.12.2020	डी	ई		232.34 व.मी.	आवासीय प्लाट व दो तरफ सड़क	8000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	2045000	4 एवं 5 प्रतिशत	92250	20450					
		16499	9928	05.12.2020	डी	एफ		232.342 व.मी.			2045000	5 प्रतिशत	102300	20450					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 31 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 7500 प्रति व.मी. की दर से, द्वितीय 500 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 85 प्रतिशत यानि ₹ 6375 प्रति व.मी. की दर से, अगले 1000 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 80 प्रतिशत यानि ₹ 6000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 2060 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 70 प्रतिशत यानि ₹ 5250 प्रति व.मी. की दर से*																
19		**17008**	**7308**	**14.07.2021**	**ए**	**बी**	838.839	**0.2590 हे0**	**सड़क से एक कि.मी. दूर व 200 मी. की त्रिज्या में कृषक गतिविधियॉ**	**85 लाख प्रति हे0**	**4942800**	**5 प्रतिशत**	**247200**	**49400**	*****	**16035000**	**801750**	**160350**	**665500**
		17018	7509	19.07.2021	बी	सी		232.342 व.मी.	आवासीय प्लाट व दो तरफ सड़क	8000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	2045000	5 प्रतिशत	102300	20450					
		16826	3710	19.03.2021	बी	डी		185.8736 व.मी.		8000 प्रति व.मी.	1487000	4 एवं 5 प्रतिशत	64520	14870					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 31 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 7500 प्रति व.मी. की दर से, द्वितीय 500 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 85 प्रतिशत यानि ₹ 6375 प्रति व.मी. की दर से, अगले 1000 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 80 प्रतिशत यानि ₹ 6000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 590 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 70 प्रतिशत यानि ₹ 5250 प्रति व.मी. की दर से*																
20	उ0नि0 द्वितीय गोरखपुर	**18232**	**16447**	**13.12.2021**	**ए**	**बी**	222/1/1	**0.2430 हे0**	**सड़क से एक कि.मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	**360 लाख प्रति हे0**	**8748000**	7 प्रतिशत	**612500**	**87480**	*****	**24312000**	**1701840**	**243120**	**1244980**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		15410	1955	15.02.2019	सी	डी		84.94 व. मी.	आवासीय प्लाट्स व सड़क	13800 प्रति व.मी.	1173000	6 एवं 7 प्रतिशत	72200	20000					
		15442	2377	23.02.2019	ई	एफ		250.93 व.मी.		13800 प्रति व.मी.	3463000	7 प्रतिशत	242520	20000					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 31 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 12000 प्रति व.मी. की दर से, द्वितीय 500 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 85 प्रतिशत यानि ₹ 10200 प्रति व.मी. की दर से, अगले 1000 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 80 प्रतिशत यानि ₹ 9600 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 430 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 70 प्रतिशत यानि ₹ 8400 प्रति व.मी. की दर से*															
21	उ0नि0 सदर जौनपुर	**7652**	**188**	**05.01.2019**	**ए**	**बी**	52, 53, 55, 56	**0.8100 हे0**	**सड़क व बाजार से दूर कृषि भूमि**	**97.50 लाख प्रति हे0**	**7898000**	7 प्रतिशत	**552860**	**20000**	**7200**	**58320000**	**4082400**	**20000**	**3529540**
		7654	243	07.01.2019	बी	सी		8186.57 व.मी.	सम्पत्ति बी द्वारा 30 वर्ष हेतु पट्टे पर स्कूल संचालन हेतु दी गयी जिसमें रोड व टीन शेड दर्शाया गया है										
22	उ0नि0 द्वितीय कानपुर नगर	**9759**	**6106**	**19.08.2019**	**ए**	**बी**	338, 341, 377	**0.2370 हे0**	**आबादी से 200 मीटर दूर कृषि भूमि**	**100 लाख प्रति हे0**	**2403000**	7 प्रतिशत	**168500**	**20000**	**4200**	**9954000**	**696780**	**20000**	**528280**
		9748	5957	09.08.2019	सी	डी		512.11 व.मी.	आवासीय प्लाट्स व रोड	4200 प्रति व.मी.	2151000	6 एवं 7 प्रतिशत	140600	20000					
23	उ0नि0 चतुर्थ कानपुर नगर	**13336**	**8285**	**30.07.2021**	**ए**	**बी**	804	**0.5125 हे0**	**रा.रा. मार्ग से 500 मी. दूर कृषि भूमि**	**40 लाख प्रति हे0 + 70 प्रतिशत**	**3485000**	7 प्रतिशत	**244000**	**34850**	**2200**	**11275000**	**789250**	**112750**	**623150**
		11999	9283	10.10.2019	ए	सी		50.17 व.मी.	आवासीय प्लाट व चौहद्दी में सड़क व प्लाट	2200 प्रति व.मी.	111000	6 प्रतिशत	6660	2220					
		12403	3517	30.06.2020	ए	डी		83.61 व. मी.		2200 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	203000	6 प्रतिशत	12200	2030					
		13360	8718	09.08.2021	बी	ई		41.805 व.मी.		2200 प्रति व.मी.	92000	6 प्रतिशत	5600	920					

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
24	उ0नि0 चतुर्थ लखनऊ	**18617**	**9694**	**29.10.2020**	**ए**	**बी**	345	**0.3795 हे0**	**हरदोई सड़क से 3 कि.मी. दूर**	**130 लाख प्रति हे0**	**4940000**	7 प्रतिशत	**346000**	**49400**	*	**20696000**	**1448720**	**206960**	**1260280**
		18299	4936	13.07.2020	सी	डी		92.936 व.मी.	हरदोई सड़क से 200 मी. दूर एवं प्लाट्स व 18 फीट चौडी रोड	7000 प्रति व.मी.	651000	7 प्रतिशत	45600	6590					
		18846	12831	30.12.2020	बी	ई		464.684 व.मी.	20 फीट चौडी दो सड़क	7000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	3579000	7 प्रतिशत	252000	35790					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 18 के अनुसार प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 7000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन निर्धारित दर का 70 प्रतिशत यानि ₹ 4900 प्रति व.मी. की दर से*																	
25		**13449**	**10428**	**19.06.2021**	**ए**	**बी**	**968 मि**	**0.2530 हे.**	**सडक व आबादी से दूर स्थित कृषि भूमि**	**120 लाख प्रति हे0**	**3036000**	7 प्रतिशत	**212600**	**30360**	**5500**	**13915000**	**974050**	**139150**	**870240**
		13259	5698	08.03.2021	सी	डी		209.572 व.मी.	आवासीय प्लाट संस्थानों से घिरा हुआ	5500 प्रति व.मी.	1152649	7 प्रतिशत	80800	11530					
		13692	17092	14.09.2021	ए	डी		771.375 व.मी.		5500 प्रति व.मी.	4242566	7 प्रतिशत	297100	42430					
26	उ0नि0 बक्सी का तालाब, लखनऊ	**13920**	**23424**	**09.12.2021**	**ए**	**बी**	**598 ख**	**0.2530 हे0**	**आबादी के नजदीक व सड़क से एक कि.मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	*	**3746000**	7 प्रतिशत	**262500**	**37460**	**4000**	**10120000**	**708400**	**101200**	**509640**
		13922	23485	09.12.2021	बी	सी		92.936 व–मी	प्लाट्स व सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	4000 प्रति व.मी.	372000	6 प्रतिशत	22400	3720					
		13925	23551	10.12.2021	बी	डी		241.635 व.मी.		4000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	1171000	6 एवं 7 प्रतिशत	72000	11710					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 13 बी के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 4000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ 86 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से*																	

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
27	उ0नि0 मोहनलाल गंज लखनऊ	**12008**	**16390**	**21.10.2020**	**ए**	**बी**	273 ख	**0.2530 हे0 ***	**रायबरेली सड़क से 125 मी. दूर एवं तकनीकी संस्थान**	**#**	**17000000**	7 प्रतिशत	**1190000**	**170000**	**$**	**40007000**	**2800490**	**400070**	**1840560**
		9915	24494	29.12.2018	सी	डी		52.044 व.मी.	प्लाट्स एवं रायबरेली रा.रा. मार्ग	17000 प्रति व.मी.	974000	6 प्रतिशत	58500	20000					
		12636	4979	19.02.2021	ई	एफ		124.721 व.मी.	प्लाट्स एवं रायबरेली रा.रा. मार्ग	17000 प्रति व.मी.	2121000	6 एवं 7 प्रतिशत	138500	21120					
		** इसमें 400 व.मी. का आवासीय मकान व शेष क्षेत्रफल 0.2131 हे0 को कृषि भूमि दर्शाया गया है*																	
		# आवासीय भूमि का मूल्यांकन ₹ 17000 प्रति व.मी., निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ 12000 प्रति व.मी. व कृषि भूमि का मूल्यांकन ₹ 1.50 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस 50 मी. की त्रिज्या में आबादी होने के कारण 40 प्रतिशत अतिरिक्त																	
		$ प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 18 के अनुसार प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 17000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन निर्धारित दर का 70 प्रतिशत यानि ₹ 11900 प्रति व.मी. की दर से																	
28	उ0नि0 सरोजनी नगर लखनऊ	**2114**	**14926**	**06.06.2019**	**ए**	**बी**	**315 मि**	**1.5023 हे0**	**सड़क पर स्थित कृषि भूमि**	*****	**33396639**	7 प्रतिशत	**2337900**	**20000**	**$**	**61940000**	**4335800**	**20000**	**1997900**
		2343	18261	08.07.2019	ए	बी		0.2530 हे0	रा.रा. मार्ग पर स्थित कृषि भूमि	**#**	20187000	7 प्रतिशत	1421100	20000					
		** प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 6000 प्रति व.मी. एवं शेष क्षेत्रफल 1.4523 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 1.61 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस 50 से 200 मी. की त्रिज्या में आबादी होने के कारण 30 प्रतिशत अतिरिक्त*																	
		# प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 25000 प्रति व.मी. एवं शेष क्षेत्रफल 0.2030 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 2.42 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस आबादी के निकट होने के कारण 30 प्रतिशत एवं दो तरफ रास्ता होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त																	
		$ प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 25000 प्रति व.मी. एवं शेष क्षेत्रफल 1.4523 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 2.42 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस आबादी के निकट होने के कारण 30 प्रतिशत अतिरिक्त																	
29	उ0नि0 प्रथम मेरठ	**13354**	**3222**	**06.07.2020**	**ए**	**बी**	286, 288/1	**0.3325 हे0**	आबादी से 200 मीटर दूर कृषि भूमि और संपर्क मार्ग	**204 लाख प्रति हे0**	**7056000**	7 प्रतिशत	**494400**	**70560**	*****	**15458000**	**1082060**	**154580**	**671680**
		13331	2814	18.06.2020	बी	सी	286	148.71 व.मी.	दो तरफ सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	5900 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	966000	6 एवं 7 प्रतिशत	62800	9660					

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		13327	2760	15.06.2020	बी	डी		213.67 व.मी.		6000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	1411000	6 एवं 7 प्रतिशत	88800	14110					
		** प्रभावी दर सूची दिनांक 12.08.2016 के सामान्य निर्देश क्रमांक 02 के अनुसार प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 5900 प्रति व.मी., अगले 1500 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर का 75 प्रतिशत यानि ₹ 4425 प्रति व.मी. एवं शेष क्षेत्रफल 825 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित 60 प्रतिशत यानि ₹ 3540 प्रति व.मी. की दर से*																
30	उ0नि0 द्वितीय, मथुरा	**10718**	**13192**	**11.10.2021**	**ए**	**बी**	108	**0.4530 हे0**	**सम्पर्क मार्ग पर स्थित कृषि भूमि, कोई आवासीय गतिविधि नहीं**	**80 लाख प्रति हे0**	**3624000**	**7 प्रतिशत**	**253680**	**36240**	*****	**15855000**	**1109850**	**158550**	**978480**
		10685	11958	16.09.2021	सी	डी		167.22 व.मी.	आवासीय प्लाट्स व 6 मी. से कम चौडी सड़क	4000 प्रति व.मी.	669000	6 प्रतिशत	40200	6690					
		10685	11959	16.09.2021	सी	ई		279.69 व.मी.	आवासीय प्लाट्स व 6 मी. से अधिक चौडी रोड	5000 प्रति व.मी.	1399000	6 एवं 7 प्रतिशत	88000	13990					
		**प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 13 के अनुसार निर्धारित दर ₹ 5000 प्रति व.मी. के 70 प्रतिशत की दर से*																	
31		**10499**	**5748**	**30.04.2021**	**ए**	**बी**	164	**0.4050 हे0**	**रोड से दूर स्थित कृषि भूमि**	**140 लाख प्रति हे0**	**5670000**	**7 प्रतिशत**	**397000**	**56700**	*****	**17010000**	**1190700**	**170100**	**907100**
		10436	3491	09.03.2021	सी	डी		92.89 व. मी.	रोड व कालोनी में स्थित आवासीय प्लाट व प्लाटों से घिरा हुआ	6500 प्रति व.मी.	604000	7 प्रतिशत	42300	6040					
		10261	10673	18.11.2020	सी	ई		117.00 व.मी.		6500 प्रति व.मी.	761000	7 प्रतिशत	53300	7610					
		**प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 13 के अनुसार निर्धारित दर ₹ 6000 प्रति व.मी. के 70 प्रतिशत की दर से*																	
32	उ0नि0 प्रथम मुरादाबाद	**17202**	**13713**	**23.07.2021**	ए	बी	670	**0.8260 हे0**	**रा.रा.मार्ग व आबादी से दूर स्थित कृषि भूमि**	**130 लाख प्रति हे0**	**10738000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**741700**	**107380**	**10500**	**86730000**	**6061100**	**867300**	**6079320**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		17201	13708	23.07.2021	ए	सी		140.00 व.मी.	प्लाट्स व 14 फीट रोड	2500 प्रति व.मी.	350000	6 प्रतिशत	21000	3500					
33		**16181**	**6458**	**02.07.2020**	ए	बी	627 एवं 628	**0.1570 हे0**	**आबादी व रोड से दूर**	**117 लाख प्रति हे0**	**1837000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**119000**	**18370**	**6000**	**9420000**	**649400**	**94200**	**606230**
		15835	21065	07.12.2019	ए	सी		37.30 व.मी.	रोड से 500 मी. दूर, प्लाट व 12 फीट रोड	6000 प्रति व.मी.	224000	6 प्रतिशत	13450	4480					
		15835	21066	07.12.2019	ए	डी		77.10 व.मी.		6000 प्रति व.मी.	463000	6 प्रतिशत	27800	9260					
34	उ0नि0 द्वितीय, मुरादाबाद	**13418**	**8502**	**27.08.2021**	ए	बी	163	**0.46166 हे0**	**आबादी से सटी व सम्पर्क मार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**97 लाख प्रति हे0**	**4479000**	**7 प्रतिशत**	**313600**	**44790**	**4500**	**20775000**	**1454250**	**207750**	**1303610**
		13401	8057	16.08.2021	सी	डी		94.14 व.मी.	आवासीय प्लाट, मकान व रोड	4500 प्रति व.मी.	424000	7 प्रतिशत	29700	4240					
		13419	8526	28.08.2021	ई	एफ		140.52 व.मी.	आवासीय प्लाट व रोड	4500 प्रति व.मी.	633000	6 प्रतिशत	38000	6330					
35	उ0नि0 करछना, प्रयागराज	**6245**	**5157**	**01.07.2019**	ए	बी	**498**	**0.5587 हे0**	**सम्पर्क मार्ग व आबादी से घिरी हुई कृषि भूमि**	**21.86 लाख प्रति हे0 + 10 प्रतिशत**	**1344000**	**4 एवं 5 प्रतिशत**	**57500**	**20000**	**2200**	**12292000**	**604600**	**20000**	**547100**
		6221	4844	21.06.2019	सी	डी		70.00 व.मी.	सम्पर्क मार्ग पर स्थित आवासीय प्लाट व मकान	2400 प्रति व.मी.	1078000	4 एवं 5 प्रतिशत	44000	20000					
36	उ0नि0 फूलपुर, प्रयागराज	**8206**	**7564**	**15.10.2020**	ए	बी	782 मि	**0.2280 हे0**	**सड़क व आबादी से 200 मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	**152 लाख प्रति हे0**	**3466000**	**7 प्रतिशत**	**243000**	**34660**	**10000**	**22800000**	**1596000**	**228000**	**1546340**
		8106	5593	03.09.2020	ए	सी		168.00 व.मी.	आवासीय प्लाट के चारों तरफ प्लाट्स, बाउन्ड्रवाल व 18 फीट चौडी सड़क	10500 प्रति व.मी.	1764000	6 एवं 7 प्रतिशत	113500	17640					

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		8208	7600	16.10.2020	डी	ई		8.40 व.मी.	प्लाट व 20 फीट चौडी सड़क	10500 प्रति व.मी.	89000	6 प्रतिशत	5400	890					
37		**8234**	**8119**	**27.10.2020**	**ए**	**बी**	243	**0.2290 हे0**	**सड़क व आबादी से 200 मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	**191 लाख प्रति हे0**	**4374000**	7 प्रतिशत	**306200**	**43740**	**10000**	**22900000**	**1603000**	**229000**	**1482060**
		8226	7954	23.10.2020	ए	सी		116.65 व.मी.	प्लाट व 18 से 20 फीट सड़क	10500 प्रति व.मी.	1348000	6 एवं 7 प्रतिशत	84400	13480					
		8342	10307	21.12.2020	ए का पुत्र	डी		166.66 व.मी.	प्लाट व 18 फीट सड़क	10500 प्रति व.मी.	1225000	6 एवं 7 प्रतिशत	75800	12250					
38		**7619**	**8349**	**12.09.2019**	**ए**	**बी**	210	**0.1948 हे0**	**सड़क से 200 मी. दूर**	**4500* प्रति व.मी.**	**2222000**	7 प्रतिशत	**155600**	**20000**	**4800**	**9351000**	**654570**	**20000**	**498970**
		7471	5812	28.06.2019	बी	सी		168.00 व.मी.	प्लाट्स व 40 फीट सड़क	5500 प्रति व.मी.	924000	6 प्रतिशत	55500	18480					
		7639	8712	30.09.2019	बी	डी		168.00 व.मी.	प्लाट्स व 30 फीट सड़क	5200 प्रति व.मी.	874000	6 प्रतिशत	55500	17480					
		** प्रभावी सर्किल दर सूची दिनांक 16.09.2019 के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 बी के अनुसार प्रथम 500 व.मी. के लिए निर्धारित दर का 40 प्रतिशत, अगले 500 व.मी. के लिए निर्धारित दर का 20 प्रतिशत व शेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित दर के 10 प्रतिशत की दर से*																	
39		**8505**	**3094**	**05.04.2021**	**ए**	**बी**	179	**0.0978 हे0**	**सड़क व आबादी के निकट स्थित कृषि भूमि**	**7400 प्रति व.मी.**	**3282000**	7 प्रतिशत	**230000**	**32820**	**7400**	**7238000**	**506660**	**72380**	**316220**
		8381	314	08.01.2021	ए	सी		168.00 व.मी.	प्लाट व 20 फीट चौडी सड़क	7800 प्रति व.मी.	1311000	7 प्रतिशत	91800	13110					
		8522	3500	17.04.2021	डी	ई		105.00 व.मी.	मकान व 20 फीट चौडी सड़क	7800 प्रति व.मी.	819000	6 प्रतिशत	49200	8190					
		** प्रभावी सर्किल दर सूची दिनांक 16.09.2019 के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 ए के अनुसार प्रथम 500 व.मी. के लिए निर्धारित दर का 60 प्रतिशत व शेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित दर के 30 प्रतिशत की दर से*																	

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
40	उ0नि0 द्वितीय, सहारनपुर	**8342**	**6382**	**28.08.2021**	**ए**	**बी**	2048 एम	**0.2076 हे0**	**आबादी से 800 मी. दूर व बाई पास सड़क पर स्थित कृषि भूमि**	**170 लाख प्रति हे0**	**3530000**	**7 प्रतिशत**	**247100**	**35300**	**5700**	**11834000**	**828380**	**118340**	**664320**
		8061	1933	02.03.2021	ए	सी		217.83 व.मी.	आवासीय प्लाट्स व दो तरफ रोड	5700 प्रति व.मी.	1366000	7 प्रतिशत	95700	13660					
		8422	7775	20.10.2021	बी	डी		167.22 व.मी.	आवासीय प्लाट्स व दो तरफ रोड	5700 प्रति व.मी.	954000	6 प्रतिशत	62100	9540					
41		**6890**	**2720**	**29.04.2019**	**ए**	**बी**	1339 और अन्य	**0.3416 हे0**	**आबादी में स्थित कृषि भूमि व चकमार्ग**	**95 लाख प्रति हे0**	**4750000**	**7 प्रतिशत**	**341600**	**20000**	**4000**	**13664000**	**956480**	**20000**	**614880**
		6848	2208	01.04.2019	बी	सी		128.20 व.मी.	प्लाट्स व सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	4000 प्रति व.मी.	513000	6 प्रतिशत	31000	10260					
		6891	2722	26.04.2019	बी	डी		167.22 व.मी.		4000 प्रति व.मी.	746000	6 प्रतिशत	45000	14920					
42	उ0नि0 सदर शाहजहॉपुर	**14486**	**9005**	**04.06.2021**	**ए**	**बी**	23	**0.1305 हे0**	**रा.रा. मार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	*****	**3790000**	**7 प्रतिशत**	**265600**	**37900**	**35000**	**45675000**	**3197250**	**456750**	**3350500**
		14468	8701	27.05.2021	ए	सी		114.31 व.मी.	प्लाट व 9 फीट सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	6000 प्रति व.मी.	686000	6 प्रतिशत	41200	6860					
		14505	9412	11.06.2021	बी	डी		95.26 व.मी.	सड़क से 500 मी. दूर व 15 फीट सडक	6000 प्रति व.मी.	572000	6 प्रतिशत	34500	5720					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 21 के अनुसार प्रथम 200 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 6000 प्रति व.मी., अगले 200 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 3000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ 1.50 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस 20 प्रतिशत अतिरिक्त की दर से*																		

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
43		**14159**	**2403**	**05.02.2021**	**ए**	**बी**	96	**0.7540 हे0**	**दो चकमार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**27 लाख प्रति हे0 +10 प्रतिशत**	**2240000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**156800**	**22400**	**3850**	**29029000**	**2022030**	**290290**	**2133120**
44		**14159**	**2402**	**05.02.2021**	**ए**	**बी**		**0.7530 हे0**	**दो चकमार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**27 लाख प्रति हे0 +10 प्रतिशत**	**2237000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**146600**	**22370**	**3850**	**28991000**	**2019370**	**289910**	**2140310**
		14137	1891	29.01.2021	बी	सी		74.34 व.मी.	प्लाट व 18 फीट सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	3500 प्रति व.मी.	261000	6 प्रतिशत	15700	2610					
		14219	3699	22.02.2021	बी	डी		74.34 व.मी.		3500 प्रति व.मी.	261000	6 प्रतिशत	15700	2610					
45		**13952**	**16008**	**04.12.2020**	**ए**	**बी**	153 मि	**0.5040 हे0**	**कृषि भूमि**	**40 लाख प्रति हे0**	**2016000**	7 प्रतिशत	**141200**	**20160**	**5000**	**25200000**	**1764000**	**252000**	**1854640**
		13952	16002	04.12.2020	ए	सी		93.68 व.मी.	20 से 30 फीट चौडी दो सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	6600 प्रति व.मी.	619000	7 प्रतिशत	43500	6190					
		13952	16009	04.12.2020	ए	डी		156.13 व.मी.		6600 प्रति व.मी.	1031000	6 एवं 7 प्रतिशत	62200	10310					
46		**14584**	**11004**	**02.07.2021**	**ए**	**बी**	25	**0.3250 हे0**	**कृषि भूमि**	**30 लाख प्रति हे0**	**1287000**	7 प्रतिशत	**90100**	**12870**	**6000**	**19500000**	**1365000**	**195000**	**1457030**
		14502	9331	10.06.2021	बी	सी		83.64 व.मी.	14 से 16 फीट चौडी सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	6000 प्रति व.मी.	502000	6 प्रतिशत	30200	5020					
		14714	13902	11.08.2021	बी	डी		83.64 व.मी.		6000 प्रति व.मी.	502000	6 प्रतिशत	30120	5020					
47		**13994**	**16723**	**16.12.2020**	**ए**	**बी**	328	**0.4070 हे0**	**कृषि भूमि**	**31 लाख प्रति हे0**	**1262000**	7 प्रतिशत	**88460**	**12620**	**3500**	**14245000**	**997150**	**142450**	**1038520**
		13465	7675	17.07.2020	बी	सी		145.72 व.मी.	16 फीट चौडी दो सड़को से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	3630 प्रति व.मी.	529000	6 प्रतिशत	32000	5290					

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		13994	16728	16.12.2020	ए	डी		88.62 व.मी.	18 फीट चौडी सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	3500 प्रति व.मी.	311000	6 प्रतिशत	18700	3110					
48		**14704**	**13647**	**07.08.2021**	**ए**	**बी**	367 / 1	**0.2120 हे0**	**आबादी के निकट व सड़क से 400 मी. दूर स्थित कृषि भूमि**	*****	**2309000**	7 प्रतिशत	**162000**	**23090**	**4600**	**9752000**	**682640**	**97520**	**595070**
		14625	11915	14.07.2021	बी	सी		74.35 व.मी.	दो तरफ सड़को से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	4600 / व.मी. + 10 प्रतिशत	378000	6 प्रतिशत	22700	3780					
		14715	13942	12.08.2021	बी	डी		81.32 व.मी.			413000	7 प्रतिशत	29000	4130					
		**प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 21 के अनुसार प्रथम 200 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 4600 प्रति व.मी., अगले 200 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 2300 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ 54 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से*																		
49		**14255**	**4370**	**02.03.2021**	**ए**	**बी**	433	**0.0642 हे0**	**आबादी से 700 मी. दूर व चकमार्ग पर स्थित कृषि भूमि**	**38 लाख प्रति हे0**	**270000**	**6 प्रतिशत**	**16200**	**2700**	**8100**	**5201000**	**354070**	**52010**	**387180**
		14255	4362	02.03.2021	सी	डी		69.92 व.मी.	गैर कृषक घोषित 17 फीट सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	8100 प्रति व.मी.	567000	6 प्रतिशत	34020	5617					
		14314	5624	18.03.2021	सी	ई		69.68 व.मी.	प्लाट्स व सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	8100 प्रति व.मी.	566000	7 प्रतिशत	39650	5660					
50	उ0नि0 प्रथम, वाराणसी	**12721**	**6020**	**05.08.2021**	**ए**	**बी**	73	**0.3140 हे0**	**आबादी से 300 मी. दूर व सीनीय पक्की सड़क पर स्थित कृषि भूमि**	*****	**19198000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**1334000**	**191980**	**11500**	**36110000**	**2517700**	**361100**	**1352820**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		12961	2980	21.07.2020	ए	सी		190.70 व.मी.	मकान व दो तरफ सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	11500 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	2413300	6 एवं 7 प्रतिशत	159000	24130					
		12663	5083	06.07.2021	बी	ई		189.59 व.मी.	प्लाट व सड़क से घिरा हुआ आवासीय प्लाट	7500 प्रति व.मी.	1422000	6 एवं 7 प्रतिशत	89550	14220					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 13 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 11500 प्रति व.मी., अगले 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 5750 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 0.2140 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 3.40 करोड़ प्रति हेक्टेयर प्लस 20 प्रतिशत अतिरिक्त की दर से*																	
51		**11354**	**4645**	**10.07.2019**	**ए**	**बी**	1165, 1168, 1169	**0.3260 हे0**	**सड़क और आबादी से दूर कृषि भूमि**	**280 लाख प्रति हे0**	**9128000**	**5 प्रतिशत**	**456500**	**20000**	**8200**	**26732000**	**1336600**	**20000**	**880100**
		11358	4695	11.07.2019	बी	सी		126.39 व.मी.	कच्ची सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	8200 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	1141000	4 एवं 5 प्रतिशत	47100	20000					
		11360	4715	12.07.2019	बी	डी		505.576 व.मी.		8200 प्रति व.मी.	4146000	4 एवं 5 प्रतिशत	197300	20000					
52	उ0नि0 द्वितीय, वाराणसी	**10099**	**1453**	**05.03.2019**	**ए**	**बी**	591	**0.3750 हे0**	**चारदीवारी सहित 10 फीट चौडी सड़क पर स्थित कृषि भूमि**	*****	**13184000**	**7 प्रतिशत**	**922880**	**20000**	**13000**	**49050000**	**3433500**	**20000**	**2510620**
		9662	4210	10.07.2018	सी	डी		171.56 व.मी.	13 फीट सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	13000 प्रति व.मी.	2270000	6 एवं 7 प्रतिशत	149000	20000					
		9733	5037	13.08.2018	ई	एफ		92.936 व.मी.		13000 प्रति व.मी.	1600000	7 प्रतिशत	112000	20000					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 06 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 13000 प्रति व.मी., अगले 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 6500 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 0.2750 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 1.10 करोड़ प्रति हेक्टेयर की दर से*																	
53		**10114**	**1626**	**13.03.2019**	**ए**	**बी**		**0.2760 हे0**	**सड़क व आबादी से दूर स्थित कृषि भूमि**	*****	**9344000**	**7 प्रतिशत**	**654100**	**20000**	**10000**	**27600000**	**1932000**	**20000**	**1277900**

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	ईकाई का नाम	खण्ड संख्या	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल	निष्पादको द्वारा बताये गये तथ्य	दर	विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	गणना के लिए निर्धारित दर	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		10117	1661	14.03.2019	सी	डी		199.81 व.मी.	15 फीट सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	10000 प्रति व.मी.	1999000	6 एवं 7 प्रतिशत	130000	20000					
		** प्रभावी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 06 के अनुसार प्रथम 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 10000 प्रति व.मी., अगले 500 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 5000 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 0.1760 हेक्टेयर का मूल्यांकन ₹ 1.00 करोड़ प्रति हेक्टेयर की दर से*																	
54		**11866**	**8298**	**11.11.2021**	**ए**	**बी**	794	**885.78** व.मी.	**दो तरफ कच्ची सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट**	**15000 प्रति व. मी. + 10 प्रतिशत अतिरिक्त**	**14616000**	7 प्रतिशत	**1023200**	**146160**	**24000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत**	**23385000**	**1636950**	**233850**	**701440**
		11883	8582	22.11.2021	बी	सी		27.88 व.मी.	दो तरफ पक्की सड़क पर स्थित आवासीय प्लाट	24000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	737000	6 प्रतिशत	44300	7370					
योग											**321731633**		**21610070**	**2540138**		**1207751000**	**80959650**	**8899020**	**65708462**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XXXVIII

सम्पत्ति के अवमूल्यांकन से स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना

(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.6*)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल व.मी. में	आरोपित सर्किल दर का प्रकार	दर	मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	निर्धारित दर प्रति व.मी.	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
1	उप निबंधक–प्रथम आगरा	**11017**	**2810**	**28.10.2020**	**ए**	**बी**	**366 मि ***	**5760**	**कृषि दर**	**90 लाख प्रति हे0**	**5185000**	**7 प्रतिशत**	**363000**	**51850**	**4300**	**24768000**	**1733760**	**247680**	**1566590**
		** आराजी सं0 366 मि. गैर–कृषक घोषित और जिलाधिकारी सर्किल दर सूची के अनुसार आवासीय दर ₹ 4300 प्रति व.मी. है।*																	
2		**10993**	**2419**	**12.10.2020**	**ए**	**बी**	**203 ***	**3235**	**आबादी के निकट का कृषि दर**	**150 लाख प्रति हे0 + 30 प्रतिशत**	**4853000**	**7 प्रतिशत**	**441700**	**63090**	**5000**	**16175000**	**1132250**	**161750**	**789210**
		** आराजी सं0 203 धारा 143 के तहत गैर–कृषक घोषित और जिलाधिकारी सर्किल दर सूची के अनुसार आवासीय दर ₹ 5000 प्रति व.मी. है।*																	
3	उप निबंधक – तृतीय आगरा	**10567**	**2273**	**25.02.2021**	**ए**	**बी**	234*	**3970**	**कृषि दर**	**200 लाख प्रति हे0 + 30 प्रतिशत**	**10322000**	**7 प्रतिशत**	**730400**	**103220**	*	**23914000**	**1673980**	**239140**	**1079500**
4		**10607**	**3201**	**22.03.2021**	**ए**	**बी**		**2852**	**कृषि दर**		**7496000**	**7 प्रतिशत**	**524800**	**74960**	**6500**	**18538000**	**1297660**	**185380**	**883280**
5		**10607**	**3202**	**22.03.2021**	**ए**	**बी**		**2852**	**कृषि दर**		**7496000**	**7 प्रतिशत**	**524800**	**74960**	**6500**	**18538000**	**1297660**	**185380**	**883280**
		**आराजी सं0 234 उ0प्र0ज0उ0 व भू0सु0 अधिनियम 1950 की धारा 143 के तहत गैर–कृषक घोषित और जिलाधिकारी सर्किल दर सूची के अनुसार प्रथम 3000 व.मी. का मूल्यांकन आवासीय दर ₹ 6500 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 970 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर का 70 प्रतिशत यानि ₹ 4550 प्रति व.मी. की दर से*																	
6	उप निबंधक – चतुर्थ लखनऊ	**16964**	**248**	**05.01.2019**	**ए**	**बी**	289	**566.91**	**सामान्य दर**	**20000 प्रति व.मी.**	**11338280**	**7 प्रतिशत**	**794000**	**20000**	**49000**	**27779000**	**1944530**	**20000**	**1150530**
		16964	247	05.01.2019	**ए**	**बी**		185.87	सेगमेन्ट दर	49000 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	10018555	**7 प्रतिशत**	701500	20000					
		17670	10867	04.09.2019	**ए**	**सी**		566.91	सेगमेन्ट दर	49000 प्रति व.मी.	27778811	**7 प्रतिशत**	1945000	20000					
7	उप निबंधक – द्वितीय झाँसी	**8258**	**3187**	**09.06.2020**	**ए**	**बी**	**352...**	**7611.28**	**सामान्य दर**	*****	**57329000**	**5 प्रतिशत**	**2867000**	**573290**	**10450**	**80700000**	**4035000**	**807000**	**1401710**
		8257	3182	09.06.2020	ए	बी		820.07	सेगमेन्ट दर	9500 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	9491000	5 प्रतिशत	475000	94910					

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल व.मी. में	आरोपित सर्किल दर का प्रकार	दर	मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	निर्धारित दर प्रति व.मी.	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
		8257	3183	09.06.2020	ए	बी		1563.09	सेगमेन्ट दर	9500 प्रति व.मी.	15547000	5 प्रतिशत	778000	155470					
		**भूमि का मूल्यांकन ₹ 4500 प्रति व.मी. व दो तरफ सड़क होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त एवं निर्मित क्षेत्रफल 92.94 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 12500 प्रति व.मी. की दर से*																	
8	उप निबंधक – प्रथम मथुरा	**16838**	**15851**	**16.09.2021**	**ए**	**बी**	**1004***	**1020.00**	**कृषि दर**	**150 लाख प्रति हे0 + 30 प्रतिशत**	**1530000**	**7 प्रतिशत**	**107100**	**15300**	**5500**	**5610000**	**392700**	**56100**	**326400**
		16810	14962	04.09.2021	सी	ई		25.08	विकसित कालोनी में स्थित आवासीय प्लाट जो कि प्लाट्स व सड़क से घिरा हुआ	5500 प्रति व.मी. + 10 प्रतिशत	152000	6 प्रतिशत	9150	1520					
		16810	14963	04.09.2021	डी	ई		25.08			152000	6 प्रतिशत	9150	1520					
		**आराजी सं0 1004 उ0प्र0 ज0उ0 व भू0 सु0 अधिनियम 1950 की धारा 143 के तहत गैर–कृषक घोषित और जिलाधिकारी सर्किल दर सूची के अनुसार सम्पत्ति का आवासीय दर ₹ 5500 प्रति व.मी. है।*																	
9	उप निबंधक – तृतीय मेरठ	**14343**	**5762**	**19.08.2020**	**ए**	**बी**	1004 मि	**1890.30**	**सामान्य दर**	**5300 प्रति व.मी.***	**8839000**	**7 प्रतिशत**	**619000**	**88390**	**18000**	**34026000**	**2381820**	**340260**	**2014690**
		14343	5760	19.08.2020	ए	बी की पत्नी		200.00	सेगमेन्ट दर	18000 प्रति व.मी.	3060000	6 एवं 7 प्रतिशत	204200	30600					
		* प्रथम 1000 व.मी. का मूल्यांकन ₹ 5300 प्रति व.मी. व शेष क्षेत्रफल 890.30 व.मी. का मूल्यांकन निर्धारित दर के 75 प्रतिशत यानि ₹ 3975 प्रति व.मी. की दर से																	
10	उप निबंधक – प्रथम मुजफ्फर नगर	**11275**	**7474**	**19.08.2019**	**ए**	**बी**	1657 / 1 बी	**696.47**	**सामान्य दर***	**11000 प्रति व.मी.**	**9707000**	**7 प्रतिशत**	**672600**	**20000**	**45000 + अन्य***	**34060000**	**2384200**	**20000**	**1711600**
		10890	11361	24.12.2018	ए	बी का पिता		117.405	सेगमेन्ट दर	45000 प्रति व.मी. +15 प्रतिशत	6136000	7 प्रतिशत	429600	20000					
		* भूमि का मूल्यांकन ₹ 11000 प्रति व.मी., 257.56 व.मी. आर.बी.सी. निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन ₹ 10000 प्रति व.मी. एंव 11.50 व.मी. टीन शेड का मूल्यांकन ₹ 6000 प्रति व.मी. व एक आम के पेड का मूल्यांकन ₹ 10000 की दर से।																	

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	खण्ड सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष	आराजी सं0	क्षेत्रफल व.मी. में	आरोपित सर्किल दर का प्रकार	दर	मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क की दर	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	निर्धारित दर प्रति व.मी.	उचित दर के अनुसार मूल्यांकन	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	कुल अन्तर
11	उप निबंधक – प्रथम वाराणसी	**12989**	**10770**	**31.12.2021**	**ए**	**बी**	459	**543.76**	**सामान्य दर**	**7200 प्रति व.मी.**	**3916000**	**6 एवं 7 प्रतिशत**	**264120**	**39160**	*	**14383000**	**996810**	**143830**	**837360**
		13026	623	25.01.2022	ए	सी		74.44	सेगमेन्ट दर	23000 प्रति व.मी. +15 प्रतिशत	2000000	6 एवं 7 प्रतिशत	130000	20000					
		* भूमि का मूल्यांकन रु. 23000 प्रति व.मी. व व्यवसायिक गतिविधियाँ आराजी में हाने के कारण 15 प्रतिशत अतिरिक्त जैसा कि दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 25 पर दिया गया है।																	
योग								**30997.72**			**128011280**		**7908520**	**1124220**		**298491000**	**19270370**	**2406520**	**12644150**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट-XXXIX

पट्टेधारकों द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में खनिज का मूल्य नहीं लगाया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–4.5)

क्रम सं0	इकाई का नाम	पटट्ेदार का नाम	पटट् का क्षेत्रफल	प्रथम वर्ष के लिए प्रति घन मीटर दर	पटट् की अवधि	प्रतिवर्ष खुदाई की जाने वाली कुल मात्रा घन मीटर में	जून 2018 तक खुदाई की मात्रा	जून 2018 तक जारी किये गये ई–एमएम –11	अवैध परिवहन की मात्रा	रायल्टी	खनिज का मूल्य
1	जि0खा0अ0 फतेहपुर	श्री राजेश मिश्रा कन्सट्रक्शन एवं सप्लायर	ग्राम–गोकन खसरा/गाटा सं0 180,181,184,185,187,131, 130 एवं 189	315	31/03/2018 से 20/03/2023	2,51,700	1,48,538	1,06,960	41,578	1,30,97,070	6,54,85,350
2	जि0खा0अ0 फतेहपुर	प्रज्ञा इन्टरप्राइजेज	ग्राम–अधवाल गाटा सं0 467,466,454,425,426,427,428, 430 एवं 431	421	04/04/2018 से 03/04/2023	1,86,200	60,976	35,454	25,522	1,07,44,762	5,37,23,810
योग							**2,09,514**	**1,42,414**	**67,100**	**2,38,41,832**	**11,92,09,160**

परिशिष्ट– XL

रॉयल्टी और सुरक्षा जमा के भुगतान में विलम्ब के लिए बोली पूर्व बयाना राशि जब्त न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या–4.6)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	पट्टेदार का नाम	पट्टे का क्षेत्रफल	एलओआई जारी करने की तिथि	पूर्व बोली ईएमडी की राशि	शेष धनराशि	शेष धनराशि जमा करने की तिथि	पूर्व बोली ईएमडी की जब्त की जाने वाली राशि
1	मे0 अमन ब्रिक्स फील्ड	ग्राम–कटैया, खंड संख्या 10/19 से 10/21 क्षेत्रफल -10 हेक्टेयर	25.06.2020	28,12,500	26,86,250	डी0डी0सं0 500828 दिनांक 03-07-20	28,12,500
2	श्री संदीप चंडोक	ग्राम–छिकवा खंड संख्या 11/29 से 11/30, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर	01.01.2021	1,35,00,000	6,30,000	11.01.2021	1,35,00,000
3	मे0 तेसमुस ट्रेडिंग कम्पनी	ग्राम–संगोलीपुर गरहा गाटा संख्या 191, 269/3,270,275,276,277,293/2, 294 25 हेक्टेयर	26.06.2020	93,75,000	2,60,62,500	16/07/2020	93,75,000
4	मे0 रत्ना जादौन	ग्राम–अधवाल खण्ड ए–11 क्षेत्रफल 25 हेक्टेअर	07.03.2020	93,75,000	3,56,25,000	06.06.2020 एवं 28.05.2020	93,75,000
योग				**3,50,62,500**	**6,50,03,750**		**3,50,62,500**

परिशिष्ट -XLI

शीरे के उपभोग की मात्रा छिपाने में सन्निहित प्रतिफल शुल्क का विवरण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 5.6)

वित्तीय वर्ष	आ0वि0रि0 के 3 सी डी के अनुसार (कुन्तल में)	आसवनी के अनुसार (कुन्तल में)	अन्तर (कुन्तल में)	एफ एस का न्यूनतम प्रतिशत	एफ एस की मात्रा (कुन्तल)	अल्कोहल की मात्रा (एफ एस X 52.5) (अल्कोहलिक लीटर)	प्रतिफल शुल्क की दर ए0एल0 के अनुसार (₹ में)	सन्निहित प्रतिफल शुल्क (₹ लाख में)	ब्याज की देय तिथि	बिलम्ब की अवधि माह में (03/2022 तक)	देय ब्याज 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से (₹ लाख में)	योग (₹ लाख में)
2013–14	28,75,826	28,63,956	11,870	34.88	4,140.26	2,17,363.44	584.11	1,269.64	4/1/2014	96	1,828.28	3,097.92
2014–15	21,01,363	20,93,214	8,149	36.20	2,949.94	1,54,871.75	672.90	1,042.13	4/1/2015	84	1,313.09	2,355.22
2015–16	22,36,773	21,93,281	43,492	38.72	16,840.10	8,84,105.38	775.70	6,858.00	4/1/2016	72	7,406.65	14,264.65
2016–17	29,01,022	28,45,293	55,729	38.45	21,427.80	11,24,959.53	755.45	8,498.50	4/1/2017	60	7,648.66	16,147.16
2017–18	25,92,165	25,38,563	53,602	34.50	18,492.69	9,70,866.23	755.45	7,334.43	4/1/2018	48	5,280.79	12,615.22
2018–19	25,88,483	25,33,726	54,757	34.62	18,956.87	9,95,235.85	911.21	9,068.74	4/1/2019	36	4,897.12	13,965.86
2019–20	23,17,076	22,75,990	41,086	30.02	12,334.02	6,47,535.90	911.21	5,900.44	4/1/2020	24	2,124.16	8,024.60
योग	**1,76,12,708**	**1,73,44,023**	**2,68,685**					**39,971.88**			**30,498.75**	**70,470.63**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट -XLII

ग्रेन के उपभोग की मात्रा छिपाने में सन्निहित प्रतिफल शुल्क का विवरण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 5.6)

वित्तीय वर्ष	आ0वि0रि0 के 3 सी डी के अनुसार (कुन्तल में)	आसवनी के अनुसार (कुन्तल में)	अन्तर (कुन्तल में)	एफ एस का न्यूनतम प्रतिशत*	एफ एस की मात्रा (कुन्तल)	अल्कोहल की मात्रा (एफ एस X 52.5) (अल्कोहलिक लीटर)	प्रतिफल शुल्क की दर ए0एल0 के अनुसार (₹ में)	सन्निहित प्रतिफल शुल्क (₹ लाख में)	ब्याज की देय तिथि	बिलम्ब की अवधि माह में (03/2022 तक)	देय ब्याज 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से (₹ लाख में)	योग (₹ लाख में)
2013–14	7,24,291.00	7,15,337.60	8,953.40	62.34	5,581.55	2,93,031.35	584.11	1,711.63	4/1/2014	96	2,464.74	4,176.37
2014–15	8,71,340.00	8,50,928.40	20,411.60	64.10	13,083.84	6,86,901.37	672.90	4,622.16	4/1/2015	84	5,823.92	10,446.08
2015–16	8,36,547.00	8,26,779.60	9,767.40	64.10	6,260.90	3,28,697.43	775.70	2,549.71	4/1/2016	72	2,753.68	5,303.39
2016–17	7,82,993.00	7,73,338.60	9,654.40	65.10	6,285.01	3,29,963.26	755.45	2,492.71	4/1/2017	60	2,243.43	4,736.14
2017–18	8,69,470.00	8,59,252.00	10,218.00	65.44	6,686.66	3,51,049.61	755.45	2,651.74	4/1/2018	48	1,909.26	4,561.00
2018–19	8,63,871.00	8,54,412.00	9,459.00	65.44	6,189.97	3,24,973.40	911.21	2,961.19	4/1/2019	36	1,599.04	4,560.23
2019–20	7,81,030.00	7,72,792.00	8,238.00	65.44	5,390.95	2,83,024.73	911.21	2,578.95	4/1/2020	24	928.42	3,507.37
योग	**57,29,542.00**	**56,52,840.20**	**76,701.80**					**19,568.09**			**17,722.49**	**37,290.58**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

आसवनी में ए टी लैब की रिर्पोट प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2017–18 में ए टी लैब द्वारा जो न्यूनतम एफ एस बताया गया को ही वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में भी आधार बनाया गया है।

परिशिष्ट -XLIII

बारले माल्ट के उपभोग की मात्रा छिपाने में सन्निहित प्रतिफल शुल्क का विवरण

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 5.6)

वित्तीय वर्ष	आ0वि0रि0 के अनुसार (किग्रा में)	आसवनी के अनुसार (किग्रा में)	अन्तर (कुन्तल में)	एफ एस का न्यूनतम प्रतिशत*	एफ एस की मात्रा (कुन्तल)	अल्कोहल की मात्रा (एफ एस X 52.5) (अल्कोहलिक लीटर)	प्रतिफल शुल्क की दर ए0एल0 के अनुसार (₹ में)	सन्निहित प्रतिफल शुल्क (₹ लाख में)	ब्याज की देय तिथि	बिलम्ब की अवधि माह में (03/2022 तक)	देय ब्याज 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से (₹ लाख में)	योग (₹ लाख में)
2015–16	18,89,300	18,89,275	0.25	56.82	0.14	7.35	775.70	0.06	4/1/2016	72	0.06	0.12
2019–20	42,22,076	42,09,445	126.31	57.60	72.75	3,819.38	911.21	34.80	4/1/2020	24	12.53	47.33
योग	**61,11,376**	**60,98,720**	**126.56**					**34.86**			**12.59**	**47.45**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

*आसवनी में ए टी लैब की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2017–18 में ए टी लैब द्वारा जो न्यूनतम एफ एस बताया गया को ही वर्ष 2019–20 में भी आधार बनाया गया है।

परिशिष्ट–XLIV

दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 5.7)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
15 दिनों तक बिलम्ब													
1	जि0आ0का0 आगरा	2020-21	बीयर (नवीनीकरण)	197	53	1	13	0	13	20,000	3,90,000	0	4,10,000
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	328	60	5	0	1 से 3	1 से 3	3,15,000	61,77,204	3,88,588	68,80,792
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	246	71	1	0	9	9	0	8,95,000	0	8,95,000
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			5	0	1 से 11	1 से 11	2,25,000	83,30,000	3,46,750	89,01,750
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	24	12	4	0	3 से 7	3 से 7	0	1,34,77,732	0	1,34,77,732
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	328	93	15	0	3 से 15	3 से 15	0	3,10,06,800	0	3,10,06,800
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	246	73	4	0	5 से 14	5 से 14	0	69,75,000	0	69,75,000
		2021-22	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	24	12	1	0	4	4	0	88,90,000	0	88,90,000
2	जि0आ0का0 बरेली	2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	392	85	17	1 से 14	1 से 14	1 से 14	6,00,000	91,91,580	12,39,137	1,10,30,717
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	94	37	3	0	1 से 4	1 से 4	1,65,000	27,05,000	1,14,000	29,84,000
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	17	15	2	3	9 से 15	9 से 15	0	53,14,710	0	53,14,710

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	392	85	31	2 से 4	2 से 6	2 से 6	13,15,000	1,82,14,470	23,24,800	2,18,54,270
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)			2	0	2 से 15	2 से 15	0	17,08,046	0	17,08,046
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	101	42	6	2 से 12	2 से 4	2 से 12	3,60,000	80,42,500	1,28,250	85,30,750
3	जि0आ0का0 गौतम बुद्ध नगर	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	131	46	2	0	7 से 13	7 से 13	0	7,40,754	0	7,40,754
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	231	78	3	0	8 से 15	8 से 15	0	22,54,440	0	22,54,440
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	137	48	11	0	7 से 14	7 से 14	0	1,69,76,429	0	1,69,76,429
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	26	25	4	0	12 से 14	12 से 14	0	2,66,58,612	0	2,66,58,612
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	137	38	4	0	6 से 9	6 से 9	0	34,70,000	0	34,70,000
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	231	47	28	0	2 से 14	2 से 14	25,80,000	7,20,33,260	79,80,628	8,25,93,888
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	139	49	6	0	6 से 13	6 से 13	0	3,24,10,000	0	3,24,10,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			21	0	5 से 11	5 से 11	19,65,000	6,58,50,000	92,150	6,79,07,150
		2021-22	मॉडल शॉप (नवीनीकरण)	25	16	2	0	2 से 11	2 से 11	2,00,000	2,94,80,000	82,500	2,97,62,500
4	जि0आ0का0 गाजियाबाद	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	127	32	4	0	4 से 9	4 से 9	0	14,55,757	0	14,55,757

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	133	35	1	0	10	10	0	17,72,466	0	17,72,466
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			5	0	2 से 13	2 से 13	4,05,000	93,35,000	3,88,750	1,01,28,750
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	43	20	4	0	5 से 14	5 से 14	0	2,04,45,659	0	2,04,45,659
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	127	32	2	0	14	14	0	8,80,000	0	8,80,000
		2021-22	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	43	20	2	1	0	1	0	2,45,80,000	0	2,45,80,000
		2021-22	मॉडल शॉप (नवीनीकरण)			7	0	2 से 15	2 से 15	7,00,000	6,48,80,000	5,77,500	6,61,57,500
5	जि0आ0का0 गोण्डा	2019-20	बीयर (नवीनीकरण)	78	16	1	6	0	6	35,000	2,75,000	21,000	3,31,000
		2019-20	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	182	58	3	0	3 से 4	3 से 4	75,000	22,44,240	1,85,215	25,04,455
		2019-20	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	96	36	7	1 से 11	2 से 3	1 से 11	2,10,000	19,62,500	29,000	22,01,500
		2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	91	33	2	0	7 से 13	7 से 13	0	8,18,370	0	8,18,370
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	194	62	11	0	3 से 15	3 से 15	0	35,82,740	0	35,82,740
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)			31	0	3 से 15	3 से 15	9,80,000	1,54,49,900	11,39,842	1,75,69,742
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	99	43	19	0	3 से 15	3 से 15	7,65,000	1,31,65,000	1,88,250	1,41,18,250

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	7	7	1	0	6	6	0	22,64,500	0	22,64,500
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	194	38	3	0	7 से 10	7 से 10	0	43,03,700	0	43,03,700
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)			22	0	3 से 14	3 से 14	11,25,000	1,73,41,900	10,88,837	1,95,55,737
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	99	38	1	0	5	5	0	32,80,000	0	32,80,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			6	0	3 से 14	3 से 14	2,60,000	56,40,000	87,500	59,87,500
		2021-22	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	7	7	1	0	14	14	0	35,75,000	0	35,75,000
6	जि0आ0का0 मेरठ	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	127	42	8	0	7 से 15	7 से 15	0	26,91,367	54,000	27,45,367
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	127	37	10	0	7 से 10	7 से 10	0	65,70,000	0	65,70,000
		2021-22	बीयर (नवीनीकरण)			4	3 से 4	0	3 से 4	1,70,000	9,07,500	0	10,77,500
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	182	68	5	0	7 से 9	7 से 9	0	1,21,47,884	0	1,21,47,884
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	142	44	12	3	2 से 11	2 से 11	0	2,68,95,000	0	2,68,95,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			11	3 से 4	2 से 10	2 से 10	6,25,000	1,45,50,000	1,63,125	1,53,38,125
		2021-22	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	5	5	1	12	0	12	0	58,65,000	0	58,65,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
7	जि0आ0का0 मिर्जापुर	2019-20	बीयर (नवीनीकरण)	52	28	10	5 से 6	0	5 से 6	2,30,000	17,10,600	1,30,000	20,70,600
		2019-20	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	188	28	5	1 से 4	0	1 से 4	0	4,06,620	0	4,06,620
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	191	48	7	0	6 से 12	6 से 12	0	37,23,567	0	37,23,567
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)			3	0	3 से 13	3 से 13	90,000	11,95,524	1,20,669	14,06,193
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	65	39	3	0	1 से 3	1 से 3	1,40,000	31,00,000	1,31,750	33,71,750
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	191	80	5	0	1 से 14	1 से 14	0	22,74,054	8,00,000	30,74,054
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)			4	0	4 से 11	4 से 11	1,40,000	18,51,372	2,30,220	22,21,592
8	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	80	10	3	0	3 से 8	3 से 8	0	6,13,413	0	6,13,413
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	169	42	2	0	1 से 5	1 से 5	0	5,67,425	0	5,67,425
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	71	28	2	0	5 से 10	5 से 10	0	10,74,905	0	10,74,905
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			3	15	1	1 से 15	1,05,000	31,25,000	1,15,000	33,45,000
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	82	22	2	0	5 से 7	5 से 7	0	5,75,000	0	5,75,000
		2021-22	बीयर (नवीनीकरण)			1	3	0	3	40,000	2,00,000	0	2,40,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	169	35	3	0	5 से 6	5 से 6	0	48,27,447	0	48,27,447
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)			4	2 से 3	2 से 15	2 से 15	1,70,000	38,15,764	2,79,884	42,65,648
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	71	25	3	0	4 से 6	4 से 6	0	30,35,000	0	30,35,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			3	2	2	2	1,05,000	23,35,000	23,400	24,63,400
9	जि0आ0का0 रामपुर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	161	72	1	0	1	1	0	1,31,100	0	1,31,100
10	जि0आ0का0 सहारनपुर	2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	173	54	6	0	1 से 8	1 से 8	2,35,000	38,89,908	4,26,478	45,51,386
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	93	37	1	0	1	1	95,000	45,70,000	1,90,250	48,55,250
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	90	32	2	0	6 से 14	6 से 14	0	12,10,000	0	12,10,000
		2021-22	बीयर (नवीनीकरण)			1	2	-	2	40,000	3,37,500	10,125	3,87,625
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	172	53	6	2 से 3	2 से 3	2 से 3	3,30,000	68,89,533	8,09,848	80,29,381
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	92	35	3	0	9 से 13	9 से 13	0	46,95,000	0	46,95,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)			5	0	2	2	3,55,000	67,20,000	93,675	71,68,675
11	जि0आ0का0 उन्नाव	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	336	50	6	0	3 से 13	3 से 13	0	75,78,980	0	75,78,980

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	336	45	15	0	1 से 14	1 से 14	6,05,000	1,17,79,346	12,19,146	1,36,03,492
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	85	27	9	0	2 से 14	2 से 14	3,15,000	46,35,000	65,775	50,15,775
		2021-22	मॉडल शॉप (नवीनीकरण)	7	7	2	0	3 से 5	3 से 5	1,55,000	75,10,000	74,415	77,39,415
योग				**8,423**	**2,455**	**482**			**1 से 15**	**1,62,45,000**	**73,24,47,078**	**2,13,40,457**	**77,00,32,535**
16 दिनों से 30 दिनों के मध्य बिलम्ब													
*	जि0आ0का0 आगरा	2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	20	0	20	85,000	6,25,680	0	7,10,680
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	29	29	85,000	29,35,000	1,22,250	31,42,250
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	5	0	16 से 18	16 से 18	0	1,46,59,430	0	1,46,59,430
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	4	0	16 से 29	16 से 29	0	75,95,000	0	75,95,000
*	जि0आ0का0 बरेली	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	2	0	22 से 25	22 से 25	0	19,67,720	0	19,67,720
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	4	0	27 से 29	27 से 29	2,20,000	34,50,000	1,43,500	38,13,500
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	2	0	21 से 23	21 से 23	0	68,48,728		68,48,728
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	25	0	25	35,000	0	5,100	40,100
*	जि0आ0का0 गौतम बुद्ध नगर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	5	0	16 से 26	16 से 26	0	32,29,640	0	32,29,640

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	2	0	16 से 19	16 से 19	0	19,86,400	0	19,86,400
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	17 से 18	17 से 18	1,30,000	20,82,000	4,35,150	26,47,150
		2021-22	मॉडल शॉप (नवीनीकरण)	0	0	1	0	18	18	1,00,000	1,47,40,000	82,500	1,49,22,500
*	जि0आ0का0 गाजियाबाद	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	1	0	18	18	0	3,08,220	0	3,08,220
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	205	65	2	0	18 से 19	18 से 19	0	12,61,233	0	12,61,233
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	7	0	17 से 19	17 से 19	0	94,07,593	0	94,07,593
		2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	1	0	22	22	0	3,40,000	0	3,40,000
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	205	65	2	0	16 से 21	16 से 21	0	33,88,580	0	33,88,580
12	जि0आ0का0 गाजीपुर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	216	54	2	0	22 से 25	22 से 25	0	10,08,080	0	10,08,080
*	जि0आ0का0 गोण्डा	2019-20	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	3	0	16 से 23	16 से 23	75,000	9,48,600	67,692	10,91,292
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	7	0	17 से 29	17 से 29	2,10,000	30,81,710	1,90,268	34,81,978
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	12	0	17 से 28	17 से 28	5,50,000	60,45,000	15,000	66,10,000
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	21	21	0	21,40,500	0	21,40,500

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	10	0	16 से 19	16 से 19	4,35,000	65,87,100	4,74,193	74,96,293
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	21	21	0	13,10,000	0	13,10,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	17 से 24	17 से 24	1,20,000	30,85,000	1,22,000	33,27,000
*	जि0आ0का0 मेरठ	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	3	0	23 से 26	23 से 26	0	1,71,320	0	1,71,320
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	18	18	0	24,42,132	0	24,42,132
*	जि0आ0का0 मिर्जापुर	2018-19	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	2	16	23	16 से 23	0	2,60,000	30,000	2,90,000
		2019-20	बीयर (नवीनीकरण)	0	0	3	16		16	1,25,000	7,70,000	59,000	9,54,000
*	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	25	0	25	35,000	7,00,703	0	7,35,703
*	जि0आ0का0 सहारनपुर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	20	20	0	15,21,432	0	15,21,432
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	16	16	30,000	9,72,180	94,912	10,97,092
		2021-22	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	3	0	16 से 22	16 से 22	0	74,65,061	24,02,835	98,67,896
*	जि0आ0का0 उन्नाव	2021-22	बीयर (ई–लाटरी)	70	19	2	0	20	20	0	5,10,000	0	5,10,000
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	9	0	23 से 26	23 से 26	3,45,000	48,21,060	3,70,047	55,36,107

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	25	25	0	8,10,000	0	8,10,000
योग				**696**	**203**	**108**			**30 तक**	**25,80,000**	**11,94,75,102**	**46,14,447**	**12,66,69,549**
30 दिनों से अधिक बिलम्ब													
*	जि0आ0का0 आगरा	2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	75 से 107	75 से 107	1,70,000	27,02,700	1,28,856	30,01,556
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	74	74	0	30,20,000	0	30,20,000
*	जि0आ0का0 बरेली	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	11	131	38 से 44	38 से 131	0	1,38,51,710	0	1,38,51,710
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	71 से 108	0	71 से 108	60,000	2,95,420	1,31,639	4,87,059
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	70	0	70	35,000	2,05,000	7,000	2,47,000
*	जि0आ0का0 गौतमबुद्धनगर	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	1	0	131	131	0	3,55,000	0	3,55,000
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	71	71	95,000	22,62,230	2,37,825	25,95,055
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	110	110	0	37,15,000	0	37,15,000
		2021-22	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	38	38	95,000	16,95,000	23,700	18,13,700
*	जि0आ0का0 गाजियाबाद	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	6	0	31 से 160	31 से 160	0	53,54,653	0	53,54,653
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	37	37	85,000	5,00,000	20,750	6,05,750

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2021-22	बीयर (नवीनीकरण)	0	0	1	0	101	102	70,000	10,60,000	0	11,30,000
*	जि0आ0का0 गाजीपुर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	7	0	49 से 60	49 से 60	0	54,46,846	0	54,46,846
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	40	40	0	38,65,000	0	38,65,000
*	जि0आ0का0 गोण्डा	2018-19	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	96	24	1	0	33	33	0	2,20,000	0	2,20,000
		2019-20	बीयर (नवीनीकरण)	0	0	2	0	64 से 65	64 से 65	50,000	3,25,000	12,250	3,87,250
		2019-20	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	14	0	31 से 101	31 से 101	3,50,000	54,92,520	4,80,371	63,22,891
		2019-20	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	5	0	58 से 90	58 से 90	1,50,000	12,40,000	1,74,750	15,64,750
		2020-21	बीयर (नवीनीकरण)	0	0	1	150	0	150	40,000	1,87,500	0	2,27,500
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	173	173	30,000	3,26,800	21,978	3,78,778
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	3	0	31से 167	31 से 167	1,05,000	9,00,000	0	10,05,000
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	58 से 78	58 से 78	1,20,000	13,00,800	58,095	14,78,895
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	35	35	0	12,45,000	0	12,45,000
		2021-22	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	0	0	2	36 से 45	0	36 से 45	0	31,10,000	0	31,10,000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
*	जि0आ0का0 मेरठ	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	2	59	40 से 90	40 से 90	0	11,88,535	57,600	12,46,135
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	5	5	5	45 से 110	0	45 से 110	0	2,05,07,290	0	2,05,07,290
		2021-22	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	141	141	0	40,30,000	0	40,30,000
*	जि0आ0का0 मिर्जापुर	2018-19	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	2	71	0	71	0	28,500	0	28,500
		2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	2	0	57	57	0	4,37,052	0	4,37,052
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	80 से 93	80 से 93	60,000	10,74,348	1,08,524	12,42,872
*	जि0आ0का0 रामपुर	2020-21	बीयर (ई–लाटरी)	0	0	1	0	70	70	0	45,080	0	45,080
		2020-21	मॉडल शॉप (ई–लाटरी)	0	0	1	0	40	40	0	35,60,000	0	35,60,000
*	जि0आ0का0 सहारनपुर	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	82	82	0	3,29,868	0	3,29,868
		2020-21	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	2	0	45 से 75	45 से 75	1,15,000	38,28,528	1,63,716	41,07,244
		2020-21	विदेशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	3	0	39 से 41	39 से 41	0	49,17,000	0	49,17,000
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	46	46	35,000	1,70,000	7,500	2,12,500
*	जि0आ0का0 उन्नाव	2020-21	देशी मदिरा (ई–लाटरी)	0	0	1	0	35	35	0	10,15,355	0	10,15,355

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य नवीनीकरण शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
		2020-21	विदेशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	1	0	81	81	35,000	7,75,000	32,250	8,42,250
		2021-22	देशी मदिरा (नवीनीकरण)	0	0	4	0	58 से 115	58 से 115	1,90,000	58,87,010	4,94,141	65,71,151
योग				**101**	**29**	**98**			**31 से 173**	**18,90,000**	**10,64,69,745**	**21,60,945**	**11,05,20,690**
महायोग				**9,220**	**2,687**	**688**			**1 से 173**	**2,07,15,000**	**95,83,91,925**	**2,81,15,849**	**1,00,72,22,774**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एचटीटीपीएसः//सीएजी.जीओवी.इन